Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1]		पंचम विधान सभा के प्रथम सत्र का 61वां दिवस		[संख्या 29

शुक्रवार,

दिनांक 19 मई, 1972

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.2 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[जन स्वास्थ्य, स्वायत्त शासन, गृह नगर आयोजना, शिक्षा, जनसम्पर्क, उद्योग, वित्त, खनिज, अकाल राहत, सहकारी, पशुपालन विभाग)।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न श्रीमती मदन कौर।

पचपदरा में पीने के पानी की व्यवस्था

625. **श्रीमती मदन कौर** (पचपदरा): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या पचपदरा तहसील में प्रति वर्ष बाले की बीमारी का भारी प्रकोप होता है?

(2) क्या यह सही है कि यह बीमारी तालाब या नाडी के पानी पीने से होती है, क्योंकि इस पानी को पशु और मनुष्य निरन्तर गन्दा करते रहते हैं ?

(3) क्या जन-स्वास्थ्य विभाग इस समस्या और इसके दुष्परिणामों की ओर जागरूक है ?

(4) क्या तालाबों या नाडियों से विदेशों में भी पीने का पानी काम में आता है ? यदि हां तो ऐसे देशों में इस प्रकार के तालाब के पानी को स्वच्छ रखने की कैसी व्यवस्था की जाती है ?

(5) क्या राज्य सरकार ने इस जन-कल्याण कार्य को हाथ में लेने का कोई कदम उठाया है ?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद):
(1) जी नहीं।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) विदेशों में तालाबों या नाड़ियों का पानी पीने के काम में लेते हैं इस विषय में कोई अधिकृत जानकारी नहीं है। तालाबों का पानी सीधे पीने के लिए काम में लिया जाना किसी हालत में भी हानि रहित नहीं हो सकता इसके लिए या तो सैनिटरी कुआ बना कर या फिल्टर करके पानी दिया जाना आवश्यक है।

(5) जी हां।

Page No 2

श्रीमती मदन कौर : आपने पहले भाग का क्या उत्तर दिया ? मैंने सुना नहीं ।

श्री चंदन मल बैद : जी नहीं ।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, हर साल पचपदरा तहसील में गांवों के गांव बाले की बीमारी के प्रकोप से दुखी होते हैं, हाथ पांव खराब हो जाते हैं, मन्त्री महोदय कहते हैं कि ऐसा नहीं है ।

श्री चन्दन मल बैद : इस बारे में जो पचपदरा में राज्य की डिस्पेन्सरी है उनसे संपर्क स्थापित किया था, उसने सूचना भेजी है कि पिछले तीन सालों में बाले का कोई रोगी अस्पताल में नहीं आया ।

श्रीमती मदन कौर : इस रोग के लिए एलोपथी की कोई दवाई नहीं है ?

श्री चन्दन मल बैद : मेरे पास और कोई जरिया नहीं है पता लगाने के लिए । हम बाड़मेर पंचायत समिति का सर्वे करा रहे हैं । एक गांव का सर्वे हुआ है और वहां पर हमने पता लगाया, बाले का रोग होता है । पचपदरा का सर्वे नहीं कराया है । पचपदरा डिस्पेन्सरी से जो सूचना प्राप्त हुई वह मैंने बता दी ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : डिस्पेन्सरी में बाले का इलाज नहीं होता है । सबसे अधिक एरिया में तालाबों का पानी पीते हैं, आप जाकर सर्वे करें । सूचना आप मंगा सकते हैं एवरेज कितने केसेज पीड़ित हैं, कितनों के हाथ पांव खराब हो चुके हैं, सर्वे करा सकते हैं ।

श्री चन्दन मल बैद : आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया है, इस बीच में सर्वे होना संभव है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप जानकारी ले सकते हैं बाकी डिस्पेन्सरी में तो इस रोग का इलाज नहीं होता है ।

श्री चन्दन मल बैद : मुझे मालूम नहीं बाले का इलाज होता है या नहीं । बाड़मेर में पंचायत समिति में सर्वे हो रहा है । उस सर्वे से पता लगा है कि कुछ गांवों में यह बीमारी है । बाड़मेर पंचायत समिति में सर्वे से पता लगा कि बाला होता है । उसके लिए हम योजना बनाने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन पचपदरा पचायत समिति में बाला होता है या नहीं, उस बारे में वहां के चिकित्सा अधिकारी से जानकारी प्राप्त की । उन्होंने बताया कि पिछले तीन सालों में वहां कोई ऐसा केस नहीं आया । मुझे यह नहीं मालूम कि इसके अलावा किस तरह से प्रश्न का जवाब दिया जाए, बाले का रोग होता है या नहीं ।

श्रीमती मदन कौर : बाड़मेर जिले में पचपदरा तहसील ही एक तहसील है जहां बहुत ज्यादा लोग तालाबों का पानी पीते हैं और वहां इस बीमारी का प्रकोप होता है । मंत्री महोदय ने तो आसानी से कह दिया कि होता ही नहीं ।

आप कहते कि बाला होता है या नहीं, मालूम नहीं होता होगा मुझे जानकारी नहीं, आपने तो कह दिया कि नहीं होता है ।

श्री चन्दन मल बैद : मुझे चिकित्सा अधिकारी ने जवाब दिया कि तीन साल में कोई इस बीमारी का रोगी उनके पास नहीं आया ।

श्रीमती मदन कौर : एक गांव में 100–100 आदमी बिस्तर में पड़े हुए हैं, साल भर बीमार रहते हैं, एलोपैथी का कोई इलाज नहीं। इसका कारण यह है कि तालाबों में गंदा पानी भरा रहता हैं। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूं कि इन तालाबों का पानी पीने के लिए लोग मजबूर होते हैं, वहां पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था करें या जहां तालाव हैं वहां ऐसी व्यवस्था करायें कि उन तालाबों में जानवर नहीं घुस सकें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय और जानकारी कर लें।

श्री लूणाराम : बाले का रोग वहां होता है। हमारे स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो अस्पताल है वहां एलोपैथी में इसका इलाज नहीं है। तो गांवों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इतनी एलोपैथी की दवाइयां हैं, कोई निदान तो इस रोग का निकाला जाए जिससे बाले की समस्या का समाधान निकल सके।

श्री चन्दन मल बैद : पचपदरा और जसोला में योजनायें बन चुकी हैं, दो योजनायें हैं जिन पर काम जारी है। क्षेत्रीय जल-प्रदाय योजनायें हैं गांधारी, समारी, कल्याणपुरा इन पर कार्य जारी है। पहली पर 2.28 लाख की लागत आएगी, दूसरी पर 6.40 लाख। बाकी योजनाएं विचाराधीन हैं, कई हैं, इनकी हम जांच कर रहे हैं। यह नहीं कि समस्या के प्रति हम जागरूक नहीं हैं हम जागरूक हैं लेकिन मेरे लिए कहना कि बाले का रोग कितना होता है, कितने लोग पीड़ित हैं, यह संभव नहीं है।

श्रीमती नगेन्द्र बाला (दीगोद) : आपने कहा कि डाक्टर की डिस्पेन्सरी में कोई केस नहीं गया। क्या डाक्टर को जानकारी में नहीं है कि बाले का रोग व्याप्त है ?

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहर कोठारी।

नाथद्वारा में कचरे डालने का स्थान

626. श्री **मनोहर कोठारी** (नाथद्वारा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या नाथद्वारा कस्बे में नगरपालिका द्वारा नगर के मध्य में किन्हीं स्थानों पर कूड़ा-कचरा और गंदगी एकत्रित किया जाता है ? यदि हां, तो वे स्थान कौन कौन से हैं।

(2) क्या नगरपालिका नाथद्वारा ने एतद् प्रयोजन से नगरपालिका अधिनियम की धारा 222 के अन्तर्गत निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

(3) क्या नगरपालिका, नाथद्वारा की इस प्रकार कचरा स्टैंड के नाम पर गंदगी एकत्रित करने सम्बन्धी कार्यवाही को राज्य सरकार उचित समझती है ? यदि नहीं, तो उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।

(4) क्या उक्त स्थानों पर कचरा वगैरह एकत्रित करने और हटाने का कोई समय निश्चित किया हुआ है ?

(श्री मनोहर कोठारी)

(5) क्या नगरपालिका के पास कचरा ढोने के लिए स्कूटर रिक्शा कैरियर हैं? यदि हां तो उसका अब तक कभी उपयोग किया गया? यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

राज्य मन्त्री स्वायत्त शासन (श्री मूलचन्द) : (1) जी नहीं। नगर के एक छोर बड़े मगरे के पास निम्न स्थानों पर एकत्रित किया जाता है।

(क) तीज की मगरी के पीछे।

(ख) बड़ा बाग की सड़क।

(ग) मोहल्ला फौज में पंजाबी के मकान के पीछे।

(2) जी हां। प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(3) जी हां, कूड़ा करकट निश्चित स्थानों पर एकत्रित होने के बाद ही उसे उठाए जाने की व्यवस्था नगरपालिका द्वारा की जाती है।

(4) जी हां।

(5) जी हां। नगरपालिका द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उक्त स्कूटर का उपयोग दिनांक 11–5–72 से प्रारम्भ किया गया है।

श्री मनोहर कोठारी : जो जगह तीज की मगरी के पीछे और बड़े बाग की सड़क आपने बताई और मोहल्ला फौज, ये सब आबादी के बीच में स्थान हैं या नहीं? और यहां पर गंदगी एकत्रित करना धारा 222 के अन्तर्गत अगर कार्यवाही नहीं की गई है, जनता से आपत्तियां नहीं मांगी गई हैं, उसको आप उपयुक्त समझते हैं? राज्य सरकार कार्यवाही करना चाहती है या नहीं? धर्मशाला में बाहर के यात्री रहते हैं और वहां ही गन्दगी एकत्रित की जाती है।

श्री मूलचन्द : कचरा डालने का कार्य, जब यह ठिकाना था, तभी से हो इन स्थानों पर डाला जाता था और अब चूंकि धीरे धीरे बस्ती बढ़ती जा रही है इसलिए नगरपालिका प्रयत्नशील है दूसरी जगह पर कचरा डालने के लिए और जल्दी हो निर्णय ले रहे हैं।

श्री मनोहर कोठारी : अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा एक धार्मिक स्थान है वहां पर यात्री लोग बाहर से दर्शन करने आते हैं और वहीं पर धर्मशाला के सामने के शहर की आबादी के बीच में सड़क के किनारे पर कचरा डाल दिया जाता है। इस प्रकार वहां गन्दगी फैलती है। इससे यात्री लोग जो दर्शन करने आते हैं उन्हें तकलीफ रहती है। कई बार राज्य सरकार को शिकायतें की गई पर कोई सुनने वाला नहीं है। मेरा निवेदन है कि इसे शहर के बीच से हटाकर कोई दूसरी जगह कचरा डालने की जगह बनाई जाय।

श्री मूलचन्द : अध्यक्ष महोदय, यह काम नगरपालिका का है वही कोई दूसरी जगह बना सकती है यह हमारा तो काम नहीं है।

श्री मनोहर कोठारी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो मन्त्री महोदय से यह निवे–

(श्री मनोहर कोठारी)
दन करना चाहता हूं कि आज जो सड़क के पास, बीच आबादी के कचरा डाला जाता है यह कब बन्द होगा ? इस प्रकार गन्दगी रहती है कि नाथद्वारे के मन्दिर के जो दर्शन करने जाते हैं उन्हें व जनता को बहुत ही तकलीफ हो रही है उसे बन्द कराया जाना चाहिये ।

स्वायत शासन मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय कचरे का स्थान कोई नया नहीं बना है । पहले जहां पर कचरा डाला जाता था वहीं वहीं पर डाला जाता है । अगर उससे तकलीफ होती है तो उन्हें वहां की म्युनिसिपैलिटी को शिकायत करनी चाहिये । वो ही इस बारे में कार्यवाही कर सकती है । राज्य सरकार का काम तो है नही की कचरा उठाती फिरे ।

श्री **मनोहर कोठारी** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वहां पर कचरा लाकर डाला जाता है और सुबह 6 से 10 बजे के बीच में वह बाद में 2 बजे से 6 बजे के बीच में उठाया जाता है और वही समय दर्शन करने वाले लोगों का समय होता है अगर वह जगह कचरा डालने की बदल दी जाए तो काफी जनता को सहूलियत रहेगी ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि परम्परा से हो वहां पर ही कचरा डाला जाता है और अगर माननीय सदस्य यह समझते हैं कि अभी नया ही डालना शुरू किया है तो मै इसकी जांच करवा लूंगा । इसके अलावा में माननीय सदस्य को यह जानकारी दे दूं कि पहले तो कचरा भैंसा गाड़ी द्वारा ही उठाया जाता था, अब वहां पर ट्रेक्टर्स आ गए हैं जिनसे कि कचरा जल्दी उठाया जा सकेगा इसके अलावा शहर की सफाई करने का काम नगरपालिका का है, राज्य सरकार का नहीं है कि वह शहर को सफाई करे। दूसरे अगर वह जगह कचरा डालने की शहर के बीच में है या सड़क के पास है या धर्मशाला के पास है तो मैं मान सकता हूं कि इससे तकलीफ रहती होगी । लेकिन वहां के लिये नगरपालिका नाथद्वारा ही कॉम्पीटेन्ट है कि वह जगह बदले । तो मेरा माननीय सदस्य से यह निवेदन है कि उनको चाहिये कि वह माननीय सदस्य नगरपालिका के चेयरमैन से सम्पर्क स्थापित करें और ऐसी व्यवस्था कराने की कोशिश करें कि कचरा डालने की जगह कोई दूसरी हो।

श्री **मनोहर कोठारी** : मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन हैं कि नगरपालिका को कई बार इसके लिये निवेदन किया लेकिन यह कचरा जो आबादी के बीच पड़ा रहता हट जाने से जनता की दिक्कत बचेगी । म्यूनिसिपैलिटीज तो सुनती नहीं हैं । मैं राज्य सरकार के म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट की धारा 219 से 222 जो कि सेनीटेशन एण्ड कनजरवेन्सी रूल्स है उसके मुताबिक कार्यवाही करने के आदेश दे ।

श्री परसराम मदेरणा : म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट 219 से 222 धारा

Page No 6

(श्री परसराम मदेरणा)

सेनीटेशन एण्ड कन्जरवेन्सी से डील करती हैं उसके अनुसार तो नगरपालिकायें जगहे निर्धारित कर देती हैं कि यह प्लेसेज हैं कचरा डालने के लिये। और मैं समझता हूं कि कचरा म्यूनिसिपैलिटिज की नोटिफाईड जगहों पर ही डाला जाता होगा। और यह कहना कि कचरा अभी से डाला जाना शुरू हुआ है गलत है मैं नहीं मानता। और साथ में यह भी कहना कि नगरपालिकायें कुछ भी नहीं कर रही है मैं नहीं मानता।

श्री मनोहर कोठारी : अध्यक्ष महोदय, बड़े अफसोस की बात है कि मन्त्री महोदय को मालूम होना चाहिये कि वहां म्यूनिसिपैलिटीज जनसंघ हैं वो हमारी सुनती ही नहीं हैं और जो म्यूनिसिपैलिटीज के एक्ट के अनुसार उस नगरपालिका को काम करना चाहिये वह म्यूनिसिपैलिटीज नहीं कर रही है। म्यूनिसपैलिटीज एक्ट की धारा 219 से 222 के अन्तर्गत जो कार्यवाही करनी चाहिये वह नहीं कर रही है। कचरा सड़क के पास आवादी के क्षेत्र में डाला जाता है, यात्रियों को तकलीफ होती है जनता परेशान है पर कोई सुन नहीं रहा है, सबसे बड़ी दुःख की बात तो यह है कि स्वयं नगरपालिका ही आफेन्स कर रही हैं।

श्री अध्यक्ष : नेकस्ट क्वेश्चन। श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : प्रश्न संख्या 627।

थाना डूंगरगढ़ में दर्ज मामले

627. श्री **चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 22-12-69 को अकाल सहायता कार्यों में गबन करने के अभियोग में थाना डूंगरगढ़ में जिलाधीश चूरू द्वारा एफ. आई. आर. नम्बर 75 व 76 दफा 409 व 467 के अभियोग में दर्ज किये गये थे।

(2) इसमें कौन कौन मुल्जिम हैं और उनका अभी तक चालान न करने के क्या कारण है? क्या यह सही है कि मस्टर रोल पर किये गये हस्ताक्षर के स्थान को फाड़ दिया गया है।

(3) क्या यह सही है कि इस मामले की जांच में अभियोग सही पाया गया है और जांच हुए बहुत समय निकल गया है परन्तु किन्हीं कारणों से चालान नहीं किया जा रहा है।

राज्य मंत्री, गृह (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) जी हां।

(2) इन दोनों मुकदमों में सहायक अभियन्ता एवं श्री ओंकारलाल व जगदीश तथा ओवरसियर की जयमल नामजद मुलजिमान थे लेकिन तफतीश से मुकदमा नं0 75 झूठा पाया गया। अतः इस मुकदमे में दिनांक 27-11-71 को एफ. आर. अदम बकुआ दे दी गयी। मुकदमा नं0 76 तफतीश से सही पाया गया। लेकिन तीनों मुलजिमान गिरफ्तारी से पहले

Page No 7

(श्रीमती कमला बेनीवाल)
फरार हो गये जिनको तलाश जारी है। तथा बाद में गिरफ्तारी मुकदमे का चालान किया जायेगा।

(3) जी हां, मुकदमा नं० 76 तफतीश सही पाया गया लेकिन मुलजिमान फरार है इसलिये मुकदमे का अभी तक चालान नहीं हो पाया है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मुलजिमान फरार हो गये तो आप उनका चालान भी पेश नहीं कर सकते हैं क्या? आप 512 दफा के तहत कार्यवाही क्यों नहीं कर लेते?

श्रीमती कमला बेनीवाल : इतने दिन तक मुलजिमान को पकड़ने की कोशिश की गयी। पर अभी तक मुलजिमान पकड़े नहीं गये हैं। इसलिये अब इसके आदेश दे दिये गये हैं कि चालान पेश कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री श्रीराम गोटेवाला।

सीकर हाउस की अवाप्त भूमि

286. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) : क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सीकर हाउस की भूमि सन् 1962 में अवाप्त की गयी थी तथा जिसका कब्जा सन् 1966 में हो गया था? यदि हां, तो अवाप्त भूमि के लिये योजना अब तक क्यों नहीं बनी?

(2) व्यापारिक एवं आवासीय आवण्टन के लिये अवाप्त की गई यह भूमि वर्षों से विकसित होने के लिये क्यों पड़ी है?

नगर आयोजना मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) अवाप्त भूमि का अवार्ड सन् 1963 में घोषित किया गया व कब्जा सन् 1966 में लिया गया। अवाप्त भूमि के लिये योजना बन गयी है।

(2) योजना में आवश्यकतानुसार समय समय पर परिवर्तन होने के कारण भूमि विकसित नहीं हो सकी।

श्री श्रीराम गोटेवाला: अध्यक्ष महोदय, जब सन् 1966 में भूमि पर कब्जा कर लिया गया और आज सन् 1972 हो गया है पर अभी तक कोई कार्यवाही उस योजना की क्रियान्विति के लिए नहीं हुई है, मैं जानना चाहूँगा कि आखिर ये योजना राज्य सरकार कब तक शुरू कर देगी?

श्री परसराम मदेरणा : इसमें देर लगने का कारण यह था कि इसमें कुछ चेन्जेज कर दिये गये थे। लेकिन अब 18-1-72 को एक हाई पावर कमेटी इसके लिए बैठी है वह अब यह कार्यवाही कर रही है। पहले जो बनायी गयी थी उसमें कुछ चेन्जेज किये गये थे। नगर विकास न्यास से भी जो आवश्यक कार्यवाही करानी वह कराली गई है। और उसका प्लान अब बन गया है, उस योजना का प्लान टाउन प्लानर से एप्रूव होकर के भी आ गया है। पहले यह योजना व्यापारिक एवं आवासीय आवन्टन के लिए आवाप्त की गयी थी लेकिन बाद मे योजना में आवश्यकतानुसार समय-समय पर परिवर्तन होने के कारण

Page No 8

(श्री परसराम मदेरणा)
योजना की क्रियान्विति नहीं हो सकी। अब चूंकि निर्णय ले लिया गया है हाई पावर कमेटी द्वारा इसलिए योजना की क्रियान्विति हो जायेगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, सन् 66 में कोई भूमि पर कब्जा हुआ है आज तक पिछले 6 सालों के बाद भी इस योजना की क्रियान्विति नहीं हुई है और बीच-बीच में राज्य सरकार योजना में चेन्ज करती रहती है।

श्री परसराम मदेरणा : सन् 66 से लेकर कितनी योजनायें बनी है वह अलग से प्रश्न है। न्यास ने सन् 62 में सीकर हाउस की भूमि अवाप्त करने के लिए स्कीम बनायी और जब स्कीम बनकर टाउन प्लानर के पास आयी तो उसने उसमें कुछ चेन्जेज कर दिये। इस प्रकार स्कीम एप्रूव नहीं हुई। और वापिस भेजी गयी। इसके बाद दुबारा स्कीम सन् 64 में भेजी तो बाद में वह एप्रूव हो गयी। बाद में वह गवर्नमेंट के पास आयी और वहां पर भी कुछ चेन्जेज कर दिये गये, और वापिस वहां से न्यास के पास आयी। इस प्रकार काफी समय लगा। इसके बाद में न्यास भंग हो गये। और अब 18-1-72 को हाई पावर कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। अब वह जल्दी ही निर्णय ले लेगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, सन् 66 से लेकर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है आज 6 साल हो गये है। आखिर कब तक योजना क्रियान्वित होगी ?

श्री परसराम मदेरणा : न्यास द्वारा सन् 62 में एक स्कीम बनायी गयी है और बाद में सीकर हाउस की भूमि कि अवाप्ति की गयी है सन् 66 में। इसके बाद में स्कीम बनायी गयी, उसके बाद में वह टाउन प्लानर के पास गयी। टाउन प्लानर ने उसे पहले पास नहीं किया उसमें चेन्जेज किये गये। वापिस स्कीम बनायी गयी। फिर बाद में टाउन प्लानर ने पास कर दी। और बाद में वह गवर्नमेंट के पास आयी। फिर राज्य सरकार ने उसमें चेन्ज करके वापिस भेजी और बाद में उस स्कीम को राज्य सरकार ने एप्रूव कर दिया। इस प्रकार सन् 65 से 69 तक का समय हो गया। थोड़ा समय न्यास के पास लगा और इस प्रकार बाद में न्यास ने वापिस कुछ समय और मांगा 12-12-70 को। इसके बाद में नगर विकास न्यास भंग हो गये। अब हाई पावर कमेटी बनादी गई हैं। उसकी मीटिंग 18-1-72 को हुई उसमें डिसीजन लिया गया कि इसमें आवासीय भूखण्ड ही बने। तो इस प्रकार चेन्ज हो गये और समय लगा। अब स्कीम बन गई है उस पर कार्यवाही शुरू हो जावेगी जल्दी ही। हाई पावर कमेटी ने निर्णय ले लिया है। उन्होंने निर्णय लिया है कि इसमें प्लाट्स रिजर्व प्राइस पर दिये जायेंगे। इसमें 30 रुपया प्रति स्क्वायर यार्ड भूमि तो होगी रेजिडेन्शियल परपजेज के लिए और अगर कोई कामर्शियल परपजेज के लिये लेगा तो 60 रुपया स्क्वायर यार्ड के हिसाब से चार्ज किया जायेगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला । इसका मतलब यह हुआ कि 6 वर्ष तक तो कोई कार्यवाही नहीं हुई है। 6 साल से न्यास कब्जा किये हुए उस पर बैठी हुई है।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
पर योजना का कोई पता नहीं आज जब इतना समय हो गया है कीमत भी बढ़ गई है। क्या राज्य सरकार इसमें रियायत करने का विचार रखती है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह तो सब हाई पावर कमेटी के हाथ में है वह एक स्टेट्यूटरी बाडी है। सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। राज्य सरकार तो इसमें यही कर सकती है कि इस स्कीम को जल्दी-से जल्दी कार्यान्वित करने के लिए कह सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती समुन्दर कंवर।

तहसील आहोर के गावों में पेय जल की व्यवस्था।

629. **श्रीमती समुन्दर कंवर** (आहोर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील आहोर जिला जालौर में किन किन गांवों में पेयजल का अभाव है और उनके लिए सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

(2) गांव खारा काम्बा और गांव मंडला के लिए किस जगह से पाइप लाइन लगाने की योजना है ? अगर हां, तो यह योजना कब तक शुरू कर दी जावेगी ? अगर कोई योजना नहीं है, तो योजना क्यों नहीं बनाई जा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त गांवो में जब कभी पानी का अभाव हो तो जवाई नदी से पेयजल के लिए वहां के तालाबों में पानी दिया जाता रहा है ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल वैद):

(1) तहसील आहोर जिला जालौर में किन किन गावों में पेयजल का अभाव है, इनकी सूची संलग्न है, इन ग्रामों के लिए निकटवर्ती स्थानों से जहां पेय जल उपलब्ध है, वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुए योजनायें बनाई जा रही है ?

(2) गांव खारा, काम्बा और गांव मंडला के लिए सांखवाली से पाइप लाइन लगाने की योजना है ?

(3) इस विभाग द्वारा पानी नहीं दिया जाता।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई : फेमीन के दिनों में अभावग्रस्त क्षेत्रों में हमेशा से दिया जाता है। दूसरी योजना किस स्टेज पर है ?

श्री चन्दनमल वैद : सरकार के विचाराधीन है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सर्वे होकर आ चुकी है क्या ?

श्री चन्दनमल वैद : जी हां।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सोर्स क्या होगी ?

श्री चन्दनमल वैद : सांखवाली।

श्री शंकरलाल : कितने लाख की है ?

श्री **चन्दनमल बैद**: 16 गांव हैं। 30 लाख 75 हजार की योजना है यह। दूसरी जो योजना है वह 8,97,000) की है। वह भी विचाराधीन है।

प्रश्न संख्या 630

श्री **अध्यक्ष** : श्री गिरधारीलाल भार्गव !

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 631

श्री चैतराम (अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये).

प्रश्न संख्या 632

श्री प्रद्युम्न सिंह।

(अनुपस्थितःकृपया आगे देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

नगरपालिका, गंगानगर द्वारा किया गया खर्चा।

633. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दिसम्बर, 1971 व जनवरी फरवरी, 1972 में नगरपालिका गंगानगर द्वारा कितना कितना खर्च किस किस मद में किया गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त तीन माह में दुकानों के किराये भी बढ़ाये व घटाये गये हैं? यदि हां, तो कितनी दुकानों का कितना कितना किराया बढ़ाया गया है तथा कितनी दुकानों का किराया घटाया गया है? यह किन नियमों के तहत किया गया है?

राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन : (श्री मूलचन्द): (1) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) किराया बढ़ाया जाना प्रस्तावित नहीं किया केवल घटाया जाना प्रस्तावित किया है जो निम्न प्रकार है:-

(क) पब्लिक पार्क की 220 दुकानों का किराया 20) रुपया प्रतिमाह से दिनांक 31-3-72 तक 15) रुपये प्रतिमाह व दिनांक 1-4-72 से 17) रुपया प्रतिमाह वसूल करने की सिफारिश की गई है।

(ख) प्रताप मार्केट की 94 दुकानों का किराया 80) रुपया प्रतिमाह के बजाय 1-4-64 से 40) रुपया प्रतिमाह व लीज समाप्ति की तारीख से आयन्दा सात साल के लिए 50) रुपये प्रतिमाह वसूल करने की सिफारिश राज्य सरकार से की गई है।

एक दुकान नं. 79 के मालिक से 40 रुपया प्रतिमाह के हिसाब से राशि जमा करवाई है।

कार्यवाही राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 80 (3) के अन्तर्गत की गई है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: यह मेहरबानी जनवरी फरवरी के महिने में क्यों हुई और आज तक क्यों नहीं हुई ?

श्री मूलचन्द : जनवरी कौनसी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जनवरी 72, आज तक गंगानगर की दुकानों का किराया नहीं घटाया गया है। जनवरी, 72 में यह मेहरबानी क्यों की।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, गम्भीर बात है। 8–10 लाख रुपया अधिक खर्च किया गया है। इसलिये उस समय किया गया कि बलवीरजी केदारनाथजी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। खर्चा किया क्या उसकी जांच करवायेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा (स्वायत्त शासन मन्त्री) : प्रताप मार्केट में जो दुकाने हैं उनका किराया कम करने का प्रश्न 29-2-72 से नहीं चल रहा है। किन्तु सन् 1964 से यह चल रहा है कि किराया घटाया जाय। सन् 1964 में नगरपालिका ने प्रस्ताव संख्या 18 दिनांक 31-3-64 को पास किया था कि किराया 20 से 40 कर किया जाय। राज्य सरकार ने कहा कि बढ़ाया नहीं जाय 30-3-71 को एक कमेटी बनी और नगरपालिका ने सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि कमेटी का गठन किया जाय और उसकी सिफारिश पर नगरपालिका ने हमको लिखा कि कुछ दुकानों का किराया घटाया जाय, अब तक राज्य सरकार ने उस पर निर्णय नहीं लिया है। 62 से चल रहा था। 15 रु. किराया था 1-4-62 से 20 रु. कर दिया था जब से वसूल नहीं हो रहा है। यह किसी से सम्बन्ध रखता हो, इससे पहले भी रेफरेन्स किया है बढ़ोतरी के लिये। पब्लिक पार्क का प्रश्न है, बोर्ड ने प्रस्ताव पास किया उसकी सूचना राज्य सरकार को नहीं भेजी गयी। हमने जानकारी चाही है।

श्री केदारनाथ (श्रीगंगानगर) : सब कमेटी की बैठक किन दिनों में हुई किराया कम करने के बारे में ?

श्री परसराम मदेरणा : परिषद् ने यह निर्णय 29-3-71 को लिया कि कमेटी का किया जाय। कमेटी ने 21-2-72 को निर्णय लिया। पहले 15) से वसूल हो रहा था वह 1-4-72 से 17) रुपये कर दिये। 1-4-62 से किराया वसूल करने का है।

श्री केदारनाथ : स्पेशल बैठक का फैसला है उसका कौंसिल ने क्यों नहीं रैटि–फिकेशन किया ?

श्री परसराम मदेरणा : यह जानकारी नहीं है।

श्री केदारनाथ : यह सीधा भेज दिया सरकार को। स्पेशल कमेटी कांग्रेस की है न कि बोर्ड की।

श्री परसराम मदेरणा : प्रताप मार्केट का तो हो गया। पब्लिक मार्केट की 20 से 15) करने की बात है और बाद में 17 की बात है। राज्य सरकार को रेफरेंस किया। स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। एडमिनि-स्ट्रेटर के समय सरकार के सामने रेफरेन्स हो गया था। हमने पूछा कि यह क्या मामला है, क्या निर्णय लिया गया है इससे राज्य सरकार को अवगत करायें।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

ग्राम सांकड़ में नल कूप का निर्माण

634. श्री **रघुनाथ विश्नोई (सांचोर)**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सांकड़, तहसील सांचोर, जिला जालोर में अन्डरग्राउन्ड वाटर बोर्ड द्वारा एक नलकूप का निर्माण किया गया है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि पिछले दो वर्षों तक अकाल के दिनों में इस नल कूप से पीने का पानी हौज भरकर दिया जाता रहा था ? अगर हां तो अब पानी की सप्लाई बन्द क्यों की गई है ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि स्थानीय ग्राम पंचायत ने राज्य सरकार से अपने खर्च पर नल कूप चलाने की इजाजत मांगी थी ? अगर हां, तो कब और अब तक इजाजत क्यों नहीं दी गई है ? अब यह इजाजत कब तक दे दी जावेगी ?

जन–स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) जी हां।

(2) जी हां। इसके पश्चात् दिनांक 15-8-70 से सभी अकाल राहत कार्य बन्द हो जाने से यह नल कूप पेय जल व्यवस्था हेतु चलाना बन्द कर दिया गया।

(3) सांकड़ ग्राम में पेयजल की व्यवस्था के लिये राज्य सरकार द्वारा ग्राम में स्थित नलकूप को तुरन्त चालू किये जाने के लिये राजस्थान भू–जल मण्डल को आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं और वहां पर स्थित नलकूप को राजस्थान भू–जल मण्डल द्वारा चालू भी कर दिया गया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पम्पिंग सेट खराब है उसको रिप्लेस करने का विचार करेंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सदस्य को मालूम है। उस तारीख को बन्द हो गया था फिर चालू हो गया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ऐसे नलकूप हैं उनको परमानेन्टली युटीलाईज करने के लिये नल योजना में लेने उचित समझते हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : वार्ता चल रही है ऐसे नल कूपों को अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड से लेकर जनस्वास्थ्य विभाग को दिये जांय और वे नल योजना बनायें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 635

श्री मोहनलाल छंगाणी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 636

श्रीमती भगवती देवी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री मीठालाल।

कृषकों के घरू कार्य में लिये जाने वाले पत्थर पर रायल्टी की वसूली

637. श्री **मीठालाल (लालसोट)** : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि जयपुर जिले की लालसोट तहसील के पहाड़ों से

(श्री मीठालाल)
किसानों द्वारा बैलगाड़ियों से घरू कार्य के लिए पत्थर लाने पर जबरन रायल्टी वसूल की जाती है।

(2) यदि हां, तो क्यों और भविष्य में इसकी रोकथाम के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

राज्य मन्त्री, खनिज (श्री जुझारसिंह) : (1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, घरू काम के लिए पत्थर लाने पर कुछ ठेकेदार तथा वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा जबरदस्ती 25 से 50 पैसे रॉयल्टी का लालसोट से वसूल किया जा रहा है। माननीय मन्त्रीजी कहते हैं कि सौ फीसदी गलत है। लेकिन माननीय मन्त्रीजी आप इसकी दुवारा जांच करायेंगे तो पता चलेगा। क्या आप इस ढंग का हुक्म पंचायत, पंचायत समिति और तहसील को भेजने के लिए तैयार हैं कि नहीं। किसानों द्वारा जो रायल्टी दी जा रही है वह इस प्रकार न ली जाय?

श्री जुझारसिंह : माननीय सदस्य ने फरमाया लेकिन माइनर मिनरल कन्सेशन के नियम 4 के अनुसार बजरी पत्थर लाने पर कोई रायल्टी नहीं लगती है। और जहां तक डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है उसके द्वारा कोई रायल्टी वसूल भी नहीं की जा रही है। अब प्रश्न यह है कि क्या वही लालसोट में जो ठेकेदार है उनके द्वारा किसी तरह से नाजायज तौर पर वहां के जो कृषक हैं उनसे रायल्टी ली जा रही है या नहीं ली जा रही है। इसकी सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन आपने जो कहा था तो मुझे भी शंका हुई थी कि वहां पर 4–5 ठेकेदार हैं उनके लिए यहां से फोरमैन को भेजा है और उसकी जानकारी नहीं हो सकने के कारण अब तक को जो जानकारी है उसके अनुसार निवेदन किया है। लेकिन इस तरह की बात उत्पन्न की जा सकती है उसकी जांच करने के बाद ही निवेदन करूंगा कि क्या वसूली नाजायज तौर पर की जा रही है? और इस तरह की वसूली की जा रही होगी तो जिस तरह के कन्सेशन्स कृषकों को दिये गये है उनको हिदायत कर दी जायेगी कि जो उनके अधिकार हैं उनके ऊपर रोक नहीं लगाई जाये।

श्री मीठालाल : तो क्या इसको स्थगित किया जाये अगर आप चाहें तो क्योंकि आपने अभी कहा है रिपोर्ट नहीं है।

श्री जुझारसिंह : इसमें स्थगित करने का प्रश्न नहीं है। राज्य सरकार के द्वारा कोई वसूली नहीं की जा रही है। हो सकता है नाजायज तौर पर किसी तरह की वसूली की जा रही हो जिसकी जानकारी हमारे पास नहीं है और जो जानकारी है उसके अनुसार कहा है कि वह नहीं ली जा रही है। फिर भी पर्सनल तौर पर मुझे शंका हो गई थी कि शायद प्रश्न आया है इसलिए यह बात हुई होगी इसलिए मैंने आदमी भेजा और जवाब नहीं आ सकने के कारण अभी पूरी तरह से नहीं कह सकता।

श्री मनोहर कोठारी : (नाथद्वारा) फिर यह 5 ठेकेदार किस मर्ज की दवा है ?

श्री जुझारसिंह : लीज होल्डर्स हैं ।

श्री मनोहर कोठारी : लीज होल्डर्स को रायल्टी कलेक्ट करने का अधिकार ही नहीं है । और जो कान्ट्रेक्ट्स दिये जाते थे वह राज्य सरकार ने खत्म कर दिये थे तो फिर यह किस तरह से रायल्टी वसूल कर रहे हैं ? गैर कानूनी है :

श्री जुझारसिंह : गैर कानूनी बात हो सकती है इसलिए ही तो प्रश्न उठा इसलिए कोई वसूली की जा रही होगी तो जांच करली जायेगी ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या यह सही है कि जब मन्त्री महोदय विधायक के रूप में थे तब इसी प्रकार की शिकायत आपने यहां पर प्रस्तुत की थी ।

श्री जुझारसिंह : माननीय सदस्य ने पूछा इसीलिए मुझे शंका पैदा हुई कि गैर कानूनी कार्यवाही हो रही होगी इसलिए मैंने विशेष तौर पर जानकारी प्राप्त की है ।

श्री मीठालाल : मैंने स्पष्ट प्रश्न किया था कि क्या ग्राम पंचायत को, पंचायत समिति को तहसील में इसकी सूचना भेजने के लिए तैयार हैं या नहीं कि लालसोट में रायल्टी वसूल की जा रही है और कृषक आयन्दा नहीं दे ?

श्री जुझारसिंह । इससे क्या आपत्ति है क्योंकि वाजिब चीज है ।

श्री मीठालाल : आपत्ति नहीं, भेजेंगे या नहीं ?

श्री जुझारसिंह : जरूर भेजेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल ।

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत टांकों का निर्माण

638. श्री **शंकरलाल** (पाली) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पाली तहसील में गत वर्षों के अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कई गावों में टांकों के निर्माण का कार्य कराया गया था ताकि जिन गांवों में खारा पानी होने से केवल वर्षा का पानी ही एकमात्र पीने का साधन हो वहां इन टांकों में वर्षा का पानी इकठ्ठा किया जा सके और साथ ही अकाल के समय टंकियों द्वारा ऐसे टांकों में पानी भरने की व्यवस्था की जा सके ?

(2) यदि हां तो ऐसे कितने टं[illegible] किन किन गांवों में बनाए गए और [illegible] कितने टांकों के निर्माण का कार्य अधूरा [illegible] पड़ा है ? सूची सदन की मेज पर रख[illegible]ने की कृपा करें ।

(3) इन अधूरे [illegible] टांकों के निर्माण का कार्य पूरा करा[illegible] कदम उठा[illegible] हेतु सरकार द्वारा क्या पूरा [illegible] जा रहे हैं और कार्य कब तक हो सकेगा ?

अकाल राहत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा):(1) जी हां।

(2) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) इस संबंध में अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग से तखमीने की जानकारी मांगी गयी है। उसके आने पर विचार किया जा सकेगा।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री शंकरलाल: क्या यह सही है कि जो काम अधूरे पड़े हुए हैं उन गांवों के अन्दर सिवाय टांकों के पानी इकठ्टा करने का जरिया नहीं है दूसरा इसलिए दिक्कत आ रही है। इसलिए उनको जल्दी से ठीक कर दिया जाये तो अकाल के समय में पानी पीने का मिल सकेगा?

श्री परसराम मदेरणा: दिक्कत तो जरूर आती होगी।

श्री शंकरलाल: क्या सरकार उचित नहीं समझती कि इनको जल्दी से ठीक करवाने के आदेश दिये जायें?

श्री परसराम मदेरणा: फाइनेन्शल एस्टीमेट्स मागे हैं एग्जीक्यूटिव इन्जनियर, पी० डब्लू० डी० से और वह तखमीने प्राप्त होने पर और थोड़े खर्चे की आवश्यकता हुई तो इसी साल में अकाल सहायता विभाग देख लेगा लेकिन ज्यादातर पीने के पानी की शिकायत हुई तो दूसरा प्रावधान है उनसे मदद ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती है। जो प्लानिंग मंत्री महोदय हैं उनके पास मैं आपकी इन्कम्प्लीट टांकों का मामला भेज दूंगा।

श्री शंकरलाल: इनके एस्टीमेट्स जिस समय कार्य शुरू किया गया था उस समय के बने हुये हैं और पाली जिला रूरल वर्क्स प्रोग्राम में हैं, इसलिए पैसे का भी प्रश्न नहीं होता। आप इन टांकों को आवश्यक समझकर इनका काम चालू करा सकते हैं? और जब तक फाइनेन्शल एस्टीमेट्स बनें वहां पर पानी मिल सके ऐसी व्यवस्था करा सकते हैं?

श्री परसराम मदेरणा: अकाल प्रारम्भ होने के पहले तखमीने बने थे लेकिन अकाल सहायता विभाग को जानकारी नहीं है कि कितने काम इनकम्प्लीट हैं और कितना खर्चा लगेगा और पूरे के पूरे काम इनकम्प्लीट पड़े हैं और केवल उन्होंने कच्चा गड्ढा खोद दिया है तो उसमें समय लग जाता है तीन-चार महीने का और अगर अकाल सहायता की मदद में काम किया जाये तो वह इनकम्पलीट नहीं होने चाहिये। अगर थोड़ा ही काम बाकी है तो इसे देख लेंगे वैसे मुझे जानकारी नहीं है कि कितना काम बाकी है लेकिन माननीय सदस्य जानते हैं कि वहां पर दूसरा सोर्स पानी का नहीं है और पानी कड़वा है इसलिए अकाल में जो टांके बनाये गये हैं सबसे ज्यादा टांके रैन वाटर को स्टोर करने के लिये हैं। जब कभी भी पानी की किल्लत होती है तो टांकों के अन्दर बरसात के पानी को इकट्ठा किया जाता है और अगर सबसे ज्यादा टांके बनाये गये हैं तो पाली तहसील में हैं।

Page No 16

श्री केदारनाथ : सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन पर इतना बड़ा जवाब !

प्रश्न संख्या 639

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

(अनुपस्थित:कृपया आगे देखिये)

श्री निरंजननाथ आचार्य।

मनोरंजन कर से मुक्त चलचित्र

640. श्री **निरंजननाथ आचार्य** (मावली): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य सरकार ने सन् 1970-71 व 1971-72 में किस किस चलचित्र को मनोरंजन कर से कब कब और कितनी कितनी अवधि के लिए मुक्त किया है ?

(2) उपरोक्त चल-चित्र किस किस सिनेमा गृह में कितने कितने दिन चले और इन चल चित्रों के निर्माता व वितरक कौन कौन हैं तथा कर मुक्ति के लिए किस किस निर्माता व वितरक द्वारा कब कब किस स्तर पर आवेदन पत्र दिये गये और उनकी किस प्रक्रिया से जांच करवाई गई और किनके द्वारा ?

वित्त मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह सूचना सूची 2 व 3 में दी गई है और सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या कोई समिति का गठन हुआ है राज्य स्तर पर कि जो एग्जम्प्शन्स को तय करती है इन चल-चित्रों के ?

श्री **चन्दनमल बैद** : अध्यक्ष महोदय, मैंने सूची में अंकित कर दिया है अलग अलग चल-चित्रों को एग्जम्प्शन दिया गया है तो उसके लिए समिति का गठन हुआ था।

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान में कोई समिति का गठन कर दिया गया है राज्य सरकार द्वारा कि जो वर्तमान में और भविष्य में ऐसे एग्जम्प्शन्स के प्रश्नों को उस समिति के माध्यम से तय करायेगी ?

श्री **चन्दनमल बैद** : 2 अप्रेल को निर्णय ले लिया गया है कि भविष्य में किसी भी चल-चित्र को एन्टरटेनमेन्ट से एग्जम्प्ट नहीं किया जायेगा।

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : 2 अप्रेल को निर्णय ले लिया गया कि एग्जम्प्शन नहीं दिया जायेगा..

श्री चन्दनमल बैद : इसलिए किसी भी समिति के गठन का प्रश्न ही पैदा नहीं होता और जितने भी चल-चित्रों को दिया गया है वह भी निरस्त कर दिया गया है सिवाय 'नानक नाम जहाज' जो कि धार्मिक चित्र है उसको एग्जम्प्शन में रखा गया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : रेशमा और शेरा जो सारे राजस्थान में चल चुकी है

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
उसको 4–5–71 को...आपने 72 का कहा है ?

श्री चन्दनमल बैद : जी हां।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : क्या यह सही है कि राज्य सरकार के स्तर पर एग्जम्प्शन के सम्बन्ध में वित्त मंत्री महोदय ने माननीय सदस्यों की एक समिति गठित करने का कमिटमेन्ट् तारीख 20 अप्रेल, 1971 को किया था और यदि ऐसा किया गया था तो उसके बाद किस समिति का गठन किया गया ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर चुका हूं कि जब 2 अप्रेल, को यह निर्णय ले लिया गया कि किसी भी चल-चित्र को एग्जम्प्ट नहीं किया जायेगा तो समिति के गठन करने का तो प्रश्न ही नहीं होता।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : प्रश्न इसलिये पैदा होता है कि यह तो आपने अभी किया है और मैं भूत की बात कह रहा हूं कि 20 अप्रेल, 1971 को माननीय वित्त मंत्री जी ने निर्णय लिया था कि सदस्यों की एक समिति बनाई जायेगी और वह समिति इस पर निर्णय लेगी। उस निर्णय के मुताबिक इस बीच में 71 और 72 के बीच में क्या किसी समिति का गठन किया गया ? और यदि किया गया तो उन समिति के सदस्यों के क्या नाम हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं ब्यौरेवार नाम बता दूं कि किस किस फिल्म को किस किस समिति के द्वारा सिफारिश करने पर एग्जम्प्ट किया गया....

श्री निरंजननाथ आचार्य : ब्यौरेवार तो मेरे पास भी है। आपने कृपा पूर्वक सूची मुझे दी है। मैं तो मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि 20 अप्रेल को...

श्री अध्यक्ष : आप सीधे ही सवाल पूछ लें।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : यह तो प्रिवलेज का सवाल है। मैं तो आपकी मेमोरी को रिफ्रेश करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: सीधे ही पूछ लें।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : अभी भी एग्जम्प्ट करना होगा तो सदन के माननीय सदस्यों की कमेटी बैठाकर उनकी रिकमन्डेशन होगी तो एग्जम्प्ट की जायेगी...

यह तो विश्वास है और उसके बाद रेशमा और शेरा—

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : शोरा नहीं शेरा।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : शोरा है या शेरा, यह कापी तो ऐसी है कि आंख गड़ाने पर भी निकलता नहीं है तो अप्रेल में विश्वास दिलाने के बाद भी 4–5–71 को इसको एग्जेम्प्ट किया गया। इसके बाद दूसरा है बंगला देश जिसे 3-12–71 को और एक है कहानी हमारी कहानी तो यह भी आश्वासन के बाद इनको एग्जेम्प्शन दिया है वह कोई समितियों के स्तर पर नहीं, आपके,

Page No 18

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
वित्तमन्त्रीजी के स्तर पर है। मैं यह जानकारी चाहता हूँ कि कमेटी के निर्माण का कमिटमेंट इस सदन के प्रांगण में करने के बाद इन पिक्चर्स को आपने अपने स्तर पर एग्जेम्प्शन दिया इसमें ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न तो अलग है लेकिन क्या यह न्यायोचित किया है कमिटमेंट के बाद भी ?

श्री चन्दनमल बैद : जो स्थिति थी उससे अवगत करा दिया है और आपका जो वह कहना है कि आश्वासन दिया गया है उसके संदर्भ में इसकी फिर से जांच करवा लूंगा।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : राज्य सरकार का यह आश्वासन जब था और जिस समय एग्जेम्प्शन दिए गए उस वक्त क्या आपके ध्यान में नहीं था और क्या किसी राज्य कर्मचारी ने इस कमिटमैंट को आपके ध्यान में लाया गया अगर वे नहीं लाए तो इस सम्बन्ध में आप क्या कहते हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : मैंने अर्ज किया कि इस संदर्भ में जांच करवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष : 641।

गृह निर्माण सहकारी समितियों को भूखण्डों का आवंटन

641. **श्रीमती नगेन्द्रबाला (दीगोद)** : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गृह निर्माण सहकारी समितियों को भू-खण्ड आवंटित करने के बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

(2) कोटा जिले में इस समय तक कुल कितनी ऐसी समितियों का विधिवत् गठन हो चुका है जिन्होंने मकान बनाने हेतु भू-खण्ड आवंटित करने के लिए प्रार्थना पत्र यू. आई. टी. को दिए हैं ?

(3) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की ऐसी कितनी समितियों का गठन हुआ है ?

(4) क्या उक्त सहकारी समितियों को भू-खण्ड आवंटित किए जाने का आश्वासन प्राप्त हुआ है ?

राज्य मन्त्री, सहकारिता (श्री जुझार-सिंह) : (1) यह मामला नगर आयोजन विभाग के विचाराधीन है।

(2) कोटा जिले में अब तक कुल 16 ऐसी गृह निर्माण सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है जिन्होंने यू. आई. टी. को भूखण्ड हेतु प्रार्थना-पत्र दिए हैं।

(3) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की 8 गृह निर्माण सहकारी समितियों का गठन हुआ है।

(4) उक्त 16 समितियों में 11 समितियों को नगर विकास न्यास से भू-खण्ड आवंटित करने का आश्वासन प्राप्त हुआ है।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : अध्यक्ष महोदय, केवल आश्वासन प्राप्त हुआ है लेकिन अभी तक किसी प्रकार की भूमि नहीं दी जा रही है क्योंकि विवादास्पद प्रश्न यह है कि यहां सहकारी विभाग से यू. आई. टी. को किसी प्रकार रिकमण्ड नहीं किया है। यू. आई. टी. को किसी प्रकार का आधार प्राप्त नहीं हुआ है। समितियां बनी हैं लेकिन अभी तक कोई भूमि प्राप्त नहीं हो सकी है, इसके बारे में क्या कहना है?

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक भूमि आवंटन करने का प्रश्न है यह तो कंसनिंग विभाग ही करेगा। जहां तक सहकारी विभाग का सम्बन्ध है वह तो यही कह सकता है कि इन सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन किया है और अगर उनको भूमि आवंटित नहीं होती है तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। जहां तक भूमि अलाट करने का सम्बन्ध है, यह यू. आई. टी. से सम्बन्धित है और इस मामले में उन्हीं से अप्रोच करना चाहिए।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : गृह निर्माण समितियों का जिस तरह का रजिस्ट्रेशन सहकारी विभाग से हुआ है और राजस्थान में गृह निर्माण सहकारी समितियों का गठन होने के पश्चात भी गृह निर्माण के लिए भूमि का आवंटन नहीं होता है तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। इसके बिना इनक्रोचमेंट बढ़ते जा रहे हैं।

सहकारिता मन्त्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : मैं निवेदन कर दूं कि यह गृह निर्माण सहकारी समितियों का जो गठन हुआ है और इसके नम्बर इन छोटे तबके के लोगों का इन सहकारी समितियों में बताया गया है कि जिनके आवास की और उनके रहने की दिक्कत को हल किया जाय। इनमें ग्रामीण लोगों के लिए भी है और नगर में रहने वाले शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए भी है परन्तु उनका सम्बन्ध जो गृह निर्माण विभाग है उससे जुड़ा हुआ है और कंस्ट्रक्शन वगैरा वही करवाते हैं। इसके साथ जुड़ने के बाद फिर नगर न्यास का प्रश्न आता है, यू. आई. टी. ही उनको जमीन वगैरा दे सकती है। इसके अन्दर सहकारी विभाग आगे बढ़ कर कुछ नहीं कर सकता।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय..

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : जहां तक गृह निर्माण सहकारी समितियों को भूखण्ड आवंटित कराने का प्रश्न है इसमें सहकारी विभाग देखे कि उनको भूखण्ड मिलें। इसमें लोगों को बसाने की योजना . . . .

श्री नारायण सिंह मसूदा : अगर आप यह चाहते हैं कि सरकारी विभाग इसके बारे में खतोखिताबत करे, इसको परसुएड करे तो वह भी हो सकता है। यानी सहकारी विभाग इसके अन्दर प्रयत्नशील हो तो वह भी हो सकता है। लेकिन यू. आई. टी. का अपना तरीका होता है, उसके अन्दर हम कहां तक दखल दे सकते हैं, यह बात अलग है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय..

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, इसमें बड़ा घपला है। गृह निर्माण सहकारी समितियां इतनी गठित हो गई हैं और उनके आदमी इधर उधर चले गए हैं कि पते नहीं मिल रहे हैं। देखने में ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे यह कोई बड़े-बड़े लोगों की सहकारी समितियां हैं। लेकिन इनका सहकारी विभाग से रजिस्ट्रेशन हुआ है और गरीबों ने भी प्लाट लिये हैं। इसमें मध्यम श्रेणी के और गरीब लोग पिस रहे हैं। ये गृह निर्माण समितियां बड़े 2 आदमियों के हाथ में नहीं हैं इसमें गरीब लोग भी हैं। मैं निवेदन करना ....

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात सही है कि गृह निर्माण सहकारी समितियां, खास कर जयपुर, में काफी बन गई हैं और कई वेस्टेड इण्ट्रेस्ट ने बन गई हैं और इससे यह शंका जरूर पैदा होती कि यहां या दूसरी जगह इस प्रकार की समितियों को कहां तक तरजीह दी जाय। लेकिन इसके अलावा दूसरी समितियां हैं जिनको तरजीह देने की आवश्यकता हैं उसके लिए अगर यू.आई.टी. विभाग चाहेगा तो जो भी यथा सम्भव क्लेरिफिकेशन होगा वह सहकारी विभाग दे देगा।

(व्यवधान--अश्रव्य)

श्रीमती नगेन्द्र बाला : प्रश्न यह है कि जो सहकारी समितियों का गठन हुआ और उसके लिए जैसे फाईनेंस कारपोरेशन का गठन हुआ है लेकिन चूंकि सहकारी समिति को भूमि आवंटित नहीं हुई इससे फाइनेंस कारपोरेशन निकम्मा बैठा हुआ है और जिन अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को बसाने के लिए यह सब किया जा रहा है, जब उनको कोई भूमि ही नहीं मिल रही है तो इसका उपयोग क्या है? सहकारी विभाग इसके लिए कुछ ध्यान दे।

श्री नारायण सिंह मसूदा : यू.आई.टी. वाले जब तक भूमि नहीं दें क्या किया जा सकता है। जहां तक यह प्रश्न उठता है कि फाइनेंस कारपोरेशन जो इन कोआपरेटिव्ज के लिए बना है वह सहायता नहीं पहुंचा पा रहा है, मैं मानता हूं कि उसने सहायता पहुंचाने का प्रयत्न किया है लेकिन उनके सामने भी कई दिक्कतें रही हैं और इसके कारण जितनी सहायता पहुंचाई जानी चाहिए थी उतनी सहायता नहीं पहुंचा पाए हैं। इसमें जमीन मिलने की दिक्कत रही है और दूसरी दिक्कतें भी रही हैं लेकिन जमीन मिले बिना फाइनेंस कारपोरेशन क्या कर सकता है?

श्री माणकचन्द सोगाणी : अगर यू. आई. टी. मिनिस्टर साहब बीच में बोलना चाहते हैं तो उनको मौका दिया जाय।

श्री परसराम मदेरणा (नगर विकास न्यास मंत्री) : अभी जैसा कि सहकारी मंत्रीजी ने कहा कि इसका सम्बन्ध यू. आई. टी. से है, मै कहना चाहता हूं कि इसका सम्बन्ध यू. आई. टी. से नहीं है। इसका सम्बन्ध राजस्व मंत्रीजी से हैं जो यहां बैठे हैं। जो यह जमीन लेने की बात कहते हैं कोआपरेटिव सोसायटीज की बताते हैं ....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या कहता है?

श्री परसराम मदेरणा : वह एग्रीकल्चर लैंड है और जब तक एग्रीकल्चर लैंड नजूल-लैंड में कन्वर्ट नहीं हो जाती, यू. आई. टी. दखलन्दाजी नहीं कर सकती है। इसलिए यह प्रश्न राजस्व विभाग से सम्बन्ध रखता है। इसके अलावा मेरा निवेदन है कि सात दिन पहले सरकार की ओर से आश्वासन दिया था कि जो सोसाइटीज हैं, हाऊसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज, जिनका नम्बर सौ या इससे कुछ ऊपर है···

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सब सो जयपुर में ही हैं।

श्री परसराम मदेरणा : और दूसरी जगह भी बनी हैं, यह प्रश्न मंत्रिमण्डल के पास में विचाराधीन है। उस पर निर्णय होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। फाईनेंस कारपोरेशन और फाइनेंस असिस्टेंस का प्रश्न कन्वर्शन के बाद आएगा, पहले नहीं।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : जो भूमि आबादी की है और ऐग्रीकल्चर लैंड नहीं है, उसके बारे में क्या जवाब है ?

श्री निरंजन नाथ आचार्य : राजस्व मंत्रीजी गेंद को उधर फेंक दीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : शहर के आस पास नजूल लैंड है और उस नजूल लैंड के बारे में अगर कोआपरेटिव सोसायटी रजिस्टर्ड कर ली गई है तो वह रजिस्ट्रेशन इल्लीगल है। वह लैंड यू. आई. टी. की है।

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज।

बाली तहसील में पशु चिकित्सा की व्यवस्था

642. श्री मोहनराज (बाली) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बाली तहसील के मुख्य आदिवासी व अनुसूचित जाति वाले बेड़ा क्षेत्र में पशु चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है और इससे पशु धन के पालन व बीमारियों से रक्षा की व्यवस्था हेतु ग्राम बेड़ा में एक पशु चिकित्सालय की स्थापना की मांग बाली पंचायत समिति पिछले 10–12 वर्षों से कर रही है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम बेड़ा में जन सहयोग से निर्मित मौजूदा प्राईमरी हैल्थ सेंटर भवन के अलावा राज्य सरकार ने एक नया भवन उक्त सेंटर हेतु बना दिया था और यह भवन पिछले 12–13 वर्षों से बिल्कुल खाली व बेकार पड़ा है और पशु चिकित्सा हेतु उक्त भवन का उपयोग बिना अन्य कोई खर्च किए हो सकता है ?

(3) क्या सरकार आदिवासी क्षेत्र की उक्त आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए वहां शीघ्र ही पशु चिकित्सालय खोलने की स्वीकृति प्रदान करेगी।

पशुपालन मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : बाली तहसील में पशु चिकित्सा की व्यवस्था मौजूद है। वहां एक चिकित्सालय है तथा एक चल पशु चिकित्सालय भी स्थित है जो इस तहसील के ग्रामों में चिकित्सा व्यवस्था करता है।

(श्री परसराम मदेरणा)

(2) इसकी जानकारी विभाग को नहीं है।

(3) धनाभाव के कारण इस वर्ष कोई नया पशु चिकित्सालय खोलने का प्रावधान नहीं है, परन्तु भविष्य में इस पर विचार किया जा सकेगा।

श्री मोहनराज : प्रश्न के भाग (2) के उत्तर में आपने यह फरमाया है कि वहां पर कोई भवन बना हुआ है उसकी जानकारी नहीं है। मैंने यह स्पष्ट प्रश्न पूछा था और लिखा था कि भवन बना हुआ है तो आप जानकारी तो प्राप्त करते कि भवन बना है या नहीं। लाख रुपये की लागत का भवन बना हुआ आज भी बेकार पड़ा है। इस पर जो कुछ रुपया, पैसा लगाया गया है वह व्यर्थ गया है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर एक पहले से अस्पताल बना हुआ था, जिसकी सूचना होते हुए भी, वहां पर डाक्टर होते हुए भी, इलाज वहां पर हो सकता था, इसके बावजूद राज्य सरकार ने न जाने किन हालात में किन कारणों से अचानक दो ढ़ाई महिनों में एक नया भवन खड़ा कर दिया जो बेकार पड़ा हुआ है। उस भवन की दीवारें ढह रही हैं, लोग किवाड़ों की जोडियां खोल कर ले जा रहे हैं, भवन बेकार पड़ा है, उसमें अगर पशु चिकित्सालय की स्थापना कर दी जाय तो उस आदिवासी क्षेत्र में पशुओं के इलाज के लिए इस भवन का उपयोग हो सकता है और बहुत बड़ी कमी की पूर्ति होगी। माननीय मंत्रीजी को जानकारी नहीं हो कि भवन है या नहीं, तो वे पुनः जानकारी प्राप्त कर लें।

श्री परसराम मदेरणा : प्रश्न तीन का सम्बन्ध मेडिकल और हैल्थ डिपार्टमेन्ट से है, वेटेरनरी डिपार्टमेन्ट से नहीं है। मैं माननीय सदस्य से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपके वहां पर जो बिल्डिंग बनी है क्या वह पशु चिकित्सालय के लिये बनी है?

श्री गुमानमल लोढा : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। क्या मंत्री महोदय माननीय सदस्य से प्रश्न पूछ सकते हैं?

श्री अध्यक्ष : जानकारी ले सकते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसे डाक्टर को भेज दीजिये जो कि पशु और आदमी का एक साथ इलाज कर सके।

श्री मोहनराज : अध्यक्ष महोदय, यह साफ है कि जो भवन बना था वह वास्तव में अस्पताल के लिए बना था। मैं चाहता हूं कि उस भवन का उपयोग हो और उपयोग इससे बढ़िया नहीं हो सकता है, इसलिये यह सुझाव है।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्रसिंह।

राज्य कर्मचारियों की हड़ताल

643. श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि माह फरवरी, 1972 में राज्य कर्मचारियों द्वारा राज्य में हड़ताल की गई थी? यदि हां तो इसके क्या कारण हैं?

Page No 23

(श्री राजेन्द्रसिंह)

(2) क्या यह सही है कि उक्त हड़ताल करने से पूर्व राज्य कर्मचारियों द्वारा राज्य सरकार को कोई मांगों का ज्ञापन पेश किया गया था ? यदि हां, तो ज्ञापन में क्या मांगे थी ? कृपया प्रति सदन की मेज पर रखे।

(3) क्या यह सही है कि हड़ताल के दौरान पुलिस व कर्मचारियों के बीच झगडा हुआ था जिसमें दोनों ओर क्षति हुई थी ? यदि हां, तो किस किस को कितनी कितनी ?

(4) क्या यह सत्य है कि बाद में कर्मचारियों और राज्य सरकार के बीच समझौता हो गया था ? यदि हां, तो किन शर्तों पर ? कृपया प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि समझौते के अनुसार एक कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां तो इसके कौन कौन सदस्य थे और इस समिति द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

(6) क्या यह सही है कि राज्य कर्मचारियों द्वारा सरकार को पुनः हड़ताल करने की सूचना दी है ? यदि हां, तो क्यों और किन कारणों से ?

राज्य मंत्री गृह (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) जी हां। राज्य कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के सम्बन्ध में हड़ताले हुई थी।

(2) जी हां। मांगों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां, पुलिस के 50 एवं अन्य राज्य कर्मचारियों के चोटें आई है।

(4) जी हां। समझौते के अनुसार जो मांग सरकार ने स्वीकार की है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) जी हां, दो समितियों के गठन के आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई है। समितियों के प्रतिवेदन देने की अवधि अभी पूर्ण नहीं हुई है।

(6) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री राजेन्द्रसिंह : स्वीकृत मांगों में से कितनी मांगों को क्रियान्वित कर दिया गया है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जो स्वीकार की गई हैं उनकी सूची दी गई है ?

श्री राजेन्द्रसिंह : उनमें कितनी क्रियान्वित कर दी गई है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह अभी नहीं कह सकती हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री गुरुदयालसिंह सन्धु।

गंगानगर में नहरी क्षेत्र पीने के पानी की व्यवस्था

644. **श्री गुरुदयाल सिंह संधु** (करणपुर) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राज्य सरकार गंगानगर के नहरी क्षेत्र में पीने के पानी के लिये

Page No 24

(श्री गुरुदयाल सन्धु)
ढिंगियों पर सरकारी सहायता से छोटे छोटे वाटर वर्क्स बनाने की योजना बनायेगी ?

(2) राज्य सरकार यह योजना कब तक बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जनस्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) जो नहीं अभी इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। यह कार्य अन्य क्षेत्रों की आवश्यता को देखते हुए अभी हाथ में नहीं लिया जा सकता है।

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु : क्या उस क्षेत्र में जहां पीने को पानी का बन्दोबस्त नहीं है आबादी के लिये वहां ऐसी कार्यवाही सरकार नहीं करेगी ?

श्री चन्दनमल बैद : दूसरे क्षेत्रों की आवश्ययकता ज्यादा है इसलिये उस क्षेत्र में काम हाथ में नहीं लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर!

लघु उद्योगों के लिये सुविधा

645. **श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा)** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत 5 वर्षों से राजस्थान में कितने लघु उद्योग लगे हैं ?

(2) ऐसे उद्योगों का कार्य प्रारम्भ करने में कितना समय लगा ? जमीन बिजली या अन्य साधन कितने अर्से में उपलब्ध हो गये ?

(3) क्या यह सही है कि कुछ उद्योगपति ऐसे साधन साल भर तक नहीं मिलने के कारण राजस्थान छोड़कर चले गये ?

राज्य मंत्री उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) लगभग 3800।

(2) इच्छुक उद्योगपति द्वारा इकाई का अस्थाई पंजीकरण कराने के पश्चात् भूमि के लिए प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर उनको विभाग द्वारा एवम् उद्योग व खनिज विकास निगम द्वारा भूमि की उपलब्धि अक्सर एक माह से दो माह के अन्दर करा दी जाती है। ऐसी इकाईयों को उनकी फैक्ट्री का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर विद्युत् की आवश्यकता होते ही विद्युत् कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जाता है। प्रत्येक इकाई को उनके उद्योग का उत्पादन करने में जो समय लगा उसका विवरण अभी उपलब्ध नहीं है।

(3) इस विभाग को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : ऐसे कितने उद्योग हैं जिनको कि आपने जमीन दी है ? जमीन मिलेगी, पानी देंगे, रामेटेरियल दिया जावेगा यह इन्फ्रा स्ट्रक्चर आपकी किताबों में तो है परन्तु कितनों को आपने जमीन दी हैं, यह फर्मा दीजिए ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : आपने प्रश्न यह पूछा है कि कितने उद्योग लगे। उत्तर दिया गया है 3800।

श्री गोराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : इनमें चालू कितने हैं ?

Page No 25

श्रीमती कमला बेनीवाल : इन्डिविज्युअल उद्योग किस किस स्टेज में है यह बताने में असमर्थ हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सरकारी सहायता के अभाव में उनमें से आधे बन्द पड़े हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरा मंत्री महोदया से यह निवेदन है कि राजस्थान में क्या क्या सुविधाएं दी जायेगी इसके लिये तो आपकी किताबें भरी पड़ी हैं। आपने यह जो सुविधाएं दे रखी हैं वह कितने आदमियों को दे रखी हैं? यहां पर तो तीन तीन वर्ष तक जमीन उपलब्ध नहीं होती है और सेठ लोग जमीन के अभाव में वापिस चले जाते हैं और उन्होंने हरियाणा, फरीदाबाद में जाकर के इन्डस्ट्री लगाई है। इसलिये यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस ओर ध्यान दें और राजस्थान का कल्याण करें।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय सदस्य ने जिस बात का उल्लेख किया है, उसके बारे में राज्य सरकार को जानकारी मिली है कि विद्युत, पानी और जो दूसरी सुविधाएं इन उद्योगों को मिलनी चाहिये वह देरी से मिली है और वे उद्योग नहीं चलते हैं। इसलिये राज्य सरकार ने एक कोआर्डिनेशन कमेटी निकट भविष्य में ही बनाने का तय किया है। इस कमेटी के द्वारा उद्योगों को जितनी भी दिक्कतें हैं उनको हल किया जायेगा और जो दूसरी दिक्कतें हैं उसको भी कम किया जायेगा।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : कोआर्डिनेशन कमेटी में कौन-कौन हैं?

श्रीमती कमला बेनीवाल : सी. एम. की चेयरमेनशिप में यह कमेटी बनाई गई है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इनमें कई उद्योगपति होंगे। जैसा कि पहले भी निवेदन किया था फाइनेन्स कार्पोरेशन में उद्योगपतियों को रख दिया गया और उन्होंने अपने लिये 20 लाख का लोन मन्जूर करा लिया और दूसरे लोगों को कोई सुविधा नहीं मिली।

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसमें किसी उद्योगपति को नहीं रखा गया है। विभिन्न विभागों के सेक्रेटरीज, डाइरेक्टर्स आदि हैं।

श्री पी. के. चौधरी : यह तो ओफिशियल कमेटी है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कोआॅर्डिनेशन डिपार्टमेन्ट से करवाना चाहते हैं। जो इन्डस्ट्रियल शेड्स बनाये गये हैं, उनका सामान आपके यहां से दिया जाता है। स्थिति यह है कि सामान नहीं मिलता है और उनको बाजार से ब्लेक में लाकर लगाना पड़ता है और क्रेडिट पर देने को कोई तैयार नहीं है। सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही है और जिस ढंग से दिया जाना चाहिये वह नहीं दिया जा रहा है। जो कोआर्डिनेशन कमेटी सरकार ने बनाई है उसके सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें गैर सरकारी व्यक्तियों को भी लिया जाना चाहिये और मुख्यत: छोटे उद्योगपतियों को लिया जाये, उनको प्रतिनिधित्व दिया जाये जिससे कि उनकी दिक्कतें दूर हों।

श्रीमती कमला बैनीवाल : आपने जो यह सुझाव दिया है सरकार उस पर विचार करेगी। उद्योगों की जो व्यक्तिगत कठिनाइयां हैं और जिनके मामले सामने आते हैं उनकी समस्या भी हल करने की कोशिश की जायेगी और जो सामूहिक तौर पर हल की जानी चाहिये उनके लिये भी कमेटी प्रयास करेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अन्य जो औद्योगिक बस्तियां हैं उनमें भी इस प्रकार की कोआर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिये क्योंकि हमारा यह अनुभव है कि जहां जहां पर औद्योगिक बस्तियां बनी हैं वहां कई प्रकार की कठिनाइयां हैं, उनको जमीन की, पानी की, बिजली की दिक्कत रहती है। हमारे अलवर में जो औद्योगिक बस्ती बनी है वहां पर भी यह समस्या रही है।

श्रीमती कमला बैनीवाल : सरकार आपके इस सुझाव पर विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री सुखलाल सैणचा।

सहकारी विभाग के प्रतिनियुक्ति पर निरीक्षक

646. **श्री सुखलाल सैणचा (जैतारण) :** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सहकारी विभाग में निरीक्षक (आडिट व निरीक्षक (कार्यकारी) हैं वे उनके स्वयं के जिलों की सहकारी संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर कब से कार्य कर रहे हैं? निरीक्षकों के नाम, अवधि जब से प्रतिनियुक्ति पर हैं एवं संस्थाओं का नाम इत्यादि दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

राज्य मंत्री, सहकारी (श्री जुझारसिंह):

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री सुखलाल सैणचा : क्या आडिट निरीक्षकों के लिए ऐसा नियम बना हुआ है कि उनको उनके जिलों के अन्दर नहीं रखा जाए।

श्री जुझारसिंह : जी हां। उनको किन्हीं विशेष परिस्थितियों के अन्दर नहीं रखा जाता है।

श्री सुखलाल सैणचा : दूसरे डिपार्टमेंट में तो यह बेन नहीं है फिर इनको क्यों नहीं रखा जाता है।

श्री जुझारसिंह : कोई विशेष परिस्थितियां हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : राज्य सरकार इस बैन को हटा दे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसका जस्टीफिकेशन क्या है जबकि दूसरे डिपार्टमेन्ट में यह नहीं है तो सहकारिता विभाग में यह बेन क्यों रहना चाहिये? स्थानीय आदमी के होने से और सहयोग की सम्भावना रहती है। इसका जस्टीफिकेशन क्या है?

सहकारी मंत्री (श्री नारायण सिंह मसूदा) : मैं स्वयं इस विषय पर चिन्तित

(श्री नारायणसिंह मसूदा)
हूं और मैं इस पर कोई कदम उठाना चाहूंगा।

श्री सुखलाल संणचा : यह व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री महेन्द्रकुमार।

श्री सुखलाल संणचा : सरकार की यह नीति अब तक क्यों नहीं बनी है और अब परिवर्तन करने में क्या दिक्कत है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : अब तक जो नीति बनी है उस सब के लिये मैं जवाबदार नहीं हूं। अब आगे जो किया जायेगा उसके लिये मैं सोच रहा हूं।

प्रश्न संख्या 647

श्री अध्यक्ष : श्री महेन्द्रकुमार।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रामसिंह (लूनी)

जोधपुर जिले के गांवों की नल योजना का सर्वे

648. श्री **रामसिंह** (लूनी) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिले में कितने गांवों की नल–योजना के लिए सर्वे किया जा चुका है ?

(2) क्या यह सच है कि अकाल के वक्त उक्त गांवों में लाखों रुपया प्रति वर्ष टंकियों द्वारा केवल पानी पहुंचाने में खर्च करना पड़ता है जबकि आज तक कोई उक्त गांवों में इस समस्या के हल करने का कोई स्थाई प्रावधान नहीं रखा है ?

(3) क्या यह सच है कि पंचायत समिति मंडोर, जिला जोधपुर में लाखों रुपया प्रति वर्ष हर गांव में पानी पहुंचाने के बावजूद एक भी गांव में जल योजना स्वीकृत नहीं की गई है ? अगर हां, तो क्यों ? अब कौन कौन से गांवों में नल योजना को चालू करने का प्रावधान है ?

जन–स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) सूची संलग्न है।

(2) जी हां, धन की उपलब्धि के अनुसार योजनायें बनाई जाती रही हैं और क्रियान्वित की जाती रही हैं। अब तक जोधपुर जिले में 14 योजनाएं द्वारा जल वितरण शुरू किया जा चुका है, व 11 योजनाओं पर कार्य चालू है, व प्रश्न 1 की सूची के अनुसार योजनाएं आगे कार्य करने के लिए विचाराधीन हैं।

(3) योजनाओं पर कार्य धन उपलब्धि के अनुसार किया गया है। मंडौर पंचायत समिति में जो योजनाएं विचाराधीन हैं उनकी सूची प्रश्न 1 में दी जा चुकी है।

(कृपया परिशिष्ठ 5 देखिये)

श्री **रामसिंह** (लूनी) : अध्यक्ष महोदय, जो सूची मन्त्री महोदय ने पेश की उससे मुझे मालूम नहीं पड़ा कि योजना में जो गांव लिए गये हैं वह उस क्षेत्र में हैं या नहीं, और दूसरे कौन से गांव हैं जहां से योजनाओं को लागू करेंगे, यह भी बताने की कोशिश

Page No 28

(श्री रामसिंह)
करेंगे। यह जो गांव लिये गये हैं वे कोई इस क्षेत्र के हैं नहीं।

श्री चन्दनमल बैद : हो सकता है कि नाम लिखने में गलती हो गई हो। अंग्रेजी से हिन्दी में नाम लिखने में फर्क पड़ता है। मैं माननीय सदस्य को पत्र लिखकर सूचित कर दूंगा कि कौन कौन से गांव हैं।

श्री रामसिंह (लूनी) : यह योजनाएं किन किन गांवों के लिए हैं और कहां से पानी लिया जायगा उसका खुलासा करें।

श्री चन्दनमल बैद : बांध, हावाल यह 12 गांव की योजना होगी और यह 21 लाख की योजना है। दूसरी बन्धवाना, सुरपुरा, केसुरिया की योजना है–ये योजनाएं हैं मन्डोर पंचायत समिति की जिनकी आप बात कर रहे हैं—यह 2.11 लाख की योजना है, तीसरी योजना केरू, लोरडी आदि नौ गांवों की हैं उस पर 8.20 लाख रुपया खर्च होंगे और हलोडी, अगलोई आदि 17 गांवों की योजना है यह चौथी योजना है। स्थान आदि के बारे में मुझे जानकारी नहीं। मैं आपको पत्र में लिखकर सूचित कर दूंगा।

श्री रामसिंह (लूनी) : मैं जानकारी देना चाहता हूं कि क्रम संख्या (1) में लाल सागर की योजना है जहां कि पानी उपलब्ध है और योजना का 2–3 साल पहले ही सर्वे किया जा चुका है लेकिन आज तक चालू नहीं की गई।

श्री चन्दनमल बैद : कौन सी योजना बतलाई आपने?

श्री रामसिंह (लूनी) : लालसागर की योजना है जो 12.83 लाख की योजना बताते हैं उसका सर्वे हो चुका है, लेकिन उसको आज तक पूरा नहीं किया गया है। दूसरी बन्धवाना, सुरपरा आदि की यह भी लालसागर की योजना है। इसमें भी गांव नहीं बताया गया है जहां पर पानी उपलब्ध है। तीसरी योजना में भी ट्यूबवैल अभी अभी खुदा है, चौथी योजना आपने हलोडी की बतलाई है यहां पर ट्यूबवैल नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से खुदा हुआ तो कहां से पानी उपलब्ध होगा, यह मेरी समझ में नहीं आया। तीन साल पहले सर्वे किया गया है, लेकिन आज तक एक ही गांव ऐसा नहीं है कि जहां पर योजना खोली हो और काम हुआ हो।

श्री चन्दनमल बैद : यह तो साफ बताया गया है काम शुरू नहीं हुआ है. लेकिन योजनाएं बनाई गई हैं। जब योजनाएं बनाई गई हैं तो वाटर सोर्सेज कहां पर हैं यह जरूर निश्चित किया गया हो। अभी इसकी सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, काफी लम्बी लिस्ट है और हर योजना के लिए अलग अलग कहां पर वाटर सोर्स हैं तो माननीय सदस्य से मैंने वायदा किया हैं कि माननीय सदस्य को पत्र से सूचित कर दूंगा।

श्री रणजीतसिंह : जोधपुर के लिए आपने बताया है तो ओसियां तहसील क्या जोधपुर में है?

श्री चन्दनमल बैद : वह तहसील दूसरी है।

श्री रणजीतसिंह : वह कहां है ? क्या राजस्थान के बाहर है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रयोगशाला सहायकों का कैडर

630. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (हवामहल, जयपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रयोग शाला सहायकों का अभी तक समुचित केडर (मान निर्धारण) नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें शिक्षकों की श्रेणी में मान निर्धारण करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि प्रयोग-शाला सहायकों की वरिष्ठता के नियम राज्य सरकार ने अभी तक प्रकाशित नहीं करवाये है ? यदि हां, तो क्यों तथा अब कब तक इनकी वरिष्ठता सूची बना दी जायेगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि विश्व-विद्यालय इन लोगों को सार्वजनिक परीक्षा की स्वीकृति नहीं देता है जबकि इनसे अध्यापन का कार्य कराया जाता है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इन लोगों को विश्वविद्यालय द्वारा सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान करने में सहायता करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान शिक्षा अधिनस्थ *सेवा नियम 1971 में प्रयोगशाला सहा*-यकों की सामान्य अध्यापकों के वर्ग (Section) में ले लिया गया है।

(2) जी हां। अब तक प्रयोगशाला सहायकों की पदोन्नति हेतु कोई श्रृंखला (Channel) नहीं थी अतः इनको वरिष्ठता सूची बनाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। चूंकि अब इनको सामान्य अध्यापक वर्ग में सम्मिलित कर लिया गया है। अब इस हेतु कार्यवाही की जा रही हैं।

(3) प्रयोगशाला सहायकों को अध्या-पक वर्ग की भांति विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने की अब तक सुविधा नहीं दी जाती रही हैं। अब इस विषय में विचार किया जा रहा है।

समाचार-पत्रों को विज्ञापन

631. **श्री चेतराम** (टोडाभीम) : क्या जन–सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि राज्य में बहुत से साप्ताहिक पत्र निरन्तर नहीं निकाले जाते हैं और जब उन्हें विज्ञापन मिलते है तभी उनका प्रकाशन होता है ?

(2) यदि हां, तो ऐसे पत्रों की संख्या क्या है ? जिलेवार तालिका सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ऐसे पत्रों को, जो कि निरन्तर न निकाले जाकर केवल विज्ञा-

(श्री चेतराम)

पन आदि के लिए ही निकाले जाते है को सरकारी विज्ञापन बन्द करने का विचार रखती है ?

(4) क्या राज्य सरकार साप्ताहिक पत्रों में समाचार एवं विज्ञापन की नियमानुसार जगह दिलाने के बारे में कोई विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) सरकार के ध्यान में ऐसा कोई मामला आने पर उस पर विचार किया जायेगा।

(4) इस समय ऐसा प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राज्य में खुलने वाले उद्योग

632. **श्री प्रद्युम्नसिंह** (राजाखेड़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कौन कौन से उद्योग निकट भविष्य में भारत सरकार खोलने जा रही है तथा वह उद्योग किन जिलों में कायम किये जावेंगे ?

(2) क्या यह सही नहीं है कि अन्य प्रान्तों के मुकाबले भारत सरकार ने राजस्थान में कम उद्योग खोले हैं ?

उत्तर

(1) निकट भविष्य में भारत सरकार कोई नये उद्योग राजस्थान में खोलने नहीं जा रही है।

(2) जी हां, यह सही है।

कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश समर्पण करने पर वेतन

635. **श्री मोहनलाल छंगाणी** (फलोदी): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राज्य सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करने का विचार रखती है कि राज्य कर्मचारियों द्वारा उपार्जित अवकाश समर्पण करने पर उनको उतने समय का अवकाश वेतन दिया जाये ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार उक्त व्यवस्था को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर चुकी है ?

(3) क्या राज्य सरकार को विदित है कि इस प्रकार की व्यवस्था देश के अधिकांश प्रदेशों में वहां की राज्य सरकारों द्वारा दी जा चुकी है ? यदि हां, तो राजस्थान में यह व्यवस्था अपनाने में क्या कठिनाई है ?

उत्तर

(1) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

(2) प्रश्न के भाग 1 के उत्तर में स्थिति स्पष्ट है।

(मुख्यमंत्री)

(3) जहां तक राज्य सरकार को विदित है केरल, मैसूर तथा तामिलनाडू में इस प्रकार की व्यवस्था है।

राजकीय उच्च प्राथमिक शाला, सराना में चपरासी की नियुक्ति

636. **श्रीमती भगवती देवी** (भिनाय): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च प्राथमिक शाला, सराना (भिनाय पंचायत समिति) में एक चपरासी का पद स्वीकृत है?

(2) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग ने उक्त चपरासी की नियुक्ति करली है पर उसे सराना स्कूल में नहीं लगा कर अन्य कहीं डेप्यूट कर दिया है?

(3) क्या यह सही है कि आज की तिथि तक स्कूल में कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं है जिससे बच्चों को पानी पिलाने तथा स्कूल की सफाई तक में कठिनाई हो रही है? यदि हां, तो चपरासी को वहां कब तक नियुक्त कर दिया जायगा?

उत्तर

(1) जी हां!

(2) जी नहीं! प्रश्न ही नहीं उठता!

(3) यह सही है कि शाला में कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं हैं। नियुक्ति करने की कार्यवाही की जा रही है!

अपराधों के मामले

639. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) राज्य में 1971–72 के वर्ष में डकैती, हत्या, लूट, आगजनी, सड़क दुर्घटना, फरारी व बलात्कार के कितने कितने मुकदमें दर्ज किये गये? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) वर्ष, 1970–71 की तुलना में कितनी कमी या वृद्धि हुई? अलग अलग बतलाने की कृपा करें।

उत्तर

(1) चाही गई सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) चाही गई गई सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

डूंगरपुर कस्बे में हुई अशान्ति

647. श्री **महेन्द्र कुमार** (पाडवा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या गत फरवरी के अन्तिम सप्ताह में डूंगरपुर कस्बे में कोई अशान्ति हुई थी? यदि हां, तो क्यों? एफ. आई. आर. को प्रति तथा जन-धन की हानि के अनुमान का विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री महेन्द्रकुमार)

(2) क्या यह सत्य है कि कुछ शरारती लड़कों ने उक्त घटना के पूर्व एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया और जनता ने अशान्ति होने से पूर्व एस. पी. और जिलाधीश को सारे हालात से वाकिफ करा दिया था ?

(3) क्या यह सत्य है कि उक्त दोनों अधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया ? यदि नहीं, तो क्या बन्दोबस्त किये गये ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

(4) क्या यह सत्य है कि उपद्रव के के पश्चात् भी पुलिस व प्रशासन निष्क्रिय रहा ? यदि नहीं, तो गिरफ्तारियां कब हुई ? अदालत में चालान कब हुए ? यदि हाँ, तो इस ढिलाई का कौन जवाबदार है।

(5) सरकार को उक्त दोनों अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए बाद में जनता ने जो निवेदन किया उस पर क्या कार्यवाही की गई ? अब तक जनता को विश्वास दिलाने के लिए क्या किया गया और जिनको हानियां हुई हैं उनकी क्षति-पूर्ति के लिए सरकार क्या सोच रही है।

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 27-7-72 को कस्बा डूंगरपुर में हिन्दू मुसलमानों में तनाव उत्पन्न होकर दिनांक 29-2-72 को हिन्दू मुस्लिम साम्प्रदायिक बलवा हुआ था। इन घटनाओं को लेकर पुलिस में 13 अपराध पंजीबद्ध किये गये जिनमें 11 अपराधों में दुकानों को जलाने तथा लूटमार करने में 74, 652) 5/ रुपयों की कीमत की सम्पत्ति के नष्ट हो जाने की शिकायत है। एफ. आई. आर. की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) जी नहीं। किसी महिला के साथ अभद्र व्यवहार के परिणाम स्वरूप यह झगड़ा उत्पन्न नहीं हुआ बल्कि श्री भंवर लाल जनसंघ कार्यकर्ता के साथ की गई मारपीट को लेकर हिन्दू मुसलमानों में तनाव उत्पन्न हुआ था जिसकी सूचना जिलाधीश व अधीक्षक पुलिस डूंगरपुर को दिनांक 28-2-72 को दी गई थी।

(3) इस सम्बन्ध में पुलिस उप महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जांच की जाकर रिपोर्ट पेश की गई है जो राज्य सरकार के विचाराधीन है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(4) जी नहीं, उपद्रव के पश्चात् पुलिस तथा प्रशासन के नियंत्रण एवं सतर्कता के फलस्वरूप दिनांक 29-2-72 के पश्चात् कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हो पाई और जन जीवन सामान्य हो गया। मुकदमों की तफतीश फौरन की जाकर अपराधियों को एक हफ्ते के भीतर भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पश्चात् मुकदमों की तफतीश सी. आई. डी. में तब्दील की गई यहां तकमील तफतीश

(गृह राज्य मन्त्री)
की जा रही है और शीघ्र ही नतीजा दिया जाकर पेश अदालत होगा।

(5) समस्त विचारणीय मामले सरकार के विचारधीन है। शीघ्र ही उन पर निर्णय लिया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बेरोजगार इंजीनियर्स और ओवरसियरों का पूल

242. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(1) बेरोजगार इन्जीनियरों एवं ओवरसियरों के लिए जो पूल बना हुआ है उनमें कौन कौन व्यक्ति कब कब से आज तक रोजगार नहीं मिलने के कारण भत्ता पा रहा है? दिनांक 31–3–72 तक की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) बेरोजगार इन्जीनियरों एवं ओवरसियरों के पूल में से किस किस व्यक्ति को किस किस विभाग में या संस्थान आदि में कब कब से नियुक्ति मिली एवं वह व्यक्ति पूल में किस तारीख को भर्ती हुआ? कृपया दिनांक 31–3–72 तक की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) गठित पूल में चयनित एवं विभिन्न विभागों में कार्यशील बेरोजगार अभियांत्रिक स्नातकों एवं डिप्लोमाधारियों, जिनको वृत्तिका स्वीकृत की गई है, की तिथि सहित सूची संलग्न है।

(2) पूल में चयनित एवं कार्यशील अभियांत्रिक स्नातकों एवं डिप्लोमाधारियों, जिनको विभिन्न विभागों में नियुक्त किया गया है और वे पूल के सदस्य किस तारीख को बने थे, की सूची विभागानुसार संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बीकानेर जिले में अवैध शराब बनाने एवं बेचने के मामले

243. **श्रीमती कान्ता कथूरिया** (कोलायत) : क्या वित्त (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) गत वित्तीय वर्ष में आबकारी विभाग द्वारा बीकानेर जिले में अवैध शराब बनाने एवं बेचने के कितने मामले पकड़े और उनका क्या परिणाम रहा?

(2) इस विभाग द्वारा कितनी आय प्रतिवर्ष की जाती है?

(3) इस विभाग पर प्रति वर्ष कितना व्यय होता है?

उत्तर

(1) गत वित्तीय वर्ष में राजस्व जिले बीकानेर में 33 अभियोग अवैध शराब बनाने व बेचने के बने जिनके अब तक के परिणाम निम्न प्रकार है:–

1. न्यायालय में चालान हो चुके हैं निर्णय होना शेष है-24

(आबकारी मन्त्री)

2. कम्पाउन्ड हुए	2
3. न्यायालय द्वारा सजा दी गई	3
4. जांच जारी है	4
	33

(2) वर्ष 1970–71 व 1971–72 में क्रमश: 8,76,72,550 व 9,38,81,364 रुपयों की आय हुई

(3) आबकारी विभाग पर वर्ष 1970–71 में 1,27,98,760 रुपयों तथा वर्ष 1971–72 में दिसम्बर 1971 तक 96,14,504 रुपयों का व्यय हुआ।

बीकानेर शहर में पानी को व्यवस्था

244. श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर शहर में पानी का प्रेशर बहुत कम है और घरों में पानी नहीं पहुंच पाता है?

(2) क्या यह सही है कि स्टेण्ड पोस्ट पर भी पानी उपलब्ध करने में लोगों को बड़ी कठिनाई होती है?

(3) क्या यह सही है कि आसन्न गर्मियों में यह समस्या और भी अधिक भीषण रूप ग्रहण कर लेगी?

(4) सरकार इस समस्या के समाधान हेतु क्या व्यवस्था कर रही है?

उत्तर

(1) बरसात होने के बाद सर्दी के मौसम में पानी के प्रेसर में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है गर्मी के मौसम में पानी के प्रेसर में थोड़ी कमी जरूर आ जाती है। जिससे बहुत ऊंचाई पर स्थित मकानों में पानी कम मात्रा में पहुंच पाता है, लेकिन ऐसा कोई मकान नहीं है जहां पानी न पहुंचता है।

(2) जी नहीं, बीकानेर में 353 स्टेण्ड पोस्ट बने हुये है। उन सब में निर्धारित समय पर पानी सप्लाई होता है।

(3) ऐसी कोई सम्भावना नहीं है।

(4) व्यवस्था में सुधार के लिये आवश्यकतानुसार कार्यवाही समय समय पर की जाती है। अभी भी दो कुओं में बोरिंग का कार्य चल रहा है?

पर्यटन विभाग द्वारा पत्र-पत्रिका स्मारिका आदि को दिये गये विज्ञापन

245. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सन् 197 –72 व 1972–73 में पत्र-पत्रिका, स्मारिका आदि कार्यों के लिए कितना कितना और कब कब एवं किस किस मूल्य का विज्ञापन किन किन को दिया गया? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) यह विज्ञापन किस किस पत्र-पत्रिका एवं स्मारिका आदि में किस किस तारीखों पर प्रकाशित हुए हैं?

(श्री निरंजनाथ आचार्य)

(3) इन विज्ञापनों के लिये कब और कितना कितना किस किस को भुगतान किया गया हैं और कितना कितना शेष है ?

(4) उपरोक्त विज्ञापनों के सम्बन्ध में उक्त पत्र-पत्रिका व स्मारिका के व्यवस्थापकों व अन्य सम्बन्धित पदाधिकारियों द्वारा किस किस को व कब कब आवेदन-पत्र दिये गये थे और उन पर किस अधिकारी और मंत्री द्वारा कितने कितने रुपयों का विज्ञापन देने का निर्देश एवं आदेश दिया गया ?

(5) क्या यह सही है कि विज्ञापन का भुगतान करने से पूर्व न तो कोई पत्र-पत्रिका एवं स्मारिकाओं का प्रकाशन ही हुआ और न ही ऐसे विज्ञापन सहित प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं एवं स्मारिकाओं की प्रतियां विभागों के पास पहुँची ? यदि हां, तो इस प्रकार का भुगतान किन किन को और कब कब किया और किन अधिकारों के अन्तर्गत ?

उत्तर

(1) सूचना–पत्र सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) चाही गई सूचना, सूचना-पत्र के कॉलम 3 पर है।

(3) चाही गई सूचना, सूचना–पत्र के कॉलम 7 में है।

(4) चाही गई सूचना, सूचना–पत्र के कॉलम 4, 5, 6 व 7 में है।

(5) ऐसा कोई भी केस नहीं है जिसमें पत्र-पत्रिका, स्मारिका आदि छपने से पहले भुगतान कर दिया गया हो।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

होटल निगम द्वारा पत्र-पत्रिका स्मारिका आदि को दिये गये विज्ञापन

24. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली): क्या मुख्य मंत्री (होटल कार्पोरेशन) यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1971–72 व 1972–73 में पत्र-पत्रिका, स्मारिका आदि कार्यों के लिए कितना कितना और कब कब एवं किस किस मूल्य का विज्ञापन किन किन को दिया गया ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) यह विज्ञापन किस किस पत्र-पत्रिका एवं स्मारिका आदि में किस किस तारीखों पर प्रकाशित हुए हैं ?

(3) इन विज्ञापनों के लिए कब और कितना कितना किस किस को भुगतान किया गया है और कितना कितना शेष है ?

(4) उपरोक्त विज्ञापनों के सम्बन्ध में उक्त पत्र-पत्रिका व स्मारिका के व्यवस्थापकों व अन्य संबंधित पदाधिकारियों द्वारा किस किस को व कब कब आवेदन-पत्र दिये गये थे और उन पर किस किस अधिकारी और मंत्री द्वारा कितने कितने रुपयों का विज्ञापन देने का निर्देश एवं आदेश दिया गया ?

(5) क्या यह सही है कि विज्ञापन का भुगतान करने से पूर्व न तो कोई पत्र-पत्रिका

Page No 36

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
एवं स्मारिकाओं का प्रकाशन ही हुआ और न ही ऐसे विज्ञापन सहित, प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं एवं स्मारिकाओं की प्रतियां विभागों के पास पहुंची ? यदि हां, तो इस प्रकार का भुगतान किन किन को और कब कब किया और किन अधिकारों के अन्तर्गत ?

उत्तर

(1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है इस सम्बन्ध में विवरण-पत्र के कालम 1 से 6 में अंकित है।

(2) यह सूचना विवरण पत्र के कालम नं. 7 एवं 8 में अंकित है।

(3) सूचना विवरण पत्र के कालम नं. 9 व 10, 11 व 12 में अंकित है।

(4) सूचना विवरण पत्रिका के कोलम 13 से 17 में अंकित है।

(5) सूचना विवरण पत्रिका के कोलम नं. 18 में अंकित हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

जयपुर जिला प्रशासन में अधिकारियों कि नियुक्ति

247. **श्री करनाथ** (गंगानगर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिला प्रशासन में कुल कितने आर. ए. एस. अधिकारी नियुक्त हैं ? सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) इन अधिकारियों की नियुक्ति जयपुर में कब और किस पद पर हुई थी ?

(3) पिछले पांच वर्षों से कौन अधिकारी केवल जयपुर में ही नियुक्त हैं ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जयपुर जिला प्रशासन में वर्तमान कुल 25 आर. ए. एस. अधिकारी नियुक्त है। सूची (तालिका 'क') संलग्न है।

(2) वांछित सूचना भाग 1 के उत्तर की सूची में संलग्न है।

(3) वांछित सूचना, सूची 'ख' में अंकित है जो सदन के पटल पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

राजस्थान वित्त निगम द्वारा पत्र-पत्रिका, स्मारिका आदि को दिये गये विज्ञापन

248. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली) क्या वित्त (फाइनेन्स कार्पोरेशन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1971-72 व 1972-73 में पत्र-पत्रिका, स्मारिका आदि कार्यों के लिए कितना कितना और कब कब एवं किस किस मूल्य का विज्ञापन किन किन को दिया गया ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) यह विज्ञापन किस किस पत्र-पत्रिका एवं स्मारिका आदि में किस किस तारीखों पर प्रकाशित हुए हैं ?

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(3) इन विज्ञापनों के लिए कब और कितना कितना किस किस को भुगतान किया गया है और कितना कितना शेष है ?

(4) उपरोक्त विज्ञापनों के सम्बन्ध में उक्त पत्र-पत्रिका व स्मारिका के व्यवस्थापकों व अन्य सम्बन्धित पदाधिकारियों द्वारा किस किस को व कब कब आवेदन-पत्र दिए गए थे और उन पर किस अधिकारी और मंत्री द्वारा कितने कितने रुपयों का विज्ञापन देने का निर्देश एवं आदेश दिया गया ?

(5) क्या यह सही है कि विज्ञापन का भुगतान करने से पूर्व न तो कोई पत्र-पत्रिका एवं स्मारिकाओं का प्रकाशन ही हुआ और ना ही ऐसे विज्ञापन सहित प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं एवं स्मारिकाओं की प्रतियां विभागों के पास पहुँची ? यदि हां, तो इस प्रकार का भुगतान किन किन को और कब कब किया और किन अधिकारों के अन्तर्गत ?

उत्तर

(1) तालिका प्रेषित है।

(2) तालिका के कालम संख्या '2' व '7' में वांछित सूचना दी गई है।

(3) वांछित सूचना तालिका में कालम संख्या '8' में दी गई है।

(4) विज्ञापन के लिए पत्र-पत्रिका एवं स्मारिका के व्यवस्थापकों द्वारा निगम को दिये गये आवेदन-पत्रों की तिथियां कालम 3 में दी गई है एवं विज्ञापन का मूल्य कालम '6' में दिया गया है। विज्ञापन देने का आदेश प्रत्येक आवेदन-पत्र पर निगम के प्रबन्ध संचालक द्वारा दिया जाता है।

(5) यह सही नहीं है कि विज्ञापन का भुगतान बिना विज्ञापन के प्रकाशन के ही कर दिया जाता है। विज्ञापन का भुगतान सम्बन्धित पत्र पत्रिका एवं स्मारिका में प्रकाशन होने एवं उसकी प्रतियां कार्यालय में प्राप्त होने पर ही किया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

राजकीय उपक्रमों द्वारा पत्र-पत्रिका, स्मारिका आदि कार्यों को दिये गये विज्ञापन

249. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या राजकीय उपक्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) सन् 1971-72 व 1972-73 में पत्र-पत्रिका, स्मारिका आदि कार्यों के लिये कितना कितना और कब कब एवं किस किस मूल्य का विज्ञापन किन किन को दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) यह विज्ञापन किस किस पत्र-पत्रिका एवं स्मारिका आदि में किन किन तारीखों पर प्रकाशित हुए हैं ?

(3) इन विज्ञापनों के लिये कब कब और कितना कितना किस किस को भुगतान किया गया है और कितना कितना शेष है ?

(4) उपरोक्त विज्ञापनों के सम्बन्ध में उक्त पत्र-पत्रिकाओं व स्मारिका के व्यवस्था-

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

पकों व अन्य सम्बन्धित पदाधिकरियों द्वारा किस किस को व कब कब आवेदन-पत्र दिये गये थे और उन पर किस अधिकारी और मन्त्री द्वारा कितने कितने रुपयों का विज्ञापन देने का निर्देश एवं आदेश दिया गया ?

(5) क्या यह सही है कि विज्ञापन का भुगतान करने से पूर्व न तो कोई पत्र-पत्रिका एवं स्मारिकाओं का प्रकाशन ही हुआ और ना ही ऐसे विज्ञापन सहित प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं की प्रतियां विभागों के पास पहुंची ? यदि हां, तो इस प्रकार का भुगतान किन किन को और कब कब किया और किन अधिकारों के अन्तर्गत ।

उत्तर

(1) सन् 1971-72 व 72-73 में पत्र-पत्रिका, स्मारिका आदि में जो विज्ञापन दिये गये उनकी सूची संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दी गई है ।

(2) विज्ञापनों के प्रकाशित होने की तारीखें पत्र-पत्रिका एवं स्मारिका आदि के नाम सहित संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दी गई है ।

(3) विज्ञापनों के लिये भुगतान की हुई राशि व शेष राशि जिसका भुगतान नहीं किया गया है । संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दी गई है ।

(4) सम्बन्धित पत्र-पत्रिकाओं व स्मारिका के व्यवस्थापकों व अन्य पदाधिकारियों द्वारा दिये गये आवेदन सम्बन्धित सूचना संलग्न परिशिष्ठ 'अ' में अंकित की गई है ।

(5) जी नहीं । विज्ञापन के प्रकाशन की प्रति प्राप्त होने के पश्चात् व स्मारिका अथवा पत्र-पत्रिकाओं की प्रतिलिपि प्राप्ति के बाद जिसमें यह विज्ञापन प्रकाशित हुए हैं, राशि का भुगतान किया गया है ।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

प्राथमिक शिक्षा पर राज्य का सालाना खर्चा

250. **श्री मूलचन्द सान्खिया** (दौसा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राज्य में प्राथमिक शालाओं में कुल कितने छात्र अध्ययन कर रहे हैं ?

(ख) प्राथमिक शिक्षा पर राज्य का क्या सालाना खर्चा आता है ?

(ग) प्रति छात्र क्या खर्चा आता है ?

उत्तर

(क) राजस्थान राज्य में सत्र 1969-70 में प्राथमिक शालाओं में कुल 21.10 लाख विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं ।

(ख) प्राथमिक शालाओं पर वित्तीय वर्ष 1969-70 में 13,02,22,283 रु. व्यय हुए हैं ।

(ग) प्रति छात्र पर करीब 62 रु. व्यय आता है ।

Page No 39

बीकानेर जिले में शिक्षा के विकास के प्रति उदासीनता

251. **श्रीमती कान्ता कथूरिया** (कोलायत) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार बीकानेर जिले में शिक्षा के विकास के प्रति उदासीन है ?

(2) क्या यह सही है कि जवाहर सैकेण्डरी स्कूल भीनासर को क्रमोन्नत करने की तत्कालीन मुख्य मन्त्री की घोषणा के बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाया गया ?

(3) क्या यह सही है कि बीकानेर शहर के तीनों प्रमुख राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सेवा निवृत्त व्यक्तियों की पुनर्नियुक्ति की गई है ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि राज्य सरकार बीकानेर जिले में शिक्षा के विकास के प्रति उदासीन है।

(2) गत वर्ष राज्य निर्णय अनुसार केवल 11 कन्या माध्यमिक शालाओं को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया। तत्कालीन मुख्य मन्त्री की घोषणा की जानकारी विभाग को नहीं है।

(3) जी हां।

सांचोर मार्केटिंग सोसाइटी को बकाया राशि

252. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (हवा-महल, जयपुर) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

जालौर जिले की सांचोर मार्केटिंग सोसाइटी का किस किस काश्तकार या अन्य व्यक्तियों में सन् 196 से आज तक कितना कितना रुपया बकाया है ? किन कारणों से वह रुपया बकाया है और वसूल नहीं करने के क्या कारण हैं ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सांचोर कोओपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लि., में सन् 1965 से जिन जिन काश्तकारों या अन्य व्यक्तियों में बकाया है वह संलग्न सूची परिशिष्ट (अ) पर संलग्न हैं यह राशि बीज खाद ऋण की बकाया हैं। उक्त राशि वसूल नहीं होने का मुख्य कारण गत कई वर्षों से इस जिले में अकाल की स्थिति होना है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

ग्राम भांडारेज का बीज गोदाम

253. श्री **मूलचन्द सामरिया (दौसा)** : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम भांडारेज में सन् 1965 में कितनी लागत का बीज गोदाम बना ?

(श्री मूलचन्द सामरिया)

(2) क्या इसको कार्य में लाया जा रहा है ?

(3) क्या इस गोदाम को शिक्षा विभाग को दिया जा सकता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

1. भांडारेज ग्राम में वर्ष 1964–65 में बीज गोदाम हेतु 12,500) रु. पंचायत समिति, दौसा के मार्फत ग्राम सेवा सहकारी समिति को देने हेतु स्वीकृत हुआ।

2. गोदाम अपूर्ण होने के कारण कार्य में नहीं लाया जा रहा है।

3. प्रश्न नहीं उठता।

भाखरा और गंगनहर परियोजना की नहरों को रेत से बचाने की योजना

254. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (सूरतगढ़) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) गंगानगर जिले में अब तक वनों तथा पेड़ों के विकास पर विभाग द्वारा कितना व्यय किया गया है और कितने पेड़ लगाये गये है ? अब तक गंगानगर जिले को वनों के विकास के लिए कितना धन दिया गया है ?

(2) जिले की कुल कितने मील लम्बी नहरों तथा सड़कों के किनारे कितने पेड़ लगाये हैं ?

(3) गत वर्ष गंगानगर जिले में वनों के विकास तथा नये पेड़ लगाने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और कितना धन खर्च किया गया ?

(4) भाखरा और गंगनहर परियोजना की नहरों को रेते (सिल्ट) से बचाने के लिए सिंचाई विभाग ने कोई योजनायें वन विभाग को दी है ? यदि हां, तो उनका पूरा विवरण दें।

उत्तर

(1) गंगानगर जिले में अब तक (1971-72 तक वनों तथा पेड़ों के विकास पर वन विभाग द्वारा 71–04 लाख व्यय किया गया है। 6088 पंक्ति किलोमीटर नहरों व सड़कों के किनारे व 1624 हैक्टर पर पेड़ लगाये गये हैं।

(2) 5048 पंक्ति (रो) किलोमीटर नहरों के किनारे तथा 1040 पंक्ति (रो) किलोमीटर सड़कों के किनारे पेड़ लगाये हैं।

(3) गत वर्ष इस डिवीजन के वन विकास कार्यों के लिए 1500 पंक्ति (रो) किलोमीटर नहरों के किनारे 200 पंक्ति किलोमीटर सड़कों के किनारे वृक्ष लगाने तथा 500 हैक्टर टिब्बा स्थिरीकरण कार्य किए गये जिन पर कुल 30–39 लाख रुपया व्यय किया गया।

(4) ऐसी कोई योजना वन विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

Page No 41

जयपुर शहर से बाहर की नई आधुनिक बस्तियां

255. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या नगर विकास न्यास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जयपुर शहर से बाहर कितनी नई आधुनिक बस्तियां 1970 के पश्चात् कब कब बनी हैं तथा उन पर कितनी कितनी राशि अब तक प्रति वर्ष व्यय की गई है ?

उत्तर

जयपुर नगर विकास न्यास की 1960 के बाद 19 योजनायें स्वीकृत हुई है जिनकी सूची तालिका 'अ' तथा उन पर प्रतिवर्ष व्यय की राशि की तालिका 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट—10 देखिये)

खनिज विभाग द्वारा पत्र-पत्रिका स्मारिका आदि को दिये गये विज्ञापन

256. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1971-72 व 1972-73 में पत्र-पत्रिका, स्मारिका आदि कार्यों के लिए कितना कितना और कब कब एवं किस किस मूल्य का विज्ञापन किन किन को दिया गया ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) यह विज्ञापन किस किस पत्र-पत्रिका एवं स्मारिका आदि में किस किस तारीख पर प्रकाशित हुए हैं ?

(3) इन विज्ञापनों के लिए कब और कितना कितना किस किस को भुगतान किया गया है और कितना कितना शेष है ?

(4) उपरोक्त विज्ञापनों के सम्बन्ध में उक्त पत्र-पत्रिका व स्मारिका के व्यवस्थापकों व अन्य सम्बन्धित पदाधिकारियों द्वारा किस किस को व कब कब आवेदन-पत्र दिये गये थे, और उन पर किस किस अधिकारी और मंत्री द्वारा कितने रुपयों का विज्ञापन देने का निर्देश एवं आदेश दिया गया ?

(5) क्या यह सही है कि विज्ञापन का भुगतान करने से पूर्व न तो कोई पत्र-पत्रिका एवं स्मारिकाओं का प्रकाशन ही हुआ और ना ही ऐसे विज्ञापन सहित प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं एवं स्मारिकाओं की प्रतियां विभागों के पास पहुंचीं ? यदि हां, तो इस प्रकार का भुगतान किन किन को और कब कब किया और किन अधिकारों के अन्तर्गत ?

उत्तर

(1) सन् 71-72 में टेन्डर नोटिस 27-3-71, 5-4-71 तथा नोटीफिकेशन दिनांक 19-5-71 को जन सम्पर्क विभाग द्वारा निम्न कीमत का नीचे लिखे समाचार पत्रों का दिया गया था। सन् 72-73 के लिये टेन्डर नोटिस भेजे जा चुके हैं परन्तु अभी बिल प्राप्त नहीं हुए हैं।

1. स्टेटमैन दिल्ली।कलकत्ता 1,089/—

(खनिज मंत्री)

2. इन्डियन एक्सप्रेस, दिल्ली। बम्बई 664/-29

3. राजस्थान क्रोनिकल, जयपुर। 160-16

4. हिन्दू मद्रास 518-32

5. इंजीनियरिंग टाइम्स कलकत्ता

बिल जन सम्पर्क विभाग से प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) यह टेन्डर नोटिस पांच समाचार पत्रों में निम्न तारीखों में प्रकाशित हुये हैं:-

1. स्टेटमैन दिल्ली/कलकत्ता 8-4-71, 14-4-71, 1-5-71, 4-5-71, 27-5-71, 31-5-71

2. इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली/बम्बई 9-4-71, 12-4-71, 30-4-71 27-5-71, 2?-5-71,

3. हिन्दू मद्रास 7-4-71, 30-4-71

4. क्रोनिकल, जयपुर 5-4-71, 26-4-71, 27-5-71

5. इंजीनियरिंग टाइम्स 15-4-71, 29-4-71

(3) विज्ञापनों के बिल रुपये 2554-97 का भुगतान हो चुका है केवल इन्जीनियरिंग टाइम्स के बिल रुपये 232-50 का भुगतान बिल जन सम्पर्क विभाग से प्राप्त न होने के कारण नहीं हुआ है।

(4) परचेज के टेन्डर नोटिसेज जन-सम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित कराये जाते हैं। इस विभाग से सीधा किसी व्यवस्थापक को नहीं भेजा जाता।

(5) परचेज का टेन्डर नोटिस समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पर और बिल जन सम्पर्क विभाग द्वारा प्रमाणित होने पर भुगतान किया जाता है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन-प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

1. सर्व श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, गुमान मल लोढ़ा, भानुकुमार शास्त्री, निरंजन नाथ आचार्य, गिरधारी लाल भार्गव व केदारनाथ, सदस्य विधान सभा ने अनशन पर बैठे हुए सर्वोदय नेता, गोकुलभाई भट्ट को कल रात्रि में किशोर निवास से एस. एम. एस. हास्पिटल के काटेज वार्ड में पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जबरदस्ती ले जाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में तीन स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है। श्री गोकुलभाई भट्ट के अनशन के सम्बन्ध में दिनांक 16 मई, 1972 को सदन में यह व्यवस्था दी गई थी कि इस पर सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया जाय। मैं चाहूंगा कि यह वक्तव्य दिनांक 22 मई, 1972 को दिया जाय और उस समय उपरोक्त तीनों स्थगन प्रस्तावों में कही गई तथाकथित गिरफ्तारी की घटना के सम्बन्ध में भी सदन में आवश्यक जानकारी दी जाय। इस आधार पर मैं इन तीनों स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

Page No 43

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री केसरीमल, सदस्य विधान सभा ने जोधपुर में एडिशनल एस. पी के घर से एक व्यक्ति की लाश बरामद होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(3) श्री जगमोहनसिंह, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 23 अप्रेल, 1972 को ग्राम हरन्याखेड़ी तहसील छबड़ा में मवेशी चराते समय दिन दहाड़े काना पुत्र देवीलाल लोधा के कत्ल के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(4) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने गंगानगर के स्थानीय जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के विरुद्ध नर्सों के यूनियन के पदाधिकारियों एवं कुछ नर्सों द्वारा चरित्रहीनता आदि के आरोप लगाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(5) श्री केसरीमल और श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा, सदस्य विधान सभा ने भरतपुर में स्कूटर कारखाने के नाम पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा प्रजा सहकारी उद्योग नाम की एक तथाकथित सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी स्थापित करने और उसमें धोखाधड़ी द्वारा जनता से रुपया एकत्र करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(6) श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा ने गंगानगर म्युनिसिपल कौंसिल के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 15 मई, 1972 को अपने कार्यालय में कौंसिल के हरिजन प्रतिनिधियों के साथ अभद्र व्यवहार करने से सम्बन्धित एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह विषय अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है, इसलिए मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ।

(7) श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा के म्युनिसिपल कौंसिल, गंगानगर द्वारा वर्तमान चुंगी की दरों में बेहद बढ़ोतरी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस प्रस्ताव में चुंगी के बढ़ोतरी के सम्बन्ध में कोई निश्चित तिथि नहीं दी गई है और यह घटना अविलम्बनीय लोकमहत्व की भी नहीं है। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

8. सर्व श्री भीमसेन, गोपाल जोशी, मोहरसिंह, अमृतलाल गहलौत, ज्ञानसिंह चौधरी, पी. के. चौधरी, रघुनाथ विश्नोई और वृद्धिचन्द्र जैन, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 28 अप्रेल, 1972 को एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी जिसमें राजस्थान में कई वर्षों से लगातार अभावग्रस्त-क्षेत्र विशेषकर सीमान्त रेगिस्तानी इलाकों के लोगों के लिए इस वर्ष कोई रोजगार देने हेतु राहत कार्य प्रारम्भ न करने से उत्पन्न स्थिति की चर्चा की गई थी। इस प्रश्न पर पहले काफी चर्चा हो चुकी है और अकाल सहायता मंत्री महोदय द्वारा सदन में स्थिति भी स्पष्ट की जा चुकी है। अतः

Page No 44

(श्री अध्यक्ष)
इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

9. श्री गुमानमल लोढ़ा और श्री मनोहर लाल, सदस्य विधान सभा, ने 1972-73 के बजट प्रावधानों में केन्द्रीय सरकार से मिलने वाली विशेष सहायता को केन्द्रीय सरकार द्वारा सामान्य सहायता तथा ऋण की राशि के अन्तर्गत समायोजित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। माननीय सदस्य यदि चाहें तो इस विषय पर विनियोग विधेयक पर आज हो रही चर्चा में भाग ले सकते हैं। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली): अध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव गोकुल भाई भट्ट के अनशन पर, आमरण अनशन पर आज दिया गया और जो पहले दिया गया, पहले दिये गये पर और अभी दिये गये पर स्थितियों में विशेष अन्तर नहीं है।

श्री अध्यक्ष : दोनों के लिए कहा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आमरण अनशन और उसके बाद में पुलिस की गिरफ्तारी और इसके साथ-साथ उनकी वयोवृद्धता, उनकी उम्र, और उसके साथ उनकी रुग्णता, उनका ब्लड प्रेशर यह सारी ऐसी विपरीत स्थितियां हैं कि जिससे सारे राजस्थान का जन-मन आन्दोलित है, चिन्तित है। क्योंकि श्री भट्ट अस्पताल में हैं अतः जनता में परेशानी उत्पन्न हुई है। उनके स्वास्थ्य के संदर्भ में उद्विग्नता है। राजनेता उद्विग्न हैं, उनकी उनके सम्बन्धियों में और सारे राष्ट्र में परेशानी है। यह साधारण प्रश्न नहीं है। यह एक व्यापक प्रश्न है। यह गोकुल भाई के जीवन-मरण का प्रश्न है और इसके कारण सारा राष्ट्र चिन्तित है। मैं चाहता हूं कि इस संदर्भ में जब उनकी गिरफ्तारी हुई है और उनको हास्पिटल में रखा गया है तो उनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में राज्य सरकार को आज ही शाम को हमें चिन्ता से मुक्त करना चाहिए। विधान सभा, राजस्थान और सारे राष्ट्र को भी मुक्त करना चाहिये। इसलिए इस पर आप पुर्नविचार करें और मैं चाहता हूं कि आज सायंकाल तक फिर स्पष्टीकरण आ जाय।

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी शाम को हो जाय। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 22 तारीख को सरकार की ओर से वक्तव्य दिया जायगा लेकिन वयोवृद्ध नेता के आमरण अनशन के सम्बन्ध में यह स्थिति बहुत खराब है। उनके जीवन-मरण का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : बीच में कोई प्रश्न नहीं है।

श्री गुमानमल लोढा : कल रात्रि को पुलिस कार्यवाही की गई है वह किस रूप में की गई है। उनको जबरदस्ती हॉस्पिटल में चिकित्सा के लिये ले जाया गया है। आई. पी. सी. की धारा में उनको गिरफ्तार किया गया है। सारे सदन में इस बारे में चिन्ता है। मैं मानता हूं माननीय सदस्य और आप भी चिन्तित होंगे मैं चाहूंगा जो कार्यवाही हो गई है, माननीय वित्तमंत्री जी, वयोवृद्ध नेता का जीवन खतरे में है।

(श्री गुमानमल लोढ़ा).

देश के जो कि एक महान् नेता हैं। माननीय जयप्रकाश नारायण ने तार दिया है। शराब के प्रोहिबीशन के बारे में सरकार क्या कदम उठा रही है, इसके बारे में आज ही निर्णय करें ताकि एक महान् नेता का जीवन खतरे में है, वह लोगों को जानकारी मिले। पुलिस कार्यवाही की गई है गोकुल भाई को गिरफ्तार किया गया है। उनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सभी चिन्तित हैं। मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय, सदन की भावनाओं को देखते हुये शीघ्र ही प्रयास करेंगे।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सैद्धान्तिक प्रश्न को लेकर अगर गोकुल भाई ने अनशन किया है तो उनके साथ यह पुलिस कार्यवाही की गई है। अंग्रेजों के समय में जब इस प्रकार के आन्दोलन गांधी जी उठाया करते थे और ऐसी कार्यवाही होती थी तो हम उनकी भर्त्सना किया करते थे। आज नैतिक मूल्यों के आधार पर वह अपना काम करना चाहते हैं। उनको पुलिस के माध्यम से अस्पताल में ले जाकर रखना मैं समझता हूं कि यह एक निन्दनीय कार्य होगा। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार स्पष्टीकरण करे और इस प्रकार की कार्यवाही बन्द करे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। यदि 22 ता. को नशाबन्दी की नीति पर कोई वक्तव्य दिया तो गोकुल भाई वयोवृद्ध नेता हैं इसलिए उनके स्वास्थ्य के बारे में सब को चिन्ता है। इसलिये राज्य मन्त्री गृह जी यहां मौजूद हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह सारे हाउस को कान्फीडेन्स में लें। उनको हॉस्पीटल में ले जाया गया है। मैंने सुना है कि उनको ब्लड प्रेशर है, काफी हाई है। आज ही सारा वक्तव्य आ जाये ताकि हाउस चिन्ता से मुक्त हो।

श्री यशवन्त सिंह नाहर (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव आया है, उसमें गिरफ्तारी शब्द है। इसका मतलब है कि गिरफ्तार तो हुये हैं। इसका जवाब 22 ता. को सरकार देगी.....

श्री निरंजननाथ आचार्य : तब तक तो वह रहें या नहीं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : कानून में तो शायद उनको अटेम्प्ट टू सुसाइड में गिरफ्तार किया गया है। तो सदन के सामने यह एक दूसरा विचारणीय प्रश्न है।

श्री मोहनराज : अध्यक्ष महोदय, एक बजे रात को अस्पताल में ले जाने का प्रश्न है। इससे सभी के ख्याल में सनसनी फैलना आवश्यक है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मस्ट कम्पेल...

श्री मोहनराज (बाली) : इस प्रकार से उनको अस्पताल में ले जाना उचित नहीं है। लेकिन डॉक्टरों की जांच से पता है कि कि उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है। मध्य रात्रि में उनको इस प्रकार से सोते सोते पकड़ने वाली बात चिन्तनीय है। सरकार 22 ता. को मद्य निषेध की नीति के बारे में अगर सरकार विचारपूर्वक वक्तव्य देना चाहती है तो 22 तो अभी बहुत दूर है। मैं समझता

(श्री मोहनराज)

हूँ कि राज्य सरकार ने वादा किया है, महात्मा गांधी की नीति का भारत में तो राजस्थान से शुरुआत करें। नशाबन्दी की आपने पूर्ण प्रतिज्ञा की है। इस हाउस के अन्दर सरकार ने की है। यह उसी आधार पर की है, जिसको पिछले 50 वर्षों से भारत की कांग्रेस और राजस्थान कांग्रेस अपने सम्मेलनों में बराबर दुहराती रही है। अगर राजस्थान सरकार सोच विचार कर इस नीति पर पहुंचे कि हम राजस्थान में मद्य निषेध करना चाहते हैं, तो संख्या के कारण राजस्थान में वित्त मंत्री महोदय की विजय हुई है। उनसे भी निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को वचन के प्रति भुगतना भी पड़ता है। तो तैयार होकर भुगते। इससे ऐसे राज्य का निर्माण होगा जिससे अर्थाभाव ही नहीं होगा। अर्थाभाव दूर होगा और समृद्धि भी होगी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : मैं हरएक को इजाजत नहीं दूंगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आज तारीख है, 19 और 22 ता. को राज्य सरकार वक्तव्य देना चाहती है। 20, 21 और 22 तीन दिन बीच में हैं। एक वयोवृद्ध नेता आमरण अनशन पर बैठा है। यह कितना गम्भीर विषय है। ऐसा सर्वोदयी नेता जो सैद्धान्तिक लड़ाई के आधार पर अनशन पर बैठा है। जिन्होने आबू और सिरोही से अपना कार्य आरम्भ किया था। आज वह महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री हो सकते थे।

एक माननीय सदस्य : महाराष्ट्र के कहां से हो सकते थे ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : राज्य सरकार ने कहा था कि हम पूर्ण नशाबन्दी राजस्थान में करेंगे।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

महात्मा गांधी ने कहा था कि शराब की आय वेश्यावृत्ति के समान है।

पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह मुल्क को गिराने वाली चीज है।

श्री श्रीराम गोटेवाला: आजकल गांधी जी और जवाहरलाल जी को घोट घोट कर पीने लगे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से सर्वोदयी नेता को गिरफ्तार किया जाये, आप शंकराचार्य को भी गिरफ्तार करते हैं, यह भी अशोभनीय कार्य था। राजस्थान सरकार इस प्रकार से वादा करके मुकर जायेगी यह सरकार के लिए लज्जा की बात है। 22 ता. तो अभी दूर है। भगवान न चाहे कोई अप्रिय घटना नहीं हो। 12 बजे या 1 बजे से पहले अन्य कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व राज्य सरकार को वक्तव्य देना चाहिए।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करूंगा कि वक्तव्य और अनशन को शायद राजनीति के साथ जोड़ दिया है। वक्तव्य के लिए राजनीति से ऊपर है। सरकार यह मानकर चलती है। हम भी

(श्री केदारनाथ)
यह मानकर चलते हैं। आन्दोलन के पीछे निष्ठा और विश्वास हो सकता है। हम यह मानकर चल सकते हैं। उनकी निष्ठा और विश्वास तोड़ने के लिए यह नहीं किया गया है। लेकिन आज यह अण्डर अरेस्ट हैं या नजरबंदी में हैं? वह अण्डर वाच हैं या फ्री काम कर सकते हैं या नहीं। मिलना अलग बात है। उसके रिश्तेदार मिलें या कोई मिलें। लेकिन सवाल यह है कि वह अण्डर अरेस्ट है या नहीं? ये दो बाते मालूम हो सकें। साइड टू फास्ट रिमूवल के बाद तो अलग परिस्थिति बन जाती है। उस सीट पर रटे रहता है यह नाम, आमरण अनशन, जब तक मांग पूरी नहीं होती। मैं इसे अनशन नहीं कहता जिस वक्त उस सीट से, उस संकल्प से रिमूव कर दिया उनकी कन्सेन्ट के खिलाफ। इसका मतलब है, आपकी कार्यवाही एक फोर्स के साथ है, भले ही आप अरेस्ट के बाद छोड़ दें, आपने सीट तो छुड़वा दी, अब वह हास्पीटल में है। अब वहां नजरबन्द है या अण्डर अरेस्ट हैं– इन दो शब्दों में से क्या है, क्या नहीं है– यह बता दें।

श्री शांतिलाल कोठारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, मुझे खास करके इसका दुःख है। जो यहां पर विचार प्रकट किये हैं उसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊं कि उनकी स्थिति चिन्ताजनक है। मैं कल शाम को वहां गया था, आज सुबह भी गया था और कल शाम को या दोपहर के वक्त मुख्य मंत्री जी से बात हुई थी, और यहां आकर शाम को फाइनेन्स मिनिस्टर से भी बात हुई थी। डाक्टर कहते हैं, उनका ई.सी.जी. है, उसमें इतना फ्लक्चुएशन है। हार्ट का पहले भी अटेक हुआ था, यह मालूम नहीं हैं, डाक्टर कह रहे हैं, हुआ था और वह भी मान रहे हैं। उनकी स्थिति अभी गम्भीर है। उनकी धर्म पत्नी ने भी आमरण अनशन किया है, उनकी स्थिति अभी आज सुबह से गम्भीर है। मैं मानता हूं कि हम यहां कोई ऐसी चीज नहीं उठा रहे है जिस पर इक्कीस-बाइस को, दो चार दिन के बाद सरकार स्टेटमेन्ट दे। यह बड़े दुःख की बात है। मेरा निवेदन है, यह दोनों मुद्दे अलग अलग नहीं हैं, अरेस्ट होना या हास्पीटल में रहना आपको जो प्रोहिबिशन पर स्टेटमेन्ट देना है, यह अभी देना चाहिये क्योंकि यह भट्ट जो के जीवन और मरण के सवाल के साथ जुड़ा हुआ है, उसका सम्बन्ध है, वह प्रोहिबिशन की पालिसी से है। मैं मानता हूं यह कारण बहुत बड़ा है कि उनकी तबीयत खराब है, उनकी धर्मपत्नी की तबीयत खराब है, इससे प्रोहिबिशन पालिसी को लेकर राजस्थान सरकार के ऊपर इतना बड़ा कलंक नहीं लग जाये कि उनकी तबीयत में ज्यादा खराबी आ जाय। आज लोग उदासीन हैं, दिल्ली से सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने पूछा है, तार आये हैं, मेरे पास भी तार आये हैं वहां भी आये हैं। मैं चाहूंगा, जैसा मैंने कहा कि उनकी स्थिति चिन्ताजनक है, ऐसा न हो जाय, हमारी गफलत में हम तैयार न हों जवाब देने को और उनको कुछ हो जाय। मैं गवर्नमेन्ट से कहना चाहता हूं प्रोहिबिशन पालिसी के बारे में कुछ न कुछ ऐसा नेगोसियेशन हो सकता है, मैं तो प्रेक्टिकल बात कहता हूं, हो सकता है नेगोसियेशन जिससे उनका जो सिद्धान्त है, जिसको लेकर आमरण अनशन किया है, उसको मीट कर सकें और शायद राजस्थान

Page No 48

(श्री शांति लाल कोठारी)
गवर्नमेन्ट की तकलीफ हैं उनको देखते हुए उनके साथ नेगोसियेशन हो सके—उसको हम समझ सकते हैं, वह वयोवृद्ध नेता है, यह समझते हैं, उनसे बात करने के लिए जाना चाहिये, आप एक बार गये थे वैसे वहां पहले अनशन के, अब भी जाना चाहिए, और वहां जाकर बात करनी चाहिये। इस आदमी का राजस्थान की राजनीति में विशेष नाम है और यह हमारे लिये बड़े गौरव की बात है। मैं, अध्यक्ष महोदय, प्रार्थना करता हूं आपके माध्यम से, गवर्नमेन्ट अपने पर इतना बड़ा कलंक नहीं ले कि इन्हें कुछ हो जाय, इसके साथ साथ यह कोई इन्डीविजुअल इश्यू को लेकर नहीं है, जो इश्यू है वह बहुत पायस है, इसलिए गवर्नमेन्ट गफलत न करे। यही प्रार्थना है कि स्टेटमेन्ट आज ही दे दें।

श्री अध्यक्ष : (माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) हरएक को कहने की जरूरत नहीं है।

श्री मीठालाल (लालसोट) : एक मिनिट निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अच्छा कह दीजिये।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, वैसे इस सारे सदन को आज को घटना पर बड़ा खेद हो रहा है। उनकी हालत इतनी चिन्ताजनक हो गई है फिर भी राज्य सरकार अपना वक्तव्य देने के लिए समय लेना चाहती है। इससे सारे सदन को और सारे लोगों को बड़ी चिन्ता हो रही है। वह नजर बन्द हैं या नहीं ? नजरबन्द हैं, मैं इस विषय में तो मानूंगा, मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा, इस मामले में देर दार न करके इस ढंग से वक्तव्य दें कि सब लोगों को इस चीज से राहत मिले। दूसरे जो शराबबन्दी समिति है, उसकी अध्यक्षा डाक्टर सुशीला नैय्यर, इस सदन में इस समय उपस्थित हैं, वह भी देखेंगी कि सरकार किस नीयत से, किस ईमानदारी से इस मामले को लेती है। मैं पुनः माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं, यह गम्भीर विषय हो रहा है, अगर सरकार ने शीघ्र इस पर निर्णय नहीं लिया तो पता नहीं स्थिति किधर जाय, किधर नहीं, इसलिये इस पर शीघ्र निर्णय करके अपना वक्तव्य दें।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है, गवर्नमेन्ट की तरफ से आज स्टेटमेन्ट नहीं देना हैं, इस प्रकार को चीज नहीं हैं। आपका निर्णय यह है कि हमें आज स्टेटमेन्ट देना है तो आज दे दें, कल देना हो तो कल दे दें।

श्री अध्यक्ष : I shall be very happy to do it.

श्री निरंजननाथ आचार्य : नहीं हो तो भी दे दीजिये।

श्री हरिदेव जोशी : शाम को रख लीजिये।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री हरिदेव जोशी : चार बजे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, जो सरकार से जानकारी

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
प्राप्त हुई हैं जिन इलाकों में वर्षा नहीं हुई, उन इलाकों को अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के बारे में माननीय मंत्री महोदय ने जो जानकारी दी थी, वह जो जानकारी दी थी उसके अनुसार कार्यवाही कई स्थानों पर नहीं हुई हैं। यह चिन्ता का विषय है। अभावग्रस्त क्षेत्र में कार्यों को शुरू करने का जिस ढंग से मंत्री जी ने उस दिन जवाब दिया था, अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है, इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत सरकार से निवेदन करूंगा कि इस पर स्टेटमेन्ट दें ताकि ऐसे जो जिले हैं जिनमें विशेष रूप से कार्य शुरू नहीं हुये हैं वह हो सके।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव !

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, 17 तारीख को कहा था कि रेजगी के सम्बन्ध में मंत्री महोदय एक वक्तव्य देंगे...

श्री अध्यक्ष : कोई डेट फिक्स की है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : वह कब होगा ?

श्री अध्यक्ष : वह वहां मालूम होगा यहां नहीं।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय मैंने और अन्य सदस्यों ने प्रस्ताव दिया है कि पश्चिमी जिलों में इस वर्ष बहुत बड़े पैमाने पर अकाल छाया हुआ है और वहां पर यदि राहत कार्य. नहीं खोले गये तो उन जिलों की समस्या गम्भीर हो जायगी और लाखों हजारों आदमी रोजगार की तलाश में जिले को छोड़कर दूसरे प्रान्तों की तरफ, अहमदाबाद, गुजरात की तरफ, यू. पी. की तरफ जा रहे हैं, इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय ने सरकार की ओर से पन्द्रह दिन पहले स्टेटमेन्ट दिया था कि अभावग्रस्त जिलों में काम शुरू कर दिया जायगा। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, आज एक भी राहत कार्य उस जिले में, उस इलाके में नहीं खोला गया है। इस कारण लोग बेकार बैठे हैं। इसके साथ साथ पीने के पानी की समस्या हैं, वह वैसे ही पड़ी है, लेकिन वहां पर पीने के पानी का इन्तजाम नहीं किया गया है, न कोई व्यवस्था की गई है। इसके अलावा एक बात और है, अकाल के साथ साथ वहां दूसरी तकलीफ हो रही है, बीमारी फैल रही है लेकिन इसके बारे में भी कोई इन्तजाम नहीं किया गया है। जो सम्बन्धित मंत्री हैं उनसे मैं निवेनन करूं महरबानी करके आज अथवा कल, जैसे भी सुविधा हो, इसके बारे में एक स्टेटमेन्ट दे दें कि पिछले पन्द्रह दिनों के अन्दर इस सम्बन्ध में क्या सरंजाम किया है और नहीं किया है तो उसका क्या कारण है, आयन्दा कब तक यह कर देंगे। यह बहुत जरूरी है, यह गम्भीर मामला है, आखिर ऐसे सैंकड़ों गांव हैं सारे जिले में (समय-समाप्ति-सूचक घन्टी) जहां पानी का अभाव है, रोजगार की समस्या बनी हुई है, काश्तकार बेकार बैठे हुये हैं। मैं सरकार से आशा करता हूं, यह सरकार जनकल्याण-कारी सरकार है, समाजवादी सरकार है, यह वहां जो लोग बेकार बैठे हुए हैं उनको रोजगार दे और उनके समय का कुछ न कुछ उपयोग करे।

श्री नत्थी सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने पश्चिमी राजस्थान के अकाल की स्थिति...

ध्यानाकर्षण–प्रस्ताव–ब्यावर में पेयजल का संकट

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ! जन स्वास्थ्य मंत्री जी ।

श्री केसरीमल, ब्यावर में पेयजल समस्या की ओर जन स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

श्री चन्दनमल बैद : पहले आप कुछ बोलेंगे ।

श्री केसरी मल (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, ब्यावर शहर में लम्बे अर्से से पानी का बहुत ज्यादा अभाव है। ब्यावर शहर की आबादी करीब 70 हजार के है और वहां पर वर्षा पिछले पांच छः साल से बहुत नाकाफी हो रही है। ब्यावर शहर के लोगों को पीने का पानी देने की व्यवस्था के लिए दो जगह की स्कीम से होती है, जिनमें एक जालिया वाटर वर्क्स है, दूसरा मकरेड़ा वाटर वर्क्स स्कीम है । जालिया स्कीम बहुत पुरानी है, मकरेड़ा स्कीम 1952 की है, इससे पीने का पानी लाने का कारण था, जालिया से पूरा पानी उपलब्ध नहीं हो रहा था, इसलिए मकरेड़ा से पानी लाने की व्यवस्था की गई । दोनों जगह से पानी लाने के बावजूद ब्यावर शहर के लोगों को प्रति दिन करीब 13|14 गेलन पानी एक आदमी के हिस्से में आ रहा है और अब ऐसी स्थिति हो गई कि वहां पर एक आदमी के हिस्से में चार गेलन पानी मुश्किल से आ रहा है और चार गेलन पानी जो हर आदमी को दिया जा रहा है उसमें कुछ ऐसे कुओं का पानी है जो वर्षों से बेकार पड़े थे, जिनमें शहर का कचरा इकट्ठा होता था, कुआ उस कचरे से भर जाता था, उन कुओं को साफ करके उनमें से पानी निकाला जा रहा है और वह पानी दूसरा जो पानी आता है वाटर वर्क्स से उसके अन्दर मिक्स करके दिया जाता है और इस प्रकार जो पानी दिया जा रहा है मिक्स करके, वह उन कुओं के पानी को मिक्स करके दिया जा रहा है, वह कुछ इलाकों में पानी दिया जा रहा है, इस कारण वह इलाके बहुत दुःखी हैं क्योंकि उन कुओं को बेकार समझ कर शहर का कचरा उनमें डाला जा रहा था। उस कुए को इसलिए बंद किया गया था कि उसमें पानी पीने के काबिल नहीं था उस कुए में से फिर पानी ला रहे हैं । उसमें इतना खारापन है कि जिस इलाके में पानी सप्लाई किया जा रहा है उस इलाके के लोगों को न चाय मिल सकती है न दूध । अगर चाय और दूध में उस पानी का मिश्रण होता है तो वह फट जाता है और पीने के काबिल नहीं रहता । मेरा निवेदन है कि यह स्थिति आज नहीं बनी, पिछले 4–5 सालों से ऐसी चल रही है और सरकार का ध्यान कई बार आकर्षित किया गया कि इसकी व्यवस्था करे । सरकार ने 1970 में कुछ योजनायें छानबीन कराने का प्रयत्न किया कि कहां कहां से पानी उपलब्ध हो सकता है, बातचीत चली, हमारे यहां की नगरपरिषद् से प्रस्ताव आए और दूसरे लोगों ने भी सरकार का ध्यान

(श्री केशरीमल)

आकर्षित किया तब इस तरह के प्रयास चले। सरकार ने दो तीन जगह की जांच करवाई है, उसका नतीजा सामने आया है और सरकार के सामने है। मेरा निवेदन है कि सरकार ने कई जगह से जांच करवाकर देखा है लेकिन पानी कही उपलब्ध नहीं है। अगर उपलब्ध है तो इतना मंहगा है कि काम में नहीं आ सकता। इन्होंने नारायण सागर भामोद गिरीं सेन्दरा, नीमाज और पीसांगन बेसिन से ब्यावर को पानी दिलाने की छानबीन करवाई लेकिन सभी जगह से पानी पूरी मात्रा में नहीं है और अगर कहीं से लाया जाए तो पूरी मात्रा में नहीं है और लाने और बनाने का खर्चा बहुत ज्यादा है। लेकिन दो जगह ऐसी हैं जहां पानी कुछ उपलब्ध हो सकता है। जो कुछ रिपोर्टस हमारे सामने आई हैं उनसे पता लगता है कि दो जगह जहां पानी कुछ है लेकिन पता नहीं क्यों पानी लाने का प्रयास नहीं किया गया? अगर किया जाता तो यह बात पहले 1970 में सरकार के ध्यान में आ गई कि वहां से पानी उपलब्ध हो सकता है लेकिन उस पर अमली कार्य नहीं किया गया। ये स्थान हैं आसींद और रायपुरा जहां पर दो बांध बने हुए हैं ब्यावर से रायपुर की दूरी 23 मील और आसींद 23 मील पर है। कैंचमेंट एरिया जहां रायपुर बांध की है 145 स्क्वायर मील वहां आसींद के बांध का 275 मील का है। टोटल कैपेसिटी रायपुर वाले बांध की 443 एम. सी. फीट हैं जबकि आसींद बांध की 1176 एम. सी. फीट है। रायपुर बांध की ऊंचाई 41 फीट है जबकि आसींद बांध को 50 फीट है। डेड स्टोरेज। रायपुर की 56 एम.सी. फीट है जबकि आसींद की 245 हैं। जो स्कीम बनी उसमें 1.90 करोड़ रायपुर के अन्दर लगता है और आसींद से लाने में 1-43 करोड़। रायपुर का पानी अगर लाया जाए तो उसकी एक रुपया प्रति हजार गैलन पड़ेगी जबकि आसींद से लाया जाए तो 70 पैसे प्रति हजार गैलन पड़ेगी। नारायण सागर में न इनता पानी है न सुविधा होगी। छानबीन होकर सरकार के सामने 1970 से यह मामला पड़ा हुआ है। 1970 में जब सरकार के सम्मुख यह बात आई तो यह बात भी आई थी जिसमें कहा गया था कि :

'Acute shortage of water in Beawar town. The position is worse in the whole of Rajasthan as far as drinking water is concerned.

"ऐसी स्थिति उस समय थी। जब 1970 में यह रिपोर्ट आई, 1970 में कहने के बाद 1971-72 में पानी की तकलीफ बढ़ गई। मेरी समझ में नहीं आता कि हमने जब सरकार के सामने यह मसला उठाया तो संतोषजनक उत्तर नहीं मिला कि ब्यावर के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा या नहीं जब भी हमारी मुख्य मन्त्री और संबंधित मंत्री से बात हुई तो उन्होंने जरूर कहा कि पानी की व्यवस्था करनी है लेकिन ऐसा लगता हैं कि उनको अन्दाज नही है कि ब्यावर के लोगों को तकलीफ कितनी है। इसलिए आपके माध्यम से

(श्री केशरीमल)

मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस मसले को ठीक करने से, व्यवस्थित करने से, पानी की व्यवस्था की बात नहीं सोची तो जरूरी बात है कि ब्यावर के लोगों को ऐसी हालत में आना पड़ेगा कि शायद पान के बगैर प्यासे मरें या बच्चों को चाय और दूध नहीं दे सकें कहा जाता है कि पानी अगर आसींद से लाया जाय तो वहां की सिंचाई की व्यवस्था खराब हो जाएगी और वहां की खेती को कम पानी देने से जो खेती होती है वह खराब हो जाएगी। यह भी कहा जा रहा है कि कुछ और जगह टटोल रहें हैं लेकिन जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने बताया है कि ब्यावर के आस-पास जो 40 मील का एरिया है उसमें सिवा दो जगह के और कहीं भी पानी नहीं हैं और अगर कहा जाए कि यह पानी जब हम देंगे आसींद से तो खेती खराब हो जाएगी, यह सही नहीं है। अनाज लाया जा सकता है गेहूं की बोरियां आ जायेगें लेकिन पानी के पीपे भरकर लाए जा सकते हों तो वह व्यवस्था कर दें अन्यथा किसी भी तरह पानी दिलाया जाए। इसलिए मेरा निवेदन है जल्दी से ब्यावर का पानी दिलाने की व्यवस्था करें

श्री चन्दन मल बैद (जन स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, 1961 के पूर्व ब्यावर कस्बे को जल-व्यवस्था जालिया तालाब के पास स्थित कुओं से की जा रही थी। उनमें पानी की कमी होने की वजह से राज्य सरकार ने दिसम्बर 1961 में 15-17 लाख रुपयों की लागत की एक योजना स्वीकार की जिसमें मकेरड़ा बांध के पास कुआ बनाकर पानी लाने की व्यवस्था थी। इस व्यवस्था से ब्यावर शहर को अच्छे वर्षा वाले वर्षों में आठ लाख गैलन पानी प्रतिदिन तक दिया जा रहा है। किन्तु ऐसे वर्षों में जबकि पर्याप्त वर्षा नहीं होती और इन तालाबों में पानी नहीं भरता तो गर्मियों के मौसम में शहर में पानी की काफी कमी रहती है। इस परेशानी को देखते हुए सन 1970-71 में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत ब्यावर के लिए नलकूप बनाने की कोशिश की गई किंतु यह भी सफल नहीं हो सका। उसके उपरांत पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने एक और आपात्कालीन जल प्रदाय योजना इस कस्बे के लिए मंजूर की जिसके अन्तर्गत मकरेड़ा और जालिया तालाबों के पास नए कुए बनाने थे, स्थानीय कुओं के कुछ और विकास करने का प्रयत्न एवं सीमेंट फैक्ट्री द्वारा निर्मित कुओं को इस्तेमाल करने का ख्याल था। इस योजना पर भी हमने सन् 1171-72 में 1.50 लाख रुपया खर्च किए। किन्तु सीमेंट फैक्ट्री के कुओं से भी पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो सका और इस वजह से इस योजना का कार्य भी स्थगित करना पड़ा। इन प्रयत्नों से हमने ब्यावर की जल सप्लाई में लगभग 1.50 लाख गैलन प्रति दिन जल की वृद्धि की इसी सिलसिले में म्यूनिसिपल कौन्सिल ब्यावर के चेयरमैन श्री गंगा बिसन जोशी, एम. एल. ए. श्री केसरी मल जी चौधरी श्री बी. एन. भार्गव एम. पी. 20 अप्रेल को मुझे मिले थे। तब भी वार्तालाप के समय यही तय पाया गया था कि सीमेंट फैक्ट्री के कुओं से कार्य

Page No 53

(श्री चन्दनमल बैद)

करने में कोई फायदा नहीं और इसलिए इस काम को अभी स्थगित कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत कुछ आवश्यक कार्य किए जाने हैं जो विचाराधीन हैं।

इन सब प्रयत्नों के बावजूद भी ब्यावर शहर को इस समय सिर्फ लगभग पांच लाख गैलन प्रतिदिन जल वितरण सम्भव हो पा रहा है जो कि वहां की लगभग 70,000 की आबादी के लिए पर्याप्त नहीं है। राज्य सरकार द्वारा इन गर्मियों में ब्यावर शहर की जल व्यवस्था में कुछ और राहत देने के लिए 6 टैंकरों द्वारा भी पानी वितरित करने की व्यवस्था की जा चुकी है। ब्यावर की जनता को इन परेशानियों से शीघ्रातिशीघ्र एवं पर्ण राहत दिलाने की दृष्टि से राज्य सरकार के समक्ष विभिन्न प्रस्ताव हैं। इन प्रस्तावों का विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है। जो प्रस्ताव मेरे सामने हैं उनमें से एक जिला भीलवाड़ा में स्थित आसींद बांध में ब्यावर को पानी दिए जाने का प्रस्ताव हैं। इस योजना की कुल अनुमानित लागत 143 लाख रुपये आंकी गई है। यह बांध ब्यावर से लगभग 33 मील की दूर पर है और हमें यहां से पानी कुछ दूरी में पम्प करके लाना पड़ेगा। यह बांध अभी सिंचाई के लिए काम में लाया जा रहा है।

दूसरी योजना पाली जिले में स्थित रायपुर लूनी बान्ध जो कि ब्यावर से लगभग 25 मील की दूरी पर हैं से पानी लाने की है। इस योजना की अनुमानित लागत लगभग 189 लाख रुपये है। इससे भी हमें पानी को लगभग 450 फीट ऊंचा पम्प करके लाना होगा। तीसरा प्रस्ताव गोविन्दगढ़ पीसांगण के इलाके में कुए बनाकर ब्यावर के लिए पानी लाने की व्यवस्था है। इस इलाके में हमें लगभग दस लाख गैलन प्रतिदिन पानी मिल जाने की आशा है किन्तु अभी इसका पुष्टीकरण राजस्थान भू-जल मण्डल द्वारा भी करवाया जाना आवश्यक है। इस योजना की अनुमानित लागत 152 लाख रुपये है।

एक अन्य योजना रामबावरा में कुए बनाकर पानी लाने की है अभी अन्दाज है कि वहां से लगभग 40 लाख गैलन पानी प्रतिदिन मिल सकेगा। किन्तु इसका भी पुष्टिकरण ट्रायल द्वारा किया जाना आवश्यक है इस योजना की अनुमानित लागत लगभग 29.13 लाख रुपये है।

इनके अतिरिक्त ब्यावर के लिए पानी नीमाज जैतारण की घाटी में भी कुए बनाकर प्राप्त किया जा सकता है। जिसके लिए योजना भी बनाई जा चुकी है, एवं अनुमानित लागत 149 लाख रुपये है।

इस प्रकार सदस्य यह जान सकते हैं कि ब्यावर में इस विकट समस्या के समाधान के लिए योजना को अन्तिम रूप से स्वीकृत करने से पूर्व यह अत्यन्त आवश्यक होगा कि भू-जल के विषय में पूर्व सर्वे करवा लिया जाय। इस कार्य को राजस्थान भू-जल मण्डल द्वारा शुरू किया जा चुका है। और हम आशा

Page No 54

(श्री) चन्दनमल वैद

करते हैं कि वे शीघ्र ही इस विषय में अपनी रिपोर्ट हमें दे सकेंगे। इन योजनाओं का स्वरूप बहुत ही विशाल है एवं इनकी लागत भी बहुत है जिस वजह से पूर्व जानकारी प्राप्त किये बगैर निर्णय लिया जाना सम्भव है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मन्त्री महोदय से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे इमीडियेट रिलीफ मिल जाये इसके लिए आदेश दे दें।

श्री चन्दनमल वैद : इमीडियेट रिलीफ के लिए राज्य सरकार इन गर्मियों में ब्यावर शहर की जल-व्यवस्था के लिये छः टैंकर्स द्वारा पानी वितरित करने की व्यवस्था की जा चुकी है। दूसरे अगर और नगरपालिका कोई जल-प्रदाय योजना चालू करने के लिए तत्पर हो तो उस योजना के लिए राज्य सरकार ऋण देने को तैयार है। जब भी म्यूनिसिपैलिटी चाहे पानी की सप्लाई के लिए राज्य सरकार ऋण देने को तैयार है।

श्री केसरीमल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मारफत मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार जो ब्यावर के लिए पानी नीमाज-जैतारण की घाटी में कुए बनाकर पानी प्राप्त किया जा सकता है जिसके लिए योजना भी बनाई जा चुकी है उस योजना में करीब 1 करोड़ 49 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा और जो पानी सप्लाई होगा उसकी कॉस्ट 1 रुपया 31 पैसा व 1 रुपया 25 पैसा प्रति हजार लीटर कीमत होगी। ये अध्यक्ष महोदय मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि दूध से भी ज्यादा महंगी योजना पड़ जायेगी और पानी भी कम आयेगा। जहां तक कुए बनाने का सवाल है कुए तो सूख गये हैं और जहां थोड़ा पानी है भी वहां पर पानी नीचे चला गया है। आज जंगलों में ब्यावर से 8–10 मील के इलाके में कुछ इलाकों में कुओं में अगर पानी है भी तो इतना खारा है कि वह पीने की हालत में नहीं है। बड़ी ही गम्भीर समस्या पैदा हो गई है। अब मन्त्री महोदय, जल्दी ही पीने के पानी की समस्या का हल करें। तो जनता को राहत मिले। बाकी आप जो यह छोटी योजनायें बना रहे हैं उनसे पीने के पानी और दूसरे पानी की समस्या हल नहीं हो सकती। जब तक राज्य सरकार आसीन्द की योजना को चालू नहीं करे तब तक ब्यावर की जनता को पीने के पानी की समस्या का हल नहीं मिलेगा।

राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीरों का पुनर्ग्रहण संशोधन विधेयक, 1972 का पुनःस्थापन।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य।

श्री रामचन्द्र चौधरी (मंडावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीरों का पुर्नगठन (संशोधन) विधेयक, 1972 के पुनःस्थापित करने की आज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा दी जाय क्या सदन की राय है ?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा दी जाती है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीरों का पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विधेयक पुरःस्थापित हुआ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी करना चाहूंगा। वह यह है कि जब अभी पिछले दिनों कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई थी उसमें यह तय किया गया था कि विधान सभा 25–26 मई तक चलेगी। सीलिंग का बिल इसी सदन में आने वाला था। आज 19 तारीख हो गई है पर वह बिल अभी तक पेश नहीं हुआ है। इसीलिये मेरा निवेदन है कि उस बिल को अगर आज या 22 तारीख को प्रस्तुत कर दिया जाय तो हमें समय मिल जाय कि उस पर अमेन्डमेन्ट दे सकें। वरना स्थिति ऐसी होती है कि फिर उसमें अमेन्डमेन्ट देने का समय नहीं रहता। इसीलिए मेरा निवेदन है कि चूंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल जो कि कभी आ जाना चाहिये था वह अभी तक नहीं आया है। अच्छा होता इस बिल को आज सदन में पेश कर, तो दिन हमें इस बिल को स्टडी करने में में मिल जाते और जो एमेन्डमेन्ट देने चाहते वो दे दिये जाते और नहीं तो 22 तारीख को पेश कर दिया जाय ताकि सदन के माननीय सदस्य कुछ अपने एमेन्डमेन्ट दे सकें।

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1972 पर–अग्रेत्तर वाद–विवाद

श्री अध्यक्ष : श्री शान्तिलाल कोठारी :

श्री शान्तिलाल कोठारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, बजट के ऊपर सदन के माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी राय दी। मैं भी कुछ सदन के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं गवर्नमेन्ट और मुख्य मन्त्रीजी को मुबारिकवाद देता हूं कि उन्होंने यह घोषणा की कि गवर्नमेन्ट करप्ट नहीं होनी चाहिये। मैं मुख्य मन्त्रीजी के इस कथन का स्वागत करता हूं कि जिनके हाथ में सत्ता है वे सीजर की पत्नी की तरह सन्देह रहित होने चाहिये। यह घोषणा हमारे उद्देश्यों के अनुरूप है। इसी का अनुसरण हमें जन साधारण की आलोचना और भर्त्सना से बचायेगा श्रीमती इन्दिरा गांधी के महान् नेतृत्व के कारण हमारे संबंध में जो धारणा जनता में बनी, उसके फलस्वरूप आज हमें इतना बड़ा बहुमत मिला और इस बहुमत के सहारे हम हमारे उन वायदों को पूरा कर सकते हैं जो हमने लोगों से किये हैं। हमारे राज्य के दूर गांवों में रहने वालों लोगों को भी सरकार, प्रशासन और राजनीतिज्ञों के साथ उनके दिन प्रतिदिन के व्यवहार में यह अनुभव होना चाहिये कि हम अपने वायदों को गम्भीर रूप में लेते हैं और उनके प्रति पूर्णतया सजग हैं। हमें राज्य का धन समुचित ढग से व्यय करने में सफलता प्राप्त करने के लिये राज्य के औद्योगिक स्वरूप की ओर ध्यान देना होगा। पर आज बार-2 यह कहा जाता कि हमारे पास पैसा नहीं, और इस

(श्री शान्तिलाल कोठारी)

बारे में काफी बार सदन में चर्चायें हुई हैं। हमने हमारे राज्य के डवलपमेन्ट के लिये चार पंचवर्षीय योजनायें बनायी पर हमें जो गोल एचीव करना था वह हम नहीं कर सके। आज कई स्टेटस् में डेवलपमेन्ट हुए है हमें देखने चाहिये थे कि किन प्रोविन्सेज में किस किस प्रकार से डवलपमेंट किया जा रहा है, और इसके लिये जरूरी था कि हमारे इन प्लानस में अपने प्रान्त में औद्योगिक विकास का काम करते। पर इन्डस्ट्रियलाइजेशन के लिये हमारे यहां काम कुछ नहीं के बराबर ही हुआ। आज भी हमारे प्रान्त में जो इन्डस्ट्रीज है वह सभी बड़े 2 उद्योगपतियों के हाथ में है। उनकी मोनोपोली को खतम किया जाना चाहिये अगर हम उनकी मोनोपोली को खतम करके इन्डस्ट्रीज को अपने हाथ में लें तो काफी डवलेपमेन्ट स्टेट का हो सकता है। पर ऐसा नहीं हुआ है और यहां पर एकाधिपत्य प्राप्त इन्डस्ट्रियलिस्ट का रहा है और वह खास तौर से साहू जैन एवं आलोक उद्योग का राज्य के राजनीतिज्ञों से घनिष्ट संबंध रहा है और कई लोगों का ख्याल है कि ऐसे संबंध अब भी बने हुए हैं। अगर हम इन्डस्ट्रियलिस्ट के हाथ में से इन्डस्ट्रीज को ले लेते हैं और उसका बाद में निगम बनावें जैसे कि हमने मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन फाइनेन्शियल कार्पोरेशन व एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन. और जो स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन जो बने हुए है वैसे कार्पोरेशन बनावें और आज तो हमने इन कार्पोरेशन में कई जगह पर इन इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को इसमें सदस्य भी बना रखा है। यह नहीं बनाये जाने चाहिये। क्योंकि ये खुद इन्डस्ट्रियलिस्ट्स हैं और हमारे इन्डस्ट्रीज को अच्छी तरह से काम करने में बाधक हो सकते हैं और मैं तो समझता हूं कि ये लोग अपने इन्डस्ट्रीज का फायदा नहीं सोचते हैं जिससे कि हमारी इन्डस्ट्रीज का फायदा नहीं सोचते हैं कि जिससे कि हमारी इन्डस्ट्रीज फेल होती है या जो कारपोरेशन्स हमने बनाये हैं उनसे इनका अनधिकृत हस्तक्षेप होता है। और इससे ये काफी लाभ उठा लेते हैं और हमारे देश में जब कि हम समाजवाद कि ओर अग्रसर हो रहे हैं तब हमारी समाजवादी सरकार के लिये यह अनिवार्य हो जाता है कि हमें इन्हें इनसे दूर रखें। तथा इन्हें अपने यहां इन्डस्ट्रीज लगाने को पैसा नहीं दे तथा साथ में इन्हें लाईसेन्स भी नयी इन्डस्ट्रीज लगाने का नहीं दें। पर आज देखा जा रहा है कि हमारे यहां पर दो इन्डस्ट्रियलिस्ट्स हैं जिनको काफी राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया गया है और दिया जा रहा है। क्यों कि ये दो जो इन्डस्ट्रियलिस्ट हैं एक तो साहू जैन व दूसरे आलोक उद्योग ये घराने हमारे राजनीतिज्ञों से घनिष्ठ संबंध होने से इन्हें अनुचित लाभ दिया जा रहा है। आज भी इस घराने को राज्य सरकार ने इतनी बड़ी राशि ऋण के रूप में दी है उससे उक्त धारणा मजबूत होती है। इस घराने का वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान सरकार द्वारा दिये गये ऋण का केवल दुरूपयोग ही प्रकट करता है आज इनकी बैलेन्स सीट देखने से पता पड़ेगा कि कितनी गड़बड़ियां हैं। आज डिबेन्चर्स के हिसाब मिल नहीं रहे हैं। 14 लाख रुपये दये गये उसमें कुछ का हिसाब किताब ही मिल रहा है। इस तरह से इस आलोक

(श्री शान्तिलाल कोठारी)

उद्योग और साहू जैन जो कि जयपुर में हैं इन इन्डस्ट्रियलिस्ट को राज्य सरकार ने बहुत कन्सेशनस दिये हैं। आज साहू जैन और आलोक उद्योग के बारे में विविन बोस इन्क्वायरी में इनके खिलाफ गम्भीर आरोप और गम्भीर चेतावनी इन्हें दी गयी इतनी आलोचना के बावजूद भी आलोक उद्योग और साहू जैन के प्रति राजस्थान सरकार ने जो पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाया वह अत्यन्त खेद जनक है। इनको लोन्स में इतने कन्सेशन्स दिये हैं कि जो लोन्स इन्हें 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत के हिसाब से इन्टरेस्ट देने पर भी पैसा नहीं मिलता वह हमने कई वर्षों के लिये दे रखा है सिर्फ तीन पर्सेन्ट के इन्ट्रेस्ट में इस प्रकार इन्हें अनुचित लाभ दिया गया है आज हमारे पास तो पैसा नहीं है यह कह कर इन्डस्ट्रीज या दूसरे क्षेत्रों में विकास नहीं कर रहे हैं दूसरी तरफ इन्हें पैसा दिया गया है, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की नीति से हमारा विकास कैसे होगा? उसके बारे में आपको मालूम है कि क्या है हमारे दिल में? लास्ट टाइम इस पर डिस्कशन करने की प्रार्थना की थी न मालूम कब करेंगे। डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता एक आलोक उद्योग और दूसरा पोद्दार विगर इन्डस्ट्री के लोन दिया है क्या आप एक व्हाइट पेपर निकालने जा रहे हैं इस सारे प्रश्न पर? यह इसलिये कि बड़ी भारी शंकायें हैं। हम जनता को कहना चाहते हैं और जनता को वादा देकर आये हैं कि हम तुम्हारा भला करने जा रहे हैं, उद्योगपतियों के लिये नहीं जा रहे हैं। तुम्हारे भले के लिये जा रहे हैं। लाखों रुपया इनके नाम पर दिया और उन्होंने लिया। इसके लिये या तो आप इन्क्वायरी बिठाये या इसके लिये कोई व्हाइट पेपर इश्यू करें।

एक दो चीजें हमारे सामने आती हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं यह जो होता है हम उसको बंद करना चाहते हैं। ऐसी चीजें खोलने की सम्मति देते हैं। बगीचा खोला है एग्रो इन्डस्ट्रियल समथिंग। वहां होता क्या है? बड़े बड़े बंगले बनाये। पूछें पैसा कहां से आया? जिस कम्पनी के नाम पर पैसा दिया है उन्होंने सबसिडियरी कम्पनी को बांटा या नहीं? दिया है। उसका क्या उपयोग हुआ? 3 परसेन्ट पर लोन दिया जो प्रिफरेन्स शेयर्स लिये हैं उनको इक्वीटी शेयर्स में 9 पर्सेन्ट पर कन्वर्ट कर सकते हैं। आज तक नहीं किया। कहते हैं हम गरीब हैं, गरीब राज्य है हमारा। मैं मानता हूं कि गरीब राज्य है हमारा। हमें बार बार कहने में शर्म आती है। कहते हैं कि हम कल करने वाले हैं। आज जनता यह जानना चाहती है कि गरीबी हटाने का स्लोगन देकर क्या हमारे आपके पास कोठियां यह रहने वाली हैं? नहीं रहने वाली हैं। जो कन्सन्ट्रेशन ऑफ वेल्थ के लिये किया है, कन्सेन्ट्रेशन ऑफ पॉवर से उसका कितना गहरा सम्बन्ध है यह हम जानते हैं। हम जानते हैं सिलेक्शन ऑफ केन्डीडेट्स फार्म मिनिस्टेरीयल पोजिशन, सम ऑफिसर्स हम समझते हैं हमारे मंत्रियों का उनके साथ को सम्बन्ध नहीं है। जब तक हम को विश्वास नहीं होता है हम जनता के सामने बोल नहीं सकते हैं।

लास्ट टाइम मैंने पार्लियामेन्ट में कहा था कि एक पोलिटिकल कन्वेन्शन किस

(श्री शान्तिलाल कोठारी)

तरह से होते हैं। मैं उसको कोट करता हूं। I am quoting that Sir,

Mr. Deputy Chairman,

It is not on the front of pious pronouncements that we have failed, it is not on the front of our good intentions that we have failed, we have failed and failed miserably as far as our procedures are concerned, and thus proved our weakness and vulnerability in face of abuse of 'money power' by the pressure groups in this country, which have been vitiating our intentions and defeating our goals. The result is decline of faith in our bona fide, and emergence of a sickpolity.

Mr. Dy. Chairman, I recall how late Pandit Jawahar Lal Nehru in 1965 in a letter to the Chief Ministers and his Cabinet colleagues warned of this danger. Mr. Deputy Chairman, I intend to put forth few instances to show how this happened Let us take the parliamentary institutions them selves, how these parliamentary institutions get corroded and the authenticity of the institution like our Parliament erased to an alarming extant by this sort of abuse of power by big money, the corrupt administrator and a weak and corrupt politician in power or outside it. You are aware of the case of Hon' ble member of this House, Mr. Sheel Bhadra Yajee. He had to go to the court for justice when defeated in the Rajya Sabha elections by Mr. R. P. Jain an employee of the Sahu Jains. Ultimately, Mr. Hajee did win the case and Mr. R. P. Jain was declared disqualified on grounds of bribery and corruption. The Votes of few elected representatives, M. L. As, who elect us were commercialised. In recent elections this Industrial House is even more active. It was the first one of its kind in the world. Recently, I have come across one or two things which are very painful and they are these. I am not blaming only the administrators. we talk too much of corruption amongst the administrators. I think sometimes, we the politicians in power hide our own faults. After all, who provides leadership in the Society ? The politician in Power. The administrator simply and conveniently follows the behaviour pattern of the politician. If one evening the politicians go to such houses of corrupt businessmen, for dinner and for parties and perhaps other

(श्री शान्तिलाल कोठारी)

needs, the following day the administrators follow the suite and thus influence and power are obliged to be exercised in favour of the host-industrialist. This has cost us as nation rather heavily."

बाद में यह बताया है। प्रधान मंत्री वहां बैठी थीं। ऑफिसर्स कितने खराब हैं, कितने भ्रष्ट हैं। मैं रिपोर्ट करना चाहता हूं। अगर एक सेक्रेटरी जानता है कि एक मंत्री, या मुख्य मंत्री या उनके मंत्री एक दिन शाम को या दोपहर को खाना खाने के लिये उसके घर पर जाते हैं जिसके खिलाफ एरियर्स हैं, इनकम टैक्स एरियर्स बाकी हैं, राज्य के पैसे को यूज करता है, अफसर कहता है. वह जाता है। Comments on one side of administration and comments on corruption in politics on the other side. अफसर भी दूसरे दिन जाता है और बातें करता है। कोई डिसीजन के अन्दर ऐसी चीज आती है जो मिनिस्टर को अच्छी नहीं लगती है, इन्फ्लुएन्सिग पोलिटिकल पावर्स जिस तरह कमर्शियलाइज हुआ है, रामानन्दजी ने कहा, मैं नहीं मानता, लेकिन जिस स्पिरिट में कहा था, हुंडा साहब ने बताया, मैं मानता हूं, उस पर विचार करने की जरूरत है। हमारी असेम्बली की कीमत वह हो जायेगी कि जहां कम कीमत देनी चाहिये वहां ज्यादा देनी पड़ेगी ज्यादा कीमत आनी चाहिये वहां कम आएगी। टाइम का मालूम पड़ेगा बाद में भी मौका मिलेगा इस पर। आज तक इतने बड़े भारी केस है। सवाई माधोपुर में एक जमीन। आज ही मालूम पड़ा है और जो भाई लेकर आया केस, इतने साल में यह केस पूरा नहीं हुआ। मैं जानता हूं कि एक एक चीज है, कहने की जरूरत नही है गवर्नमेन्ट को गवर्नमेन्ट के लिये कहते हैं। जिस पार्टी का मैं सदस्य हूं, मेरी पार्टी की इमेज को ठीक करना है, उसकी इमेज को ठीक रखना है, इन्दिरा गांधी की इमेज को ठीक रखना है तो उनके नाम पर व्यापार करना छोड़ दें। उन केसेज को, हशअप करने की जरूरत नहीं है। काफी डाक्यूमेन्ट्स हैं। गवर्नमेन्ट के पास इन्टेलिजेन्स है। हमें लोग कहते हैं आप लाओ। लेकिन आपके पास साधन है, सत्ता है। आज हमारे पास सत्ता और साधन नहीं है। लेकिन हमारे साथ जनता का विश्वास है। असेम्बली में मेजोरिटी हैं ओवर व्हेल्मिंग मेजोरिटी है। अपोजिशन में जो बैठे हैं मैं नहीं मानता हूं कि वे गरीबों के खिलाफ हैं। अपनी पार्टी को ठीक रखने के लिये उसकी इमेज को ठीक रखने के लिये इन्दिरा गांधी की इमेज को ठीक रखने के लिये जनता के सामने साफ दिल से कह सके। मेजोरिटी का मिसयूज करके पावर में रहना यह ठीक नहीं है। एक दिन आयेगा सत्ता हट जायगी जैसा दिल्ली में किया। माइनोरिटी गवर्नमेन्ट थी। सिन्डीकेट के खिलाफ लड़ाई छेड़ी थी। मैं आज वार्न करता हूं। पोलिटिकल कम्युनेलिज्म कितना हो रहा है इसको देखना पड़ेगा। कम्युनल पोलिटिक्स को हराया लेकिन पोलिटिकल कम्युनेलिज्म हैं उससे करप्शन ज्यादा होता है।

आज हम ऑफिसर्स को कहना बन्द कर दें कि तुम खराब हो क्योंकि वह तो चेनल

(श्री शान्तिलाल कोठारी)

हैं। अगर हमारे पोलिटिकल लीडर्स जब यह कहते हैं कि हमारा कर्त्तव्य है कि हम भ्रष्टाचार बन्द करेंगे। इसका मतलब वह मानते हैं कि भ्रष्टाचार है। यह भ्रष्टाचार उस दिन बन्द होगा जिस दिन मुख्य मंत्री यह कह देंगे कि अगर कोई भी भ्रष्टाचार का केस हमारी जानकारी में होगा और खास करके हमारे मंत्रीगण के बारे में तो बहुत बड़ी कार्यवाही करूंगा और अगर होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। छोटी छोटी बातों में इस्तीफा देने की क्या जरूरत है? नेता औरों को नेता बनाता है और उसमें भी गुण होने चाहिये। यह बार बार कह देना कि हम इस्तीफा दे देंगे यह ठीक नहीं है। अगर अपोजिशन के मेम्बर्स कोई गलत बात कहते हैं तो हम उनको समझा सकते हैं लेकिन हमारी पार्टी के अन्दर जरूरत है आज उसकी इमेज बनाने की। अध्यक्ष महोदय, मैं आज दुख के साथ कह रहा हूं। आज मुझे इसका घमण्ड नहीं है क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी मैजोरिटी होने के बाद यह कहना पड़ेगा। इरिगेशन के मिनिस्टर जवाब देते हैं कि क्या लैण्ड है, क्या इरिगेशन का हो रहा है, कितने आदमियों को फायदा हुआ-यह जवाब देते हैं। हमारा यह भी काम होना चाहिए कि आज जितनी भी बातें हुई हैं उनका हम एनेलेसिस करें। कुछ मिनिस्टर्स हैं, कुछ नेता हैं, कुछ आफिसर्स हैं और कुछ एम. एल. ए. हैं कुछ फायदा उठाया है मैं मानता हूं कि वह चाहे मुख्य मंत्री बनें या प्रधानमंत्री बने तो जब मंत्री नहीं थे तो उनके पास क्या धन था, क्या प्रापर्टी थी और क्या इनकम टैक्स देते थे और अब जब मंत्री है तो उस समय उनके पास क्या प्रापर्टी है, क्या धन है इसका ब्यौरा देना चाहिए। क्योंकि लोग कहते हैं कि राजस्थान के अन्दर पोलिटिकल करप्शन बहुत ज्यादा है। तो हम इनफर्मेशन दे दें चाहे मुख्य मंत्रीजी को ही दे दें लेकिन देना जरुरी है। यह आज तक नहीं दिया है। हमारे सामने और असेम्बली के सामने एक क्रांतिकारी प्रोग्राम है और यह मामूली असेम्बली है। असेम्बली में मेजोरिटी बार बार आयेगी यह मैं नहीं मानता क्योंकि पोलिटिकल एलाइनमेन्ट बदलता रहता है। इसलिए यह जरूरी है कि आथेन्टिसिटी को कायम रखने के लिए आज हमारे पास क्या धन है और पहले क्या था यह देना चाहिए। यह आज तक नहीं हुआ है। मैं मानता हूं कि हमारा फाइनेन्शल कन्डक्ट बिलकुल साफ होना चाहिए।

इसके अलावा एक दो चीजें और ऐसी हैं कि जिसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता था। हमारा पहला कर्त्तव्य होना चाहिए था, नहीं तो अब कर सकते हैं कि हमने 17-18 साल के राज्य में क्या अच्छा किया है और क्या बुरा हुआ है हमारी पोलिटिकल लाइफ की और हमारी इकोनामिक लाइफ की इन्वेन्ट्री लेना बहुत जरूरी है। यह जब तक हम नहीं करते तब तक हम आगे कोई कदम नहीं उठा सकते हैं। आज हमको डिफेन्सिव पोलिटिक्स की जरूरत नहीं है। हमारे पास प्रोग्राम है, हमारे पास सत्ता है हमको डिफेन्स करने की जरूरत नही है लेकिन जब हम बार बार यह कहते हैं कि हम उद्योगपतियों में कन्सेन्ट्रेशन आफ इकोनामिक पावर्स नहीं होने देंगे परन्तु देखना है कि ऐसा हो रहा है या नहीं। हम कहते हैं कि कन्सन्ट्रेशन आफ पावर्स नहीं

(श्री शान्तिलाल कोठारी)

होने देंगे लेकिन देखना है कि ऐसा हो रहा है या नहीं। दूसरे कहते हैं कि हम एजुकेशन बदलना चाहते हैं तो क्या करना चाहिये। एम्पलायमेंट बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए? तो कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इसके खिलाफ पड़ता हो।

इसके अलावा जब हमारे सामने एक दो मुद्दे ऐसे पड़े रहते हैं और कई बार होता है कि हमारे प्रोग्राम का सम्बन्ध प्लानिंग के साथ में है। 1950 के अन्दर जब पहला पहला रेज्योल्यूशन पेश हुआ था प्लान के आने के पहले उसमें क्या था। उसमें कहा था कि हमारे साधन कम हैं और हमारे पास प्राब्लम्स बहुत ज्यादा हैं। पंडित जी ने खास करके कहा था कि मैं यह नहीं चाहता कि देश में जी. एम. पी. बढ़े। जितना देश हमारा आगे बढ़ता है उसमें जनता कितनी उसके साथ लगी हुई है और जब 56 में कहा तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स को लेटर लिखकर कहा था कि मैं राज्यों के अन्दर देखता हूं कि आप की पालिसी इस समय कन्सेन्ट्रेशन, आफ पावर की है और कुछ लोगों में हो रही है। उन्होंने कहा और वार्न किया कि कन्सेन्ट्रेशन आफ इकोनामिक पावर्स नहीं होना चाहिए Plan with a limited finance वह हमारा पूरा कन्सेप्ट था ....

श्री अध्यक्ष : सूक्ष्म में होने की कृपा करें।

श्री शांतीलाल कोठारी : अन्त में, मैंने आपका टाइम लिया है मेरे सामने जनलेखा समिति की रिपोर्ट है और भी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी थी कि कुछ आफिसर्स इन इन्डस्ट्रियल हाउसेज में लगे हुए हैं। उनका संबंध है और इसमें नाम भी दिये हैं। मैं चाहता हूं कि जितनी पी. ए. सी. की और दूसरे कमेटी की रिपोर्ट्स हैं उसमें जो जो रेकरिंग कम्पलेन्ट्स है उनकी एक लिस्ट बना कर यह करना चाहिए कि वह कैसे दूर हों। जवाब देने से कोई फायदा नहीं है। आज हमको प्रोब्लम्स को साल्व करना है। हमारे सामने वेस्टेड इन्ट्रेस्टस हैं पोलिटिकल लाइफ में हैं, इकोनोमिकल लाइफ में हैं और सोशियल लाइफ में हैं-इन तीनों का हमें सामना करना है और हमारी पार्टी के अन्दर जहां इतना मेजारिटी है यह जरूर हो जायेगा हम इसको देखकर आगे चलें और पूरा करना है। आज गरीबी का मसला हमने उठाया है वह पूरा करना है। इसलिए मैं मानता हूं कि उनके पास सत्ता है, उनके पास अधिकार हैं, प्रोग्राम हैं, सेन्टर का सपोर्ट है और यहां का सपोर्ट भी है, यह पूरा करेंगे।

अन्त में एक सेंटेंस कह कर बैठ जाता हूं-

(1.10 म.प.)

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली, सभापति, पीठासीन)

Our speeches can not solve the problems. Let us take the assignment. People expect revolutionary steps to fulfill our revolutionary promise and pledge to the masses of 'Garibi Hatao' in all seriousness.

श्री सभापति : श्री मोहर सिंह।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : सभापति महोदय, जिस प्रकार राजस्थान में लघु उद्योगों

(श्री मोहरसिंह)

की स्थिति है उसका मैं थोड़ा सा विवरण सदन के सामने रखूंगा। हमारे यहां लघु उद्योग निगम और मिनरल उद्योग निगम जो है उनमें जितने पूंजीपति संचालक नियुक्त किए गए हैं वे राजस्थान में नहीं रहते। राजस्थान में वे आते हैं और हमारे यहां उद्योग के लिए जितने भी कानून में साधन हैं, बैंक से सरकार से ऋण की सुविधाएं है, सरकारी निगमों से सुविधाएं है, उनको प्राप्त करने के लिए आते हैं। अपने पद का दुरुपयोग करके सरकारी तंत्र से जितना लाभ उठा सकते हैं उसके लिए राजस्थान में वे आते है। यहां के निगमों की बैठकों में हिस्सा नहीं लेते। राजस्थान में रहते नहीं हैं और जिस प्रकार के उद्योगों की स्थापना हम इन निगमों के जरिए करना चाहते है वैसे ही उद्योग वे स्वयं करते हैं, यहीं पर कोटा मिल रहा है या रा–मेटिरियल मिल रहा है या ऋण मिल रहा हैं उसका सारा फायदा वे स्वयं उठा लेते हैं और ये निगम और इनके जरिये जिन उद्योगों को हम सहायता देना चाहते हैं उनसे वे वंचित रह जाते है। इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है। उनमें से कोई एक भी बैठक में भाग नहीं लेता है और फिर भी उनके नाम आज तक चल रहे हैं, वर्षों से चल रहे हैं? क्यों चलते आ रहे हैं, क्या फायदा होगा इन नामों से? क्या लाभ हो रहा है राजस्थान सरकार को या उद्योग विभाग को? यह समझ में नहीं आता। तो इस प्रकार के जो लोग राजस्थान के विकास में रुचि नहीं रखते, उदासीन हैं, आते तक नहीं, बैठक में नहीं आते हैं उन लोगों को रखना हमारे औद्योगिक विकास के लिए छोटे उद्योगों के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा है। ये वास्तव में राजस्थान के निर्माण में, उद्योगो को सहायता पहुंचाने में, रा–मेटेरियल के डिस्ट्रिब्यूशन में हर जगह किसी न किसी प्रकार से परोक्ष, अपरोक्ष रूप में बहुत बड़ी बाधा डालते हैं और उसी का नतीजा यह है कि हमारे छोटे उद्योग पनप नहीं पाते। होना तो यह चाहिए था कि बड़े उद्योगपति यह घोषणा करते कि उनके बड़े उद्योगों के बाई प्रोडक्ट के लिए अथवा उनके बड़े उद्योगों में उपयुक्त होने वाले छोटे मोटे कलपुर्जों के लिये यहां के लोगों को छोटे–छोटे उद्योग लगाने के लिये प्रोत्साहन देंगे। पर आज तो एक भी ऐसा करने वाला बड़ा उद्योगपति यहां नहीं है।

यही हाल हमारे बड़े उद्योगों का है, सरकारी उद्योगों का है, जिंक और कापर का है। उनका यह हाल है कि उनको यही मालूम नहीं कि उनके बाई–प्रोडक्ट का क्या उपयोग हो सकता है। आज हमारे जिंक स्मेल्टर को यह मालूम नहीं है कि उसके जो जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, जो गन्दा पानी निकालेगा उनमें में कौन 2 सी चीजें बन सकती हैं, उनसे कौन से छोटे 2 उद्योग पनप सकते हैं। उनको मालूम नहीं है, उनको फुरसत नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका बहुत ज्यादा नगाड़ा बजाया जाता था कि हमारे यहां पर कापर स्मेल्टर लग रहा है आज तो उसका दफ्तर तक राजस्थान से उठा कर बाहर ले गए लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकारी प्रतिनिधि उसके संचालक मण्डल में होते हैं, वे क्या करते हैं, किसलिए उनको नियुक्त किया जाता है यह देखने की बात है।

(श्री मोहरसिंह)

समझने की बात है सोचने की बात है। राजस्थान में जमीन पर, कृषि भूमि पर सबसे ज्यादा दबाव है और हम सीलिंग कानून को जल्दी से जल्दी लागू करना चाहते है तो हमें उद्योग धन्धों को पनपा कर लोगों को काम देना होगा। आज लाखों लोग बेकार बैठे हैं, उनके लिए काम ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए उद्योगों को पनपा कर बहुत कार्य कर सकते हैं। बड़े बड़े उद्योग भी कुछ राजस्थान में लगे हैं और जैसे दूसरे राज्यों में लगे है और यह जो सेन्टर का पेटर्न है उसी के अनुसार ही हमारे यहां पर भी उद्योग लगे हैं। लेकिन वास्तव में वे काम क्या करते हैं। यह निगम जो बना है, उद्योग निगम क्या काम करता है, इसको कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है।

इसी प्रकार हमने कुछ जिलों में घोषणा की थी कि कुछ जिलों में उद्योग लगायेंगे। तो दो जिले नागौर और चूरू इसके लिए चुने गए और वहां पर ग्रामीण उद्योग परियोजना लागू की गई। वहां पर प्रशासनिक खर्चा साल का पांच लाख रुपया है और ऋण पचास हजार का बांटा जाता है। तो पचास हजार का ऋण बांटने के लिए पांच लाख का प्रशासनिक खर्चा किया जाना कहां तक न्यायोचित है। यह कौन से उद्योग पनपाने की बात है। दस साल पहले सात साल पहले कुछ कमेटियां बनाई गई, पहले उन पर गैर सरकारी आदमियों को अध्यक्ष बनाया तो थोड़ा बहुत काम हुआ। अब कमेटियां कलेक्टरों के हवाले कर दी गई हैं। कलेक्टर को अध्यक्ष बनाया है। सरकारी आदमी को कमेटी की एग्जीक्युटिव में लाकर थोप दिया गया है। वे न काम देखते हैं और न ध्यान देते हैं। वे तो समझते हैं कि यह तो बेगार है। कलेक्टर के लिए यह थेंक्लेस जोब है। कलेक्टर अपना काम ही पूरा नहीं कर पाता है। फेमिन के बारे में हजारों तरह के काम होते हैं। ऐसे लोगों को जो उद्योगों के बारे में जानते नहीं है, समझते नहीं हैं, उनको एक्स आफिशियो थोप दिया जाता है और वे काम नहीं कर सके। तो इस प्रकार हम बहुत सीरियसली गम्भीरता से इस मामले को समझते नहीं हैं, इसका परिणाम यह होता है कि योजनाएं कार्यान्वित नहीं होती वे योजनाएं पूरी नहीं होती तो उन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता।

इसी सिलसिले में एक दो बातें अर्ज करूंगा कि दो ऊन की मिलें एक लाडनूं और एक चूरू में लगाई गई। इसलिए लगाई गई कि उधर इस इलाके में बहुत ज्यादा ऊन होती है। हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा ऊन राजस्थान में होती है और राजस्थान में सबसे बढ़िया ऊन इस इलाके में होती हैं। पर आज उस ऊन उद्योग की क्या हालत है इस बारे में थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं। ऊन चूरू में पैदा होगी, बिक्री के लिए बीकानेर जाएगी और वहां से ऊन पंजाब में जायगी। पंजाब में ले जाकर सफाई करायेंगे। कार्डिंग करायेंगे और फिर ऊन वापिस चूरू में लायेंगे। चूरू में स्पिनिंग होने के बाद रंगाई का इन्तजाम नहीं है और उससे जो वीविंग हो या होजरी का काम लिया जाय तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उसके फीनिशिंग की, उसकी साईजिंग की

(श्री मोहरसिंह)

कोई व्यवस्था नहीं है। आपने दो ऊन मिलें लगा दीं और बड़ी घोषणा कर दी कि हमने ऊन मिलें लगा दी हैं, रा-मेटिरियल जो राजस्थान में ही काम में आएगा, यह कह कर रुपया लगाया गया; पर सही बात यह है कि इसका कोई उपयोग राजस्थान में नहीं हो रहा है। पंजाब से कार्डिंग करा कर वहां से यहां लाकर फिर पंजाब में बेचने के लिए ले जाते हैं। तो यह हमारी योजना व्यापारिक योजना नहीं है। या तो यह होना चाहिए कि सारे प्रोसेसेज शुरू से आखिर तक, कार्डिंग, फिनिशिंग, डाईंग, जितने भी काम हैं वहीं पर होने चाहिए और इसके लिए वहीं पर व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे यहां पर गलीचों के निर्माण का उद्योग नहीं है। इस प्रकार का उद्योग नहीं है कि उस ऊन के धागे का उपयोग हो सके। यहां तक कि इन ऊन मिलों में काम करने के लिए स्किल्ड लेबर भी यहां पर तैयार नहीं कर पाते। लेबर तक हमें पंजाब और हरियाणा से बुलाना चाहते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इस प्रकार की अव्यवहारिक योजना रखने से हमारे उद्योगों का विकास नहीं हो सकता।

दूसरा प्रश्न सैनिकों के कल्याण का है। हमारे यहां बहुत वर्षों से सैनिक कल्याण की स्टेट लेबल पर, उनकी देखभाल को कोई व्यवस्था नहीं थी। वर्षों पहले, बीस वर्ष पहले फौजियों की, भूतपूर्व फौजियों के भले के लिए हमने छोटे 2, दो तीन जिलों को मिला कर एक बोर्ड बना रखा है और उसका नतीजा यह है कि सैनिकों के कल्याण की कोई योजना पूरी नहीं होती। पिछले युद्ध में कई सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, कई लोगों को वीर चक्र मिला, किन्हीं को पद्मभूषण और परमवीरचक्र तक मिला उनको हम उचित सम्मान और सुविधाएं तक नहीं दे सके। इसके लिए जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ काम होना चाहिए।

अकाल पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए कई बार सदन में मांग की गई है पर आज भी उनके पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं की गई है। हमने फैमिन कोड के अन्दर अधिकार दे रखा है कि जिलाधीश एक महीने तक काम चला सकता है, टैस्ट वर्क तुरन्त शुरू कर देना चाहिए। जो काम अक्टूबर में शुरू हो जाने चाहिए थे वे आज तक नहीं हुए हैं, न उनके पीने के पानी की व्यवस्था है, न खाने को रोटी की व्यवस्था है, काम करने को मजदूरी नहीं है, तो यह बहुत अच्छी बात नहीं है। इसके लिए जल्दी से जल्दी उनको काम दिया जाना चाहिए और फैमिन के वर्क्स में मजदूरों को जो मजदूरी दी जाती है वह बहुत कम है। उस मजदूरी के बारे में पुनर्विचार कर उसे बढ़ाया जाना चाहिए।

रेगिस्तान हटाने के लिए बराबर योजनाएं बनती रहीं पर आज तक कोई ठोस काम नहीं हो सका, कोई प्रभावशाली काम नहीं हुआ। आज हमारे सामने ऐसी कोई योजना नहीं है कि इस साल में कितना काम करेंगे और...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री मोहरसिंह)

शिक्षा में हमने जरूर थोड़ा तेजी से विस्तार किया है। इसमें तीन, चार तो हमने विश्व विद्यालय बना दिये पर उत्तरी राजस्थान जो काफी लम्बा चौड़ा क्षेत्र है उसमें न तो कालेजों को क्रमोन्नत किया है और न कुछ किया है। शिक्षा जैसे क्षेत्र में भी भेद-भाव को बढ़ाया है। बीकानेर क्षेत्र की इस विषय में घोर उपेक्षा की गई है। जिस प्रकार की क्षेत्रीयता, भेद-भाव, विषमता हम शिक्षण संस्थानों में चला रहे हैं वैसी ही आगे चलाते रहेंगे तो उसका नतीजा खराब होगा, खतरनाक होगा। इसलिये इस विषय में बहुत ही शान्ति से विचार करने की जरूरत है। बीकानेर क्षेत्र में असन्तोष है हमारी उपेक्षा की जा रही है। उसको दूर किया जाना आवश्यक है और जब भविष्य में विश्व विद्यालय का स्थान निश्चित किया जाये तो मैं समझता हूं कि बीकानेर की तरफ ध्यान दिया जायेगा और उसकी उपयुक्तता पर पूरा विचार किया जायेगा।

उद्योगपति, जिस प्रकार कि वनस्पति घी वाले लोग हैं, उनको छोटे कन्टेनर का निर्माण नहीं करना चाहिये। इस प्रकार के केन्द्रीय सरकार के आदेश हैं परन्तु वे एक उद्योग से अपना पेट नहीं भर सकते हैं। यह छोटे उद्योगों का काम है कि वे ही कन्टेनर्स बनायेंगे। फिर आज वे नियमों का उल्लंघन कर के कन्टेनर्स बना रहे हैं और उन्होंने इसके लिये रॉ मैटीरियल लेना शुरु कर दिया है। इस प्रकार कन्टेनर बनाने वाले छोटे 2 उद्योगों का काम बन्द हो गया है।

सभापति महोदय, जिला प्रशासन की ओर भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आज जिला प्रशासन में कई आई. ए. एस. ऑफिसर ऐसे हैं जिनका तबादला होते ही वे थर्ड रेट कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करते हैं और उनका डेपूटेशन लेकर आते हैं कि हम को उसी जिले में रखें। यह बेजा बात है। आई. ए. एस. अधिकारी इस प्रकार तबादले रुकवाने के लिये एप्रोच करें और छोटे आदमी ट्रान्सफर कराने के लिये जायें और कोई उनकी बात करें तो कहा जाता है कि आज की राजनीति ट्रांसफर की राजनीति हो गई है। बड़े अधिकारी अच्छे स्थान पर रहना चाहते हैं तो फिर छोटे अधिकारी भी रहना चाहेंगे। छोटे क्यों नहीं रहने चाहिये उन्होंने क्या गुनाह किया है? इसके लिये सभी सदस्यों पर दबाव पड़ता है। पोलिसी यह होनी चाहिये कि सरकार जिसका तबादला कर देती है उसका तबादला केन्सिल नहीं करेगी नहीं तो बड़े स्तर पर इस प्रकार की कोशिशें होती हैं तो छोटे स्तर पर भी होंगी। यह बेजा बात होगी। आई. ए. एस. अधिकारी, जिलाधीश लोग अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। वे यहां तक बढ़ गये हैं कि जो लोकसभा कानून बनाती है उसका वे पालन नहीं करते हैं, विधान सभा जो कानून बनाती है उसका वे पालन नहीं करते हैं। वे डिक्टेटर हो गये हैं और ऐसे आदेश निकालते हैं। जिस प्रकार लोकसभा ने, एक अधिकारी को, एक उपखण्ड अधिकारी को हथियारों का लाइसेन्स देने का अधिकार दे रखा है, एक राजस्थान सरकार के पटवारी का ट्रान्सफर करने का अधिकार दे रखा है, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का ट्रान्सफर करने का अधिकार दे रखा है, यह सही है कि कई जिलों में कलेक्टर्स ने

(श्री मोहरसिंह)
ये आदेश दे रखे हैं कि हथियारों का लाइसेन्स वे ही जारी करेंगे। कोई अधिकारी यह कहता है कि कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत उसको भी अधिकार है तो वे नाराज हो जाते हैं और उसकी सी. आर. खराब कर देते हैं, उसका तबादला कर देते हैं। तहसीलदारों को इकट्ठा कर के उनसे जिलाधीश यह सर्टीफिकेट लेते हैं कि जिलाधीश ने उनसे कोई रिश्वत नहीं ली और कभी कोई प्रधान, सरपंच मिल जाये जिसके खिलाफ शिकायत हो तो उनसे भी कह देते हैं कि आप भी दस्तखत कर दीजिये। यही क्या ईमानदारी के लिये काफी है। इस प्रकार से यह जो सर्टिफिकेट लेते हैं यह एक गम्भीर बात है।

श्री सभापति : संक्षेप में कहें माननीय सदस्य।

श्री मोहरसिंह : तो सभापति महोदय, इस प्रकार से जिलाधीश करते हैं। कोई क्वार्टर एलाट करना है तो वह जिलाधीश ही करेंगे, और तब तक नहीं एलाट करेंगे जब तक कि आधी बोतल व्हिस्की उनको न मिल जाये वरना क्वार्टर खाली पड़ा रहेगा, लेकिन उसको एलाट नहीं करेंगे। यह जिला प्रशासन की स्थिति है...

एक माननीय सदस्य : यह किस जिले की बात है।

श्री मोहरसिंह : कौन से जिले की बात नहीं है, कोई जिला ही अपवाद के रूप में बचा हो सकता है। यह हालत है कि क्वार्टर खाली पड़े रहते हैं और उनको एलाट नहीं करते हैं। सरकार से आदेश आ गये फिर भी मुकदमे की पेशी नहीं होगी; जब तक कि फलां आदमी को वकील नहीं बनाया जायेगा तब तक केस की सुनवाई नहीं होगी। यह गिरावट है इस पर सोचना पड़ेगा। आखिर कहां तक हमें जाना चाहिये? बजट अच्छा बन जाने से ही प्रशासन नहीं सुधर जायेगा। इस प्रकार के तौर तरीके हैं, उनको बदलना पड़ेगा और इन पर सोचना पड़ेगा। आज इस प्रकार के मसले आये हैं। सरकार की तरफ से आश्वासन आ जाते हैं। पर उनका पालन नहीं होता है। एक सरकारी आश्वासन समिति भी है। सदन में कोई बात होती है तो सरकार आश्वासन देती है। परन्तु उसका फालो अप एक्शन नहीं होता है। यहां पूछते हैं तो कहा जाता है कि जमीन देंगे, यह देंगे वो देंगे, पैसा देंगे। मांगों पर घोषणाएं हो जाती हैं परन्तु उनका कोई पता नहीं होता है विभागों को जिलाधीशों को। जब हम उद्योग विभाग या जिलाधीश महोदयों से पूछते हैं कि सरकार ने ये ये घोषणायें की है, मंत्री महोदय ने यह घोषणा की हैं तो वे कहते हैं कि उनके पास इसकी कोई सूचना नहीं आई है। इस प्रकार जो घोषणायें की जाती हैं उनको विभागों के अधिकारियों की नालेज में नहीं लाया जाता है। और फिर ये घोषणायें कहीं और चली जाती हैं और उनका क्रियान्वयन नहीं होता है। ये क्यों नहीं होती हैं। जिस किसी भी स्तर पर इसकी ढिलाई होती है, उसको दूर करने के लिये प्रयास किये जाने चाहिये। इस प्रकार की एक समिति, इस प्रकार एक विभाग या इस प्रकार का एक अधिकारी होना चाहिये जो यह सब देखें और करावें। कल ही

(श्री मोहरसिंह)

एक एल. डी. सी. मेरे पास में आया था उसने बताया कि वह 12 साल से सस्पेण्ड है। वह आयुर्वेदिक विभाग में है और अब उसको बहाल कर दिया गया है और दिया गया कि गंगानगर जाओ। जयपुर का निवासी है और उसको आदेश दिया कि गंगानगर जाओ या जैसलमेर जाओ। इस प्रकार की चीजें प्रशासन में होती हैं। 12 साल तक वह सस्पेन्ड रहा और किसी ने इस बात को नहीं देखा।

(समय–समाप्ति–सूचक–घंटी)

अन्त में बेरोजगारी की कुछ चर्चा और करना चाहूँगा सभापति महोदय। बेरोजगारी कितनी है, यह पता नहीं है। हम कहते हैं और हमारा सबसे बड़ा कार्यक्रम समाजवाद लाने का है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई बिना काम के नहीं रहेगा। उसके बाद जो हमारे अधिकार हैं उसके लिये लड़ सकते हैं, प्रजातांत्रिक तरीकों से लड़ सकते हैं जब कोई ठोस योजना हो हमारा इलेक्शन मेनीफेस्टो है, भूमि वितरण की बात हम करते हैं। परन्तु सबसे पहली बात तो यह है कि हमें लोगों को काम देना है, लोगों को रोजगार देना है और इसके लिये उनको गारन्टी देनी होगी। हम समाज की उन्नति और विकास की बात करते हैं। हम देश की परम्परा और संस्कृति की बात करते हैं, हमें यह बात करने का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि देश में एक भी आदमी भूखा हो। तब तक हम किसी रियायत या वेतन वृद्धि की बात भी नहीं कर सकते। पहले इनके लिए योजनाय बनावें और उनका सदुपयोग करें। आज कई भ्रष्टाचार के मामले हमारे सामने आये हैं। हमारे राजस्थान के जिलों में करोड़ों रुपया पी. डब्लू. डी. ने गबन अकाल राहत कार्यों में किया है। इसके लिये बराबर मांग आती है कि एक दो आइटमों के लिये पांच करोड़ रुपया खर्च होता है जबकि ऐस्टीमेट है पचास लाख रुपया। तो कहां गया साढ़े चार करोड़ रुपया? इसकी जांच करने के लिये आप तैयार नहीं हैं। इसी प्रकार नहरों का महकमा है। करोड़ों रुपये खर्च किये गये हैं। कई इन्जीनियर दो-दो मोटरें भर कर नोट लाते हैं परन्तु इसकी कोई जांच नहीं कर सकता।

और इस प्रकार करोड़ों रुपये लोग खा गये और आप जांच नहीं कर सके। दो–दो, चार–चार, करोड़ के सेविसेज के लिए हम यहां पर लड़ते रहते हैं। इस प्रकार जब तक मामले की जांच नहीं होगी तो इसका गम्भीर परिणाम यही होगा कि राजस्थान दिवालिया हो जायगा और निहित स्वार्थ वाले लोग और राजस्थान के अधिकारी जो भ्रष्ट हैं वे करप्शन करते और दूसरे लोग जो भले हैं भ्रष्टाचार के नाम से बदनाम होते रहेंगे।

मेडिकल डिपार्टमेंट की अभी चर्चा हुई थी। इस महकमें में एक भी आदमी परमानेन्ट नहीं हैं। डायरेक्टर से लेकर डी. एम. एच. ओ. तक सारा महकमा ही एडहाक है। यही हाल हमारी अन्य सर्विसेज का है। आधे आदमी एडहाक है। यहां के लोगों को प्रोमोशन नहीं देते हैं और दूसरे योग्य लोगों को बाहर से लाकर नहीं रखते हैं। यह इसलिए करते हैं कि अगर उनको उस जगह पर रहना है तो उनको हुक्म मानना

(श्री मोहरसिंह)

पड़ेगा। इससे सरकारी तन्त्र में निर्बलता आयेगी। उनकी नौकरियां सुरक्षित नहीं होगी तो क्या होगा? मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए आपको एक डाइरेक्टर नहीं मिल सकता है?

एक माननीय सदस्य : है।

श्री मोहरसिंह : नहीं है। वह तीन काम कर रहे हैं इतने बड़े महकमे में डाइरेक्टर नहीं इनको नहीं मिलता है। इसके बारे में सदन में तीन बार सवाल आ चुका है और आश्वासन दिया गया है, और उसका पालन नहीं होता है। तो इस की जो कमियां हैं सरकारी तन्त्र में, उसके संचालन में तो उनको ठीक किया जाना चाहिए। एक आदमी से तो हम कहते हैं दो काम नहीं करेगा, और डाइरेक्टर तीन काम करता है। प्रशिक्षण भी वह करता है, इलाज भी वह करता है और डाइरेक्टर भी वह है। सारा एडहाक डिपार्टमेंट है, और उसका नाम भी एडहाक डिपार्टमेंट पड़ गया है। इस प्रकार से कितने महकमे हैं जो कि एडहाक बेसिस पर काम करते हैं। क्यों करते हैं? या तो योग्य आदमी नहीं मिलते हैं या दूसरी जगहों से नहीं लेना चाहते हैं।

श्री सभापति : श्री यशवन्तसिंह नाहर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : टाइम के लिये फर्मा दें।

श्री सभापति : 10 मिनट हैं, लेकिन आप बोलें।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : सभापतिजी, हमने बजट के अलग अलग आइटम्स पास किये हैं और राज्यपाल महोदय को बजट के कुल आइटम्स सौंप दिये गये कि यह खर्चों के लिए हम आपको दे रहे हैं। अब प्रश्न यह है कि यह एप्रोप्रिएशन बिल के द्वारा इश्यू करते हैं एकाउन्ट की सेन्कशन कन्सोलिडेटेड फण्ड में से, और हम यह आशा करते हैं कि जो कुछ खर्चे के लिए आइटम्स पेश किये हैं वह खर्चा वाजिब ढंग से होगा।

इस आशा से मैं निवेदन करना चाहता हूं। और इस पर निवेदन करूं इससे पहले यह निवेदन करूंगा कि यह पुलिस राज नहीं है, वेलफेयर स्टेट है। यह राज्य 2 करोड़ 57 लाख जनता की खुशहाली का हो सकता है, गरीबों की बरबादी का नहीं हो सकता है। जो कुछ हमने अब तक राजस्थान की 2 करोड़ 57 लाख जनता के लिए किया है वह इस सदन के माननीय सदस्यों से छिपा हुआ नहीं है, और मेरा अनुमान तो यह है कि आज उन 7 लाख को किसी प्रकार से छोड़ देते हैं जो कि मेरे खयाल से घी दूध के कुल्ले करते होंगे या जिनको दो टाइम भोजन मुहैया होता होगा, मेरा मानना यह है कि पर कैपिटा इनकम जो हम बताते रहे हैं तो उस में 500 रुपये वाले भी होंगे और बिरला सेठ के 20 हजार महीना कमाने वाले मैनेजर भी आ गये तो उस हिसाब से 384 रु. पर केपिटा इनकम होती है। लेकिन आप मेरे साथ गांव में चलें तो वहां आपको मालूम पड़ेगा कि वहां पर 98 पर्सेन्ट फेमिलीज ऐसी हैं जिनको शायद एक एक फेमिली की 200–200 साल की इनकम भी नहीं हो।

एक माननीय सदस्य : कोरम नहीं है।

श्री सभापति : क्या फरमाया?

श्री यशवन्त सिंह नाहर : कोरम नहीं है आप यह फर्मा रहे हैं। (गणपूरक घंटी)

श्री सभापति : कोरम है।

श्री यशवंतसिंह नाहर : तो मेरा निवेदन यह है कि आज बजट के बहुत सारे हैड्स के हमने खर्चे पास किये हैं। अभी तक जो व्यवस्था रही है उसके बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आपके सबसे बड़े कार्मशियल प्रोजेक्ट्स जो हैं वे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं। और मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने यह देखना चाहा कि उनसे सालाना इनकम कितनी होती है तो मुझे पता लगा कि 1 करोड़ 94 लाख हमें सालाना इन प्रोजेक्ट्स पर नुकसान के देने पड़ रहे हैं, और यह खर्चा केवल इन्ट्रेस्ट और मेन्टीनेन्स का है। इसके मायने यह हैं कि हम आपके हाथ में रुपये तो सौंपे और कहें कि हर तरह से राजस्थान का डेवलपमेंट करो तो 70–71 और 71–72 में 85 करोड़ का कर्जा और बढ़ा हैं। अब के से थोड़ी सी कुछ टाइटनेस की है, और मुझे टाइटनेस के बाद भी लगता है कि जो पुलिस राज का खर्चा है वह ज्यों का त्यों है और हमारे राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है और जो राज्य के कर्मचारियों का खर्चा है उनमें फर्क नहीं पड़ रहा है विकास के काम रोक दिये गये हैं इसलिए कि पैसा नहीं है। जितने प्रश्न सदन के सामने आते हैं वे ज्यादातर यही होते हैं कि सड़क अधूरी है, तालाब को पूरा कराना है और विद्युत् विभाग को और दो एक चीजों को छोड़कर एक तो जो गवर्नमेंट आफ इन्डिया से 6 हजार टीचर्स हमारे पास आने वाले हैं या पीने के पानी को मुहैया करना, इन दो-तीन चीजों के अलावा वेलफेयर स्टेट का कोई काम आयन्दा साल में होने की सम्भावना की नहीं है। मैं यह रिक्वेस्ट करता हूं कि खर्चा जो है इसको भगवान के नाम से इतना कम तो करें तो उनका कुछ काम हो सकता है। इसलिए इरिगेशन के जो मल्टी परपज प्रोजेक्ट्स है उसका मैंने एक उदाहरण दिया है। उसमें केवल मेन्टीनेन्स और इन्ट्रेस्ट का जो 1 करोड़ 94 लाख नुकसान देते हैं वह भी कर्जा लेकर देते हैं तो वह कर्जा मल्टीप्लाई हो रहा है। तनख्वाहें मांगने का कर्मचारियों को अधिकार है। उससे मैं इन्कार नहीं करता हूँ, क्योंकि मंहगाई बढ़ रही है, और यह विशियस सर्किल हमें खाता चला जा रहा है। यह तो मल्टी परपज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का हाल है और हमारे जो इन्डस्ट्रियल अन्डरटेकिंग्स हैं जिनमें आपके शेयर हैं जो दीवाले में और घाटे में चल रहे हैं तो भगवान के नाम पर इनको छोड़ दें।

एक निवेदन और करना चाहता हूं जिसको मैं पहले भी कह चुका हूं उसको दोहराना चाहूंगा। शायद मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो आंकड़े देखे हैं तो मुझे आश्चर्य हुआ कि लगभग दो करोड़ रुपये आपने प्राइवेट कम्पनियों को मान इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन को और पता नहीं किन किन स्वदेशी मिल्स कानपुर को जमानत के रूप में दे रखे हैं। इन सब की सरकार ने जमानत दी है। ऐसी कन्सर्न्स की सरकार ने 1 करोड़ 97 लाख की जमानत दी है बहाना यह मिलता है कि उसका हमें प्रिमि

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

यम मिलता है 50 पैसे प्रति सौ रुपया। उसका भी एक लाख रुपया लोगों में बाकी है। प्रिमियम में भी बाकी है। तो समझ में नहीं आता है कि स्वदेशी मिल कानपुर में चल रहा है और उसको 30 लाख रुपया क्यों दिया? ऐसी कई कन्सर्न्स प्राइवेट में हैं जिनमें मान स्ट्रक्चरल इन्डस्ट्री भी है। इस तरह की कई कन्सर्न्स हैं उनको 2 करोड़ रुपये की जमानत दी है। राजस्थान का विकास तो मेरी समझ में आता है। कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के अन्दर कोआपरेटिव बैंक्स हैं, गवर्नमेंट के कुछ अन्डरटेकिंग्स हैं, गवर्नमेंट के कुछ बॉन्ड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, रोडवेज है उनकी जमानतें दें तो कुछ समझ में आता है। हमारे कॉन्स्टीट्यूशन में प्रोवीजन है मैं इस सदन से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और माननीय वित्त मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि वह सदन को कान्फीडेंस में लें। राजस्थान का आप कल्याण करना चाहते हैं तो आप हम से, इस सदन से लीजिये। आप पूछिये कि इतने रुपये में हम इतनी सेक्युरिटी देंगे। आप बताइये कि कन्सोलीडेटेड इनकम की क्या हालत है? यह बॉरोइंग जो होती है, इसे कन्सोलीडेटेड फण्ड से जो आप लेते हैं, तो मैंने निवेदन किया कि आप सदन को कान्फीडेन्स में लें। इसलिए मैं समझता हूं कि क्या यह हमारे बोलने की ताकत में कमी है, या क्या बात है? मैं चौथी बार इस इस बात का निवेदन कर रहा हूं। सरकार के ध्यान में आता नहीं है। अरबों रुपया कर्जा लेते चल रहे हैं इसीलिए सदन में फिर निवेदन कर रहा हूं। सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, भविष्य में राजस्थान की हालत असाधारण है। तो जो अधिकार हमने राजस्थान सरकार को दे रखे हैं, इसको समाप्त करें। मैं कहना चाहता हूं कि आज तक कोई कानून पास नहीं है जिससे कि सीमा बने तब तक कोई कर्जा नहीं लेंगे। और यह भी निवेदन करूंगा कि किसी भी प्राईवेट कन्सर्न से जो प्राईवेट इण्डस्ट्रीज में आता है, उससे कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा तो हमारी हालत बदलने पर ही होगा। इसलिए मैं इस आर्टीकल के बारे में फिर निवेदन करूंगा। मैं सदन को गलत नहीं कह रहा हूं, नहीं तो वित्त मंत्री महोदय बता दें। गत सत्र में मैंने निवेदन किया था और वित्तमंत्री महोदय ने कहा था कि हिन्दुस्तान में यह नहीं है। मैं मानता हूं। यह असेंशियल फण्ड है। जो हमने आप को बजट दिया है, इसी आधार पर हमने कर्जा दिया है, इसलिए मैं इस 293 आर्टीकिल को फिर पढ़ देता हूं।

"Subject to the provisions of this article the executive power of a State extends to borrow within the territory of India upon the security of the Consolidated Fund of the State within such limits, if any, as may from time to time be fixed by the Legislature of such State by law and to the giving of guarantees within such limits, if any, as may be so fixed."

तो मेरा निवेदन यह है, मैं इसको बहुत अच्छी तरह से मानता हूं। 'इफ' यानी का मतलब यह है कि चाहे हम अधि

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

कार दे दें। लेकिन यह लेजिस्लेचर से है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में आज चौथी दफा निवेदन कर रहा हूं। तो सदन को यह निर्णय करना है। या एक्जीक्यूटिव गवर्नमेंट को सौंप दें। जिससे कि कर्जा बढ़ता जाय। जिसमें कि हम इसे जनता के कल्याण का राज्य चलाना चाहते हैं, जिससे उसकी मुक्ति हो जाय। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि मैं ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से घोषणा सुनी। उन्होंने स्टेण्डर्ड बना रखे हैं। एक एक अधिकारी इतना काम करेगा। लॉ में यह कर रखा है। एक मुकदमा तीन महीने से ऊपर नहीं जायेगा। एक दिन करेंगे। माइनोरिटी कन्सेशन रूल्स में यह प्रोविजन दिया है। आप नहीं देखते हैं तो वह गया। अधिकांश 90% यह होता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह तो यह है, इसके पीछे जो राज्य कर्मचारी वर्ग है, उनके पास समय भी नहीं है। लेकिन अब तो बजट पास हो गया है। तो मेहरबानी करके वित्तमंत्री जी यहां विराजे हैं, उन्होंने फरमाया था कि मैं सर्विसेज को नहीं देखता हूं। इसके माने यह हैं कि राजस्थान राज्य की जो नीतियां हैं, उनके परिपालन में राज्य कर्मचारियों का साथ नहीं हो तो राजस्थान राज्य का कल्याण नहीं होगा। दुनियां की कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। इसलिए मेरा निवेदन है, इस सदन से बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, राज्य की प्रगतिशील नीतियां हैं, उनको अगर पालन नहीं कर सकें तो कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं होगा जिसमें सरकारी नीतियों का पालन दो दो साल से नहीं हुआ है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जिन्होंने पालन नहीं किया है, उनकी जांच की जाय।

श्री सभापति : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): सभापति महोदय, मैंने पिछले महीने से करीब पूरे महीने इसी बजट पर बहस की है। मैं महसूस करता हूं कि जिस समय चुनाव के बाद इस नयी विधान सभा में हम लोग आये थे, जनता को एक बहुत बड़ी आशा, इस विधान सभा से थी कि उन पुराने प्रश्नों पर, उन पुरानी नीतिय पर जिन पर अब तक चले जा रहे थे, उन गम्भीर सवालों पर जिसमें हमारे प्रान्त की सरकार फंसी हुई है, उनका हल निकाल कर हम एक दिशा में बढ़ सकेंगे। परन्तु बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सुना और उसके बाद वित्तमंत्री महोदय का बजट भाषण सुना और उसके बाद उसी धारणा में 15 दिनों में विभिन्न विभागों पर बहस हुई और आज हम अन्तिम रूप से अपने इस बजट को समअप करके अन्तिम रुप से मंजूर करने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि जिस संकट में हम थे, जो समस्याएं हमारे सामने थीं, उनसे निकलने का हमने कोई रास्ता ढूंढ लिया हो। मैं यह तमन्ना नहीं करता था कि एक बजट में हम हल कर पायेंगे। लेकिन इस बजट से यह उम्मीद जरूर करता था कि सरकार अपनी वित्तीय नीतियों में इस प्रकार के परिवर्तन अवश्य करेगी जिससे वह रास्ता स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। जिससे हमें

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यह विश्वास हो सके, हम जनता को आश्वस्त कर सकें कि वास्तव में जो संकट हमारे सामने है, उस सम्बन्ध में हम हल कर पायेंगे और मैं समझता हूं, जो बात मैं कह रहा हूं उसी बात को सरकार के प्रतिनिधियों ने भी, स्वयं वित्त मंत्री जी ने भी दोहराया है – इस बात की तो मैं तारीफ करूंगा, वित्तमंत्री जी की कि उन्होंने पहली बार बहुत स्पष्ट रूप से राज्य की बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति का चित्रण इस सदन के सामने स्पष्ट रूप से रखा। मैं यह नहीं मानता कि जिस रूप से उन्होंने उस संकट को रखा और अपने बजट को एलोकेट किया विभिन्न विभागों में और जिस रूप से उस संकट के चित्र ने अब बजट के अन्तिम दिनों में केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये ओवर ड्राफ्ट के अवेश्चन से साफ रूप लेकर हमारे सामने और बढ़ने को स्थिति दुगुने रूप में पेश कर दी है, मैं नहीं मानता, इसका कोई हल नहीं है, मैं नहीं मानता, ईमानदारी से इस सरकार ने, जो हमारे सामने दिखते हुए हल थे, उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश की। सभापति महोदय, आखिर जिस साईकल में हम थे, घाटे का बजट; महंगाई, बेरोजगारी, जनता का विकास करने की तमन्ना, और उसकी पूर्ति न होना––यही था मोटा रूप हमारे सामने सङ्कट का। एक तरफ जनता की तमन्नायें बढ़ती हुई चली जा रही हैं, और बढ़ता हुआ जा रहा है अमीर–गरीब का भेद, और इसका संकल्प कि हम गरीबी को हटायेंगे, इस भेद को कम करेंगे–इस पृष्ठ भूमि में आज हम अपने प्रयत्नों को देखें, तो आज जिस बजट को पास करके एक साल का सफर करना हमने तय किया है, उस पर दृष्टिपात करें तो मैं समझता हूं, इस बहस के दौरान इस सदन के माननीय सदस्यों के मन में और राजस्थान की जनता के मन में यह बात और खुल कर आई है, यह चित्र प्रस्तुत हुआ है कि संकट बहुत गहरा है। सरकार भी मानती है और उस का हल अभी कोई नजर नहीं आ रहा है और इस लिए न जाने कितने दिनों तक कितने वर्षों तक हमें इस स्थिति के अन्दर रहना पड़ेगा। इसका छोर, अन्त नहीं मालूम होता, दिखाई नहीं पड़ता। सभापति महोदय, मैं तो यह कहूंगा कि नहीं जिन नीतियों पर आप चल रहे हैं जो घाटा आपने 59 करोड़ का दिखाया है यह, 59 करोड़ पर नहीं टिकने वाला है। आप मंहगाई को रोक नहीं सकते, मंहगाई और बढ़ेगी, और मंहगाई बढ़ेगी तो मंहगाई भत्ते की मांग बढ़ेगी, केन्द्रीय सरकार मंहगाई भत्ता बढ़ायेगी तो आपको भी बढ़ाना पड़ेगा आप बढ़ायेंगे तो आपकी तमाम पब्लिक सेक्टर की इण्डस्ट्रीज में बढ़ेगा, आपकी तमाम स्वायत्त शासन संस्थाओं में बढ़ेगा, आपके तमाम पंचायत राज के अन्दर बढ़ेगा–आप जिससे इन्कार नहीं कर सकते और वह आगे जाकर कितने भी करोड़ का क्यों न हो, वह और घाटा बढ़ेगा और मैं यह बजट जो छः सौ, सात सौ करोड़ का, कुल मिला कर, भू–राजस्व के खाते में, राजस्व खाते में, पूंजीगत खाते में कुल मिलाकर ला रहे हैं–यह बजट आपके इस ढांचे को चलाने मात्र का है, जो भी है उसमें विकास के लिए कोई रास्ता रह नहीं गया है, विकास के लिए

Page No 73

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कोई पैसा रह नहीं गया है, माननीय सदस्यों ने उसी बात को कहा है-उस बात को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। केन्द्रीय सरकार ने ओवर ड्राफ्ट को बन्द किया है, मैं महसूस करता हूं कि शायद यह बून इन डिस्गाइस हमारे सामने है क्योंकि मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार स्वयं इस दौर से निकली है और जब उसके सामने इस प्रकार की भयंकर स्थिति आ गई कि जो उन्होंने अपने साधन जुटाने के आधार अपनाये हुए थे, या तो बोरोइंग या डेफिसिट फाइनेंसिंग, या टैक्सेशन–जब यह तीनों अपनी चरम सीमा पर पहुंच गये, टैक्स बढ़े तो जनता आन्दोलन करे, लोन्स जारी करना फारेन कन्ट्रीज ने बन्द कर दिया, टैक्सेशन इस हद तक पहुँच गया कि जनता बर्दाश्त नहीं कर सके–तब हुआ केन्द्र में, कांग्रेस की लीडरशिप में उत्पन्न यह झगड़ा–सिण्डीकेट और इण्डिकेट का। यह झगड़ा कुछ व्यक्तियों का नहीं था, कुछ लीडर का झगड़ा नहीं था, आर्थिक नीतियों के कारण हिन्दुस्तान की सरकार के लिए उन पूंजीवादी तरीके से मनोपोलिस्ट तरीके से चलना असम्भव हो गया इसलिए यह प्रश्न पैदा हुआ कि आगे चलने के रास्ते के लिए मोनोपोलिस्ट्स के खिलाफ फ्यूडलिस्ट्स के खिलाफ एक्शन लिया जाय या नहीं ? अगर नहीं लिया जायगा तो रास्ता गारत में पहुंच जायगा। इसलिए मतभेद का प्रश्न पैदा हुआ, इसलिए केन्द्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ा मोनोपोलिस्ट्स के बारे में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना पड़ा। यह अचानक नहीं हुआ, इतने दिनों से आवाज उठ रही थी तो इतने दिनों से क्यों नहीं हुआ ? ऐसे कगार पर पहुंच चुकी थी सरकार कि और रास्ता नहीं था, ओवर ड्राफ्ट का प्रश्न नहीं था–जितने नोट चाहिए उतने नोट छापे, करेन्सी बढ़ाने की शक्ति है लेकिन वह करेन्सी इन्फ्लेशन के रूप में महंगाई बढ़ाती है, महंगाई बढ़ती है तो महंगाई भत्ता बढ़ता है, सरकारी खर्च को बढ़ाती है तो डेफिसिट फाइनेंसिंग को क्रियेट करती है। तो ऐसी स्थिति वहां पर पैदा हो गई थी, इसलिए इन नीतियों पर, बुनियादी नीतियों पर सोचना पड़ा। वित्त मंत्री जी, ओवर ड्राफ्ट के बन्द होने से आप भी इस स्थिति के अन्दर पड़ गये, आपके सामने जो यह खुला दरवाजा था, कोई भी आपका घाटा हुआ और आपने उस ओवर ड्राफ्ट के नाम से सेन्टर से पैसा ले लिया और आपको बुनियादी नीतियों के बारे में सोचने, विचार करने की तकलीफ करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। मैं मानता हूं, इस वजह से हिन्दुस्तान स्प्लिट हुआ है, नीतियों के प्रश्न पर हुआ है, लेकिन वह पूरी तरह से नहीं हुआ है, कुछ न कुछ सिण्डीकेट, इण्डिकेट के रूप में इस प्रकार प्रोग्रेसिव और रीएक्शनरी के रूप में हुआ है लेकिन राजस्थान में नहीं हुआ। राजस्थान में इसलिए नहीं हुआ, आर्थिक संकट था, उस संकट से निकलने का चोर दरवाजा मौजूद था, इसलिए पुरानी नीतियां चलीं, वही पुराने लोगों ने नये नाम से राजस्थान के राज्य को हाथ में लेकर चलने की कोशिश की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, उन नीतियों के जरिये आप नहीं चल सकते। 145 लोगों की मेजोरिटी आपके पास है तब भी आप नहीं चल सकते केवल आप पुलिस बल पर, केवल पुलिस के दमन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के बल पर ढाई करोड़ जनता को आप काबू में नहीं रख सकते । यह 145 सदस्यों की मेजोरिटी जनता को जो आश्वासन देकर आई है, आश्वासन ही नहीं, जो आब्जेक्टिव रूप में समस्यायें हम रे प्रान्त के सामने हैं, उन समस्याओं का जैसा प्रोफेसर कोठारी ने संकेत किया, ठोस रूप से हल न निकाल लें, ठोस रूप से जनता को दिखाई न देने लगे कि हां, इस दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है, तब तक जनता को शांत नहीं रख सकते तब तक जनता को काबू नहीं कर सकते मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि क्या यह वास्तविकता है, गम्भीरता से सोचे मंत्री महोदय मेरे कांग्रेसी मित्र भी सोचें । प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो प्रयत्न किया, केन्द्र में कुछ कदम उठाए, हमारा यह नहीं मानना है इंदिराजी जो भी प्रोग्राम देश के सामने रख रहीं हैं वह वास्तव में समाजवाद का कार्यक्रम है या इसी आधार पर हम समाजवाद तक पहुंच जायेंगे, लेकिन फिर भी हम मानते हैं उन्होंने प्रोग्रेसिव कदम उठाए हैं । यह दौर डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन का है उस दौर में जिस हद तक मोनोपोलिस्ट्स को, मोनोपोली को खतम कर सकते हैं, फ्यूडेलिज्म के रेमनेन्ट्स को खतम कर सकते हैं, इम्पीरयलिज्म के रेमनेन्ट्स को खतम कर सकते हैं और ब्यूरोक्रेसी को डेमोक्रेटाइज कर सकते हैं, प्रशासन को डेमोक्रेटाइज कर सकते हैं, ये चारों कदम अगर उठा लें तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं । इसमें हम मानते है कि बुरजुआ लीडरशिप होते हुए भी मौजूदा जो कांग्रेस लीडरशिप है, दूसरे दलों से जो इन नीतियों में विश्वास रखते हैं, उनके साथ चलकर इस कार्यक्रम को पूरा कर सकते हैं । अफसोस की बात है कि केन्द्र की लीडरशिप जितने प्रोग्रेसिव कदम और नीतियों को लेकर चल रही है, राजस्थान में आप उन नीतियों को अपनाने से इंकार कर रहे है। कदम कदम पर आप हिचक रहे हैं । कदम-कदम पर चोर दरवाजे से किसी न किसी बहाने से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि आज आप अपना बजट पास कर रहे हैं उसके जरिए यह आश्वासन, ये स्थितियां पैदा नहीं कर सकते जिनमे हम जनता को आश्वासन दिला सकें । मैं कुछ उदाहरण आपके सामने दूं । आप। चार करोड़ के टैक्स लगाये । हम यह नहीं मानते कि टैक्स लगाना बुरा है या किसी भी हालत में टैक्स नहीं लिए जाने चाहिए । हम तो इस बात के लिए लड़ते हैं आपसे कि आप जो साधन सम्पन्न तबका है उस पर कर लगायें, कैपीटल लेवी लगायें, जिनके पास साधन हैं उनसे लीजिये किन्हीं तबकों के बारे में तो हमने कहा है कि उनका कॉन्फिस्केशन कीजिए और जनता के उपयोग में लायें । आपके अन्दर हिम्मत होनी चाहिए हम आपके हाथ मजबूत करना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं ।

इसी सदन में हमने बार बार राजाओं की प्रापर्टी का प्रश्न उठाया । यह कहा कि राजा लोग नहीं रहे कवीनेन्ट्स खतम हो गए, प्राइवेट प्रापर्टी उनकी जो इन्वेन्ट्री में थी उसकी कोई लीगल वेलिडिटी नहीं रही ।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आप सारी की सारी जो प्रापर्टी है इम्मूवेबल प्रापर्टी के रूप में है या मूवेबल प्रापर्टी के रूप में है, सारी की सारी जनता की गाढ़ी कमाई से है। हमने ही नहीं कहा आपके दल के माननीय सदस्यों ने भी कहा है। क्या ईमानदारी से आप यह विश्वास दिला सकेंगे, मैं ही नहीं आपके दल के सदस्यों ने भी, वह जनता जिन्होंने आपको वोट, दिया जानना चाहती है वास्तव में हमारी सरकार ने ईमानदारी से इस सवाल को बहुत सीरियसली लेकर इस पर कदम उठाए हैं और वास्तस्व में सोर्सेज आफ इनकम है, रेकरिंग इनकम नहीं हो सकती है, रेकरिंग इनकम के भी साधन बन सकते हैं लेकिन एकदम आपको बहुत बड़ी प्रापर्टी मिल जाए, आप पर 650 करोड़ रुपए का कर्जा है, मैं समझता हूं केवल एक ही सोर्स से, 22 राजाओं के सोर्स से, राजस्थान का 613 करोड़ रुपए का जो कर्जा है वह वाइप आफ हो सकता है। आपके अन्दर रेवोल्यूशनरी स्प्रिट होनी चाहिए। मेरे हाथ में जोधपुर की राजदादी की ज्वेलरी की लिस्ट है। वह मेरे हाथों में आ गई। सैंकड़ों की संख्या में उनके आइटम्स थे। मैंने एक जौहरी से पूछा था कि इनकी क्या वेल्यू होगी और वह कह रहे थे कि इसकी वेल्यू 50 और 100 करोड़ के बीच में कहीं पर हो सकती है। एक राजघराने की राजदादी की लिस्ट इस प्रकार की हो तो फिर उस घराने की राजमाता, रानी, राजा इस तरह 22 घरानों की ज्वेलरी कितनी होगी? इस बात से आप अंदाजा लगायें। आपको इसके लिए सीरियसली प्रयत्न करने चाहिए। केवल पत्र लिखना ही काफी नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की, बार बार इस प्रश्न को उठाया तो आपने कहा हमनें 11 अप्रेल को भारत सरकार को पत्र लिखा है। एक मामूली सी बात पर, आपको टिकट मिला या नहीं, मैं इस बात को जानता हूं कि इस मंत्रीमंडल के सदस्यों को या दूसरे सदस्यों को कितने कितने दौरे दिल्ली के करने पड़े। इधर इतने बड़े सवाल पर आप केन्द्रीय सरकार से सीरियसली बात नहीं कर सकते थे, यह बात जचने वाली नहीं। इसलिए आप गम्भीरता से विचार करें। ज्वेलरी, इम्मूवेबल प्रापर्टी, लैंड यहां पर बार बार आपके सामने प्रश्न उठाए गए उधर के माननीय सदस्यों ने रखा है और हमारी ओर से वही प्रापर्टी जिसको आप आशा करते हैं कि आपकी है इसलिए आपने भारत सरकार को पत्र लिखा है, उस प्रापर्टी को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। यहां पर सब लोगों ने चिंता व्यक्त की, हमने मांग की कि इसको रोको। आपने यह कह कर टाल दिया कि हम रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट देंगे जरा शहरी सम्पत्ति पर सीलिंग कानून आने दो। आप उसको रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट भी दे देंगे वित्तमंत्रीजी तो भी जो बेचने वाले हैं जिनसे आप प्रापर्टी लेना चाहते हैं, वह उसको बेचकर खतम कर चुके होंगे और गरीब लोगों, जिन्होंने उनसे खरीदी है, से आप कुछ नहीं ले सकेंगे। आपने तो कुछ नहीं किया, हमने हमारे दल की ओर से प्राइवेट मेम्बर्स बिल भेजा है इस बिल को आप एन्फोर्स कर दो। उसमें हमने कहा है कि दो लाख से ज्यादा सेल होगी, दो लाख से ज्यादा प्रापर्टी होल्डर के द्वारा किसी भी इम्मूवेबल की प्रापर्टी को

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सेल होगी, सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारी के जरिए उसके द्वारा मंजूरी के बाद वह सेल हो सकेगी, मार्गेज हो सकेगी, और हमने आगे कहा है कि सिवा शादी, कर्जा चुकाने, बीमारी, शिक्षा के उनको सेल या ट्रांसफर करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। इस प्रकार का कानून आपने नहीं बनाया, आपके लॉ डिपार्टमेंट ने नहीं बनाया, हमने आपको बनाकर दिया, आपकी ईमानदारी इस बात से देखी जाएगी। अगर उसमें कुछ गलतियां हैं तो उनको दुरुस्त करिए। आप न खुद कानून लाना चाहते हैं और न दूसरे दें तो उसको मंजूर करते हैं। इनका सीधा मतलब है कि राजाओं के प्रति आपकी वही नीति, पुरानी नीति अभी तक लगातार जारी है और आप उसको जारी रखना चाहते हैं। आप हल्ला मचाते हैं और चोर दरवाजे से इजाजत दे रहे हैं कि खुले तौर से वे ले जायं।

इतना ही नहीं जो इसमें प्रॉपर्टी है पहले भी मैंने कहा, इस सूची में लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी आपकी है और आपने राजाओं को दे रखी है इतना हल्ला मचाने के बाद भी इस सदन में, एक महीना हो गया, हल्ला मचाते हुए, मैंने बताया, आपकी यह प्रापर्टी राजाओं के कब्जे में है, आपने उस पर कब्जा किया ? एक दिन मैंने अलवर के महाराजा के पास जो ज्वेलरी है, उसका जिक्र किया था कि सेरीमोनियल पर्पजेज के लिए है एक सप्ताह हो गया होगा, आपने कब्जे में लिया ? इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि आपकी नियत नहीं है। आपने कदम नहीं उठाए कलेक्टर तक को पत्र नहीं लिखा। यह बहस यहीं खतम हो गई, आपने इस संबंध में अलवर कलेक्टर को पत्र तक नहीं लिखा। यह है आपकी सीरियसनेस ? इसमें लिखा हुआ है. और इन्वेन्ट्री के अनुसार यह लिखा है

"Phool Bagh adjoining the wall of Mangal vihar:—

It is a State property. The plot in which the cenotaph of Raja Gangasinghji is situated will be treated as ancestral property."

इसके अनुसार कहीं पर भी जिनका जिक्र नहीं था, उन्हें इन राजा लोगों ने कब्जे में कर रखा है। अलवर दरबार के बेटे श्री प्रतापसिंह जी हैं जो कि पहले इलेक्शन में खड़े हुए थे उन्होंने एक कोठी फूल बाग में बनाली है। यह जमीन इनके नाम नहीं थी पर इन प्रतापसिंह ने यहां पर कोठी बनायी है। इस प्रकार राज्य सरकार ने करोड़ों रुपयों की प्रॉपर्टी को राजा महाराजाओं को दे दी है। यह अलवर जिले से आने वाले माननीय सदस्य जानते होंगे मैं इनवेन्ट्रीज के अनुसार कह रहा हूं। कि जो जमीनें इनके हिस्से में नहीं आयीं फिर भी इन राजा महाराजाओं को राज्य सरकार ने दे दी। सभापति महोदय, अलवर में चार पोलो ग्राउन्ड थे उसमें इसका जब बंटवारा हुआ व अलवर राजा को दो पोलो ग्राउन्ड दिये गये और दो पोलो ग्राउन्ड स्टेट के हिस्से में आये। पर थोड़े दिन बाद में यह पोलो ग्राउन्ड अलवर के महाराजा को लौटा दिये गये। इन पोलो ग्राउन्ड के बारे में लिखा है "Two polo

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

grounds of the right quality will be treated as ancestral property. The remaining two will revert to the State, and will be maintained as model agriculture farms. These two will also revert to the Maharaja as ancestral property if they are not required for use as demonstration farms."

आज दो पोलो ग्राउन्ड के अन्दर अलवर के महाराजा ने अपने लिये एक मॉडल एग्रीकल्चर फार्म बना लिया क्या राज्य सरकार इसे अपने पास नहीं रख सकती थी? राज्य सरकार ने इनको अलवर के महाराजा को सन् 1962 में क्यों लौटा दिये? यह मैं राज्य सरकार को पूछना चाहूंगा। आज आप इस तरह से राजा महाराजाओं को सहूलियतें दे रहे हैं, जो प्रापर्टी उनके हिस्से में नहीं थी उसे भी दे रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि हमारे ऊपर 613 करोड़ का कर्जा है। आज आप राजस्थान के विकास की बात करते वक्त इस तरह विकास कार्यों में बाधा डालते है कि पैसा नहीं है। आपको चाहिये था कि आप उन्हें प्लाट जो पोलो ग्राउन्ड थे नहीं देते और वे राज्य सरकार के पास काम आते। पर आपको अपनी स्टेट का विकास हो या नहीं हो इसकी परवाह नहीं इन राजा महाराजाओं को फायदा होना जरूरी है। मैं पूछना चाहूंगा राज्य सरकार से कि इस की क्या जरूरत पड़ी थी?

श्री सम्पतराम : ये तो जो भी हुआ है वह कवेनेन्ट के अनुसार हुआ है, और वह तो महाराजा और गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के बीच की बात है। इसमें राज्य सरकार क्या करेगी?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप तो मेरे ही हाथ मजबूत कर रहे हैं. क्योंकि राजस्थान सरकार को चाहिये था कि वह भारत सरकार से इस बारे निवेदन करती पर राजस्थान सरकार ने ऐसा नहीं किया। इसी प्रकार मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं कि किस प्रकार राजस्थान गवनमेंट ने राजा महाराजाओं को छूट दे रखी है। ऊपर से तो आप राजा महाराजाओं की खिलाफत की बात करते हैं और अन्दर ही अन्दर चुपचाप में आप बून्दी के महाराजा से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। ये आपकी एक्टीविटीज अपनी नीतियों के खिलाफ है। आज इन्वेन्ट्रीज में जो प्रॉपर्टी नहीं है उसको वो अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रहे हैं, पर आप उस बून्दी के महाराजा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि बून्दी के महाराजा ने मैजा तालाब के गांव तहसील हिन्डोली के अन्दर 649 बीघा 13 बिस्वा जमीन वहां के ऐरिया के पटवारी से मिलकर अपने नाम खाते में करवाली, और वहां पर जंगलों से लाखों मन लकड़ी काट काट कर बेच रहे हैं। यह उनकी एक्टीविटीज टेनेन्सी एक्ट के विरुद्ध है। आज सरे आम बून्दी से महाराजा उन जंगलों से बरसों से लकड़ी काट कर बेच रहा है पर टेनेन्सी एक्ट के वॉयलेशन करने पर भी कोई बून्दी के महाराजा के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा है। टेनेन्सी एक्ट के अनुसार लकड़ी काटने के लिये लाईसेन्स लेना पड़ता है पर आज बूंदी का महाराजा उसी तरह से लकड़ी काट रहा

(श्री रामानन्द अग्रवाल

है जिस तरह से वह अपने राज्य में काट सकता था, पर आज कोई कहने नहीं जा रहा है, कोई उसे लाईसेन्स को नहीं पूछ रहा है। आज इस प्रकार वह वॉयलेशन आफ दी टेनेन्सी एक्ट करके जो लकड़ी काट कर खुर्द बुर्द कर रहा है उसे इसी वक्त रोका जाना चाहिये। इसी प्रकार इस बून्दी के महाराजा ने कई हवेलियो पर और कई नोहरों पर व जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, और कई प्रॉपर्टी खुर्दबुर्द भी कर रहा है जो कि नाजायज है, इन्वेन्ट्रीज में जिसकी कोई एन्ट्री नहीं है, तो मैं पूछना चाहूंगा राज्य सरकार से की यह प्रॉपर्टी कहां से आई ? इस तरह से स्टेट की प्रॉपर्टी को इन राजा महाराजाओं को हड़पने देते हैं, स्टेट का रेवेन्यू गवां रहे हैं। आज बून्दी के महाराजा यह समझे हुये हैं कि जो प्रॉपर्टी मैं इस प्रकार अनलॉफुल तरीके से कब्जा किये हुए हूं वह भी शायद मेरी रेग्युलेराइज हो जायेगी। जिस प्रकार राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि इस तारीख से इस तारीख तक जो जमीन जिनके कब्जे में हैं उसे उसका पट्टा दे दिया जायेगा। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो इन्वेन्ट्रीज बनी थीं उसमें बून्दी महाराज की लिस्ट में नम्बर 1 से लेकर 30 तक ही है। और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी इसने हथिया रखी है वह नाजायज है। यह उसे मालूम होना चाहिये कि 31-12-71 तक जो लैण्डेड प्रॉपर्टी रेग्युलराईज होंगी उसमें तुम्हारी प्रॉपर्टी रेग्युलराईज नहीं होगी। मैं पूछना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी इन्वेन्ट्रीज में नहीं है वह कहां से आई तुम्हारे पास में ? पर खेद के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। इस प्रकार ये राजा महाराजा लोग अपनी जायज और नाजायज प्रॉपर्टी को खुदबुर्द कर रहे हैं। मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करूंगा कि इन्हें रोका जाय। आज आपके ऊपर जो 60 करोड़ से ऊपर का खर्चा है उसे आप इन्हीं लोगों की प्रॉपर्टी एक्वायर करके चुका सकते हैं। इनके पास इतनी ज्वैलरी है कि राजस्थान सरकार का कर्जा तो चुकेगा ही साथ ही विकास कार्य भी खुल सकते हैं, इन्डस्ट्रीज लगाई जा सकती हैं।

इसके अलावा एक बात और निवेदन करना चाहूंगा; सभापति महोदय, अलवर के अन्दर एक बेकन फैक्ट्री खोलने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया। उनको वहां पर बेकन फैक्ट्री खोलने का किसी ने नहीं कहा था। खैर, बेकन फैक्ट्री खुली तो वहां पर पिगेरी फार्म भी खोला गया। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों को सुनकर आश्चर्य होगा कि सन् 1967 से आज तक वह बेकन फैक्ट्री बन रही है जिसमें करीब 1 करोड़ 53 लाख रुपया खर्च हो गया है. पर प्रोडक्शन चालू नहीं हुआ है। वह बेकार पड़ी हुई है। आज वहां पर पिगेरी फार्म सन् 1961 से खुला था। करीब एक करोड़ रुपया इसमें भी खर्च हो गया पर वहां से राज्य सरकार को कुछ नहीं मिल रहा है और जो सुअर मंगाए गये थे अच्छी किस्म के उन्हें वहां पर एयर कन्डीशन जगहों में रखा जा रहा है। वहां पर सुअर काटने की मशीन आज तक नहीं आई है। आपने कारखाना लगाया, अ

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
मशीनें नहीं तो राज्य सरकार का इतना खर्चा क्यों कराया गया ? बेकन फैक्ट्री सन् 67 से बेकार पड़ी है कोई आपरेशन्स नहीं हो रहे हैं, और उस पिगेरी फार्म पर करीब एक लाख दस हजार रुपया प्रति मास खर्च किया जा रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं अभी समाप्त कर रहा हूं।

तो, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि बेकन फैक्ट्री बेकार पड़ी है, सुअर काटने की मशीनें नहीं है। और सरकार का एक लाख दस हजार रुपया प्रतिमास खर्च हो रहा है। तो मैं कह रहा था कि राज्य सरकार इन सभी चीजों को सीरियस नहीं ले रही है। अभी एनीमल हस्बेन्ड्री मिनिस्टर साहब बैठे हैं मैं पूछना चाहूंगा कि बेकन फैक्ट्री क्यों नहीं शुरू हुई है ? आज राज्य सरकार का तो यह ध्येय रहता है कि जितना पैसा भारत सरकार से प्राप्त हो सकता है उसे ले लो और उसको खर्च कर दो। चाहे उससे प्रोडेक्शन होता हो या नहीं, राज्य सरकार को इनसे लाभ हो रहा है या नहीं। इसकी फिक्र राज्य सरकार नहीं करती है। आज अलवर में जो फैक्ट्री है वह बेकार पड़ी है। वह फैक्ट्री फेल हो गयी है। इसके बारे में मैं, सभापति महोदय, आपके मारफत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इसके फेल होने के कारणों की जांच की जायें। सभापति महोदय, इसमें बहुत बड़ा स्केन्डल है। इसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि एक इन्क्वायरी बैठायी जाय, और इस इन्क्वायरी में हाउस को कॉन्फीडेन्स में लिया जाय और बाद में जांच करके पता लगाया जाय कि इन पिछले सालों में इतना खर्चा कैसे हुआ है ? उसका क्या जस्टीफिकेशन है ? आज हाउस के माननीय सदस्यों के रहने के घरों में कूलर नहीं होंगे पर वो पिगेरी फार्म में जो सुअर हैं उन्हें एयर कन्डीशन्ड कमरों में रखा जा रहा है। ऐसी क्या बात है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उन सुअरों के सुरखाब के पर लगे हुए हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर सरकार जो ये डिपार्टमेन्ट्स चलाती हैं, पब्लिक अन्डरटेकिंग्स चलाती हैं उसके प्रति भी जो आपका दृष्टिकोण है, जिस तरह चलाने का दृष्टिकोण है वह इस प्रकार का नहीं है कि जिससे आश्वासन मिल सके कि वास्तव में पब्लिक सेक्टर को बढ़ा कर उसको आमदनी का स्रोत बनाना चाहते हैं। राज्य पथ परिवहन, रोडवेज का मैं जिक्र करूं। आपने जिस तरीके से चेयरमैन साहब को बिठाया है, जो इस सदन के माननीय सदस्य थे, श्री ज्वाला प्रसाद जी शर्मा, आज आपने उनको नोटिस दिया है कि आप उस कॉर्पोरेशन को सुपरसीड करना चाहते हैं। 6 पॉइन्ट की चार्ज शीट भी आपने उनको दी है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब इस प्रकार के हालात बनें, तो एक दो दिन में तो ये हालत नहीं बनें, गवर्नमेन्ट के नोटिस में ये हालत थे। ज्वाला प्रसाद जी शर्मा की टर्म बढ़ायी क्यों गयी ? दुबारा एक्सटेंशन किस बिना पर दिया गया ? क्यों दिया ? क्या

Page No 80

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
कन्सोडरेशन्स से सरकार के सामने सरकार बताने की कोशिश करे । मैं निवेदन करूंगा कि सदन में इस मसले को कितनी ही बार लाया गया, सभापति महोदय, कि ये महाशय उस कॉर्पोरेशन से इन्ट्रेस्टेड थे । अपने निजी इन्ट्रेस्ट के लिये इस्तेमाल करें उसके सामने पब्लिक इन्ट्रेस्ट मुख्य नहीं हो सकता । एक मिसाल से आप समझेंगे कि श्री ज्वाला प्रसाद जी ने अपनी सफर के लिये, दो तरीके होते हैं या तो सरकारी वाहन में सफर करें ....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : संक्षेप में फरमायें ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : दो तीन मिनिट में समाप्त कर रहा हूं ।

यह निजी कार लें तो फिक्स्ड भत्ता ले लीजिये । श्री ज्वालाप्रसाद जी ने 15 हजार रुपया कर्जा लेकर अपने लिये एक एम्बेसेडर कार खरीदी । कार्पोरेशन ने उनके निजी कार के लिये यात्रा भत्ता मुकर्रर किया । इसके बावजूद श्री ज्वाला प्रसाद जी ने अगेन्स्ट दी रूल्स 3।। साल के अन्दर 50 हजार रुपये टी. ए. और डी. ए. के रूप में कार्पोरेशन से उठाये जो एक हजार रुपया माहवार का आता है । चेयरमैन के लिये हर समय एक एम्बेसेडर गाड़ी खरीदी गयी है । यह ज्वालाप्रसाद जी द्वारा सीधे तरीके से धन का दुरुपयोग है । अपने पर्सनल फायदे के लिये कॉर्पोरेशन को यूज किया उसके लिये उनको डिस्मिस किया जा सकता है, उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है और कार्यवाही की जा सकती है, लेकिन अब तक वे चेयरमैन बने बैठे हैं । आश्चर्य है एक माननीय सदस्य ने कहा था कि एक तरफ सरकार कॉर्पोरेशन को नोटिस देती है और दूसरी तरफ दूसरा चेहरा बना कर सरकार जवाब देती है । होम कमिश्नर नोटिस देता है और कॉर्पोरेशन में होम कमिश्नर मेम्बर है । ज्वाला प्रसाद जी के खिलाफ कॉर्पोरेशन के पैसे का दुरुपयोग करने के, अपोइन्टमेन्ट मे गड़बड़ियां करने के, खरीदों में गड़बड़ घोटालों के लाखों रुपये के केसेज यूनियन ने सरकार को दिये हैं और सरकार उसको दबाये बैठी है । कर्मचारियों की हालत यह है कि दो सौ रुपया देकर कन्डक्टर अपोइन्ट करा लेता है और दो महीने बाद दूसरा अपोइन्ट कर लिया जाता है । माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि एपॉइन्टमेन्ट, एडहॉक एपॉइन्टमेन्ट, टेम्परेरी या परमानेन्ट एपॉइन्टमेन्ट नहीं । इस तरीके से वहां पर काम चल रहा है । इतना ही नहीं श्री ज्वाला प्रसाद जी ने चेयरमैन का नाम लेकर जयपुर शहर में 50 हजार की बावड़ी, ज्वाला प्रसाद एन चेयरमैन दरख्वास्त देकर 25 रुपये में एलॉट करवाली । पचास हजार की जायदाद 25 रुपये में । मुझे पता नहीं इस सदन में मामले को लाया गया, उसको दबाया गया, गंगारामजी डिप्टी रेवेन्यू मिनिस्टर थे उनके पास कलेक्टर ने रिपोर्ट भेजी कि इसको कैंसल कर दिया जाय लेकिन भूतपूर्व मुख्य मंत्री सुखाड़िया और द्वारा कैंसल नहीं की गयी और उसको दबाये रखा गया । अब क्या हुआ, मुझे इसकी जानकारी नहीं है । मैं समझता हूँ कि उसको कैंसिल किया जाना चाहिये जो

Page No 81

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उत्तर में उतायेंगे कि कैंसल किया है या नहीं।

कॉर्पोरेशन के एम्प्लाई ज्वाला प्रसाद जी ने फार्म खरीदा, स्टाम्प कितना दिया था, लिखवाया और खरीदा कितने में? यूनियन ने मेमोरेन्डम में दिया है कि जो कर्मचारी तनख्वाह कार्पोरेशन से पाते थे और काम ज्वाला प्रसाद के फार्म पर करते थे, यदि इन्क्वायरी बिठायें तो जिन्होंने खुद ने फार्म पर काम किया वे बताने के लिये तैयार हैं। पता नहीं सरकार ज्वाला प्रसादजी को कार्पोरेशन में क्यों बिठाये हुए है? इतने संगीन इल्जाम होते हुए भी उनको डिस्मिस नहीं किया और उन पर मुकदमा नहीं चलाया? इतने संगीन इल्जाम! मैं समझता हूं और कोई होता तो जेल के सींकचों में होता। बच नहीं सकता। अब भी सरकार निश्चित इन्क्वायरी ज्वालाप्रसादजी के खिलाफ बिठा दे, जेल से बच नहीं सकता है, कार्पोरेशन के पैसे का दुरुपयोग, गबन के मामले, सरकारी पैसे से ऑफिशियल पोजिशन बनाना। अन्त में यही कह सकता हूँ कि ये ऐसे मामले हैं जो दिमाग में शंका पैदा करते हैं उन पर भी सरकार नही चाहती इन्क्वायरी कराना।

अन्त में एक बात कह कर खत्म करूंगा। 4 करोड़ का टैक्स लगाया। मेरी पार्टी के दूसरे सदस्यों ने कहा अरबन टैक्स 64 से वसूल होना चाहिये था, 20 लाख की आमदनी आंकी गई थी अगर टैक्स वसूल होता तो उससे जो आमदनी हो सकती थी वह 1 करोड़ हो सकती थी और 65 से भी वसूल करें तो 5 करोड़ की आमदनी केवल उस अरबन लैंड टैक्स से वसूल हो सकती है। वित्त मंत्री महोदय अपने जवाब में यह बताने की कोशिश करें कि आज तक इसको वसूल क्यों नहीं किया गया?

श्री सभापति : संक्षेप में।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कर्मशियल और इन्डस्ट्रियल प्रापर्टीज पर टैक्स लगाने के मामले को कोल्ड स्टोरेज में क्यों रख दिया गया है? प्रापर्टी के नाम पर टैक्स वसूल होना चाहिये था। गरीब लोगों पर भार डालते जा रहे हैं उल्टा, जब कि भार उन लोगों पर डालना चाहिये जो उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री श्रीनिवास शारदा!

श्री श्रीनिवास शारदा (निम्बाहेड़ा) : सभापतिजी, विनियोग विधेयक के संदर्भ में मैं भी अपने चन्द सुझाव प्रस्तुत करना चाहूंगा। 607 करोड़ रुपये का इस वर्ष के लिये आय–व्यय का प्रावधान है। दरअसल जो बजट के प्रावधान हैं उनसे कभी ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि जो बुद्धिजीवी और श्रमजीवी के बीच का अन्तर है और उसके दरमियान एक लम्बी खाई है वह खाई किस सीमा तक पाट सकेंगे? मैं समझता हूं जहां तक गरीबी का सवाल है मूल में यह निश्चित बात है कि श्रमजीवी और बुद्धिजीवी का अन्तर या बीच की खाई नहीं पाट सकें तब तक इस गरीबी का दिग्दर्शन होता रहेगा।

वैसे तो बजट के जितने भी मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाय तो काफी लम्बे चौड़े वक्त की जरूरत होगी और इसके कई मुद्दों पर

(श्री श्रीनिवास शारदा)
अन्य माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये हैं लेकिन मैं शिक्षा के विषय में अपने अनुभवों के आधार पर कुछ निवेदन किया चाहता हूँ। एजूकेशन का एक ऐसा सिलसिला है कि हिन्दुस्तान की आजादी के बाद भारत के राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, प्रदेश के मुख्य मंत्री, शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा शास्त्री अथवा देश के विचारक शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की बात किया करते हैं। बड़े लम्बे अर्से से इस प्रकार की चर्चायें सुनने में आती हैं लेकिन इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी ऐसी शिक्षा जो देश में बेकारी और बेरोजगारी बढ़ाती जा रही है हम उसी को पालते रहे तो दोष किसको दें ? आखिर कौन करेगा ? क्या भगवान आसमान से उतर कर या अल्ला मियां आसमान से उतर कर इस प्रणाली को बदलेंगे या शिक्षा के दोषों को दूर करेंगे ? शिक्षा का प्रसार हुआ है इसमें कोई शक नहीं। हमने इस वर्ष भी लगभग 1 हजार प्राईमरी स्कूल और एक हजार मिडिल स्कूल खोलने की बात कही है, लेकिन मैं एक निवेदन किया चाहता हूँ कि शिक्षा का प्रसार हो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर क्वान्टिटी के नजरिये से उसको आंकें तो मैं समझता हूँ कि न्याय नहीं हो पायेगा, अन्याय होगा। क्वान्टिटी के साथ साथ क्वालिटी को भी वाच करने की बड़ी आवश्यकता है।

आज का पढ़ा हुआ युवक चाहे वह ग्रेजुएशन कर ले, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, हायर सेकेन्डरी पास हो जाये मैं समझता हूँ कि बावजूद इसके कि पहले से किताबों का भार आज के साधारण से क्लास के विद्यार्थी के ऊपर बढ़ा है फिर भी उसमें इतनी कमियां पाई जाती हैं कि इन वर्षों में हमने शिक्षा के दृष्टिकोण से इतनी प्रगति की है कि व्याकरण को लुप्त कर दिया, ग्रामर नाम की कोई चीज नहीं है, हैंड राइटिंग की दिशा में जायें तो यह मालूम पड़ता है कि आज का ग्रेजुएट है उसको अगर डिक्टेशन दिया जाय तो कागज के ऊपर कीड़े मकोड़े लिख देगा। तो जो खास खास बातें हैं उनकी ओर भी हमने ध्यान नहीं दिया और क्वान्टिटी के दृष्टिकोण से हम बढ़ते गये कि इस साल कितना पर्सेन्टेज हम और आगे बढ़ गए शिक्षा की दिशा में, लेकिन जितने शिक्षण प्राप्त छात्र निकले वह देश के लिए या अपने कुटुम्ब के लिए उपयोगी सिद्ध हुए या नहीं इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया है। तो वह आमूलचूल परिवर्तन की बात जब हम किया करते हैं तो यह तो ऐसी बात हुई कि हम अपने आपको कोसना चाहते हैं। करना-धरना कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि यह अपने आपकी शिकायत है। इस दिशा में निश्चित ही हमको ठोस कदम उठाने चाहिये अन्यथा क्वान्टिटी बढ़ती जायेगी और क्वालिटी घटती जायेगी। क्वालिटी घटती जायेगी तो देश के कल्याण में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो जायेगी। मेरा सुझाव है कि सरकार आने वाले वर्षों में बमुकाबले कि डिग्री कालेजेज बढ़ायें, पोस्ट ग्रेजुएट कालेजेज बढ़ायें उसके बजाय यह लक्ष्य ले कि टैक्नीकल इन्स्टीट्यूट्स मसलन आई. टी. आई. वगैरह की संख्या में वृद्धि करें और जैसे जैसे विद्युत का, इन्डस्ट्रीज का प्रचार और प्रसार हो रहा है उन इलाकों के अन्दर ऐसे इन्स्टीट्यूट्स को ज्यादा कायम करने की जरूरत है।

(श्री श्रीनिवास शारदा)

एक हमारी शिक्षा में हमें बहुत बड़ी कमी नजर आती है। आम तौर पर शहर का रहने वाला आदमी हो, गांव का रहने वाला आदमी हो, कस्बे का रहने वाला आदमी हो क्योंकि 80 प्रतिशत लोग देहात में निवास करते हैं, लिप सिम्पैथी ही कहना चाहिए उसे कि हम देहात को बात आम तौर पर ज्यादा किया करते हैं लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या हमने तालीम के लिहाज से उसको रूरल बेस्ड बनाया है? आज का विद्यार्थी चाहे गांव का रहने वाला हो वह अपने गांव में जाकर खेती करने की उसकी कामना नहीं रहती है अर्थात् कृषि के स्नातक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह कृषि में विकास करेगा चाहे उसको सरकार अपने पास रख सके या न रख सके लेकिन वह अपने पूर्वजों या बाप के पास जितनी उसकी होल्डिंग है उसके ऊपर जाकर कुछ न कुछ परीक्षण कर प्रोडक्शन प्रोग्राम में उपयोगी सिद्ध होगा, लेकिन यह सम्भव नहीं है। आज देहात का लड़का जयपुर, अजमेर या जोधपुर जैसे शहर में बैठ कर तालीम हासिल करे तो प्रातः उठते ही उसे होटल चाहिए और रात को सोते समय सिनेमा चाहिए और इन दो बातों से वह प्रेरणा लेता है। आज देहात में ऐसे इन्स्टीट्यूशन्स लोकेट हों तो मेरे ख्याल से सुबह उठते ही सूर्य के दर्शन करे और शाम को चन्द्रमा के दर्शन करे और किसानों को खेत में हल हांकते देखे, उससे प्रेरणा ले तो रूरल बेस बन सकता है लेकिन महज वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स को सेफगार्ड करने की गरज से या लोगों की सुख सुविधाओं की गरज से जहां जिस संस्था का लोकेशन उपयोगी होता है वह हम नहीं कर पाते। यह बहुत बड़ा भयंकर दोष है हमारी शिक्षा-प्रणाली में और हमें अपने दृष्टिकोण में चेन्ज करना पड़ेगा।

इसके अलावा कुछ वर्षों पहले सिनेमाटोग्राफी के जरिये से तालीम देने की बात चली थी लेकिन वह इतनी ज्यादा कीमत की पड़ती थी कि उनका ख्याल ही हमने भुला दिया अन्यथा मेरी ऐसी मान्यता है कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइन्स के प्रयोग अगर सिनेमाटोग्राफी के जरिये से हों तो मैं समझता हूं कि ऐसे विद्यार्थी जिनकी बुद्धि परिपक्व नहीं होती और जो सीखने की गरज से आते हैं स्कूलों में जाते हैं, बहुत से ऐसे विषय हैं जिनमें उनको कमजोरी महसूस होती है आम तौर पर ऐसे घन्टों में वह क्लास के बाहर चले जाते हैं···

श्री लूनाराम : कोरम नहीं रहा।

(गणपूरक घंटी)

श्री श्रीनिवास शारदा : तो, सभापतिजी, मैं निवेदन कर रहा था कि सिनेमाटोग्राफी के जरिए से अगर सिनेमाटोग्राफी के सिस्टम को तालीम में प्रयोग किया जाय तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा।

इसके अलावा आज की तालीम··

(समय–समाप्ति–सूचक–घण्टी)

सभापति महोदय मैंने तो शुरू ही किया है।

श्री सभापति : दस मिनिट का टाइम है हर माननीय सदस्य के लिए।

श्री श्रीनिवास शारदा : मैं किसी और माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि मेरी खातिर वह न बोलें।

श्री सभापति : हर पार्टी का टाइम मुकर्रर है।

श्री श्रीनिवास शारदा : मैं तो कांग्रेस पार्टी से बोल रहा हूं।

श्री सभापति : आप जल्दी समाप्त करें।

श्री श्रीनिवास शारदा : मैं, सभापति महोदय, निवेदन कर रहा था कि आज के जमाने में हिन्दुस्तान की आजादी के पहले से एक प्रक्रिया चली आई कि जब जब आन्दोलन हुए विद्यार्थियों ने आन्दोलन किया, मजदूरों ने आन्दोलन किया, साथ दिया देश की प्रतिनिधि पार्टी का और सफलताएं प्राप्त हुईं। तो मैं कहता हूं कि वही प्रक्रियाएं आज के जमाने में यह हड़ताल और एजीटेशन्स यह कुछ अंशों में समाज के साथ न्याय दिला पाते हैं तो कुछ अंशों में या किसी माने में यह देश के लिए अनुपयोगी भी सिद्ध होते हैं। आज आम तौर पर जरा सी बात पर स्कूलों में ही विद्यार्थी हड़ताल कर बैठेंगे। यह उनका दोष नहीं है, यह सोसायटी का दोष है और फिर थोड़ा सा दोष इस बात का भी है कि हमने संसदीय प्रणाली स्कूलों में लागू की है। निश्चित ही हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो संसदीय प्रणाली लागू करने के बारे में मैं विरोधी नहीं हूं, मैं उसके पक्ष का हूं, लेकिन उस प्रणाली में भी कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, उसके चुनाव आदि के कार्यक्रमों में। आम तौर पर एजीटेशन में वे विद्यार्थी आगे आते हैं कि जिनका स्टूडेंट केरियर उठा कर देख लीजिए कि बड़ी तकलीफ की, बड़ा जोर लगाया तो थर्ड-डिविजन में पास कर लिया, वह भी दो तीन बार फेल होने के बाद। जो अच्छे केरियर के विद्यार्थी हैं, चूंकि उनके दिमाग में एक ही लक्ष्य होता है कि स्टूडेंट का केरियर कामयाब होना चाहिए, उनकी दोस्ती किताबों के साथ रहती है। उनकी अच्छी सोसाइटी होती है तो वह किनारा करते हैं एजीटेशन वगैरा से लेकिन मजबूरन दराज बहुमत की नियत खराब हो तो नेकनियत को भी उसके साथ होना पड़ता है अपने आपको बचाने की गरज से। इस संसदीय प्रणाली के बारे में मेरा यही निवेदन है कि हम इसको लक्ष्य में लें और ऐसे विद्यार्थियों को जिनकी स्टूडेन्ट लाइफ या जिनका स्टूडेन्ट केरियर उत्तम हो, चुनाव में खड़े होने और वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। जिन विद्यार्थियों का स्टूडेन्ट केरियर ठीक नहीं हो उन्हें मतदान अथवा कन्टेस्ट करने से डिबार करना चाहिए तो मैं समझता हूं कि किसी सीमा तक सुधार हो जाएगा और कुछ विद्यार्थियों को हिदायत भी मिलेगी, वह एक प्रकार की सजा है। आज के जमाने में केनिंग नहीं कर सकते, रेगिंग नहीं कर सकते।

इसके अलावा, सभापतिजी, एजूकेशन डिपार्टमेंट में बहुत बड़ी कमी यह आई, मेरी ऐसी मान्यता है कि चाहे कोई आदमी कितना ही खराब नियत का हो लेकिन एजूकेशन डिपार्टमेन्ट एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जिसमें ऊपर की आमद के बहुत कम चांसेज हैं। तो बड़ी मजबूरवराज में ही आदमी या तो भर्ती होना चाहेगा एजूकेशन

(श्री श्रीनिवास शारदा)

डिपार्टमेंट में या कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में। ये दो महकमे ऐसे यतीम हैं कि जिसको दुनियां में कहीं नौकरी नहीं मिले उसको एजूकेशन डिपार्टमेंट में नौकरी मिलती है। इसलिए यहां कम चांसेज हैं। एक सैकिंड ग्रेड अध्यापक मजबूरी में बनने से किसी कलेक्टरेट का बाबू बनना अच्छा होगा।

(समय-समाप्ति सूचक-घण्टी)

श्री सभापति : आप संक्षेप में कहें।

श्री श्रीनिवास शारदा : मैं बहुत मजबूर हूं, सभापतिजी। कोशिश करूंगा।

श्री सभापति : संक्षेप में फरमावें।

श्री श्रीनिवास शारदा : छोटे-छोटे सुझावों के साथ खत्म करता हूं।

इस प्रकार जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की कोई प्रॉब्लम, प्राब्लम नहीं है। यदि इसको सही ढंग से और ईमानदारी के साथ सोचा जाय तो आजकल में नहीं, चन्द वर्षों में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। अक्सर यह देखा गया है कि एक परिवार में चार लड़के, चारों को एम्पलायमेंट, चाहे वह परिवार वेल-आफ हो। एक परिवार में तीन लड़के हैं चाहे वह परिवार गरीबी में हो, तीनों लड़के अनएम्पलॉयड। उस सम्पन्न परिवार में पांचवां आदमी पैदा हो गया तो उसकी नियुक्ति के लिए ज्यादा चांसेज हैं बमुकाबले उस गरीब परिवार के। आवश्यकता इस बात की है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट की दिशा में कुछ ऐसे पैमाने तय करें कि वाकई कौन जरूरतमन्द है। जिस प्रकार से हमारी जमीन की पॉलिसी है, भूमिहीन की परिभाषा बड़ी व्यापक है। हर एक भूमिहीन है। मैं भी भूमिहीन हूं। जो फुटपाथ पर बैठा है वह भी भूमिहीन है। तो साफ निर्णय कर दिया जाय कि टिलर ऑफ दी सॉइल, वाकई जो लोग जमीन के साथ खेल सकते हैं उनको ही जमीन उपलब्ध होगी, हुई है बहुतसों को, मैं एकदम इतना उदासीन नहीं हूं कि भूमिहीन भूमिहीन ही रह गया। हजारों, लाखों को उपलब्ध हुई है, लेकिन ज्यादा बेनिफिट मिल सकता था इसको व्यापक रख कर, उतना बेनिफिट उन लोगों को नहीं मिला। इसी प्रकार हमारी एम्प्लॉयमेंट की पालिसी है। मैं यह निवेदन किया चाहता हूं कि हम फाल्स इकोनॉमी और फाल्स प्लानिंग इसकी ओर न जाकर सही दिशा अगर अख्तियार करें तो समस्याओं का समाधान हो सकता है।

इसी प्रकार हमारा प्रोडक्शन प्रोग्राम है। इसमें कोई शक नहीं कि काफी जमीनें आबाद हुई हैं। काफी जमीनों को दुरुस्त किया है, बिजली वगैरा की व्यवस्था हुई है, नहरें आई हैं, प्रोडक्शन भी काफी अच्छा बढ़ा है। जहां आजादी से पहले बारानी जमीनों पर दो तीन मन पैदा करते थे आज वहां तीन क्विन्टल पैदा कर लेते हैं। खाद वगैरा का उपयोग करना भी सीखे हैं, लेकिन फिर भी जो इसके पूरे रिटर्न, पूरे रिजल्ट हम उपलब्ध कर सकते थे वह नहीं कर पाए। प्रोडक्शन प्रोग्राम जो हमारा है अभी भी इसको ठीक से इम्प्लीमेंट करने की गुंजाइश है। इसमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। एग्रीकल्चर

(श्री श्रीनिवास शारदा)
डिपार्टमेंट अपना अलग, इर्रीगेशन अलग, इलेक्ट्रिसिटी अलग और फाइनेंसिंग एजेंसीज अलग। इन चारों का तालमेल नहीं होने की वजह से जो रिटर्नस्, अर्ली रिटर्नस् जिनकी अपेक्षा की जाती है यह उपलब्ध करने से वंचित रहे हैं। तो मेरा निवेदन यह था कि प्रोडक्शन प्रोग्राम में जितनी एजेन्सी इन्वाल्ब्ड होती हैं उन सबकी एक कोआर्डिनेटिंग कमेटी बननी चाहिए। वह कोआर्डिनेशन कमेटी जो होगी उसका काम होगा कि जिस इलाके को पानी की नहर जाती है उस इलाके को अगर आज के दिन बिजली नहीं दी जाएगी तो प्रोडक्शन प्रोग्राम सफल नहीं होगा। जो इलाका पोटेंशियल है उस इलाके के अन्दर इर्रीगेशन नहीं है और पानी है, उस इलाके को बिजली दे दी जाय तो प्रोडक्शन प्रोग्राम के लिए हैल्पफुल होगा।

(समय–समाप्ति-सूचक अनवरत घण्टी)

श्री **सभापति** : आप समाप्त फरमावें।

श्री **श्रीनिवास शारदा** : थोड़ा दारूबन्दो पर भी बोल लूं। पॉइन्ट ही बोल देता हूं।

श्री **सभापति** : आप पॉइन्ट ही फरमा दें।

श्री **श्रीनिवास शारदा** : सभापति जी, समय की कमी है और मुझे कुछ निवेदन ज्यादा करना है। अन्त में मैं कुछ बातों को छोड़ कर दो पॉइन्ट्स पर निवेदन करना चाहता हूं और मैं यह अपेक्षा करता हूं कि आप उदारतापूर्वक चार पांच मिनिट ज्यादा भी हो जावें तो क्षमा फरमावें।

बजट भाषण जो वित्त मंत्रीजी ने दिया उसे हमने पढ़ा। उससे संकेत मिला। पता नहीं उन्होंने किस आधार पर राजस्थान के 16 जिलों को उद्योगों की दृष्टि से बैकवर्ड माना जबकि मैं ऐसा मानता हूं और मैं इसे सिद्ध कर सकता हूं कि चित्तौड़गढ़ जिला जिसमें 14 तहसीलें हैं और लगभग 8 लाख को पापुलेशन है उस जिले को नजरअंदाज किया गया है, और उसको इन्डस्ट्रियली फारवर्ड समझा गया जबकि मेरे ख्याल में वह काफी पिछड़ा हुआ है, और न वहां पर कोई उद्योग हैं। जो बड़े उद्योग हैं वे एक दो हैं और प्राइवेट हैं। चित्तौड़ ऐसा ऐतिहासिक स्थान है जिसका राजस्थान के इतिहास से सम्बन्ध है और चित्तौड़गढ़ राजस्थान का गौरव है। अच्छा टूरिस्ट सेन्टर चित्तौड़ बन सकता है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि हमारे टूरिस्ट डिपार्टमेन्ट टूरिज्म के पाइन्ट आफ व्यू से काम करने में अकर्मण्य रहा है अन्यथा बड़ी बड़ी दूर से लोग, इतिहास के ज्ञाता वहां पर आते हैं और जिन्होंने इतिहास को पढ़ा है वे चित्तौड़ में आकर प्रेरणा लेते हैं। मैं निवेदन करना चाहता था कि फर्टीलाइजर प्लान्ट को योजना राजस्थान में है और जिसकी भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है, उसके लिये एक्सपर्ट ने भी चित्तौड़ को हर दृष्टिकोण से उपयोगी बताया है, डिपोजिट्स के लिहाज से, मिनरल्स के दृष्टिकोण से, और जो आवश्यक है, पानी गरज कि जितने भी तत्व फर्टीलाइजर के दृष्टिकोण से चाहिये, वे सब चित्तौड़ के निकट उपलब्ध हैं। चित्तौड़ रेलवे स्टेशन है।

(श्री श्रीनिवास शारदा)

तो मैं समझता हूं कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। यह एक ऐसा जिला है जिसकी अच्छी खासी पापुलेशन है और वह इन्डिस्ट्रयली नजर अंदाज रह कर बेकवर्ड न रह जावे।

दारूबंदी के सम्बन्ध में हमारे वित्त मंत्रीजी अपनी कठिनाइयां प्रस्तुत करते हैं। अन्यथा मैं समझता हूं कि हमारे वित्त मंत्रीजी दारूबन्दी के हामी नहीं हैं। एक बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिये। ऐसी एक आमदनी जो गरीबों को तकलीफ देती है और दीन को दैत्य बना देती है, मैं समझता हूं कि उस बुराई को निकालने के लिये चाहे हमें घाटे से गुजरना पड़े, कोई न कोई ऐसा कदम अख्तियार करना चाहिये कि दुनिया में एक विश्वास बने कि हम इस में कुछ न कुछ करने जा रहे हैं। करने के लिये बहुत काफी है। दारू का मैं समझता हूं जब से गारन्टी सिस्टम लागू किया उसकी डोर टू डोर सप्लाई शुरू हो गई है। आदिवासियों को जबर्दस्ती पिलाई गई और नहीं लेने पर थानेदार ने उनको परेशान किया।

श्री सभापति : जल्दी समाप्त करें।

श्री श्रीनिवास शारदा : मैं चाहता था कि दो मिनिट में सुझाव दे देता। दारूबन्दी पर...

श्री सभापति : काफी वक्त ले लिया है आपने।

श्री श्रीनिवास शारदा : अगर सरकार वाकई दारूबन्दी की हामी है तो दारू पीने वालों के लिये नियमित राशनकार्ड बना दे और उनको लाइसेन्स दे दे। हमें भी पता रहेगा कि हमारे प्रदेश में ऐसी कितनी शकलें हैं जो दारू के नियमित ग्राहक हैं...

श्री केदारनाथ : मंत्री क्या करेंगे ?

श्री सभापति : इस तरह से वक्त जाया होता है, माननीय सदस्य।

श्री श्रीनिवास शारदा : जहां पर लेबर क्लास के लोग रहते हैं, वहां से और शहरों और कस्बों के चौराहे पर जो दुकाने हैं, उन दुकानों को वहां से कतई बन्द कर दिया जाना चाहिये और किसी एक तरफ उनको ले जाया जाना चाहिये और यह ज्यादा अच्छा होगा कि उनको थानों के नजदीक लोकेट कर दें ताकि दारू पीये हुओं को दफा 34 में बन्द करने में सहूलियत रहे। तो ऐसा है कि दारूबन्दी को हमें नैतिक मूल्यों के साथ जोड़ देना चाहिये कि ऐसा काम जिससे नैतिक मूल्यों के निर्धारण में अवरोध सिद्ध होता है, उस काम को बन्द करने में तत्परता करनी चाहिये। मैं गोकुल भाई भट्ट के आमरण अनशन के कारण से चिंतित हूं। इस बारे में सदन के सारे माननीय सदस्य चिन्तित हैं और मेरी भी उनके साथ हमदर्दी है। हमें निश्चित ही कोई एक रास्ता निकाल कर ऐसा कदम अख्तियार करना चाहिये जैसे कि हम कोई शुरूआत करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि वे भी संजीदा आदमी है। उन्होंने मुल्क को राह दी है, पथ-प्रदर्शन किया है, देश के निर्माण में योगदान दिया है। तो इसमें सरकार कोई इनीशियेटिव ले। लोगों को लाइसेन्स दे, उससे करोड़ों रुपये आ जायेंगे। इसमें आपको दिक्कत क्या है ?

श्री सभापति : मैं निवेदन करूंगा कि आप जल्दी समाप्त करें।

श्री श्रीनिवास शारदा : मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री लूणाराम।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : सभापति महोदय, आज जो कर लगाये गये हैं उन करों के बारे में जरा निवेदन करना चाहता हूं। सबसे पहले तो जो अनाज पर कर है, बाजरा, गवार, ज्वार, मकई, ऐसे अनाज पर कर लगाया है, यह वास्तव में उन लोगों पर है जो उसे पैदा करते हैं और वे ही खाते हैं। बड़े आदमियों का इससे कोई वास्ता नहीं है, लेनदेन नहीं है। दूसरी बात जेवरात पर कर का है। कर लगे, ठीक है पर ऐसे जेवरातों पर कर लगाया गया है जिनको कि गरीब आदमी पहनते हैं। अकाल के समय में या अन्य जगह रखने के लिये उनके पास जगह नहीं है और छोटे-मोटे जेवरात बना लेते हैं उन पर कर लगाया है, यह शोभा की बात नहीं है। इस प्रकार ट्रैक्टर और ट्राली पर भी कर लगाया गया है। यह सीधा उस किसान पर हो कर है जो जमीन से अधिक पैदावार करना चाहता है। वस्तु-स्थिति यह है कि आज 80 प्रतिशत लोग गांवों में बसते हैं और उन लोगों पर सीधा कर लगता है कि जिनके कि प्रतिनिधि बन कर हम यहां पर आये हैं। आज मिठाई की बात लीजिए, उस पर कर लगाया गया है। यह भी कर ग्रामीणों और हमारे माध्यम से आयेगा। ग्रामीणों की तरफ से कुछ हम आप लोगों को सुझाव दे सकते हैं और दूसरे नहीं। करों से हम घबराने वाले नहीं हैं। कर हमेशा से हम देते रहे हैं। यह हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। भू-राजस्व कर और अन्य हर प्रकार के जितने भी टैक्सेज होते हैं वह सारे उत्पादकों पर लगते हैं, चाहे कृषि का उत्पादन करते हों या उद्योगों में उत्पादन होता हो आखिर में जाकर वह कर हमको ही देने पड़ते हैं, और हम हमेशा से देश के लिए देते आये हैं। पर वस्तुस्थिति यह है कि कम से कम जो हमारी हालत है, आज गांवों के अन्दर बसने वाले लोगों के लिए कितनी सुविधाएं हम पहुंचाते हैं, और उनकी सुविधाओं के अन्दर किस प्रकार से हम कर रहे हैं जिससे हम राज्य को इन करों को देने के लिए तैयार हो जायें।

आज गांवों के अन्दर एक तो सबसे बुरी चीज जो फैल गई है, वह शराब है। कोई भी बस स्टेण्ड देखें, रेलवे स्टेशन को देखें या ग्रामों के बीच में देखें तो जगह जगह शराब की बोतलें खुली पड़ी हैं और एकदम छूट है। एक जगह के लिए ठेका होता है और ठेकेदार गांव के अन्दर सैंकड़ों की तादाद में बोतलें पहुंचाते हैं। एकदम छूट है और कैसा ही आदमी शराब पीकर बदकारी करे तो उसको रोकने वाला नहीं है। हालांकि सामन्ती टाइम में शराब पीता था एक आदमी तो उन लोगों के लिए एक अंकुश होता था, और ऐसे स्थान पर जाकर शराब पीते थे कि वहां पर किसी का आना जाना नहीं होता था, लेकिन आज कोई रोक नहीं है और चाहे मन्दिर हो, धर्मशाला हो इसका बोलवाला है आज। आज बेरोजगारी फैलाने के लिए गांव-गांव में यह मिलती है और दूसरा हमें मिलता है परिवार नियोजन,

(श्री लूणाराम)
जिसके लिए आज सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। इससे परिवार नियोजन हुआ या नहीं हुआ है या यह चीज कितनी प्रिय है या अप्रिय है उसके बारे में माननीय सदस्यों से इतना सा ही निवेदन करूंगा कि आप छाती पर हाथ रखकर विचार करें कि क्या हम परिवार नियोजन के लिए तैयार हैं या नहीं हैं ? इस चीज के लिए हम साक्षी स्वयं हैं। आज किसी भी बड़े आफिसर, मंत्री, एम.एल.ए. या अन्य नेता के घर जाकर देखिये तो बच्चों की जेट की जेट मिलेगी और किसी ने परिवार नियोजन नहीं करवाया है। फिर आप विचार करिये कि हम परिवार नियोजन के लिए 15 रुपये का प्रलोभन देकर उन गरीबों का करते हैं जो कि मेहनत से जीना चाहते हैं। देखिये बात यह कि इससे जो हानि होती है वह तो होती ही है, इसके साथ-साथ गांव की जो सभ्यता है, जो शिष्टाचार, जो अपने पड़ौसी के प्रति आदर की भावना होती है तो उन भावनाओं को जो इस प्रकार के नारे जगह जगह लगाते हैं "हम दो हमारे दो, अब नहीं कभी नहीं" उनमें से पहुंचती है। न मालूम कितने ढंग से ऐसी चीजें सामने लाकर गांवों में उच्छृंखलता ला रहे हैं। उनका परिणाम यह आ रहा है कि जहां हम एक तरफ परिवार नियोजन करना चाहते हैं वहां दूसरी तरफ

(गणपूरक घंटी)

कामुकता को बढ़ावा देने वाले व्यवहार से परिवार नियोजन के बजाय परिवार की बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मेरा यह सुझाव है कि इस परिवार नियोजन पर खर्च होने वाली राशि जो आज इस प्रकार से जगह जगह पोस्टर लगाकर वर्तमान में जो प्रचार की व्यवस्था पर खर्च किया जाता है इसको बदलिये। अगर वहां पर परिवार नियोजन करना है तो शिक्षा के द्वारा, धार्मिक संस्कार के द्वारा करिये। नये प्रकार से उसकी शिक्षा की आवश्यकता है न कि इस प्रकार के प्रचार की। तो आज माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि शराब खोरी और परिवार नियोजन ने जो ग्रामीणों का आपस में जो शुद्ध व्यवहार था उसको झकझोर दिया है और इस चीज के लिए बाध्य कर दिया है कि हर प्रकार की बुराइयों को वे पकड़ें।

जो आमदनी के उनके सोर्स हैं उन पर हर तरह का दबाव है। वह इस रूप में है कि आये साल का अकाल और अकाल के कारण किसान हो या मजदूर ग्रामों में बसने वाला जो भी हो वह इधर-उधर चक्कर खाता है। किसान के अकाल हो जाता है और अकाल राहत काम के लिए मांग करते हैं तो उत्तर यही मिलता है कि सरकार के पास में पैसे का अभाव है। एक तरफ तो मजदूरी चाहते हैं, भीख नहीं चाहते हैं, लेकिन वह भी नहीं देते हैं। अकाल के समय में जहां तक नजर पहुंचती है मजदूरी नजर नहीं आती है, और जब वह यह मांग करता है तो उसको वह मिलने की सम्भावना नहीं है। दूसरी तरफ उसका फसल चाहे वह किसी मुसीबत से उसको करे और जब वह फसल नष्ट हो जाती है या फसल में बीमारी हो जाती है, उसके पशुओं में बीमारी हो जाती है तो उसके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है, और न यह व्यवस्था है कि उसके इस प्रकार

(श्री लूणाराम)

के नुकसान की पूर्ति हो सके। आज हर प्रकार के नुकसान के लिए सरकार उत्तरदायी है लेकिन किसान की फसल के लिए कोई व्यवस्था नहीं है चाहे किसी संक्रामक बीमारी से वह खत्म हो जाय। इसलिए किसान के लिए जो कि नाज देने वाला वर्ग है उसकी पैदावार या पशुधन में नुकसान हो तो उस नुकसान की पूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए।

इसी प्रकार से जो गांवों में बसने वाला छोटा वर्ग है उसके लिए मुसीबत हो रही है कि जिसके कारण वह कुछ नहीं कर सकता है। आज अनेकों बैंकें खुल रही हैं और सहकारी समितियां बन रही हैं और इसलिए बनाई जा रही हैं कि वहां किसानों को कर्जा मिल सके, लेकिन हमारे अनुभव हैं कि सिवाय भटकने के और पटवारी से खाते की किताब हासिल करने के लिए 20 रुपये देने के बाद पास बुक प्राप्त करने से तो काम नहीं चलता है। ऊंट खरीदने के लिए, और ऊंट के पीछे गाड़ा खरीदने के लिए बीज खरीदने के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए अनेकों प्रकार के कर्जों की सेन्कशन होती है, और यह कहा जाता है कि किस प्रकार से जिलावार बैंकें निर्धारित कर दी गई हैं, लेकिन बैंकों का कहना है कि हमारा सरक्यूलर है वह 5–10 मील का है उससे ज्यादा दूर के लोगों को हम कर्जा नहीं दे सकते। इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि टैक्स हमारे पर कितना ही लगायें, हम आज तक देते आये हैं और देंगे, लेकिन कम से कम 80 परसेन्ट जनता की जो कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों की तरफ कम से कम ध्यान तो दें। आज एक किसान अगर कुआ खुदाना चाहे तो कुए के लिये किसान को कहीं से कर्जा नहीं पाता है। पहले पंचायत समिति से या और बैंकों से मिल जाता था लेकिन जो भूमिबन्धक बैंक से कर्जे की व्यवस्था कर रखी है उसमें आज वे यह कहते हैं कि जब तक भू-गर्भ शास्त्री की रिपोर्ट नहीं आ जाय तब तक कर्जा नहीं देंगे। यह एक अजीब समस्या है। यदि एक गांव की एक समय के अन्दर भू-गर्भ की जांच करें तो कम से कम जो कर्जा लेने वाले हैं वह उनके साथ हों तो उनकी रिपोर्ट निकल सकती है पर उसमें भी यह बात है। जो किसान अपने खेत में कुआं खुदवाना चाहेगा तो भू-गर्भ शास्त्री जीप लेकर उसके खेत में पहुंचेगा। फिर अपनी रिपोर्ट देगा। अगले रोज दूसरे किसानों को रिपोर्ट आ सकती है। तो यह जो भू-गर्भ विभाग है, यह इतना विकसित नहीं है। हमारे चूरू जिले और बीकानेर जिले में कुआ खोदने के लिये···

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

एक भू-गर्भ शास्त्री है। उसका हैड क्वार्टर बीकानेर में है। जो कि चूरू और बीकानेर जिले के लिये खेत के लिये कुआं खोदने के बारे में बतायेगा। इस प्रकार से एक दूसरा भूगर्भ शास्त्री है जो कि पीने के पानी के लिये बतायेगा। वह भी बीकानेर जिले और चूरू जिले के लिए पीने के पानी के बारे में बतायेगा। उसका हैड क्वार्टर चूरू में है। तो इस प्रकार से चूरू और बीकानेर में हैडक्वार्टर होने से दोनों कामों में कितनी असमानता है। इनको सुधारा जायेगा तो इनसे बहुत सुधार हो सकता है आप एक तरफ नगर परिषद से सफाई,

(श्री लूणाराम)

पानी, रोशनी आदि चिकित्सा है, वह सुविधाएं लेना चाहते हैं, इसके लिए आप नगर परिषद् को टैक्स देते हैं। हमें प्रार्थना करनी पड़ती है। आप चिकित्सा को ले लें। परिवार नियोजन में डाक्टरों की टोलियां फिर रही हैं। कोई उपयोग नहीं है। परिवार नियोजन और हैल्थ सेण्टर दो चीजें हैं। मेरे ही क्षेत्र में एक प्राईमरी हैल्थ सेण्टर है दो परिवार नियोजन, दो सेन्टर होते हैं तो आपस में वैमनस्यता होती है। एक चाहता है कि हमारा प्रभाव रहे और दूसरा चाहता है कि हमारा प्रभाव रहे। आज कल गांवों में डाक्टर ज्यादातर मेडिकल में रहना चाहते हैं। परिवार नियोजन में रहना नहीं चाहते हैं।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

मैं मन्त्री जी को निवेदन करना चाहूंगा कि डाक्टर परिवार नियोजन में रहना नहीं चाहते हैं। इस प्रकार जो ट्रान्सफर अपनी इच्छा से कराना चाहते हैं उनका टी. ए. डी. ए. बन्द करना चाहिये आज जो जलदाय योजना की घोषणा की है, उसकी इस को खुशी है। इसके साथ साथ मैं, सभापति महोदय, वित्त मन्त्री जो से विद्युत् मन्त्री से निवेदन करना चाहूंगा कि जलदाय के साथ साथ वहां विद्युत् भी मन्जूर कर दिया जाये। तो एक तो जलदाय के लिये अलग से मशीन क्रय नहीं करनी पड़ेगी अगर दोनों का काम साथ साथ होता हैं तो दोनों का फायदा है। इसके साथ साथ प्राथमिक शालाओं और मिडिल स्कूलों के लिए हमारे माननीय मुख्यमन्त्री महोदय ने घोषणा की है। आज, सभापति महोदय, आजादी के 25 साल के बाद भी प्राइमरी शिक्षा के लिये भी खयाल नहीं है। मेरा निवेदन है, कि इस वर्ष कम से कम ऐसे गांव नहीं रहने चाहिये जिसमें कि किसी गांव में प्राईमरी स्कूल न हो। आज मान्यता प्राप्त स्कूलों के नाम से पैसे की लूट होती है। यह राजनीति के सिवाय कोई पढ़ाई नहीं कराते हैं इसलिये इस मान्यता प्राप्त स्कूलों की योजना को समाप्त किया जाय। इस प्रकार की आज अनेक संस्थायें उपेक्षित हैं। माध्यमिक विद्यालय जो चल रहे हैं, उनमें अनेक प्रकार की भावनायें चल रही हैं। कहीं कोई विषय लेना चाहता है, कहीं कोई कुछ विषय लेना चाहता है। सभापति महोदय, सभी विषय मिलने चाहिये। बीकानेर स्टेट के समय शिक्षा की व्यवस्था अच्छी थी आगे सरकार युनिवर्सिटी स्थापित करे तो बीकानेर में करे तथा चूरू लोहिया कॉलेज में बी. ए. से आगे की क्लासें भी स्वीकृत की जाय।

श्री सभापति : अब समाप्त करवायें।

श्री लूणाराम : अभी लीजिये।

आज सार्वजनिक निर्माण विभाग में इतने घोटाले हैं, जिनका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता है। हमारे सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जागरूक हैं लेकिन फिर भी पुरानी आदतें जो लोगों की पड़ी होती हैं, वे छूटती नहीं हैं। मेरे क्षेत्र में क्रेश प्रोग्राम चल रहा है। पक्की सड़क है। रोड ओवरसियर, ए. ई. एन. रहते हैं। पांच बारहमासी हैं। उन्होंने अपने भाई को रख छोड़ा है। उनके हलके में एक आदमी हमारे पास का रहने वाला है। उस को इस बात के लिये रख छोड़ा है कि वह हमें तो जानते

(श्री लूणाराम)

हैं, लेकिन अगर कोई आफिसर पूछने के लिये जाये तो कह देना कि हम तो फलां गांव के हैं। उसके लिये उसको एक बंधा हुआ पैसा दिया जाता है। अभी कुछ दिन हुये उस आदमी को हटा दिया गया तो पता चला। मैंने जब ओवरसियर से बात की तो पता चला। आज यह व्यवस्था सार्वजनिक निर्माण विभाग वाले कर रहे है एक बार सुधार हो जायं तो जितना पैसा हमको चाहिए, इसमें मिल जाता।

इसलिए, सभापति महोदय, मैं इस बारे में इतना ही निवेदन करते हुए सीलिंग के बारे में कहना चाहता हूं कि हम सीलिंग से घबराते नहीं हैं। यह तो होना ही चाहिए। पर किसान की परिभाषा तो साफ की। आये दिन ये किस्से सुनते हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक–घण्टी)

श्री सभापति : अब समाप्त करें।

श्री लूणाराम : अभी अभी।

आज सेक्रेटरी का लड़का भूमिहीन है। कलेक्टर का लड़का भूमिहीन है। एम.एल.ए. का लड़का भूमिहीन है उद्योगपति का लड़का भूमिहीन है। व्यापारी का लड़का भूमिहीन है। झाड़ू देने वाले का लड़का भूमिहीन है। गांव में जो खेती का काम करते हैं, वे सारे भूमिहीन हैं। तो सारे ही जब भूमिहीन हैं, सभापति महोदय, तो आखिर यह भूमि किस को मिलेगी इसकी कोई स्पष्ट व्याख्या तो होनी चाहिये। तो इतनी सी बात के लिये सभापति तकाजा कर रहे है। तो मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि गांवों के अन्दर किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, हम पीड़ित है, जो सामाजिक अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिये वह नहीं मिल रही है।

श्री देवीलाल (सराडा) : सभापति महोदय, यहां कल से बजट पर बहस चल रही है। बजट के विषय पर माननीय वित्त मंत्री ने बताया कि बजट घाटे में चल रहा है और घाटे को देखकर सारे क्षेत्रों के कामों को बन्द करने की आपने बात की और उनको चला नहीं पाते। आज चुनावों के बाद में जनता यह चाहती है कि राज्य सरकार बन गई, बहुत बड़ी मैजोरिटी में कांग्रेस आ गई और कुछ न कुछ विकास का काम हो गया अब यदि सरकार यह कहे कि हम तो घाटे में हैं और विकास का कार्य नहीं होगा तो यह अच्छा नहीं होगा। आज जनता चाहती है कि गांव में सड़क बने, गांव में तालाब बने, गांव में बिजली आये, गांव में औषधालय बने, यह सब आज जनता चाहती है। आज राजस्थान के कई पिछड़े इलाके है जिन में लोग चाहते हैं कि औषधालय खुलें। वहां पर आज दवाई की व्यवस्था नहीं। ऐसी स्थिति में सरकार को बजट बढ़ाना चाहिये और जो टैक्स लगाये हैं, जो गरीबों पर टैक्स लगायें हैं उन पर तो नहीं लगाने चाहिये और बाकी टैक्स की वसूली करनी चाहिये। सरकारी कर्मचारी जो जुलूस निकाल कर सामने आते हैं उनके लिये तो आप बजट बढ़ा देते हैं, लेकिन विकास के काम के लिये बजट में प्रावधान नहीं है, यह सरकार के लिये ठीक नहीं है। इसलिए जब हमारी कांग्रेस सर-

(श्री देवीलाल)
कार गांवों में विकास करने जा रही है तो इसके लिये बजट में प्रावधान होना चाहिये।

जो पिछड़ा इलाका है, जैसे उदयपुर का काफी इलाका पिछड़ा इलाका है, उसकी तरफ मन्त्री महोदय को विशेष ध्यान देना चाहिये। वहां पर पहाड़ी इलाका है और एकफसली जमीन है। वहां पर बरसात के आधार पर केवल एक ही फसल पैदा होती है और वह भी बड़ी मुश्किल से। वहां बरसात होती है वहां फसलें कम होती हैं। ऐसे गांवों में आज अकाल की स्थिति पैदा हो रही है। राज्य सरकार को इसका ध्यान नहीं है और वहां लोग भूखे मरते हैं। उनके पास अनाज खरीदने के लिये पैसा नहीं है भुख-मरी बढ़ती जा रही है इस पर सरकार यह कहे कि हम तो घाटे में हैं इसलिये विकास का कार्य नहीं कर सकते तो यह कैसे होगा ? राजस्थान में पिछड़े इलाके का विकास न हो यह ठीक नहीं होगा। जो जो लोगों की मांगें है छोटे से छोटे गांव भी चाहते हैं कि हमारे यहां सड़क बने, बिजली आये इन मांगों के लिये सरकार को व्यवस्था करनी होगी। केवल शराब की आमदनी से विकास का कार्य नहीं होगा। शराब को बन्द करने के लिये भी गोकुल भाईजी अन-शन पर बैठ गये हैं। वह सैद्धांतिक बात को लेकर चले हैं और राज्य सरकार को इसके लिये कुछ करना चाहिये और शराबबन्दी करना चाहिये। साथ में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि शराब केवल कानून से बन्द नहीं होने वाली है, वह कानून तो केवल कागजों पर ही रह जायेगा और लोग पीना बन्द नहीं करेंगे। कानून से शराब बंद नहीं हो सकती। इसीलिये ऐसी संस्थाओं को तैयार किया जाये जो गांव गांव में जाकर हरेक आदमी को समझाये कि दारू पीने में क्या खराबी है और उनसे दारू पीना छुड़-वाये। इस के लिये राज्य सरकार को बजट में प्रावधान करना चाहिये और ऐसी संस्थाएं पैदा करनी चाहिये जिनके कार्यकर्त्ता गांव में जाकर इस बात का प्रचार करें। शराब बन्दी के लिये प्रचार करें। लोगों का इस के लिये मानस बदलना चाहिये। जब तक उनके विचार नहीं बदलेंगे तब तक शराब-बन्दी नहीं हो सकती, वह कानून से नहीं हो सकती। राज्य सरकार को इस मामले पर कुछ धनराशि का प्रावधान करके संस्थाओं द्वारा अच्छे कार्यकर्त्ताओं द्वारा शराब-बन्दी का प्रचार करना पड़ेगा। शराबबन्दी करने से शराब से जो अब आमदनी आ रही है वह बन्द हो जायेगी लेकिन उसको पूरा करने के लिये आप दूसरे प्रावधानों से आम-दनी कर सकते है केवल शराब की आमदनी से राज्य का विकास नहीं हो सकता।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पहाड़ी इलाके के लिये सिंचाई बहुत आवश्यक है। छोटे छोटे एनीकट्स हैं, छोटे छोटे तालाब हैं, राज्य सरकार को प्लान बनाकर सिंचाई साधनों का निर्माण करना चाहिये। लोग चाहते हैं कि भूमि में पानी आये और भूमि सिंचित हो और अनाज पैदा हो। कोई काश्तकार यह नहीं चाहता कि हमारी भूमि में पानी नहीं आये, हम अनाज पैदा नहीं करें। सिंचाई के साधन जहां नहीं हैं, उन गांवों में आज अकाल पड़ा हुआ है। राज्य सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये और गांव के लोगों के लिये सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने चाहिये ताकि अकाल की स्थिति दूर

(श्री देवीलाल)

हो सके। राजस्थान के जिन इलाकों में अकालग्रस्त गांव हैं, वहां सरकार को तुरन्त व्यवस्था करके राहत देनी चाहिये ताकि वे अपना और अपने परिवार का गुजारा कर सकें।

भूमि के विषय में, एलॉटमेंट के बारे में, रैग्युलराइजेशन के बारे में भूमि एलॉटमेंट कमेटियां बनाई हुई हैं जिनका चेयरमैन उप जिलाधीश है और हम सदस्य हैं। लेकिन एलाटमेंट कमेटी द्वारा काश्तकारों को भूमि अलॉट होने के बाद भी काश्तकारों को मौके पर भूमि नही दी जाती, उसके लिये व्यवस्था नहीं होती। कई जगहों पर पुरानी सर्वे हो रखी हैं। उनका नया सर्वे कराकर, रेट्स बढ़ाकर आमदनी बढ़ाई जा सकती है।

इस तरह से राजस्थान में कई ऐसी पोल पट्टियां हैं उनमें आमदनी की जा सकती है जिनकी ओर सरकार ध्यान नहीं देती है। इस तरह से नहीं करेगी तो राज्य की आमद नहीं होगी। दूसरी बात-जो निर्माण कार्य होते हैं जैसे राजस्थान कैनाल की बात करता हूं बड़े बड़े बांधों की बात करता हूं, जहां पर राज्य सरकार की कोई निगरानी नहीं है। पैसा भी ठीक ढंग से खर्च नहीं होता है इसलिए जब तक सारी व्यवस्था की निगरानी नहीं होती तब तक राज्य सरकार के पास बचत नहीं होगी। हम देखते हैं कि बीमारियों के बिल बनते हैं, कई ऐसे विभाग हैं जिनमें कोई बीमार नहीं होता तब भी वे फर्जी बिल देते हैं। ऐसी समस्या कहीं कहीं पर काफी तादाद में आती है। हम जानते हैं कि इन जाली बिलों के जरिये हजारों रुपये की धनराशि जाती है जिनको रोकने से राजस्थान की आमद में बचत हो सकती है।

राजस्थान कैनाल पर अनाप-शनाप खर्चा होता है लेकिन उसमें बड़े बड़े अधिकारी हैं वहां निगरानी कुछ नहीं करते हैं वहां पर कैसे खर्च होता है, कैसे सामान खरीदते हैं सामान पूरा है या नहीं, मशीनरी सारी ठीक ढंग से चलती है या नहीं, सारे पुर्जे खरीद कर लेते हैं या नहीं, उसकी कोई जांच नहीं, अनापशनाप खर्चा होता है और राज्य सरकार को घाटे में जाना पड़ता है। इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि जैसे जावर माइन्स का बांध बन रहा था उसमें सीमेंट खर्च हो रहा था। वहां पर असिस्टेन्ट इन्जीनियर और ओवरसियर के विरुद्ध वहां के मजदूरों ने लिख कर दिया कि सीमेंट बांध से उठाकर उदयपुर जाकर बेचते हैं। उस मामले में मजदूरों ने शिकायत की। कुछ महीनों तक दोनों सस्पेन्डेड रहे और फिर लीपा पोती करके उस केस को समाप्त किया। इस तरह से जो पैसा खर्च होता है उसको रोकना चाहिए। जब तक नहीं रोका जाएगा तब तक राज्य सरकार घाटे में जायेगी और अनापशनाप खर्चे को रोककर अगर काम में लिया जाए तो राज्य सरकार के सारे विकास कार्य अच्छी तरह से चल सकते हैं और घाटे में जाने का सवाल नहीं उठता है।

दूसरी बात, राजस्थान का जो पिछड़ा हुआ इलाका है जहां अकाल पड़ता है वहां व्यवस्था करना आवश्यक है और लोगों में बेरोजगारी है और उसको मिटाने में भी राज्य सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

Page No 95

(श्री देवीलाल)
इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री माणकचन्द सोगानी !

श्री माणकचन्द सोगानी (अजमेर-पूर्व) : सभापति महोदय, फाइनेन्शियल बजट पर आज के दिन जो एप्रोप्रिएशन बिल पर जो मसले खड़े हुए हैं, उनमें कुछ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह सही है कि किसी भी सरकार को चलाने के लिए खर्चे की जरूरत होती है उसके लिए कर लगाने पड़ते है, दवाखाने हैं उनको चलाना होता है, पुलिस विभाग को चलाना होता है, पाठशालायें खोलनी पड़ती हैं। अब सवाल यह है कि कर किस तरह से लगाए जायं, किस चीज पर लगायें जायं, उसका वितरण कैसे हो यह मुद्दे की बात है। अभी जितनी, हमारे यहां वित्त मन्त्रीजी ने जो कुछ रूपरेखा करों की रखी है कुछ चीजों पर तो अच्छे हैं उसके लिए वित्तमन्त्रीजी को धन्यवाद। मैंने इस पर गौर किया है। कैश प्रोग्राम में 3.25 करोड़ आप खर्च करने वाले हैं और उससे 26 हजार आदमियों को लाभ मिलेगा, यह खुशी की बात है। यह योजना क्रियान्वित होना जरूरी है। उन्होंने बताया बैंकों से गरीब गुरबों को काफी रकम दी जाएगी, इससे गरीब लोगों को लाभ होगा। मगर जो कुछ चीजें देखने में आ रही हैं जिन पर मुझे एतराज है वह अखबारों में पढ़ने को मिल रही है। सीलिंग कानून आएगा सो आएगा। लेकिन गांवों में इतनी घबराहट हो रही है कि जो सरकार की ओर से ट्यूबवेल्स वगैरा लगाए गए हैं, वह काश्तकारों ने अभी से शुरू कर दिया है उन ट्यूबवैल्स को हटाना ताकि सीलिंग की व्यवस्था अगर लागू हो तो उन पर न हो। सीलिंग का भय इस तरह से फैल गया है कि सरकार बराबर इस तरफ ध्यान दे और सीलिंग को उचित रूप में रखें ताकि भय का निवारण हो जाए।

जहां तक सवाल है हाऊसिंग सोसाइटीज का, मैं जानता हूं रकम तो बहुत निकाली जाती है मगर कहां जाकर रुकती है, कार्यालयों में कहां जाकर कार्यक्रम अवरुद्ध हो जाते हैं और गरीबों के हाथों में वह रकम नहीं पहुंचती है। कई बार कार्यालयों में हम लोगों को जाकर सिफारिश करनी पड़ती है। गाडियां लुहार जो अपनी गाड़ियों में बैठे हुए रहते हैं चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो उनके लिए जो रकम निकाली गई है वह कहीं नहीं उनको उपलब्ध होती है। यह कौनसी मशीनरी है जहां पर रकम मिलना रुक जाता है बार बार सरकारी कार्यालयों में जाकर पीछे पड़ना पड़ता है? यह बन्द होना चाहिए। इस बात को सरकार को ध्यान रखना जरूरी है।

जहां तक सवाल आता है कि हमारे पास रुपया इकट्ठा होना चाहिए, मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं, आज भी पक्की बात है कि कई सहकारी समितियां जो खुली हुई हैं उनसे अगर भूमि का कन्वर्शन करके रुपया इकट्ठा किया जाय तो आज जो कर लगाए हैं उनको ज्यादा रकम उपलब्ध हो सकती है। क्यों इस पर सरकार विचार नहीं कर रही है? आपने तो भुजिए पकोड़ी पर कर लगाया है और हमको बाजार में घूमने में

Page No 96

(श्री माणकचन्द सोगानी)

दिक्कत होती है, लोग भला बुरा कहते हैं, तो ऐसे गरीबों पर कर न लगाकर लैंड कन्वर्शन जैसी चीज पर लगाने का विचार करें।

आज वेल्थ टैक्स सेंट्रल सबजेक्ट है। पहले 1/2 प्रतिशत था उसको 1 प्रतिशत किया और वहां जो राशि बढ़ाई है, वह कुछ लोगों को अखरती है, काफी रकम प्राप्त होती है। लेकिन यहां जो कर लगाए हैं उनसे रकम कम मिलेगी सामूहिक रूप से बदनामी हुई है। जब कर लगाने जा रहे हैं तो प्रॉपर्टी कर अपने शिड्यूल में आता है प्रापर्टी कर लाकर रकम वसूल करनी चाहिए और जिससे ठेले वाले और पकोड़ी वाले, जिन पर आपने कर लगाया है जो एग्जेम्शन लिमिट 30 हजार की रखी है वह कम है कम से कम 50 हजार की जानी चाहिए ताकि बहुत से लोग इस भय से मुक्त हों।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं जो मेरे क्षेत्र से संबन्ध रखती है वह है पानी की समस्या। इसी सदन में बहस हुई थी अजमेर में बनास से या राजमहल से पानी लाया जाए। आज अजमेर में जो पानी की दशा है जो 3 करोड़ रुपये उधार लिये उसका व्याज भी देना पड़ता है लेकिन पानी का लाभ जनता को नहीं मिला।

एक माननीय सदस्य : कोरम नहीं है।

(गणपूरक घंटी)

श्री माणकचन्द सोगाणी : इजाजत हो, सभापति महोदय, तो मैं आगे बोलूं।

(विराम)

तो वहां पर यह प्रबन्ध किया गया था कि वहां डबल लाइन गेरी जायगी, उसके लिए धन भी निकाला गया लेकिन आज भी वहां सिंगल लाइन है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो डबल लाइन के लिए रुपया निकाला गया, उससे डबल लाइन गेरी जानी चाहिए।

जहां तक गरीबी हटाओ का स्लोगन है, उसके सम्बन्ध में मेरी अर्ज है, इस सम्बन्ध में कई भाई, कई विधायक कह चुके हैं, लेकिन मैं इस पहलू को रखना चाहता हूं कि जो कारखाने का मजदूर है वह पांच रुपया रोज कमा कर लाता है, अगर यह रकम उसकी जेब में घर खर्च के लिए रहती है तो दरअसल इससे गरीबी हटती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वह शाम को ठेके पर चला जाता है और उसकी जेब से वह रुपये निकल कर ठेके में चले जाते हैं। इस प्रकार कैसे गरीबी हट सकती है? दिन भर मजदूरी करने के बाद वह जो कमाता है, उसके बाद यह देखा जाता है कि शाम को शराब के नशे में मदमस्त होकर घर जाता है, अपने बीबी बच्चों को भूखा रखता है और अपने परिवार को पीटता है। तो गरीबी हटाने का मतलब यह है कि मजदूर की दिन भर की कमाई है वह उसकी जेब में रहे और उससे वह अपने घर का खर्च चला सके। लेकिन वह उसकी जेब में नहीं रह कर शाम को ठेके में चली जाती है तो इससे गरीबी कैसे हट सकती है? इसलिए जो हमारा नारा गरीबी हटाओ का है, इसका सीधा सम्बन्ध वहां जाकर जुड़ता है जो रकम शराब के ठेके में चली जाती है। वैसे इस सम्बन्ध में थोड़ी देर में सरकार की ओर से वक्तव्य आने वाला है, लेकिन

(श्री माणकचन्द सोगानी)

मेरा निवेदन है कि गरीबी हटाने का सम्बन्ध हम इससे रखें कि जो मजदूर की आमदनी है वह उसकी जेब में से निकल कर शराब के ठेके में न चली जाय, इसलिए शराबबन्दी होनी चाहिए-यह मैं अर्ज करना चाहता हूं।

जहां तक गन्दगी और स्लम्स का सवाल आता है, हम इसकी हालत जयपुर जैसे पिंक सिटी में देख रहे हैं। लेकिन मैं अजमेर से आता हूं, इसलिए वहां की समस्या के लिए अर्ज करना चाहता हूं। पिछली दफा हमारे यहां माननीय मुख्य मंत्री, सुखाडिया साहब पधारे थे। उन्होंने एक राशि वहां के लिए निकाली थी, उससे कुछ प्रोग्राम चालू हुआ और नला बनना शुरू हुआ, लेकिन वह रकम अब नहीं भेजने से वहां पुलिया वगैरह का जो काम चल रहा वह अवरुद्ध हो जायगा। अभी बरसात का मौसम आ रहा है, इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं, जो रकम इसके लिए निकालते हैं वहां समय से उसके आदेश दे दिये जायं ताकि जो कार्यक्रम हाथ में लेते हैं वह समय से पूरा कर दिया जाय तो इसमें कार्यक्रम की शोभा है। लेकिन कार्यक्रम अधूरे रह जायं और रकम समय से नहीं निकाल कर उसके आदेश भेजें तो इससे तो कार्यक्रम को शुरू नहीं करना ही अच्छा है। काम को आधा रखना और उसको पूरा पार नहीं पटकना-इससे अच्छा है कि उस काम को हाथ में ही न लें। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो रकम वहां के लिए निकाली है, वह रकम वहां भेजी जानी चाहिए ताकि लोगों को दुःख नहीं हो। मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि म्यूनीसिपैलिटी को इन दिनों कई प्रकार की हड़ताल-आंदोलन की वजह से काफी भुगतान करना पड़ा है- जैसे राणावत कमीशन इन्टेरीम रिलीफ-ऐसी चीजों के कारण काफी पैसा देना पड़ रहा है। पहले वहां की आमदनी में मनोरंजन कर की राशि उपलब्ध होती थी, अब मनोरंजन कर की राशि राजस्थान सरकार वसूल करती है, इसलिए

(3.44 म. प.)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

मेरा निवेदन है कि यह रकम जिसे म्यूनीसिपैलिटी को वसूल करने का अधिकार था, वह अधिकार उसको वापिस मिलना चाहिए ताकि उस पर जो ऋण भार बढ़ गया है, बोझा बढ़ गया है उससे वह सक्षमता से निपट सकें। हड़ताल के कारण, स्वीपर्स की हड़ताल, कर्मचारियों की हड़ताल के कारण बराबर उसको मांग माननी पड़ती है और इससे म्यूनीसिपैलिटी पर बोझ पड़ता है, इसको कम करने के लिए एक ही रास्ता है कि जितनी रकम पर उसका अधिकार था, उस रकम का अधिकार उन्हें मिल जाना चाहिए। सिनेमा से काफी अच्छी रकम वसूल होती है, मनोरंजन कर से, उसका अधिकार म्यूनीसिपैलिटी को होना चाहिए, राजस्थान सरकार को उस रकम पर किसी प्रकार का अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए क्योंकि म्यूनीसिपैलिटी के सामने कई प्रकार की ऐसी समस्यायें आ गई हैं कि वह अपना खर्च नहीं चला सकती है। साथ ही मैं अर्ज करना चाहता हूं कि राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो पहले

(श्री माणकचन्द सोगाणी)
हमारे कम से कम अजमेर में लागू नहीं था,...

श्री अध्यक्ष : जरा संक्षिप्त रूप से कह दें।

श्री माणकचन्द सोगानी : बहुत संक्षिप्त रूप से अर्ज करूंगा, साहब।

मेरा यह अर्ज करना है, आप गांवों में बिजली पहुँचाने के लिए यहां ऐलान करते हैं, लेकिन दरअसल गांवों में बिजली कितनी पहुंच रही है, कितनी नहीं पहुंच रही है जब कि शहरों में, इन सिटीज में बिजली नहीं पहुंच रही है। शहरों में रात को लोगों को ठोकर खाकर गिरना पड़ता है, राह चलते को रात में कुत्ते काट खाते हैं। बिजली का शहरों में अभाव है और पूरा बन्दोबस्त नहीं है। वैसे गांवों में बिजली जरूर होनी चाहिए लेकिन गांवों में बिजली की अच्छी व्यवस्था करके पहुंचानी चाहिए। इसके साथ ही मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करूं कि इतनी महंगी बिजली नहीं होनी चाहिए। आज शहरों में जो विकास हो रहा है वह भी बिजली ठीक से नहीं मिलने के कारण रुकता जा रहा है। इसलिए इस तरफ ध्यान देना जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका इतना ही टाइम लेकर समाप्त करता हूं।

मद्य निषेध पर शासकीय वक्तव्य सम्बन्धी सूचना

श्री अध्यक्ष : एक सूचना सदन को देनी थी कि मैंने सदन को यह निवेदन किया था कि मद्य निषेध के सम्बन्ध में वक्तव्य चार बजे दिया जायगा। उसमें माननीय सदस्यों से बातचीत करके इतना परिवर्तन किया है कि पहले एप्रोप्रियेशन बिल पांच बजे तक चलेगा, उसे पारित करके पांच बजे से उस सम्बन्ध में वक्तव्य मद्य निषेध के सम्बन्ध में और श्री गोकुल भाई भट्ट के अनशन के सम्बन्ध में सरकार की ओर से दिया जायगा।

नेक्स्ट सवा चार बजे गवर्नमेंट रिप्लाई शुरु हो जायगा।

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1972 पर अग्रेतर विचार

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज...

श्री अध्यक्ष : दस मिनिट में समाप्त कर दें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रियेशन बिल पर अन्तिम रूप से जब हम विचार करने जा रहे हैं उस समय जो निरुत्साह, नीरसता, उदासीनता प्रातःकाल से दिखाई दे रही है वह इस बात का सूचक है कि वास्तव में माननीय सदस्य इस सदन के इस बात से बहुत सजग हैं कि इस गरीब प्रदेश के ऊपर जिस रूप से यह चार करोड़ रुपये के टैक्स का बोझा डाला जा रहा है, वह न तो न्याय-संगत है, न आवश्यक है, न उसकी कोई उपयोगिता है, वह पूर्णतया निरर्थक है। मैंने इस डिबेट के प्रारम्भ में कहा था कि वास्तव में हमारे मुख्य मंत्री ने इस बजट को एक इन्सॉलवेन्सी पिटीशन, दिवालियों की दर्खास्त के रूप में रखा है सदन के

(श्री गुमान मल लोढ़ा)

सामने, वह इस बात से साबित हो गया, जैसा कि आपको पता होगा कि हम जब इस डिबेट को समाप्त भी न कर सके उसके बीच में यह घोषणा कर दी गई थी कि 26 करोड़ के घाटे की पूर्ति करने के प्रावधान की हम अपेक्षा करते हैं कि केन्द्रीय सरकार की ओर से 27 करोड़ रुपया हमें दिया जायगा, जिसके कारण से यह घाटा पूरा हो सकेगा। माननीय वित्त मंत्री ने पत्रकार सम्मेलन में इस बात की घोषणा कर दी कि केन्द्रीय सरकार ने हमारा 19 करोड़ का जो आय कर का हिस्सा था, छः करोड़ का योजना ऋण का हिस्सा था, साढ़े पांच करोड़ की केन्द्रीय योजना आनी थी, कुल 31 करोड़ रुपये, जो बजट में मिलने वाले थे वह हमारे कर्जे में एडजस्ट कर लिये गये। अब यह सदन के सामने विषम स्थिति पैदा हो गई है। सारे बजट का जो बेसिस था, जो सारे बजट की आधारशिला थी वह समाप्त हो गई है। माननीय, वित्त मंत्री का सारी योजना, जिस पर बजट लाया गया था, धूलि धुसरित हो चुकी है। केन्द्रीय सरकार ने इसको एडजेस्ट राजस्थान सरकार से अनुमति प्राप्त करके किया होगा-इसमें सन्देह नहीं है। इस कारण से जहां एक ओर हमारे सामने यह स्थिति पैदा हो गई है कि नया बजट तैयार करके प्रस्तुत किया जाय क्योंकि पुराने बजट का सारा आधार समाप्त हो गया है, और आर्थिक संकट जो हमारे ऊपर 6 करोड़ 43 लाख रुपये का था, उसके स्थान पर अब 7 करोड़ 51 लाख रुपये का हो गया है, इसी तरह से, क्षमा करेंगे, 6 अरब 43 करोड़ था वह 7 अरब 11 करोड़ का संकट हमारे ऊपर आ गया है। अब मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करूंगा बजट का आधार समाप्त हो गया है और अब नया बजट, नई योजना के अनुसार लाया जाना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूंगा, आवश्यक यह था, वित्त मंत्री के लिए पहली आवश्यक यह बात थी कि बजट में, अपने बजट भाषण में पहले संकेत रूप में बता देते कि केन्द्रीय सरकार से जो प्राप्त होगा उसको पुराने कर्जे में एडजेस्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। दुर्भाग्य से इन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए हमारे सामने यह स्थिति पैदा हो गई है। इसी अधिवेशन के दौरान एक के बाद एक आत्म हत्या के मामले आये जोधपुर के अन्दर एक व्यक्ति ने गरीबी के कारण आत्महत्या की, जयपुर के अन्दर एक दूसरी घटना घटी। इसके साथ साथ परिवार नियोजन के एक कर्मचारी ने बांसवाड़ा के अन्दर आत्म हत्या की। यह इस बात का द्योतक है कि हमारे प्रदेश के अन्दर बेरोजगारी की समस्या चरम सीमा पर पहुंच चुकी है गरीबी के कारण से ग्रस्त राजस्थानी अपने जीवन का अन्त करके राजस्थान सरकार को संकेत करना चाहते हैं कि सदन के एयर-कन्डीशन्ड कमरों में बैठकर कागजों पर बेरोजगारी मिटाने के प्रस्ताव पास करने वाले विधायक बाहर आकर थोड़ा गांवों में देखें। बेरोजगारी के कारण हमारे बच्चे, परिवार के लिए जीविका उपार्जन नहीं कर पाते इसलिये कोई कुए में पड़ कर प्राणान्त करता है, कोई स्लिपिंग पिल्स लेकर आत्महत्या करता है और कोई आग लगा

(श्री गुमानमल लोढा)

कर अपने जीवन को समाप्त कर देता है। इसे अधिक, माननीय अध्यक्ष महोदय, और क्या दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है ?

मैंने पहले ध्यान दिलाया था। चार करोड़ के टैक्स लगाये गये हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा केवल एक स्केन्डल की ओर भाखरा कन्ट्रोल बोर्ड के साथ राजस्थान सरकार ने डी. सी. एम. को बिजली देने के लिये एक, एग्रीमेन्ट किया था। डी. सी. एम. को 25 मेगावाट बिजली भाखरा कंट्रोल बोर्ड से मिलने वाली थी। डी. सी. एम. के धन्ना सेठ चरतराम ने राजस्थान सरकार से सांठ-गांठ करके यह तय किया कि वे स्वयं अपना प्लान्ट लगायेंगे। राजस्थान सरकार ने कहा कि अगर आप प्लान्ट लगायेंगे तो हम आपको कन्सेशन नहीं देंगे। देंगे तो 25 मेगावाट ही से बिजली लेनी पड़ेगी। सौदेबाजी होती रही, अन्तिम रूप से, अध्यक्ष महोदय आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि वह कैंसिल कर दिया गया। फिर कहा कि 15 मेगावाट लेंगे, पन्द्रह से फिर दस पर आगये और दस से फिर 6 पर आये और अन्ततोगत्वा राजस्थान सरकार डी. सी. एम. को कोई बिजली नहीं दे पायी और न किसी दूसरे के लिये व्यवस्था हुई जिसके परिणामस्वरूप राजस्थान सरकार को 1 करोड़ 36 लाख रुपये का हर वर्ष घाटा होता है। एक चित्र उपस्थित करना चाहूंगा। उन लोगों के लिये कहा जाता है कि बेदाग होकर निकल गये। श्री शिवचरणजी माथुर ने नोट लिखा, एग्रीमेन्ट नहीं होना चाहिये, डी. सी. एम. को बिजली नहीं देनी चाहिए, घाटा होगा मुझे दुःख होता है कहते हुए कि श्री शिवचरण माथुर के इस नोट के बावजूद भी वर्तमान मुख्य मंत्रीजी में जो यह कार्य करते थे एक लाइन में धन्ना सेठ चरतराम को, डी.सी.एम. के मालिक के कारण राजस्थान की गरीब जनता पर 1 करोड़ 26 लाख का प्रति वर्ष बोझा डाल दिया। इस कारण नये वित्त मंत्री को आज राजस्थान की गरीब जनता पर टैक्स लगाने के लिये मजबूर होना पड़ा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक बात और कहना चाहूंगा समाप्त करने से पहले। आपको आश्चर्य होगा। हमारे यहां एक स्केण्डल हुआ। उदाहरण के तौर पर बताऊं। इसी प्रकार जोधपुर में घोषणा की गयी थी कि स्कूटर का कारखाना लगायेंगे, ट्रैक्टर की फैक्ट्री लगायेंगे। न स्कूटर का कारखाना, न ट्रैक्टर फैक्ट्री न और कोई उद्योग खोल पाये और गरीब इन्सान गरीबी से और परेशान हो रहा है। कोई काम धन्धा नहीं। महत्व की बात है जिस पर विचार करना चाहिये। बातें हम समाजवाद की करते हैं। लेकिन काम हमारे समाजवादी नहीं हैं। राजस्थान विधान सभा के सदन का उदाहरण ले लीजिये। सदन में काम करने वाले गरीब कर्मचारी, पुलिस के वाच एण्ड वार्ड वाले, सुबह से शाम तक, रात्रि के 9 10 बजे तक काम करते हैं दूसरों को भत्ता मिले और इन लोगों को भत्ता नहीं मिलता। गरीब चौकीदार और वाच एण्ड वार्ड वाले किस प्रकार परे-

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
शान हैं आप ही सोच सकते हैं। किस प्रकार का आपका समाजवाद है?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जयपुर नगर में होमियोपैथिक बोर्ड खोला गया है और उसमें राजस्थान सरकार के द्वारा अधिकृत रूप से सैन्क्शन दी गई है। अध्यक्ष महोदय, आपको केवल इस बात को सुन कर आश्चर्य होगा उस बोर्ड में इस समय जो होमियोपैथिक बोर्ड है उसमें जो अब तक रजिस्टर किया गया है उसमें 25 व्यक्तियों के नाम हैं और 25 ही अमेरिकन्स हैं। उनके नाम के आगे एक व्यक्ति ने एकाधिकार प्राप्त करके अपना नाम लिख कर उनके पते लिख दिये है। वास्तव में यह हमारे साथ बड़ा धोखा किया गया है।...

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। समय हो गया है।

श्री गुमान मल लोढा : मैं समाप्त ही कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय। हमें विचार करना होगा और निर्णय करना होगा कि कहां तक खिलवाड़ की जाती रहेगी?

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। अभी अभी, मुझे प्रसन्नता हुई, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया कि हमारे ऊपर पूंजीपतियों और बड़े 2 बिजनिस हाउसेज का दबाव बढ़ता जा रहा है और हम को इस पर विचार करना होगा। हमारे, माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय के स्वर्गीय श्री जयनारायण जी व्यास के एक भाषण को पढ कर समाप्त कर दूंगा। उन्होंने चेतावनी दी थी। आज नहीं उस समय दी थी और जो राजस्थान के अन्दर असेम्बली में गूंज रही थी। पत्र निकलता था उसमें लिखा :

'Congress stands for all, and everyone is free to enter Congress including the Ex. Rulers and Capitalists. Rajasthan Congress has got more ex-princes and Jagirdars in its Parliamentary wing, than any-other party or State in India. A few capitalists are also there, but the big Capitalists would like to send their agents or create agents in the Parliamentary wing rather than join the wing. As far as Congress organisation is concerned both the Ex-Rulers and big Capitalists like to remain at an arms length. They do contribute some funds to the Organization, but it is negligeable. In running the general election. they do part with big amounts both for the Organization and individual candidates. This is just the general situation. ..

Do these capitalists give funds to the Congress because they believe in Congress ideology of Socialist Society or its programmes or do they contribute liberally because they have certain interests in the State.

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

and want the Ministers to patronize them. It is a fact that the Capitalists contributed liberally to congress funds during British Regime; but their objective at that time was different from their cooperation today which is based on purely give & take rule."

इसके बाद उन्होंने लिखा है—

Pt. JawaharLal said in a meeting in Kanpur that the Congress would not accept funds from people who do not believe in its ideology. He was perhaps hinting at the House of Tatas which had contributed big funds both to Congress and Swatantra Party. Panditi's speech is alright as for as sentiments go, but cannot be accepted as a practical proposition by the Congress. If what is heard is correct the contribution of Tatas has not been refused."

उसके बाद में उसी समय उन्होंने लिखा—

In the last General Elections Shri S. P. Jain, Jaipur Udyog paid atleast 2 52,000/- for All India and District Congress Committee's elections. Not a single pie was paid to the Congress direct. Everything was paid through the Chief Minister as if the Chief Minister was the congress. It is alleged that all those who brought this fact to the notice of the AICC have not been informed of every pie having been accounted for. Any way, S. P. Jain or his Jaipur Udyog cannot belong to Congress. They belong to the Chief Minister, Rajasthan or rather the Chief Minister, Rajasthan belongs to them.

It is reliably reported that the Birlas have sent some Jeeps to the Chief Minister this time. Why did they not send them to the Pradesh Congress.

Why did they not send jeeps during the last General Elections ? The fact is that the Congress is not helped but money is sent just as an investment and sometimes just as a part of the interest which their Capitalists get for the Govt. amounts deposited with them or for the undue facility they get.

मुझे आज जब सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि उनका प्रभाव सरकार में ही नहीं चलता बल्कि मंत्रिमण्डल के निर्माण में चलता है मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि वे ही कांग्रेस के सदस्य निकले सदन में जिन्होंने

(श्री गुमानमल लोढा)
स्पष्ट आकर बताया कि मंत्रिमण्डल के सदस्यों के निर्माण में उनका किस प्रकार हाथ रहता है जो बिजीनेस हाउसेज में रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : एक मिनिट में ही समाप्त कर रहा हूँ।

हम गरीब किसान मजदूर पर टैक्स लगाते हैं, धान, पानी और साबुन पर टैक्स लगाते हैं। टैक्टर पर हम टैक्स लगायें, गरीब जनता को बाध्य करें, आत्महत्या करे एक के बाद एक धन्ना सेठों को चाहे डी. सी. एम. हो, चाहे आलोक उद्योग हो, चाहे पोद्दार हो, सेठ कमानी हो, जे. के. सिन्थेटिक्स हो, इन सब को बड़े आराम से गरीब जनता पर भार बना कर गरीब जनता का शोषण करें, कहां तक सही और उचित है?

मैं आपकी आज्ञा के अनुसार अपना स्थान ग्रहण करता हूँ लेकिन माननीय वित्तमंत्री जी से केवल यही कहूंगा कि वह एक बार और विचार कर लें। इसके ऊपर कम से कम मेरे कहने से नहीं तो कांग्रेस के माननीय सदस्य जिन्होंने करीब करीब सब ने इस बात की ताईद की है कि कम से कम धान के ऊपर, साबुन के ऊपर, ट्रेक्टर के ऊपर, पानी के ऊपर, खाद के ऊपर, तेल के ऊपर कर न लगाये। मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री अमृतलाल गहलोत।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय 4 बज गये हैं और शराबबन्दी के ऊपर माननीय वित्तमंत्री का वक्तव्य होना है।

श्री अध्यक्ष : आप यहां थे नहीं, सदन के माननीय सदस्यों से बात करके 5 बजे स्टेटमेन्ट देने को कहा है और 4 बजे इस डिबेट पर रिप्लाई शुरू होगा।

श्री मनोहरलाल : अध्यक्ष महोदय, प्रोहिबीशन का संबंध आर्थिक नीतियों से है इसलिए इस संबंध में पहले बयान दिया जाये तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : उसी समय जो कहना हो वह कहें।

श्री अमृतलाल गहलोत।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : अध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रियेशन बिल के अन्तिम चरण में मैं अपने थोड़े विचार आपके माध्यम से वित्तमंत्री जी के सामने रखना चाहता हूँ...

श्री अध्यक्ष : 10 मिनट।

श्री अमृतलाल गहलोत : यह सत्य है कि आडिटर एण्ड कम्प्ट्रोलर जनरल भारत सरकार ने अपने जो फाइनेन्स अकाउन्ट्स दिये हैं और उसके पश्चात् उन्हीं अकाउन्ट्स को प्रोजेक्ट करके मैंने स्वयं कुछ अनुमान लगाये हैं कि इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक राजस्थान सरकार पर कुल ऋण भार 750 करोड़ से कम नहीं होगा। दूसरा अनुमान लगाया मैंने उसमें कई विवरण दिये गये हैं संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 के मुताबिक उनको जोड़ने से यह अनु-

(श्री अमृत लाल गहलोत)

मान लगा है कि हमारे पास में जो पूंजी है, जो असेट्स हैं वह 650 करोड़ से ज्यादा के नहीं हो सकते। तो 750 करोड़ से कम तो कर्ज नहीं है और 650 करोड़ से ज्यादा के हमारे पास में असेट्स नहीं होंगे अर्थात् हमारी जो अनुमानिक बेलेन्स शीट होगी उसमें 100 करोड़ का शार्टफाल होगा। परन्तु यह भी मैं आपके माध्यम से निवेदन कर दूं कि जिस विकट परिस्थिति का हमारी सरकार और विशेष तौर से हमारे वित्तमंत्री जी सामना कर रहे हैं जो वर्षों से चली आ रही है, कोई एक रात में नहीं हुई है, मैं उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक विकास का सम्बन्ध है यह बड़ी ही शोचनीय बात है कि तीन पंचवर्षीय योजनायें, तीन वार्षिक योजनायें और तीन वर्ष हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना के पूरे हो गए अर्थात् 21 वर्ष पूरे हुए परन्तु अभी बहुत ही पिछड़े रहे हैं। जहां तक हमारी प्रति व्यक्ति आय का अनुमान है वह देश में सिवाय बिहार को छोड़कर सबसे कम है। जहां तक शिक्षा का प्रश्न है इस वर्ष हम 48 करोड़ रुपया खर्च करेंगे परन्तु हम शिक्षा के क्षेत्र में भी सबसे पिछड़े रहे हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि नागालेण्ड से भी हम पीछे हैं। साक्षरता जहां पूरे देश में 30 प्रतिशत है वहां राजस्थान में 18 परसेन्ट लिट्रेसी है। चिकित्सा की ओर देखिये इस बजट में 14 करोड़ रुपयों का प्रावधान है परन्तु डाक्टरों की संख्या हमारे यहां सार्वजनिक क्षेत्र में केवल 2 हजार है और यदि आवादी में भाग दिया जाय तो 12,500 की जनसंख्या के पीछे हमारे यहां एक डाक्टर आता है और देश में जहां 5000 के ऊपर एक डाक्टर है और फिर इसके साथ में हमारे यहां राजस्थान में डाक्टर बेकार हैं। जहां तक विद्युत् का संबंध है इस वर्ष 10 करोड़ रुपया खर्च करेंगे और इस बजट में इसका प्रावधान है परन्तु प्रति व्यक्ति विद्युत का कन्जम्प्शन यहां होगा वह 50 किलोवाट घन्टा का होगा जब कि देश में 100 किलोवाट घंटा है और महाराष्ट्र में तो 200 किलोवाट घंटा है। जहां तक गांवों में विद्युतिकरण का सवाल है हमारे यहां 25 हजार गांव हैं और उनमें 4000 गांवों का विद्युतिकरण हो चुका है और अगले वर्ष तक हम 5000 गांवों का विद्युतिकरण कर पायेंगे और हमारे पड़ोसी प्रदेश हरियाणा शतप्रतिशत गांवों का विद्युतिकरण कर चुका है। जहां तक सिंचाई का प्रश्न है देश में 25 प्रतिशत भूमि पर सिंचाई हो चुकी है और हमारे यहां पर 18 प्रतिशत ही हो चुकी है। अर्थात् विकास के क्षेत्र में हम पिछड़े रहे हैं। भारी कर्जा और पास में असेट्स नहीं– यह एक विकट परिस्थिति है जिसका कि सरकार और हमारे वित्तमंत्रीजी सामना कर रहे हैं।

परन्तु इसमें मैं एक चीज अवश्य कहता हूं कि कुछ दिनों पहले मेरे जोधपुर नगर के दूसरे प्रतिनिधि माननीय लोढा साहब जो सामने विराजे हैं उन्होंने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा था और उन्होंने कहा था कि वित्त मंत्री जी ने लगभग 2 करोड़ शराब के ठेकों में नुकसान पहुँचाया। उस चीज का मैंने भी अध्ययन किया और मैं यह जरूर कहूंगा कि उनकी बात पूर्णतया असत्य नहीं है और वित्त मंत्री जी ने उस

(श्री अमृत लाल गहलोत)

दिया वह पूर्णतया संतोषजनक नहीं है और जो राज्य को घाटा लगा वह बचाया जा सकता था मेरा ऐसा विचार है।

अब थोड़ा सा, अध्यक्ष महोदय, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां पर एक एस. एन. - मेडिकल कालेज है जो कि 1965 में बना था। दुर्भाग्य की बात है कि इन्डियन मेडिकल कौंसिल ने उस कालेज को रिकग्नाइज नहीं किया। वहां से जो एम. बी., बी. एस. पास करके जाते हैं उन्हें राजस्थान में तो नौकरी मिलती है परन्तु राजस्थान के बाहर कहीं नौकरी नहीं मिलती है। कहीं उनको पोस्टग्रेजुएशन में एडमीशन नहीं मिलता। इण्डियन मेडिकल कौंसिल की टीम आती है तो वह कई खामियां निकालती हैं जैसे आउटडोर विभाग खराब है, यह खराबी है, वह खराबी है और हमारे यहां जो महात्मा गांधी हास्पिटल है वह मेडिकल कालेज से 2 कि.मी. दूर है जब कि देश में मेडिकल कालेज से हास्पिटल इतनी दूर कहीं भी नहीं होगा। एक नया हास्पिटल का निर्माण शुरू हुआ था, उसकी नींव खुद गयी और नींव भर दी गयी जिसकी क्षमता लगभग 500-600 रोगी शैयाओं की थी। उसका काम बन्द पड़ा है। जोधपुर की आबादी 3½ लाख है परन्तु हमारे यहां रोगी शैयायें केवल 600 ही हैं जब कि बीकानेर की जनसंख्या हमारे से आधी है करीब 1½–1¾ लाख है और वहां पर मेडिकल कालेज का हास्पिटल है उसमें 1200 रोगी-शैयायें हैं। याने बीकानेर और जोधपुर का अनुपात देखें तो चौगुना है, 1:4 है। जरा देखिये महाराजा के जमाने में जितना यह हास्पिटल बना था उतना ही बना हुआ है, शायद एक दो कमरे ही बढाये गये हैं। एक वार्ड है पैड्रियाट्रिक उसमें 54 मरीजों की शैयायें हैं और वहां उनके पेरेन्टस और गारजियनस् भी जरूर रहते हैं और 112 नर्सिंग स्टाफ है और 120 व्यक्तियों के बीच में एक बाथरूम और एक लेट्रिन है। हमारे यहां पर एक टी.बी. हास्पिटल है। उसमें 112 रोगी शैयायें हैं परन्तु उनके संभालने के लिये एक ट्यूटर ग्रेड का व्यक्ति है। एक रोडर ग्रेड का था और वह प्रभावशाली था और जयपुर नहीं छोडना चाहता था। अब शायद जयपुर से रवाना किया गया है। 112 टी. बी. के पेशेन्ट्स और वह भी एक ट्यूटर के अन्दर में। वह कालेज में पढाये भी और रोगियों को देखे भी क्या यह सम्भव है?....

श्री मनोहरसिंह : एक सूचना दें कि शराब के कितने ठेके हैं?

श्री अमृतलाल गहलोत : यह मैंने गिने नहीं हैं। जितने आप शराब के बारे में चिन्तित हैं मैं आपसे ज्यादा चिन्तित हूं क्योंकि मैं शराब का सत्याग्रही रहा हूँ और मैंने मण्डौर डिस्टिलरी के सामने दो माह सत्याग्रह किया था।

मैं वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 16 गांव हैं वहां न तो क्रेश प्रोग्राम है, न फेमिन प्रोग्राम है और न रूरल वाटर सप्लाई स्कीम है। जोधपुर के अन्दर

(श्री अमृत लाल गहलोत)
ड्रेनेज की समस्या है और इस समस्या का भी आपके ही विभाग से ताल्लुक है तो कृपा करके ड्रेनेज की समस्या को भी विधिवत और वैज्ञानिक तौर से हल करने का प्रयत्न करें।

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्री जी।

श्री मनोहरलाल : पांच मिनिट बोल लूं। अभी सवा चार में पांच मिनिट बाकी हैं।

श्री चन्दनमल बैद : मुझे ही बोलने दीजिये।

श्री मनोहरलाल : पांच मिनिट बोल लूं मैं भी।

श्री अध्यक्ष : बोल लेने दीजिये।

श्री चन्दनमल बैद : जैसी आपकी इच्छा।

श्री मनोहरलाल (कामां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व अलवर से आने वाले माननीय सदस्य अग्रवाल साहब राजाओं के प्रिवी पर्सेज, उनकी सम्पत्ति और उनकी जमीन जायदाद के बारे में बोल रहे थे। मैं उन्हें एक बात याद दिला दूं कि महाराज कुमार करौली कम्यूनिस्ट हो सकते हैं तो उन्हें यह भी मान लेना चाहिए कि हमारी तरफ भी ऐसे लोग हो सकते हैं या हैं जो समाजवादी विचारधाराओं के विरुद्ध हैं किन्तु शोषण के विरुद्ध हैं और समता का ख्याल रखते हैं। मैं उन्हें अपनी तरफ से घोषणा किए देता हूं कि हमारे साथ भी महाराजा बैठते हैं और मैं उनका विश्वास लेकर और उनकी ओर से मैं यहां निवेदन कर रहा हूं कि महाराजा भरतपुर की जायदाद और सम्पत्ति सरकार आज ही कब्जे में ले ले लेकिन उस सम्पत्ति को लेने में जो देरी की जा रही है उसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि जो देरी की जा रही है उसका कारण क्या है। कारण यह है कि उन राजा महाराजाओं के महलों में ये नेता और मंत्री घुस जाना चाहते हैं, जनता के काम में नहीं लेना चाहते हैं। मैं श्री मान अग्रवाल साहब से निवेदन करूंगा कि आप उनके साथ हैं, आपने उनका साथ दिया है लेकिन वे आपका साथ इसलिए नहीं दे रहे हैं कि महाराजाओं की जायदाद, इनकी सम्पत्तियों को इस सरकार के नेता अपने काम में लेना चाहते हैं, जनता के काम में नहीं लेना चाहते। मैंने यह इसलिए कहा है कि महाराजा भरतपुर की जायदाद को आज ही कब्जे में ले लें और अगर आप में हिम्मत न हो आगे आगे मैं चलता हूं और आप मेरे पीछे चले आइए। लेकिन शर्त यही है कि कब्जे के बाद उसमें राज-बहादुर जी नहीं रहेंगे। उसमें पहाड़ियाजी के बच्चे नहीं रहेंगे, उसमें मुख्य मंत्री जी के बच्चे नहीं रहेंगे और उसमें वित्त मंत्री खुद जाकर नहीं रहेंगे, उस महल में जच्चा-घर होगा, कोई महिलाओं का कालेज होगा उस महल में कोई विद्यार्थियों का कालेज होगा। इसके लिए अगर सम्पत्ति को जप्त करते हैं तो रामानन्द जी अग्रवाल आप इस पर जोर दें वरना केवल जमीन जाय-दाद जब्त करने से, महलों को जप्त करने से कुछ होने वाला नहीं है। इनका नारा

(श्री मनोहर लाल)

गरीबी मिटाने का नहीं है बल्कि गरीबी हटाने का है। एक की गरीबी हट कर दूसरे के चली जायेगी। राजबहादुरजी की गरीबी हट कर बृजेन्द्रसिंह जी के यहां आ जायेगी और बृजेन्द्रसिंह जी की अमीरी राजबहादुरजी के यहां चली जाएगी। यह गरीबी हटाओ कार्यक्रम है, गरीबी मिटाने का कार्यक्रम नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। हमारे भरतपुर जिले में मैंने आंकड़े इकट्ठे किये हैं। एक साल तक मेहनत की है इस पर। भरतपुर जिले में दो करोड़ छब्बीस लाख रुपये सेलसटैक्स और पेसेंजर टैक्स में चोरी और घूसखोरी में जाते हैं। मेरे पास में आंकड़े हैं, आप चाहें मंत्री महोदय तो आप इसे ले लें, उनकी बहुत लम्बी एक डायरी है, किताब है, आप उसमें देख लीजिए। 2 करोड़ 26 लाख रुपया टैक्स की चोरी और रिश्वतखोरी में जाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप अगर इसको रोक लीजिये तो एक ही जिले में करीब सवा दो करोड़ रुपया टैक्स की चोरी में जाता है, घूसखोरी में जाता है। अगर आप इस को मिटा दें तो आपको कर्जा लेने की, अपना बजट बनाने की और दूसरे रिसोर्सेज ढूंढने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और न आपको टैक्स बढ़ाने की आवश्यकता होगी।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। जहां तक जेबें भरने का सवाल है मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कहता, लेकिन जहां अपनी जेबें भरने की बात आती है तो बड़ी जल्दी भरी जाती हैं, लेकिन जहां तक सरकार की जेब का सवाल आता है कोई नहीं देखता। दस दस साल से टैक्स वसूली नहीं हो रही, लोगों में दस दस साल का टैक्स [illegible] है लेकिन सरकार उनको वसूल नहीं करती, पिछले बकाया टैक्सों की वसूली नहीं करते ....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आपके खिलाफ केसेज चलते रहते हैं लेकिन आपके वकील अदालतों में जाते नहीं, रिकवरी के मुकदमे लड़ते नहीं और जिन जिन में सेल्स टैक्स के बकाया हैं आप उन्हें वसूल नहीं करते। अगर आप उन्हीं को वसूल कर लें तो आपका काम अच्छी तरह से चल सकता है।

इसके साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक जेबें भरने का सवाल है...

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : आप भी तो उन्हीं की वकालत करते हो।

श्री मनोहर लाल : अगर भारतीया जी आप पकड़े गए तो आपकी भी वकालत करूंगा। अगर आप चोरी में पकड़े जाओगे या और किसी केस में पकड़े जाओगे.........

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : लेकिन आप तो अदालत में पकड़े गए थे।

(शोरगुल—व्यवधान—अश्रव्य)

श्री मनोहरलाल : जब महाराजा बूंदी के खिलाफ बोल रहा था तो आपका

(श्री मनोहर लाल)

हार्ट फेल हो रहा था। अब मैं फिर वही हालत देख रहा हूं। महाराजा बूंदी जब चोरी करते हैं, वनों की चोरी करते हैं तो आपका दिल नहीं दुःखता, आप उनकी मदद पाने के लिए उनके बांदे बन कर उनके पास जाते हैं, उनके मजदूर बन कर जाते थे।

(शोरगुल-अश्रव्य)

आज जब मैं महाराजाओं की बात करता हूं या अग्रवाल साहब महाराजाओं की बात कहते हैं तो आपका दिल फटा जा रहा है····

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मैं आप से निवेदन करता हूं कि कृपया समाप्त करें।

श्री मनोहरलाल : अध्यक्ष महोदय, दो एक बातें और निवेदन कर देना चाहता हूं···

श्री अध्यक्ष : आपने पांच मिनिट की बात कही थी और पांच मिनिट में समाप्त करने का वायदा किया था।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, ज्यादा कुछ कहेंगे तो ये मेज पर चढ़ जायेंगे।

श्री मनोहरलाल : पता नहीं आप तो कहां कहां चढ़ते है, मैं तो मेज पर ही चढ़ता हूं।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्रीजी।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक पर आज दो दिन से जो बहस हो रही है उसके कुछ मुद्दों पर मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। अभी राजाओं को लेकर काफी सदन में गर्मागर्मी हुई। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य इस तरह से गरज रहे थे जैसे राजाओं को और राजाओं के प्रिवीपर्स को और प्रिविलेजेज को खत्म करने का सारा श्रेय उनको और उनकी पार्टी को ही हो और हमारे··

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ऐसा तो कहीं नहीं कहा है।

श्री चन्दनमल बैद : ···जनसंघ की तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य की यह शिकायत रहती है कि बूंदी महाराजा की जब वे बात कह रहे थे तो हमारे सदस्य क्यों नहीं बोले और जब वे भरतपुर महाराज के बारे में बोल रहे थे तो क्यों बोल रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा इस बारे में कि यह कांग्रेस पार्टी ही है जिसने राजाओं को समाप्त किया, राजाओं के प्रिविपर्सेज को समाप्त किया, प्रिविलेजेज को समाप्त किया। मैं इस बात को फिर दोहरा देना चाहता हूं कि अगर इस बारे में कोई प्रगतिशील कदम उठाने की किसी में हिम्मत है तो वह कांग्रेस पार्टी में है। कुछ लोग केवल नारा देना चाहते हैं, भाषण देना चाहते हैं और वे भाषण देते हैं लेकिन काम करने का मौका आएगा तो यह कांग्रेस पार्टी ही करेगी। इसी ने किया है और इसी में करने की हिम्मत और दम है।

(श्री चन्दनमल बैद)

प्रिविपर्सेज को भी हमने समाप्त किया है और प्रिविलेजेज को भी हम ही समाप्त कर रहे हैं। जो भी तरीके से काम होगा वह किया जाएगा। हम जानते हैं कि इस बात को कि कुछ लोग कुछ कामों को करना ही नहीं चाहते अराजकता भी फैलाना चाहते है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम काम को करना चाहते हैं और तरीके से करना चाहते हैं। नियम और कानून के तहत करना चाहते हैं। लेकिन कुछ माननीय सदस्य यह नहीं चाहते"। काम तो करें लेकिन उसमें अराजकता आनी चाहिए।

श्री भानुकुमार शास्त्री : जन्तर मंतर के दफ्तर पर किसने कब्जा किया था ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मंत्री महोदय, जो कांक्रीट मुद्दे उठाये हैं उनके सम्बन्ध में उत्तर दें तो ज्यादा उचित होगा। केवल यह बात कह देना कि हमने खत्म कर दिए हैं। इस बात से मैं समझता हूं कि इस प्रकार का भाषण तो सदन से बाहर कभी भी दे सकते हैं। सारी डेमोक्रेटिक ओपिनियन यह है कि बहुत बड़ा कदम उठाया है...

श्री चन्दनमल बैद : अलवर से आने वाले माननीय सदस्य हैं उनका भाषण सारा एक राजनैतिक प्लेटफार्म का भाषण था। मैं समझ नहीं पाया कि वह सदन में बोल रहे थे या चौपड़ पर भाषण कर रहे थे। इसीलिए मैंने भी यह उचित समझा कि जिस भाषा में उन्होंने भाषण किया उसी भाषा में मैं भी जवाब दे दूं तो ज्यादा उचित होगा।

आज राजस्थान के कर्जे और आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : हम तो चौपड़ और गलियों में और खलियानों में भाषण करने वाले लोग हैं इसमें कोई दो राय नहीं हैं। हमने वहां पर डण्डे भी खाये हैं और डण्डे खाते हुए ही यहां पहुंचे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरी शिकायत ट्रांसफर आफ प्रापर्टी के बारे में थी।

श्री चन्दनमल बैद : मुझे बोलने दें, मैं अभी सबका जवाब दे देता हूं। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपका बोलने का अन्दाज गलत है।

श्री चन्दनमल बैद : आपने मेरा नाम लेकर...

(शोरगुल-आश्चर्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : कांग्रेस नेताओं के प्रिवीपर्स को खत्म किया है। हमने प्रिविपर्सेज को खत्म कराने के लिये आन्दोलन किया है, जेल गए हैं और जेलों के अन्दर लाठियां खाई हैं।

श्री चन्दनमल बैद : जिनका काम जेल जाना है वे जेल जाते हैं और जिनका काम करना है वे काम करते हैं। आज राजस्थान के जो कर्जे बढ़े हैं उसके बारे में और ओवरड्राफ्ट के बारे में माननीय सदस्यों ने बहुत चिन्ता प्रकट की है। मुझे भी इसकी चिन्ता कम नहीं है और

(श्री चन्दनमल बैद)

इस चिन्ता का जिक्र मैंने अपने बजट भाषण में भी किया है। कुछ माननीय सदस्यों ने और खास करके हमारे जनसंघ के नेता, जो जोधपुर से आते हैं उनका कहना था कि जो बातें बजट में कही गईं वे बातें आज बिल्कुल बदल गई हैं इसलिए दूसरा बजट पेश करना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर मेरे बजट भाषण को ठीक तौर से पढ़ते तो वह इस बात को महसूस करते कि जो बातें आज हो रही हैं वह मैंने बजट भाषण में ही कह दी थी। उदाहरण के तौर पर बजट भाषण के पैरा 15 की तरफ ध्यान खींचूंगा। मैंने कहा था कुल मिला कर स्थिति यह है कि हमने पिछला वित्तीय वर्ष 86.82 करोड़ के ओवर ड्राफ्ट से समाप्त किया। इसमें 1971-72 के लेखों में किए जाने वाले समायोजन की रकम और जुड़ेगी" यह मैंने पहले ही कह दिया था और जब ओवर ड्राफ्ट 99.60 करोड़ है। "पिछले वर्षों से चले आने वाले इन घाटों के अलावा इस वर्ष में 31.24 करोड़ का अनुमानित घाटा है। इन निरन्तर चले आने वाले घाटों को राज्य पर 643.16 करोड़ के ऋण भार की पृष्ठभूमि में देखना चाहिए।" इस बात को बता दिया है, जो स्थिति है वह आपके सामने आई है। उसका स्पष्ट रूप से भाषण में जिक्र किया है। मुझे खुशी है कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरी इस स्पष्टवादिता की तारीफ तो करी है। वे भी इस बात को जानते हैं कि मैंने कोई बात छिपाई नहीं है। जो कुछ हुआ है वह सारा का सारा लिख दिया है। साफ साफ शब्दों में दिखा दिया है। यह शिकायत की गई थी कि हम यह कह रहे हैं कि यह जो 28 करोड़ का घाटा है वह पूरा हो जायेगा और वह पूरा नहीं हो रहा है। इसके स्पष्ट आंकड़े मैंने यहां पर दिये हैं। हमें आशा है कि केन्द्रीय सरकार से मिलने वाली सहायता से यह घाटा पूरा हो जायेगा। यों तो भारत सरकार से एकोमोडेशन मिली या फिर और ओवरड्राफ्ट करके इसको पूरा करे तो यह तरीका ठीक नहीं है। जब पंचवर्षीय योजनाएं बनी थीं तो यह इन्डीकेशन दिया गया था कि हमें इस सारे के लिये 135 करोड़ 32 लाख की स्पेशल एकोमोडेशन मिलेगी। अभी तक 31-7-72 तक 107 करोड़ 12 लाख मिल चुका है। अब हमें 27 करोड़ 75 लाख की स्पेशल एकोमोडेशन मिलनी है और इस 27 करोड़ 75 लाख में से हमें उम्मीद है कि 13, 14 या 15 करोड़ रुपया मिल जायेगा। इसलिये मेरा यहां पर यह जाहिर करना कि हमें स्पेशल एकोमोडेशन मिलेगी तो यह कोई गलत बात नहीं कही थी। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने कई टैक्सेज लगाये हैं उसमें हमारा भी हिस्सा है। हमने सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट के फाइनेन्स मिनिस्टर को लिखा है। यह जो पचास करोड़ के टैक्सेज हैं उसमें राजस्थान का भी हिस्सा है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे कि सदन को गुमराह किया हो और यह जो कुछ भी बात दिखाई है, स्थिति बताई है, बजट में जो बात कही है, वही हो रहा है, उसके अलावा और कोई बात नहीं है। ओवरड्राफ्ट 99 करोड़ 60 लाख का बजट भाषण में कहा गया

(श्री चन्दनमल बैद)

है। भारत सरकार ने माना है कि 31 मार्च को हमारा ओवरड्राफ्ट 68 करोड़ 62 लाख होना चाहिये, वह नहीं हुआ बल्कि 88 करोड़ हो चुका है। 29 अप्रेल को ओवरड्राफ्ट 99 करोड़ 60 लाख है। अब उसमें यह कर दिया गया है कि किसी भी स्टेट को 3 करोड़ 60 लाख से ऊपर ओवरड्राफ्ट नहीं लेना चाहिये। 99 करोड़ 60 लाख का ओवरड्राफ्ट 29 अप्रेल की समाप्ति पर हो गया है। अब जो 30 करोड़ की स्पेशल एकोमोडेशन को राशि बची है वह इसमें दे रहे हैं। इसके लिये हमने पत्र लिखा है और बराबर यह कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिये। हमारे फाइनेन्स कमिश्नर दिल्ली जाने वाले हैं और जो भारत सरकार के अधिकारी हैं वे उनसे मिलेंगे और चर्चाएं करेंगे। यह साफ कह दिया है कि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि इसको सहन कर सके। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। हम आज एक गंभीर स्थिति में से गुजर रहे हैं। इसका अहसास न केवल मुझे ही होना चाहिये बल्कि सदन के सभी माननीय सदस्यों को होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, अब मेरे सामने यह प्रश्न रखा गया है कि यह जो वित्तीय स्थिति है उसको कैसे हल करना चाहते हैं। जब बजट भाषण पर बहस हुई थी तो उस वक्त भी इसका जिक्र किया था। इस समय हमने करीब 100 करोड़ 43 लाख रुपये फेमीन के लिए लोन भारत सरकार से ले रखा है, और मैं भी यह मानता हूं कि यह जो फेमीन का लोन है वह लोगों को मजदूरी दिलाने और उनके लिये दूसरे इन्तजाम करने के लिये खर्च किया गया है। इस लोन से ऐसे काम कराये गये हैं जिनसे कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। इसलिये इसके लिए जो लोन मिलना चाहिये वह ग्रान्ट के रूप में मिलना चाहिये। भारत सरकार को लिखा है कि जो यह लोन मिला है, वह लोन हम अदा कर सकने की स्थिति में नहीं हैं। इसके बारे में गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया है कि एक नेशनल केलेमिटी कमीशन हो और सेन्ट्रल और स्टेट्स के बीच में इस तरह का एक नेशनल कमीशन नेशनल लेवल पर हो जिसमें सारी स्टेट्स कन्ट्रीब्यूशन देती रहें और जिस किसी भी स्टेट में फेमीन हो, फ्लड आये, साइक्लोन आवे या और किसी तरह की विपत्ति आवे तो उस नेशनल केलेमिटी फण्ड से ग्रान्ट मिलती रहे ताकि स्टेट की वित्तीय स्थिति पर उसका बुरा असर न पड़े। मेरा ऐसा यह मानना है कि 100 करोड़ 48 लाख का जो ऋण मिला है उसमें से अभी तक 24 करोड़ 52 लाख का पेमेन्ट कर दिया गया है और 75 करोड़ 96 लाख का पेमेन्ट करना है और हम भारत सरकार से यह कोशिश कर रहे हैं कि वह इस बात को माने कि यह जो मामला है, ऋण के भुगतान करने का, वह उस समय तक रोक दे जब तक कि नेशनल डेट कमीशन इस बात पर गौर न कर ले, विचार न कर ले कि यह ऋण सचमुच में ही लिया जाना चाहिये। प्रोडक्टिविटी के लिये जो लोन दिया जाता

(श्री चन्दनमल बैद)

है वह लिया जाना चाहिये यह हम मानते हैं, क्योंकि उससे प्रोडक्शन हो रहा है। उसका मूलधन भी दिया जाना चाहिये लेकिन ऐसा ऋण जिससे कोई उत्पादन पैदा नहीं हो सकता है, वह नहीं लिया जाना चाहिये। उसको एक तरह से मानना होगा कि नेशनल केलेमिटी को मीट करने के लिये यह ऋण लिया गया है। यह कोशिश कर रहे हैं कि यह जो ऋण है उस पर नेशनल डेट कमीशन या जो सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन हो, वह इस पर गौर करे और इसके पेटे जो ब्याज और मूलधन का 13 करोड़ 73 लाख रुपया है वह रोक दिया जाये। इस तरह से 28 करोड़ के घाटे में से 13 करोड़ 73 लाख यह चला जाता है और जो हमें स्पेशल एकोमोडेशन मिलने वाली है वह भी करीब 14 या 15 करोड़ के आसपास होगी, दोनों को मिलाकर यह राशि करीब 28 तक पहुँच जाती है। इस साल का जो घाटा है वह इस प्रकार पूरा हो जाता है। अब बीस करोड़ के एक बड़े ओवरड्राफ्ट का डिफरेन्स रहता है इसके बारे में भी एक योजना है और वह यह है कि हमने फेमीन में 115 करोड़ 85 लाख का खर्चा किया है और इसके अगेन्स्ट में 63 करोड़ 70 लाख का ऋण और 16 करोड़ 71 लाख की ग्रान्ट के रूप में भारत सरकार ने दिया है। यह जो हमने फेमीन के अन्दर खर्च किया है, वह ऐसा खर्चा है जिसको हम नहीं चुका सकते हैं। हम इसके लिये पूरा प्रयत्न कर रहे हैं और भारत सरकार के वित्त मंत्री महोदय से भी जाकर मिले हैं और उनको सारी स्थिति पेश की है, और ज्यों ही यहां से छुट्टी मिलेगी मैं स्वयं भी भारत सरकार के वित्त मंत्रीजी से मिलना चाहता हूं और उनके सामने सारे पाइन्ट रखूंगा। इस प्रकार हमारी स्थिति विषम है। चोर रास्ता बन्द है और जो सामने का रास्ता है उससे हम इसको हल करना चाहते हैं। और मैं यह उम्मीद करता हूं कि इस चीज का कोई हल निकालेंगे और जो विषम परिस्थिति में फंस गये हैं उसमें से निकल आयेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर कुछ इस तरह की बात कही गई कि जैसे हम जानबूझकर किसी जिले में तो प्लानिंग का काम ज्यादा करवाते हैं और किसी जिले के अन्दर कम करवाते हैं। अध्यक्ष महोदय, जो भी आंकड़े मुझे प्राप्त हो सके हैं उनको थोड़ा सा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यह आंकड़े 56-57 से लेकर 69-70 तक ही के आंकड़े उपलब्ध हो सके हैं। मैं अर्ज करता हूं हर जिले में पर कैपिटा 56-57 से लगाकर 69-70 तक के प्लानिंग में जो खर्चा किया गया है वह इस प्रकार है :—

अजमेर 207, अलवर 117, बांसवाड़ा 152, भरतपुर 161, भीलवाड़ा 154, बूंदी 416, कोटा 522 . .

बूंदी और कोटा में आपको रकम ज्यादा दिखाई देगी वह इस वास्ते कि वहां पर चम्बल पर खर्चा हुआ है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : कौन से ईयर्स का है?

श्री चन्दनमल बैद : 56-57 से लगाकर 69-70 तक का है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट ने तो फर्स्ट फाईव ईयर प्लान से लेकर...

श्री चन्दनमल बैद : फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में हमारे पास आंकड़े जिस तरह के हम चाहते हैं उस आधार पर नहीं हैं। इस वास्ते 56-57 से लेकर 69-70 के दिये गये हैं।

कोटा-बूंदी में जो हैं वह इस वास्ते ज्यादा दिख रहे है कि चम्बल का खर्चा कोटा और बूंदी को डेबिट हुआ है। इन दोनों जिलों में उससे इरिगेशन हो रही है जब कि बिजली सारे राजस्थान में काम में ली जा रही है। इस वास्ते सही आंकड़े तो इस मायने में यह भी नहीं हैं। और चम्बल के आंकड़ों को निकाल दें तो कोटा और बूंदी में आंकड़े कम दिखाई देंगे।

चित्तौड 173, डूंगरपुर 149, जयपुर 281...

जयपुर के लोग इस बात पर चिन्तित हैं कि हमारे यहां पर खर्चा कम हुआ और फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य कल बारबार इस बात पर जोर दे रहे थे कि हमें बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, उनको अर्ज करना चाहता हूं कि जयपुर में 281 रुपया पर केपिटा इन सालों में खर्च किया गया है।

झालावाड़ 161, झुन्झुनूं 121, सवाई माधोपुर 113, सिरोही 115, टोंक 135, उदयपुर 215, बाड़मेर 66, बीकानेर 378...

बीकानेर में इस वास्ते ज्यादा दिख रहा है कि वहां पर राजस्थान केनाल का थोड़ा बहुत काम हुआ है वह इसमें लिया गया है।

गंगानगर 639, जैसलमेर 2449...

जैसलमेर में भी इस वास्ते ज्यादा है कि वहां पर भी राजस्थान केनाल का काम हुआ है और वह डेबिट हुआ है।

चूरू 112, जालौर 83, जोधपुर 230, नागौर 107, पाली 135, सिरोही 158।

अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि यह नहीं हो सकता है कि हर जिले में बराबर खर्चा करें। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं।

श्री पी. के. चौधरी : आपने अभी बतलाया है...

श्री चन्दनमल बैद : आप पीछे पूछ लेना उसका मैं जवाब दूंगा।

श्री पी. के. चौधरी : आपने जो फीगर दिये हैं मैं समझता हूं कि जो भूतपूर्व माननीय मुख्य मन्त्री ने फीगर्स दिये थे उनसे टेली करके देख लें।

श्री चन्दनमल बैद : ठीक है मैं टेली कर लूंगा।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे आज की सरकार हो चाहे उन वर्षों की सरकार हो, किसी की मनमानी यह नहीं थी कि किसी जिले में कम काम किया जाय और किसी जिले में ज्यादा काम किया जाय। भौगोलिक परिस्थितियां

(श्री चन्दनमल बैद)

ऐसी कुछ हो सकती हैं कि जिनके कारण किसी जिले में कुछ ज्यादा काम हो सकता जैसे गंगानगर, बीकानेर, कोटा, बूंदी और जैसलमेर के कुछ जिले ऐसे हो सकते हैं कि जहां पर भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी थीं कि हमें खर्चा ज्यादा करना पड़ा है। जहां पर भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी नहीं है तो वहां पर कम हुआ है, लेकिन यह कभी मन्शा नहीं रही कि एक जिले को छोड़ दिया जाय या एक जिले को कम बढ़ाया जाय। इसलिए माननीय सदस्यों के मन में इस प्रकार की कोई शङ्का हो, कोई भ्रम हो, या सन्देह हो तो उसको निकाल देना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो रीजनल इम्बेलेन्सेज के आपने फीगर्स पर केपिटा फार ईच डिस्ट्रिक्ट जो बताये हैं वह क्या आपकी इकोनॉमिक नीतियों के कारण हैं ? यह बात अपने आप साबित होती है।

श्री चन्दनमल बैद : फीगर्स आपके सामने है इन्फरेन्स आप जो ड्रा करना चाहें करें।

एक थोड़ी सी मैं एक्साइज विभाग के बारे में बात करना चाहता हूं। प्रोहिबिशन के बारे में 5 बजे जो वक्तव्य होगा उसमें उसके बारे में जो कुछ कहना है वह कहूंगा। एक्साइज डिपार्टमेंट के बारे में काफी चर्चा हुई है, और मैं चाहता हूं कि इस बारे में थोड़ी सी सफाई हो जाय तो बहुत अच्छा हो। अभी गर्मागर्मी चला है उसके बाद में जनसंघ के नेता ने अपने भाषण के अन्त मे बधाई दी कि यह काम किया गया है उसके लिए मैं बधाई देता हूं। मैं समझता हूं कि वे काफी समझदार हैं। दोनों तरफ के माननीय सदस्य समझदारी के साथ बैठकर सोचें कि आज जो एक्साइज डिपार्टमेंट में ठेका हुआ है उससे हमारी स्टेट को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। हमने एक्साइज डिपार्टमेंट में इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि मोनोपोलीज को समाप्त करना है, जो ग्रुपिज्म के आधार पर दुकानें दे रहे हैं उसको समाप्त करना है, और जो बड़ी बड़ी दुकानें 50 हजार के ऊपर की हैं उन दुकानों से 15 पर्सेन्ट ज्यादा रेवेन्यू लेना चाहते हैं और जो 54 हजार से नीचे की दुकानें हैं देहातों में उनसे 10 पर्सेन्ट ज्यादा रेवेन्यू लेने की तरफ आये हैं लेकिन उस चीज को ख्याल में रखा है कि ग्रुपिज्म को खत्म करना है, मोनोपोली को खत्म करना है तो वह तभी खत्म हो सकती है जब कि नये लोग एक्साईज डिपार्टमेन्ट में आयें। एक्साइज डिपार्टमेन्ट की पोलिसी को इसी आधार पर हमने बनाया है। उसे सोचकर जो 1738 दुकानें थीं उनमें से 419 वह है जो 50 हजार से ऊपर की दुकानें थीं या शहरों में थीं, और 1319 दुकानें वह थीं जो कि छोटी और देहातों की दुकानें थीं। तो 419 की जो अपसेट प्राइस 115 पर्सेन्ट तय की थी और वह 5,50,00,000 रुपये हुई और 1319 दुकानों की जो अपसेट प्राइस तय की थी उससे 1 करोड़ 77 लाख रुपये हुई तो कुछ अपसेट प्राइस 7 करोड़ 27 लाख हुई, और इसके अनुसार 11 तारीख तय के जो समाचार मिले हैं सारे राजस्थान से उसके आधार पर मैं

(श्री चन्दनमल वैद)

अर्ज करना चाहता हूं कि हमारा सेटलमेंट 419 के अगेन्स्ट में आया है 281 दुकानों का। यह सेटलमेन्ट जो मिला है वह जो 50 हजार की दुकानें हैं जो कि शहरों में थीं उसमें जो अभी तक प्राइस मिली है वह हुई है 4 करोड़ 89 लाख तब उसकी अपसेट प्राइस 3-99 मिली। और 1319 जो देहात की दुकानें हैं उनमें से 993 दुकानों का सेटिलमेन्ट हुआ है और उसकी अपसेट प्राइस 1-38 हुई उसके अगेन्स्ट में 1 करोड़ 38 लाख रुपये मिलते हैं तो कुल मिलाकर 6 करोड़ 27 लाख रुपये हमें इससे प्राप्त हुए हैं, और एक महीने के लिए जो हमने टेण्डर का समय बढ़ाया था उसमें 45 लाख मिला। इस तरह से कुल 6 करोड़ 72 लाख हमें देशी शराब के कान्ट्रेक्ट से मिला है, ठेका उठा है, पहले जो ठेका दिया था वह 6 करोड़ 57 लाख में दिया था। और, अध्यक्ष महोदय, यह उस हालत में 15 लाख रुपया ज्यादा मिल रहा है जब कि 135 दुकानें जो कि 50 हजार के ऊपर की है और 326 दुकानें जो 50 हजार से नीचे की है उनका सेटलमेन्ट करना बाकी है। तो जो 136 दुकानें बची हैं उनसे 1 करोड़, 1 लाख और 326 दुकानों से 77 लाख, इस तरह से हमें 1 करोड़ 88 लाख अपसेट प्राइस वाली दुकानों को सेटलमेन्ट करना अभी बाकी है। अभी भी जो प्राइस आज तक मिली है वह पिछलेसाल 15 लाख ज्यादा मिल चुकी है। मैं बताना चाहता हूं कि स्टेट की रेवेन्यू को कम करने की दृष्टि से हमने यह पालिसी नहीं बनाई है। इन तमाम बातों को खुद जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने माना है कि इससे ग्रुपिज्म खत्म हुआ है, इससे मोनोपोली खत्म हुई है, और तीसरी बात मैं आज उन्हें यह मनवाना चाहता हूं कि जो पालिसी हमने बनाई है उससे स्टेट की रेवेन्यू भी बढ़ी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और भी अर्ज करना चाहता हूं इस सिलसिले में कि यहां पर पहला टेण्डर एक्सेप्ट करने की बात कही गई थी। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पहला टेण्डर आम तौर पर, जैसा कि ये लोग करते हैं उन लोगों ने अपने मुनीमों से और नौकरों, से दिलवाया है वह लोग यह चाहते थे कि पहला टेण्डर तो एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं और हमारी खुशामद करेंगे। पहले और दूसरे टेण्डर में अमूमन 15–20 लाख का फर्क रखते हैं। उन्होंने इस तरह से बड़ा टेण्डर दे दिया इस आधार पर कि पैसा जमा नहीं करायेंगे तो वे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और सरकार के सामने कोई रास्ता रहेगा नहीं। 30 तारीख हो गई है और 30 तारीख को सन्डे भी था और एक मई को उनका टाइम बढ़ाना पड़ेगा नहीं तो सरकार क्या करेगी। उनको यह नहीं मालूम था कि दूसरे टेण्डर वाले को दुकानें दे देंगे उनको यह नहीं मालूम था कि दूसरे गंगानगर शुगर मिल द्वारा दुकानें खुलवा दी जायगी। अगर उनको यह मालूम होता तो यह काम नहीं करते। उन्होंने 30 तारीख को लास्ट डेट को इतना बड़ा टेण्डर अपने नौकरों से दिलवाया और उनका यह इरादा था कि उसका मनी जमा नहीं करायेंगे तो मजबूरन होकर दुकानें हमी को

(श्री चन्दनमल बैद)
देना पड़ेगी। इसको थोडा सा में एक्सप्लेशन भी करना चाहता हूं। आप जयपुर सिटी के 8 साल के अमाउण्ट को देख सकते है।

1964–65	38,51,000 रु.
1965–66	39,36,001 रु.
1966–67	4 ,01,192 रु.
1967–68	46,47,770 रु.
1968–69	46,07,180 रु.
1969–70	37,00,000 रु.
1970–71	47,00,000 रु.
1971–72	47,95,200 रु.

अध्यक्ष महोदय, ये 8 साल के फिगर दे रहा हूं। सारो की सारी रकम है। 8 साल में यह बातें नहीं हुई है। अब यह 1 करोड 2 लाख का टेण्डर आया। इसका मतलब है कि बडा टेण्डर दे दिया। फिर लिया नहीं। फिर करैण्ट अपसेट प्राइस है 51,68,010 रु. 11 महीने के लिये। टोटल आफ फर्स्ट टेण्डर अमाउण्ट (11 मन्थ) 1,01,27,803 रु. करैण्ट अमाउण्ट आफ करैण्ट ईयर (11 मन्थ) 64,17,329 रु. है। जब उनको यह मालूम हो गया कि ये ब्लेक करने वाले हैं तो दूसरा जो था उसके लिये कोई कारण नहीं था कि यह एक करोड़ का हो जाता। ऐसा कोई बडा भारी उत्सव जयपुर में नहीं होने वाला था कि एक दम इतनी आमदनी हो जायेगी। मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि यहां पर 3 ठेकेदारों ने अपनी मोनेपोलो बना रखी है। उन्होंने सोचा कि इस प्रकार करने से सरकार मजबूर हो जायेगी और उन्हीं को ठेका दिया जायेगा। हमने न सिर्फ, न केवल ग्रुपिज्म ही तोड़ा बल्कि मोनेपोली भी तोड़ी है। पिछले साल से अगर हम डेढ़ लाख रुपया भी बढ़ा देते हैं हैं तो सरकार का मामूली प्रयत्न नहीं है अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, एक दो बातें और कहना चाहता हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : रहमत खां ... छूट गया इसके अन्दर से या नहीं?

श्री चन्दनमल बैद : यह तो मावली से आने वाले माननीय सदस्य ही जानते होंगे। मैं तो उनका नाम जानता नहीं हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : (अश्रव्य)

श्री चन्दनमल बैद : हमारे पास तो यह डिपार्टमेंट अब आया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हो सकता है कि पीछे से घुस गया हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पुराने साथियों से मत भिड़ो, पोल खुल जायेगी।

श्री चन्दनमल बैद : मेरी कोई छुपी हुई चीज हो तो सामने लायें। मेरा कुछ भी हुआ नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कहीं खोल नहीं देना।

श्री गुमानमल लोढा : माननीय वित्त मंत्री जी, मेरा एक प्रश्न है?

श्री चन्दनमल बैद : पहले मैं बोल लूं।

श्री गुमानमल लोढा : छोटा सा प्रश्न हैं।

श्री चन्दनमल बैद : पहले मैं बोल लूं तब आप पूछ लें।

माननीय सदस्यों का कहना है कि राजस्थान में बड़े टैक्स लगा दिये हैं। 71–72 के एक्साइज आंकड़े मैं पढ़कर सुनाता हूं बजट के फीगर ले सकते थे। 72–73 के बजट भी सब जगह आ चुके हैं। मैं आप के सामने कुछ राज्यों की पर कैपिटा आय रखना चाहता हूं।

आंध्र प्रदेश	65.76
आसाम	75.70
बिहार	44.22
गुजरात	2.23
हरियाना	93.53
जम्मू-कश्मीर	137.4
मध्य प्रदेश	8.26
मद्रास	92.49
उड़ीसा	60.80
राजस्थान	67.90
यू. पी.	46.82
वैस्ट बंगाल	77.76

श्री रामानन्द अग्रवाल : तीन इलेक्शनों के बाद बढ़ी है।

श्री चन्दनमल बैद : हमारे भी इलेक्शन के पहले के फिगर हैं।

पहले नम्बर पर जम्मू और कश्मीर है। दूसरे नम्बर पर पंजाब है, 105.87 है। तीसरे नम्बर पर हरियाना है, 93.53 है। चौथे नम्बर पर महाराष्ट्र है, फिर मैसूर और गुजरात हैं। राजस्थान का नम्बर 11वां है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं...

श्री मोहनराज : अध्यक्ष महोदय, आप ने जो फिगर दिये हैं पंजाब और हरियाना के, तो उनकी इकोनामिक ग्रोथ कितनी है, और अपनी कितनी हुई है ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, कोई भी सवाल उठा लें। अध्यक्ष महोदय जिनका टैक्स कम है, उनको इकोनामी कम है। जिन्होंने हिम्मत करके टैक्स लगाये हैं उनकी इकोनामिक ग्रोथ बढ़ी है। जो पीछे रहे हैं जैसे यू. पी. और बिहार ये इकोनॉमिक ग्रोथ में पीछे रहे हैं और रहेंगे। अगर हमने भी ऐसा किया तो हम भी पीछे रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने काफी बातें कर ली हैं। हम भी सदन की विचारधारा से अलग नहीं रह सकते हैं। उसको मानते हुए छोटी मोटी घोषणाएं कर सकता हूं मैं आपके सामने वह पढ़कर हो सुनाऊंगा।

बजट पर सामान्य वादविवाद और मांगों को बहस के समय माननीय सदस्यों ने कर प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने करों की दर में कमी या छूट के कुछ सुझाव भी दिये। राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए, उन सारे प्रस्तावों पर विचार करना मेरे लिए सम्भव नहीं है। पर फिर भी जहां तक सम्भव हो सका है मैंने उनके कुछ सुझावों पर पुनः विचार किया है।

मोठ के अतिरिक्त दालों पर (जिनमें ग्वार शामिल है), उनके समस्त रूपों में, बिक्री कर की दर बढ़ा कर 2 प्रतिशत से 3 प्रतिशत की गई थी उसे मैं वापिस घटा कर 2 प्रतिशत ही रखने का प्रस्ताव करता हूं। राजस्थान बिक्री कर अधिनियम के अधीन पूरा कर दे दिए जाने पर यदि दालें

(श्री चन्दनमल बैद)
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बेची जायं तो केन्द्रीय बिक्री कर 1 प्रतिशत की दर से लिया जाता है। क्योंकि दालों पर राज्य के कर की वृद्धि के प्रस्ताव को वापिस लिया जा रहा है, इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि केन्द्रीय बिक्री कर अब पूर्वोक्त स्थिति में 2 प्रतिशत से लिया जाय।

नकली गोटा (गोटा, गोटा किनारी आदि जो सोना, चांदी या स्टेनलेस स्टील से निर्मित न हो) जनता के बहुत कम आय के वर्ग में ही काम लिया जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए इन पर कर वृद्धि के प्रस्ताव को मैं वापिस लेता हूं। पहले की तरह चांदी के आभूषण पर 2 प्रतिशत व नकली गोटा, किनारी आदि पर 3 प्रतिशत से ही कर लिया जाएगा।

कुछ परिस्थितियों में हाथ से बने हुए साबुन पर बिक्री कर से छूट थी, उसका दुरुपयोग हो रहा था अतः यह छूट वापिस ले ली गई थी। दुरुपयोग को रोकने के लिए अन्य प्रशासनिक कदम उठाए जायेंगे। मैं इस छूट को, पहले जिन शर्तों के तहत छूट दी गई थी, उनके अतिरिक्त इस शर्त पर छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ कि ऐसे निर्माता सम्बन्धित वाणिज्यिक कर अधिकारी से छूट का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे जो डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) की पूर्व अनुमति से जारी किये जायेंगे।

हलवाइयों द्वारा बनाई और बेची जाने वाली मिठाई और नमकीन पर कर से छूट थी। यह छूट वापिस ले ली गई थी। ऐसे लोगों के व्यवसाय की आकृति को देखते हुए कर दायित्व लागू करने के लिए टर्नओवर की सीमा तीस हजार रुपये से बढ़ा कर पचास हजार की जाना उचित प्रतीत होता है। इसके लिए बिक्री कर अधिनियम में आवश्यक संशोधन करना होगा जिसके लिए उचित कदम शीघ्र उठाए जायेंगे। यह बढ़ी हुई टर्न ओवर की सीमा उक्त संशोधन के हो जाने के दिनांक से लागू होगी।

26-4-72 से पहले चने के सम्बन्ध में प्रति एकड़ एक पिलाई की दर 1 से 7 रुपये थी और दो या दो से अधिक पिलाई पर 9 रु. से 12 रुपये थी। विभिन्न परियोजनाओं की दरों में एकरूपता लाने के अभिप्राय से मैंने एक पिलाई पर 2 रु. प्रति एकड़ की दर प्रस्तावित की थी। इस एकरूपता से कुछ एक क्षेत्रों में सिंचाई दर का भार अधिक होने की दलील माननीय सदस्यों ने दी है। मैं अपने इस प्रस्ताव को वापिस लेता हूं। विभिन्न परियोजनाओं में चने पर जो भी दरें 26-4-72 के पहले एक पिलाई पर या दो से अधिक पिलाई पर क्रमशः लागू थी वे ही लागू रहेगी।

करों की कमी या छूट के पूर्वोक्त प्रस्तावों से राज्य को आय में 21 लाख की कमी होगी। यह कमी करों से सम्बन्धित प्रशासनिक मशीनरी को सुधार कर और इवेजन आफ टैक्स को रोकने के लिए कारगर कदम उठा कर पूरी की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, समय करीब करीब समाप्त हो रहा है, पांच बज रहे हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता

Page No 119

(श्री चन्दनमल बैद)

हूं कुछ माननीय सदस्यों ने मेरे चेहरे पर समाजवाद देखने की कोशिश की, कुछ ने कहा कि इस बजट को देख कर निराशा हुई, कुछ ने यह कहा है कि चन्दनमलजी बैद गरीबी हटाओ के सिद्धान्त के अनुसार बजट पेश नहीं कर सके। अध्यक्ष महोदय, मुझे इनके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है और उनको कहने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमारी तो, अध्यक्ष महोदय एक कसौटी है, जिस प्रकार से सोने चांदी को परखने के लिए कसौटी हुआ करती है वैसे ही कांग्रेस जन परखने के लिए कसौटी है और वह कसौटी है कांग्रेस का मेनीफेस्टो। मैं यह चाहता हूं कि हम लोगों को, इधर के कांग्रेस के साथियों को, मंत्रिमण्डल के सदस्यों को इस कसौटी पर परखना चाहिए, हमारे मेनीफेस्टो के आधार पर हमें परखना चाहिए। मैं यह मान कर चलता हूं कि जनता के सामने जब हम वोट मांगने गए थे, उस वक्त उनसे हमने कुछ वायदे किये थे, और यह वायदे जो हमने जनता से वोट मांगते वक्त उसे दिये थे, उनके सम्बन्ध में मेनीफेस्टों में कहा है, और मैं दावा करता हूं कि हम सच्चाई और विश्वास के साथ उन वायदों को पूरा करना चाहते हैं, अगर हम उन्हें पूरा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हम पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। सामने बैठने वाले माननीय सदस्यों से मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि हमारा जो मेनीफेस्टो है, उसके अनुसार हम काम करते हैं, हमने जो वायदे किये हैं उनको हम पूरा करते हैं और अपने कर्त्तव्य को पूरा करते हैं तो उनकी आशा या निराशा से मेरा सम्बन्ध नहीं है।

इतना ही कह कर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि क्वेश्चन बाद में पूछें।

श्री अध्यक्ष : एक आध पूछ लीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, कई क्वेश्चन मैंने स्पेसिफिकली रेज किये हैं, मैं समझता हूं कि मंत्रीजी को उनका उत्तर देना चाहिये था।

मैंने टैक्स के बारे में कहा था कि अर्बनलैंड पर टैक्स लगा हुआ है 1964 से, वह वसूल नहीं कर रहे हैं–इसका क्या कारण है? इस प्रश्न को कितनी बार रेज किया है। यह फाइनेंसियल मैटर है, जिसका जवाब देना चाहिए था। जब कि फाइनेन्शियल स्ट्रिन्जेंसी है, उस स्थिति में भी आप उत्तर न दें तो अनुचित है। आपको यह चाहिए कि इसका हाउस में जवाब दें।

दूसरा स्पेसिफिकली पाइन्ट रेज किया था बेकन फैक्ट्री का क्वेश्चन रेज किया था, जहां फिजूल पैसा खर्च हो रहा है, जो इस फाइनेन्शिय स्ट्रिन्जेंसी में बचाया जा सकता है तीसरा मैंने पब्लिक अन्डरटेकिंग रोड-वेज का प्रश्न रेज किया था। यह भी फाइनेन्शियल मेटर है। यह तीनों स्पेसिफिकली और पॉइन्टेडली प्रश्न रेज किये थे और फाइनेन्शियल स्थिति को सुधारने की दृष्टि से सुझाव दिये थे। मैं निवेदन करूंगा, इनका मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री भानुकुमार शास्त्री: अध्यक्ष महोदय, जो रास्ते नेशनलाइज नहीं हो सके हैं और

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
रोडवेज की बसेज के स्थान पर दूसरी बसें जिन पर चलती है, उनके टिकट में जो यात्रीकर के अन्दर चोरियां होती हैं उनके सम्बन्ध में मैंने सुझाव दिया था कि यह टिकट ट्रेजरी से छपवाये जायं और मोटर मालिकों को यह इजाजत न दी जाय कि वह स्वंय जाकर टिकट छपवाये और अपने प्रकार से गाड़ियां इधर उधर चला कर, कई कई बसेज के चक्कर लगाकर नाजायज फायदा उठायें। मैं यह सुझाव के रूप में अर्ज करूंगा कि या तो इन व्यापारी, मोटर मालिकों के साथ बैठ कर एवरेज के आधार पर लमसम राशि उनसे ली जाय या जो टिकट की व्यवस्था है उसमें क्योंकि यात्री कर होता है इसलिए ट्रेजरी के द्वारा यह व्यवस्था कराई जाय ताकि वह अनुचित लाभ नहीं उठा सकें और राज्य सरकार को नुकसान न दे सकें। यह स्पेसिफिक क्वेश्चन मेरा है, इसका मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री केदारनाथ : आपने जो पर कैपिटा इन्कम दी है और जो सेन्टर का प्लानिंग कमीशन देता है, इसमें फर्क क्यों आ गया ?

श्री चन्दनमल बैद : क्या फर्माया ?

श्री केदारनाथ : पर कैपिटा इन्कम जो आपने दी है और जो प्लानिंग कमीशन देता है उसमें बहुत फर्क है।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हर स्टेट और प्लानिंग कमीशन का अलग अलग आधार है, उस आधार पर पर-कैपिटा इन्कम निकालते हैं। आज हर गवर्नमेन्ट अलग निकाल रही है और इस कारण से जो पर कैपिटा इन्कम है वह हर स्टेट की अलग 2 हैं और वह केन्द्र से मिलती नहीं है। जब तक हर स्टेट का पर कैपिटा इन्कम निकालने का आधार अलग अलग है और जब तक अखिल भारतीय लेवल पर एक आधार तय न हो जाय तब तक यही स्थिति रहेगी।

श्री मनोहरलाल : क्या आपके चुनाव घोषणा पत्र में यह है कि आप टैक्स बढ़ायेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : आप मेनीफेस्टो को पढ़ लें तो आपको मालूम हो जायगा। मैं आपको मेनीफेस्टो दे दूंगा।

श्री मनोहरलाल : आप तो यह बता दें कि क्या आपके चुनाव घोषणा पत्र में टैक्स बढ़ाने के बारे में है ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने तो तीन मुद्दे उठाये है, उन पर मैं गौर करूंगा और उनका उत्तर दे दूंगा।

उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह सवाल उठाया है कि यात्री कर की चोरी हो रही है। उन्होंने बसेज के नम्बर बताये थे, उनकी मैं जांच करवाऊंगा और उस सम्बन्ध में कारगर कार्यवाही करूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने जो स्पेसिफिक पाइन्ट रेज किये हैं उनका हाउस में जवाब चाहता हूं। अभी तो टैक्सेशन बिल आयेगा, उस समय जो क्वेश्चन मैंने आज रेज किये हैं उनका हाउस में ही जवाब दे दीजिये, यह अच्छा रहेगा।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, आपने फर्माया कि पहले पहले टेण्डर देने वाले ने बोगस टेण्डर दिलवाये ताकि दूसरे को टेन्डर न मिले और पुराना ही कन्टीन्यू कर सके। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जी. एफ. आर. के अनुसार भविष्य में टेण्डर बोगस न आ सकें इसलिए आइडेंटिफिकेशन हो और टेण्डर को एक्सेप्ट नहीं करें वह कुछ रकम जमा कराये और उससे टेण्डर के लिए कुछ राशि वसूल कर सकें–इसके लिए आप प्रावधान रखें।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य नामी वकील रहे हैं, मैं नामी वकील जानबूझ कर यूज कर रहा हूं, टेण्डर देने से ही एग्रीमेन्ट पूरा नहीं होता है। जब कह दें कि पैसा जमा कराओ तब एग्रीमेंट पूरा होता है। एग्रीमेंट के पहले बाउन्ड नहीं कर सकते। जो हमने अर्नेस्ट मनी ली वह इसलिए कि ज्यादा लोग कम्पीटीशन में आ सकें। यह भी सोच रहे हैं कि जिस तरह से पी. डब्ल्यू. डी. के अन्दर लाइसेन्स्ड कान्ट्रेक्टर होते हैं, उसी तरह से इसमें भी कान्ट्रेक्टर लाइसेन्स्ड हो और वह कम्पीटीशन कर सके–इसकी बुराइयां भी हैं और अच्छाइयां भी हैं– इस सारे विवेचन को मैं एक्जामिन करवा रहा हूं कि इससे कितनी बुराई पैदा हो जायगी और कितनी अच्छाई पैदा हो जायगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1972 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री केदारनाथ : पहली बार फाइनेन्स मिनिस्टर ने रखा है इसलिए हां कर दी।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि इस विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव करूं मैं आपके प्रति बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं और उपाध्यक्ष महोदय के प्रति भी कि आपने जिस खूबी से संचालन किया जो भी डिबेट इस सदन में डिमाण्ड पर हुई और जो एप्रोप्रियेशन बिल पर सामान्य वाद-विवाद हुआ–उसका आपने खूबी से संचालन किया–उसके लिये मैं आपके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने सामान्य वाद-विवाद के समय, डिमाण्ड्स पर बहस के समय या एप्रोप्रियेशन बिल पर वाद-विवाद के समय कीमती सुझाव दिये हैं अपने तरीके से राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए, डिपार्टमेन्ट के वर्किंग को सुधारने के लिए जो सुझाव दिये हैं–उनका हमने जवाब दिया हो या नहीं, वह हमारे दिमाग में हैं और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो हमारी नीति के अनुकूल सुझाव आये है उन पर हम अमल करेंगे। जिन माननीय सदस्यों ने बहस में भाग नहीं लिया है या जिनको इस सदन में तकरीर करने का अवसर नहीं मिला है और जिन्होंने इस सदन में हुई तकरीरों को सुना है–मैं उन सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक को पारित किया जाय।

श्री केदार नाथ : अभी तो चार सेशन और हैं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य

शासकीय वक्तव्य

सर्वोदयी नेता श्री गोकुल भाई भट्ट द्वारा अनशन–उनकी गिरफ्तारी एवं मद्य निषेध के सम्बन्ध में

श्री शंकर लाल : समय समाप्त हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष : कितना टाइम बढ़ाया जाय ।

श्री हरिदेव जोशी : जब तक पूरा नहीं हो ।

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति से जब तक वक्तव्य समाप्त न हो तब तक के लिए सदन का समय बढ़ाया जाता है ।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, गत 17 मई, 1972 को आबकारी और करारोपण सम्बन्धी अनुदान पर हुई बहस का उत्तर देते समय मैंने शराबबन्दी के सम्बन्ध में सरकार की नीति और 16 मई, 1972 से श्री गोकुलभाई भट्ट द्वारा अनशन आरम्भ कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में संक्षेप में जिक्र किया था। मैंने कहा था कि इस तथ्य को नजरअन्दाज करते हुए कि हम सरकारी पक्ष में हैं या विपक्ष में, हम सब श्री गोकुलभाई भट्ट के इस कदम से चिंतित और दुखी हैं। हमारे दिल में श्री गोकुलभाई भट्ट के लिए सर्वोच्च आदर का भाव है, क्योंकि वह हमारे अत्यन्त आदरणीय राजनीतिक नेता हैं और उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में और उसके बाद तक अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है । श्री भट्ट अपनी मान्यताओं के प्रति कितने साहसी और निष्ठावान हैं यह सब कोई जानते हैं। उनकी मान्यता है कि शराबबंदी एक सामाजिक आवश्यकता है और इस बारे में हमारा उनसे कोई मतभेद नहीं है । सरकार शराबबंदी की आवश्यकता के प्रति कृत संकल्प है और इसे मैं यहां आज फिर दोहराना चाहता हूं। परन्तु जिन परिस्थितियों में आज हम हैं, उसकी वजह से हम राज्य में शराबबंदी करने की दिशा में आगे बढ़ने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं। पहले भी मैंने कई अवसरों पर सदन के अन्दर और बाहर इस संबंध में विस्तृत चर्चा की है । आज फिर मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा, परन्तु इसके पहले मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने इस संबंध में अपनी कठिनाइयों से श्री गोकुलभाई भट्ट, श्री जयप्रकाशनारायण और श्रीमती सुशीला नैय्यर जैसे सर्वोदयी नेताओं को अवगत कराने में कोई कसर नहीं उठा रखी है ।

राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक शराबबंदी के बारे में यथास्थिति कायम रखने के सरकार के निर्णय की सूचना राज्यपाल के अभिभाषण पर

(श्री चन्दनमल बैद)

धन्यवाद के प्रस्ताव पर हुई बहस का उत्तर देते समय 28–3–72 को मुख्य-मंत्री ने सदन को दे दी थी। उसके तत्काल बाद ही श्री गोकुलभाई भट्ट ने मुख्य मंत्री से सम्पर्क किया और इस निर्णय के प्रति असंतोष प्रकट किया। उस समय से लगातार हम लोगों ने श्री गोकुलभाईजी से सम्पर्क रखा और उनसे बातचीत करते रहे हैं। मुख्य मंत्री, मैंने और हम दोनों ने, अप्रेल 1972 में कई अवसरों पर इस सम्बन्ध में श्री गोकुलभाईजी से चर्चा की है इस स्थिति पर चिन्ता व्यक्त करते हुए श्री जयप्रकाश नारायण ने भी 16–4–1972 को एक तार मुख्य-मंत्री को भेजा था। मुख्य मंत्री ने 26-4-72 को पूर्ण विवरण देते हुए इस तार का उत्तर श्री जयप्रकाश नारायण को भेज दिया था। इस पत्र में उस वित्तीय परिस्थिति को जिसके कारण हमें यह निर्णय लेना पड़ा था पूर्ण ब्यौरा दिया गया था। इसके बाद दिल्ली में मुख्य मंत्री ने श्री जयप्रकाश नारायण से इस सम्बन्ध में और चर्चा की। इस विषय से संबंधित सभी परिस्थितियों पर पुनः विचार करने के लिए मंत्रीमण्डल की एक बैठक 7 मई, 1972 को बुलायी गई थी। एक तरफ मेरे और मुख्य मंत्री और दूसरी तरफ सर्वोदयी नेता श्री जयप्रकाश नारायण और श्री गोकुलभाई भट्ट के बीच जो विचार विमर्श और पत्र-व्यवहार हुआ और उसके परिणाम स्वरूप जो स्थिति उत्पन्न हुई उस पर मंत्रीमण्डल ने गंभीरता-पूर्वक विचार किया। मंत्रीमण्डल ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर पूर्ण परिवेश में विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मौजूदा हालत में राज्य सरकार शराबबंदी का विस्तृत करने की स्थिति में नहीं है। मुख्य मंत्री ने उसी दिन 7–5–72 को श्री गोकुलभाई भट्ट को विस्तृत विवरण देते हुए फिर एक पत्र लिखा। स्पष्टतः श्री गोकुलभाई भट्ट इस पत्र से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने 8–5–1972 को उत्तर भेजा कि वे अनशन के बारे में अखिल भारतीय शराबबंदी कौंसिल के नेताओं से सलाह-मशविरा करने के बाद अन्तिम निर्णय लेंगे। उसके बाद स्थिति का जायजा लेने और इस बारे में विचार करने के लिए कि क्या इस समस्या का कोई उचित समाधान निकल सकता है 10–5–72 को मंत्रीमंडल की एक और बैठक बुलाई गई। केन्द्रीय सरकार की ओवर ड्राफ्ट लेने की प्रक्रिया की नीति में परिवर्तन करने की घोषणा से राज्य की वित्तीय स्थिति में कुछ समानान्तर घटनायें हुई। भारत सरकार ने रिजर्व बैंक से राज्य की ओवर ड्राफ्ट की सीमा, जो 29–4–72 तक 99.60 करोड़ थी, उस स्तर पर बन्द कर दी। भारत सरकार ने केन्द्रीय करों में हमारे हिस्से में और केन्द्रीय सहायता व योजना के लिए ऋण और अनुदानों में भारी कटौती करके ओवर ड्राफ्ट बन्द कर दिया। इस सम्बन्ध में हम भारत सरकार से बातचीत कर रहे हैं। इन कदमों के परिणाम स्वरूप जो स्थिति उत्पन्न हो गई है वह अभी तक विषम बनी हुई है। इस बारे में विचार करने के लिए मंत्रीमण्डल की जो बैठक 10–5–72 को हुई थी उसमें इन नई

(श्री चन्दनमल बैद)

परिस्थितियों के उत्पन्न हो जाने के कारण दूसरा कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। मुख्य मन्त्री और मैंने समस्या का समाधान निकालने का एक और भी प्रयत्न किया और 12-5-72 को दिल्ली में श्री जयप्रकाश नारायण, श्री गोकुलभाई भट्ट और डाक्टर सुशीला नैय्यर से मीटिंग में इस पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया। हमने अपनी स्थिति को स्पष्टतः उनके सम्मुख रखा। उन्होंने केवल यह तर्क प्रस्तुत किया कि राज्य की विषम वित्तीय स्थिति में 10 करोड़ से अधिक घाटा कोई विशेष महत्व नहीं रखता। यह तर्क, सदन के सभी माननीय सदस्य मानेंगे कि इतनी सरलता से स्वीकार करने योग्य नहीं कहा जा सकता। यदि इस तर्क में थोड़ा भी वजन है तब फिर मैंने जो सदन के सामने इस बजट में 4 करोड़ रुपए के कर प्रस्ताव रखे हैं, उनका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। फिर भी हमने आखिर भारतीय शराबबंदी कौन्सिल के नेताओं को कहा है कि हम केन्द्रीय वित्त मंत्री से यह पूछ कर कि वे इस दिशा में हमारी कितनी मदद कर सकते हैं, इस समस्या का हल ढूंढने का प्रयत्न करेंगे।

मुख्य मंत्री ने दूसरे दिन दिल्ली में इस सम्बन्ध में केन्द्रीय वित्त मंत्री से अनौपचारिक वार्ता की थी और केन्द्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि शराबबंदी के फलस्वरूप होने वाले घाटे की 50 प्रतिशत क्षतिपूर्ति सहायता मौजूदा पैटर्न पर केवल 31 मार्च, 1973 तक, याने इस साल तक ही की जायेगी। इसको जारी रखने या न रखने और उसके आधार का सवाल केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय योजना आयोग की सलाह के अनुसार तय करेगी। श्री चव्हाण ने केन्द्रीय सरकार की ओर से इससे अधिक आश्वासन नहीं दिया। इन परिस्थितियों में राज्य सरकार के पास और कोई चारा नहीं रहा और उसे अपने इस निर्णय पर कायम रहना पड़ा कि जब तक राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं हो जाता तब तक शराबबन्दी के विस्तार को मुल्तवी रखा जाय।

इस विषय में राज्य सरकार के रुख का पूर्ण स्पष्टीकरण मुख्य मंत्री के 14 मई, 1972 के परिपत्र में दे दिया गया है। 15 मई, 1972 को मंत्रिमंडल के सभी सदस्य श्री गोकुल भाई भट्ट से मिले और इस बात का प्रयत्न किया कि वे राज्य सरकार की कठिनाइयों का सही अनुमान लगायें और अपने अनशन पर जाने का विचार त्याग दें। हमने एक बार फिर 18-5-72 को प्रधान मंत्री और केन्द्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखे हैं और इस बात का प्रयत्न किया है कि इस समस्या का कोई उचित हल ढूंढा जा सके। सदन को इस बात का पूर्ण विश्वास होगा कि हम इस समस्या का हल ढूंढने के लिए ईमानदारी और गंभीरता से प्रयत्नशील हैं और हमने श्री गोकुल भाई भट्ट को अनशन पर बैठने से पहले इस पर पुनर्विचार करने के लिए, अपनी ओर से सभी प्रयत्न किए हैं। हमें यह देख कर बहुत कष्ट हो रहा है कि श्री गोकुल भाईजी ने हमारी कठिनाइयों को सही रूप में नहीं माना और अपने निर्णय पर दृढ़ रहे हैं।

अब मैं हमारी कठिनाइयों का सक्षेप में उल्लेख करूंगा। जब से राजस्थान ने अपना

(श्री चन्दनमल बैद)

वर्तमान रूप लिया तभी से इस राज्य के विभिन्न भागों में किसी न किसी प्रकार की शराबन्दी लागू है। आबू रोड तहसील में हमेशा से शराबबन्दी रही है। गुजरात से हमारी जो सीमा लगती है, उस पर 25 किलोमीटर के भीतर तक हमने 2 अक्टूबर, 1967 को शराबबन्दी लागू कर दी थी। हमने 1 अप्रेल, 1968 से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही जिलों में तथा उदयपुर जिले की झाड़ोल, खेरवाड़ा और कोटड़ा तहसीलों में भी शराबबन्दी लागू कर दी। यह ध्यान में रखने की बात है कि यह सारी कार्यवाही भारत सरकार द्वारा शराबबन्दी के निमित्त आर्थिक सहायता देने की घोषणा के पहले की गई थी। भारत सरकार ने 23 जून, 1968 को यह घोषणा की कि शराबबन्दी के लागू होने और उसका क्षेत्र बढ़ाये जाने के कारण आबकारी आय में जो क्षति होगी, उसकी आधी रकम पांच वर्ष तक भारत सरकार की ओर से दी जा सकेगी। इससे प्रेरित होकर राज्य सरकार ने जुलाई 1968 में निश्चय किया कि 1972–73 तक राजस्थान में सम्पूर्ण शराबबन्दी लागू कर दी जायेगी। इससे पहले निश्चय यह था कि सप्ताह में नशाबन्दी के दिन क्रमशः बढ़ा कर धीरे धीरे पूर्ण शराबबन्दी तक पहुंचा जाए। इसके बाद हुआ यह कि इस क्रम से शराबन्दी लागू करने की स्थिति में आर्थिक सहायता देने से भारत सरकार ने इन्कार कर दिया। वास्तव में इस कारण से 1.46 करोड़ रुपये की राजस्व की हानि उठानी पड़ी और अब भी इस क्षति को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की क्षति को पूरा न करने का निश्चय केन्द्रीय सरकार की ओर से बहुत देर में बताया गया था। इसके बाद हमने शराबबन्दी की विधि बदल दी और शराबबन्दी का क्रमगत विकास क्षेत्रीय आधार पर किया जाने लगा। वर्ष 1970–71 में बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर के तीन और जिलों में और उदयपुर जिले की गोगुन्दा, धरियावद और सराड़ा तीन और तहसीलों में शराबबन्दी लागू कर दी गई। शराबबन्दी लागू करने के संबन्ध में उठाये गये अनेक कदमों के परिणामस्वरूप हमें अब तक 4.67 करोड़ रुपये की क्षति उठानी पड़ी है। इसके मुकाबले में समवितरण के आधार पर हम केवल 1.29 करोड़ रुपये पाने के हकदार हैं। हमें 1968-69 का अब तक केवल 27.20 लाख रुपया मिला है और भारत सरकार से 29 लाख रुपया शराबबन्दी रखने के फलस्वरूप राज्य सरकार को जो क्षति हुई थी उस सम्बन्ध में 73 लाख रुपये का मुआवजा चुकाने के सवाल के बारे में केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार के बीच विवाद चल रहा है।

यह वही संकटपूर्ण वर्ष थे जब हमें ऐसे अकाल का सामना करना पड़ा जैसा पहले कभी नहीं करना पड़ा था। हमें बहुत बड़े पैमाने पर सहायता पहुंचानी पड़ी और इस सहायता की लगभग सारी की सारी रकम हमें केन्द्रीय सरकार से ऋण के रूप में दी गयी। इस कारण एक ओर तो हमें ऋण की किश्तें और ब्याज चुकाने का भारी बोझा उठाना पड़ा और दूसरी ओर राज्य

(श्री चन्दनमल बैद)

के राजस्व में बहुत कमी हो गई। इसी अवधि में पंचवर्षीय योजनाओं के लिये धनराशि उपलब्ध करने का तरीका भी बदल गया। जिसका नतीजा यह हुआ कि राज्य की योजना के कार्यक्रमों के लिये केन्द्रीय सहायता अधिकतर ऋण के रूप में आने लगी। इस सारी स्थिति के कारण आज हमारे राज्य की कमर भारी ऋण के कारण बोझ से दबी जा रही है। हम पर 640 करोड़ रुपये का सार्वजनिक ऋण है और हर साल ब्याज और किश्तें चुकाने के लिये ही 95.96 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इस ऋण भार के कारण सालों साल हमारे बजट में घाटा होता है। 89.71 करोड़ रुपये का पिछला घाटा है। इस साल के बजट में 27.94 करोड़ रुपये के नये गैर योजना घाटे के कारण और भी बढ़ गया है। अप्रैल, 1972 तक रिजर्व बैंक के लिये नये ओवर ड्राफ्ट 99.60 करोड़ रुपये के हो गये। राज्यों द्वारा ओवर ड्राफ्ट लेने की प्रक्रिया को केन्द्रीय सरकार ने बहुत कड़ा कर दिया है। नई व्यवस्था में हम पर कड़ाई से रोक लगा दी गई है कि हम एक निर्धारित रकम से ऊपर ओवर ड्राफ्ट नहीं ले सकेंगे।

इन सब कारणों से यह आवश्यक हो गया कि हम विस्तारपूर्वक इस बात पर विचार करें कि हमारी वित्तीय स्थिति कैसे सुधर सकती है। यदि इस समय सारे राज्य में सम्पूर्ण शराबबन्दी लागू कर दी जाय तो राज्य के राजस्व को वार्षिक 10 करोड़ रुपये की क्षति उठानी पड़ेगी। इस सम्बन्ध की क्षति को आंशिक रूप से पूरा करने का जो आश्वासन केन्द्रीय सरकार ने दिया था वह सिर्फ पांच वर्ष के लिये था और यह अवधि 31 मार्च, 1973 को पूरी हो जायेगी। इस बात पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया कि क्या हम पूर्ण शराबबन्दी से होने वाली क्षति का भार उठा सकेंगे और हमें निश्चय करना पड़ा कि पूर्ण शराबबन्दी निर्णय को लागू किया जाना तब तक के लिये स्थगित रखा जाय जब तक कि राज्य की वित्तीय स्थिति सुधर नहीं जाती।

प्रश्न सीधा और साफ है कि क्या हम आज की स्थिति में पूर्ण शराबन्दी से होने वाली 10 करोड़ रुपये की क्षति उठा सकते हैं? होता तो यह कि आगे आने वाले वर्षों में यह क्षति और भी बढ़ेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, पीने के पानी और बिजली जैसे जनोपयोगी विषयों में हम अखिल भारतीय औसत से भी नीचे हैं। आधारभूत महत्व के क्षेत्रों में न्यूनतम स्तर प्राप्त करने के ध्येय को प्राप्त करने के लिये हमें अभी बहुत लम्बा और कष्ट साध्य रास्ता तय करना है। राजस्व का जो स्तर इस समय है उसको नीचा गिराने से हमारे पैर और भी बंध जायेंगे और हमारी गति आजकल की गति से भी धीमी हो जायेगी।

ऊपर मैंने उन वित्तीय कारणों का उल्लेख किया है जिनकी वजह से हमें इस निर्णय पर बाध्य होना पड़ा। मैंने अभी तक किसी भी गैर वित्तीय कारण का जिक्र नहीं किया है हालांकि ऐसे बहुत कारण रहे हैं जिनका सम्भवतः महाराष्ट्र और तामिलनाडु सरकारों के दिमाग पर बहुत असर पड़ा है जहां लम्बे अरसे तक शराब-

(श्री चन्दनमल बैद)

बन्दी की नीति पर अमल करने के बाद अब वे फिर आंशिक या पूर्ण रूप से शराबबन्दी की नीति छोड़ रहे हैं। यहां मैं एक बार फिर अपने दृढ़ निश्चय को दोहराना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार पहले से भी और आज भी शराबन्दी को एक सामाजिक आवश्यकता के रूप में मानती रही है और भविष्य में भी इसके प्रति निष्ठावान रहेगी। हम आशा करते हैं कि हमारे आदरणीय मित्र श्री गोकुल भाई भट्ट और उनके समर्थक हमारी मानसिक निष्ठा और उन वास्तविक कठिनाइयों को समझेंगे, जिनके कारण हम अभी पूर्ण शराबबन्दी को लागू नहीं कर पा रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदन भी निःसंदेह हमारे विचारों का समर्थन करेगा और अपने समर्थन द्वारा सरकार के हाथ मजबूत करेगा ताकि सरकार श्री गोकुलभाई भट्ट को अनुरोध करके उनको अनशन त्यागने के लिये राजी कर सके। अन्त में मैं सभी माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि वे भी श्री गोकुलभाई भट्ट को अनशन त्यागने के लिये अनुरोध करें। मुझे पूरा विश्वास है कि श्री गोकुल भाईजी सदन के माननीय सदस्यों के अनुरोध को जरूर स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री चिकित्सा मंत्री।

चिकित्सा मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, श्री गोकुल भाई भट्ट ने किशोर निवास, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर में दिनांक 16–5–72 को 8.10 बजे पूर्वान्ह से भूख हड़ताल प्रारम्भ की। उनकी वृद्धावस्था और उनके क्षीण स्वास्थ्य पर अनशन से पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुए श्री भट्ट की नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षा करने हेतु उसी दिन एक मण्डल का गठन कर दिया गया। उस मंडल में निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारी हैं—

(1) डा. एस. आर. मेहता, प्रोफेसर एण्ड हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट आफ मेडिसन्स।

(2) डा. पी. डी. माथुर, प्रोफेसर आफ मेडिसन्स।

(3) डा. जे. पी. सेठी, प्रोफेसर आफ मेडिसन्स।

(4) डा. एस. के. शर्मा, रीडर इन मेडिसन्स।

नियमित रूप से प्रति दिन दो बार श्री भट्ट की स्वास्थ्य परीक्षा की जा रही है। वृद्धावस्था, ई. सी. जी. परिवर्तनों, एवं इन भीषण गर्मी को देखते हुए उक्त मण्डल ने दिनांक 17–5–72 को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने का परामर्श दिया। राज्य सरकार ने श्री गोकुल भाई भट्ट से निवेदन किया कि वे उनकी स्वास्थ्य रिपोर्ट को दृष्टिगत रख कर अस्पताल में भर्ती होने की कृपा करें, जहां राज्य सरकार आवश्यक व्यवस्था करेगी। इस पर श्री गोकुल भाई भट्ट ने यह संकेत दिया कि वे अपने साथियों से परामर्श कर इस बारे में निर्णय करेंगे।

दिनांक 17–5–72 को 4.00 बजे अपरान्ह में भूदान मण्डल से यह संदेश प्राप्त हुआ कि श्री गोकुल भाई भट्ट किशोर निवास में ही रहना चाहते हैं और वे स्वयं

(श्री हरिदेव जोशी)

को ठीक अनुभव करते हैं। उन्होने यह भी कहा कि राज्य सरकार को कोई चिन्ता करने का कारण नहीं है। तारीख 18-5-72 को सुबह उनसे पुनः निवेदन किया गया कि वे अस्पताल में भर्ती होने की कृपा करें ताकि उनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सावधानी बरती जा सके। यह निवेदन श्री भट्ट ने स्वीकार नहीं किया। तारीख 18-5-72 की शाम को फिर उनसे निवेदन किया गया कि वे अस्पताल में भर्ती होने की कृपा करें लेकिन उन्होंने यह निवेदन भी स्वीकार नहीं किया। चिकित्सा मण्डल ने उनके स्वास्थ्य की परीक्षा दिनांक 18-5-72 को शाम 7-1/2 बजे फिर की और निम्न लिखित परामर्श दिया:—

"There was clinical evidence of De-hydration and suppression of urine formation. Urine examination revealed evidence of severe kidney infection and acidosis. The presence of De-hydration, acidosis, oliguria and severe kidney infection along with pre-existing ischeamic heart disease, diabetes mallitus necessitate immediate hospitalisation."

18 और 19-5-72 की दरम्यानी रात को सवा बारह बजे उनसे अस्पताल में भर्ती होने हेतु पुनः निवेदन किया, जिसके लिये आवश्यक व्यवस्था कर दी गई थी, परन्तु यह निवेदन भी स्वीकार नहीं किया गया और श्री गोकुल भाई भट्ट ने अपना आमरण अनशन जारी रखा। आमरण अनशन जारी रखना व चिकित्सा सहायता से मना करना इस बात का संकेत था कि वे आत्म हत्या की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं और हत्या का प्रयत्न भारतीय दण्ड संहिता की धारा 309 के अधीन संज्ञेय अपराध है। श्री गोकुल भाई भट्ट द्वारा आमरण अनशन रखना और चिकित्सा सहायता लेने से मना करना संज्ञेय अपराध करने की अग्रसर होना संकेतित होने पर उन्हें जाप्ता फौजदारी की धारा 151 के अधीन गिरफ्तार करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रह गया था अतः दिनांक 19-5-72 को रात्रि के 1.10 पूर्वान्ह पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था सहित अम्बुलेन्स में सवाई मानसिंह अस्पताल के कॉटेज वार्ड नं. 5 में ले जाया गया और चिकित्सा सहायता दी गई।

जैसे ही श्री भट्ट को चिकित्सा सहायता दी गई और उन्हें योग्य चिकित्सकों के संरक्षण में रखा गया और उनके द्वारा आत्म हत्या करने के प्रयत्न की ओर अग्रसर होने के संकेत शेष प्रतीत नहीं रहे अतः नगर दण्डनायक जयपुर ने 2.15 बजे धारा 63 जाप्ता फौजदारी के अन्तर्गत श्री गोकुल भाई भट्ट को पुलिस अभिरक्षा से मुक्त कर दिया।

श्री गोकुल भाई भट्ट कॉटेज वार्ड नं. 5 में सर्वोदय समाज के अन्य कार्यकर्ताओं की परिचर्या एवं सानिध्य में हैं। जिला दण्डनायक जयपुर, अधीक्षक आरक्षी जयपुर एवं अधीक्षक सवाई मानसिंह अस्पताल की विशेष देखरेख में यह कार्यवाही की गई है।

इस प्रकार श्री गोकुल भाई भट्ट की देखभाल के लिये प्रारंभ से ही सुचारु

(श्री हरिदेव जोशी)
व्यवस्था रही है इसमें किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहने दी गई है और सरकार इस सम्बन्ध में अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से सचेत एवं जागरूक हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री निरंजननाथ आचार्य।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : अध्यक्ष महोदय, दुखद प्रश्न इस सदन के प्रांगण में पहली मर्तबा आया है। अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न उस व्यक्ति के संबंध में आया है जिस महान् व्यक्ति के प्रति राजस्थान की जनता ने हमेशा श्रद्धा और सम्मान प्रकट किया है। वे स्वतन्त्रता संग्राम के बड़े सेनानी रहे हैं और जोशीजी उनके सहयोगी भी रह चुके हैं। उन्होंने राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम को सफल नेतृत्व दिया है तथा राजस्थान के इतिहास में एक ऐतिहासिक पुरुष की भूमिका निभाई और स्वतन्त्रता संग्राम के ऐतिहासिक पुरुष श्री माणिकलाल वर्मा और स्वर्गीय श्री जयनारायण व्यास जैसे अन्य लोगों के निकट सहयोगी ये रहे, व निकट सम्पर्क में रहे जिन्होंने राजस्थान के निर्माण में भारी योगदान दिया। स्वर्गीय श्री जयनारायण व्यास की स्थिति के बारे में तो अभी चर्चा नहीं करना चाहता हूं। मेरा निवेदन है श्री गोकुल भाई भट्ट में जनहित में काम करने का अपूर्व साहस है। वे स्वभाव के अनुसार हमेशा से ही सिद्धांतों पर दृढ़ रहे। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अगर आज यह सदन में संकल्प नहीं आया होता तो मैं समझता हूं इस सदन के माननीय सदस्यों को यह पता भी नहीं पड़ता कि उस महान् नेता के साथ क्या घटना घटी है। श्री गोकुल भाई भट्ट को राज्य सरकार की जो घोषित नीति शराब बन्दी के बारे में थी उस पर सरकार और सरकार के वित्त मन्त्रीजी ने जब अमल नहीं किया तब उन्हें आमरण अनशन करना पड़ा। पहले उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा की और बाद में सरकार द्वारा नीति में परिवर्तन नहीं करने पर उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। जब इस सदन के माननीय सदस्यों को इसका पता लगा तो सदन के माननीय सदस्यों को चिन्ता हुई। उन्होंने वक्तव्य के लिये व्यग्रता प्रकट की पर राजस्थान सरकार इस पर मौन रही। होना तो यह चाहिये था कि जब वित्त मन्त्रीजी को इस बात के बारे में पता लगा तो उन्हें सदन के माननीय सदस्यों को कॉन्फिडेन्स में लेना चाहिये था। पर ऐसा नहीं हुआ। यह तो जब इस सदन में प्रस्ताव आया तो इस सदन को स्थिति से अवगत कराया गया वरना मैं समझता हूं कि प्रश्न को राजस्थान सरकार अपने तक ही सीमित रखती। शराबबन्दी के बारे में जो सरकार की नीति है उस प्रश्न को हम अगर व्यक्तिगत मानें तो न्याय संगत नहीं होगा। क्योंकि यह तो सरकार की घोषित नीति थी शराबबन्दी के बारे में। मैं पूछना चाहूंगा मन्त्री महोदय से, जैसा कि मन्त्री महोदय ने कहा कि धारा 309 आई. पी. सी. के अन्तर्गत श्री गोकुल भाई भट्ट को गिरफ्तार किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इन्डियन पीनल कोड की धारा 309 का मतलब है एक मनुष्य खुदकुशी करने के प्रयास का अपराध है। एक ऐसे बड़े महान नेता को आप धारा 309 के अन्तर्गत गिरफ्तार करें, आत्महत्या के अपराध में यह अनुचित है। अब

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)

आप यहां कह रहे हैं कि उन्हे जमानत पर छोड़ दिया गया लेकिन इसमें तो फिर चालान होगा, ट्रायल होगी ऐसी और भी घटनायें होंगी। मैं कहता हूँ कि गोकुल भाई भट्ट का संकल्प उनका संकल्प नहीं है अपितु जनता का संकल्प है। राजस्थान सरकार ने जनता से एग्रीमेंट किया है सन् 1968 में कि राज्य सरकार सन् 1973 तक राजस्थान में पूर्ण शराबबन्दी लागू कर देगी। पर अब जब सदन में बजट रखा गया और बजट में इसका प्रावधान नहीं दिखाई दिया तो यह प्रश्न उठाया गया। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने खुद जनता में घोषणा की। यह बात मैं मानता हूं कि यह घोषणा पहले की सरकार ने की। क्या उत्तराधिकारी राज्य सरकार पर एग्रीमेन्ट लागू नहीं होता। इस उत्तराधिकारी को मुकरने का क्या अधिकार था। जबकि शराबबन्दी की बात स्वयं सरकार ने की थी ? आज जनता में श्री गोकुल भाई भट्ट के आमरण अनशन से उद्धिग्नता और चिन्ता व्याप्त है। आज प्रश्न गोकुल भाई भट्ट का ही नहीं अपितु जनता का प्रश्न है। मैं तो यह कहूंगा कि जिस मुख्य मंत्री के कार्यकाल में यह घोषणा की गई थी आज वह चाहे कहीं भी हो उन्हें चाहिये कि वह अपना स्वार्थ त्याग कर श्री गोकुल भाई भट्ट का साथ दें। इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि एग्रीमेंट भूतपूर्व सरकार ने किये उसका फुलफिलमेन्ट करने का नैतिक दायित्व उत्तराधिकारी सरकार का होता है। ऐसे सन्दर्भ में आर्थिक स्थिति को सामने रखते हुए एग्रीमेंट से मुकर जाना, मेरा विश्वास है, राजस्थान की जनता के साथ अन्याय है। मैं इस मौके पर भूतपूर्व मुख्य मन्त्री का जिक्र किये बिना नहीं रहूंगा। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने यह प्रश्न नीति का, संकल्प का और आस्था का समझ कर महात्मा गांधी के सिद्धान्त के आधार पर इस प्रश्न को महत्वपूर्ण समझते हुए पं. जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों के अनुरूप इस प्रश्न को मानते हुए आर्थिक स्थिति की विषमता को समझते हुए कांग्रेस ने निर्णय लिया, आपकी पार्टी ने निर्णय लिया, निर्णय के बाद समझौता जनता से किया गया। इसलिये आपका नैतिक कर्तव्य है, भूतपूर्व मुख्य मन्त्री का नैतिक कर्तव्य है और इस समय जो मंत्री मण्डल में रहे हैं उन सब का नैतिक कर्तव्य है कि इस आन्दोलन में शरीक हों या इसका निराकरण करने का प्रयत्न करें। आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, मैं भूतपूर्व मुख्य मंत्री को आह्वान करता हूं कि अपना पद छोड़ कर आयें, एग्रीमेन्ट और कार्यक्रम को तोड़ा जा रहा है इस सरकार के द्वारा उसके फलस्वरूप गोकुल भाई के उस आन्दोलन को सहयोग दें।

यह आमरण अनशन अकेले गोकुल भाई भट्ट का नहीं है। इसकी पृष्ठभूमि में आन्दोलन होगा। यह जनमत का संकल्प है, निष्ठा है। ऐसी स्थिति में गोकुल भाई भट्ट एक प्रतीक मात्र हैं। उनके व्यक्तित्व, उनके संकल्प को सामने रख कर चलें और केवल वित्तीय स्थिति को लेकर चले तो यह उपयुक्त नहीं होगा। राजस्थान सरकार की वित्तीय स्थिति और सुरक्षा के लिये राजस्थानी जनता ने आपको सहयोग दिया है। विकट परिस्थितियों में भी राजस्थानी जनता ने सामना करने के लिये हर समय मदद की है। यह आन्दोलन सारे राजस्थान

Page No 131

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)

व्यापी होने वाला है। अनशन का अर्थ गोकुल भाई की मृत्यु। मृत्यु, आन्दोलन जनता में उत्तेजना। उस भविष्य पर निगाह डालें और उस सन्दर्भ में इस वित्तीय स्थिति को सामने न रख कर प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाते हुए, इस आन्दोलन के प्रश्न पर, जनमत आन्दोलित है उस समय आप इस प्रश्न पर भी विचार करें। माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि यह गोकुल भाई भट्ट के जीवन का ही प्रश्न नहीं है। निष्ठा का भी प्रश्न है। हर माननीय सदस्य कुरबानी दे। तीन महीने का वेतन माननीय सदस्य वहन करें, आप करें और राज्य कर्मचारी वहन करें और इसको आन्दोलन स्तर पर उठायें तो राजस्थानी जनता आपके पीछे चलेगी और सहयोग देगी और जो दस करोड़ के टैक्स का प्रश्न उठाना चाहती है सरकार उसका इस बलबूते पर पूरा निराकरण करे।

मैं पंडित नेहरू के नाम पर, महात्मा गांधी के नाम पर कहना चाहता हूं जिनके पद चिन्हों पर आप हम चल रहे हैं। आचार्य तुलसी ने आन्दोलन को बल दिया। वित्त मंत्री भी अनुव्रती हैं, कई माननीय सदस्य भी अनुव्रती हैं और आचार्य तुलसी से शिक्षा लेते हैं। इस आन्दोलन को, आमरण अनशन को माननीय वित्त मंत्रीजी कैसे सहन करते होंगे? आचार्य तुलसी के प्रति निष्ठा, उनका प्रशिक्षण, शराबबन्दी न की जाय यह मानवता के प्रति अन्याय है। माननीय सदस्य, मंत्रिमंडल के सदस्य इस प्रश्न को इस रूप में लेंगे।

309 का मुकदमा आपने उस व्यक्तित्व पर चलाने का साहस किया है जो कुर्बानी देना चाहता है। ऐसा घृणित कार्य राजस्थान के इतिहास में अब तक नहीं हुआ। मानवता के नाम पर, गोकुल भाई भट्ट के नाम पर आपकी निष्ठा के नाम पर गांधी और नेहरू की निष्ठा के नाम पर भूतपूर्व मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया उसको ध्यान में रखते हुए, दस करोड़ के घाटे का आन्दोलन द्वारा निराकरण कर सकते हैं। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि गोकुलभाई भट्ट वयोवृद्ध हैं, 76 वर्ष की उनकी उम्र है यदि उनका आमरण अनशन चलता रहा तो राजस्थान आग में झुलसेगा और झुलसेगा तो मान कर चलिये आप और हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। पुनः शान्ति से इस प्रश्न पर विचार करें। पैसे का प्रश्न सामने न रखें गोकुल भाई भट्ट के जीवन को सामने रखें। जनता और आन्दोलन को सामने रखते हुए पुनः इस प्रश्न पर चिन्तन करने के लिये निवेदन करना चाहता हूं।

श्री शान्तिलाल कोठारी (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मैं अभी उनसे मिल कर आया हूं। आधा घंटा हुआ और उनको काफी यह समझाया गया कि हालांकि गवर्नमेन्ट ने गलती की है। लास्ट इयर मालूम नहीं था कि वित्तीय स्थिति क्या है? फिर भी मैंने उनसे बात करने के बाद कहा, राजस्थान की वित्तीय स्थिति खराब है और अगर यह कह रहे हैं कि इसको धीरे धीरे ठीक करेंगे और प्रोहिबिशन की पॉलिसी को एडॉप्ट करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं और समझता हूं कि वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। उनके मौन है, लिखकर बताया है, कम से कम यह बता दें कि

(श्री शान्तिलाल कोठारी)
कितने साल । दो साल के बाद टोटल प्रोहिबिशन करने के लिये तैयार हैं तो मैं विचार करूंगा कि फास्ट विथड्रा करूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर समस्या है। इसको बड़ी गम्भीरता के साथ, भावना को जोड़ कर लें। लेकिन जब हमारे मंत्रीमंडल के लोग सैद्धान्तिक रूप से इसको स्वीकार करते हैं और माननीय गोकुल भाई भटट के साथ उनका सम्बन्ध, आदर और स्नेह हम से कहीं अधिक है तो क्या इससे बढ़ कर कोई भयंकर दुर्घटना हो सकती थी कि उनको आई. पी. सी. में गिरफ्तार किया जाय ? मैं हैरान हो गया। जब मैंने यह सुना। यह समझ में आ सकता है, आप उनसे मिलें, रास्ता निकालें, दो तीन चार जिलों में प्रयत्न करें और उनको परस्युएड करें कि राजस्थान की जनता का नेतृत्व करते आये हैं, राजस्थान की वित्तीय स्थिति को देखिये और सहानुभूति रखते हुए कमिटमेन्ट को पूरा न करने में गलती की है, आप पितामह हैं, पूज्य हैं, वयोवृद्ध नेता हैं, क्षमा करके फेज्ड प्रोग्राम की नीति स्वीकार करने के नाते यह प्रार्थना करते हैं। यह इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान के इतिहास में ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण क्षण नहीं आया होगा कि इस सरकार को उनको आई. पी. सी. में गिरफ्तार करना पड़ा। आत्म हत्या कर रहे हैं इसलिये। माननीय उपनेता महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आई. पी. सी. का सैक्शन लगाना एक व्यभिचार है। आई. पी. सी. का। इसको इसलिये नहीं बनाया। नैतिक मूल्यों को लेकर राष्ट्र को आगे उठाने के लिये अपने जीवन का बलिदान करना चाहे आई. पी. सी. का उपहास किया जाय इससे बड़ा अपराध नहीं होगा।

माननीय उपनेता महोदय से, अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहूंगा कि हमने बहुत बड़ा ब्लण्डर किया है इण्डियन पीनल कोड को काम में लेकर उस ब्लण्डर को हम वापिस रैक्टीफाई करें। मैं समझता हूं कि उसके लिए माननीय उप-नेता महोदय को अध्यक्ष के माध्यम से कहना चाहूंगा कि उनसे क्षमा मांगी जाय कि अनजान पुलिस अधिकारी की भूल हुई है और इस प्रकार की हमारी भावना नहीं थी और उसके पश्चात् हम वास्तविक रूप में सब उनके जीवन का आदर करते हैं और मैं कोई कारण नहीं देखता कि आप उनके जीवन का आदर नहीं करते, तो आप अभी जाकर सदन की भावना से सूचित करके कुछ यहां पर घोषणायें करें और श्री गोकुल भाई से बातचीत कर लें फेज प्रोग्राम के रूप में। हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण अवश्य है जैसा कि अभी माननीय आचार्य जी ने कहा कि जब एक डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन, रैस्पान्सीबल गवर्नमेन्ट सत्याग्रह के समय में कोई कमिटमेन्ट करती है तो मैं समझता हूं कि उसकी वेल्यू होनी चाहिये। सूर्य इधर से उधर चला जाये लेकिन सरकार को अपने निर्णय से नहीं बदलना चाहिए कितनी भी कीमत हमें देनी पड़े। यह कोई तरीका नहीं है कि सत्याग्रह आये और हम कमिटमेन्ट करें और यह कहें कि शर्त के ऊपर सत्याग्रह छोड़ दें और वह कमिटमेन्ट भी कोई तहसीलदार नहीं, कोई कलेक्टर नहीं करे बल्कि राजस्थान का मुख्य मन्त्री कमिटमेन्ट करे और केबिनेट में सोच-विचार करके करे

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

और फिर उसको ठुकरा दिया जाये वित्तीय कारणों से मैं समझता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय इस गम्भीरता को हम समझें दोनों पहलुओं पर विचार करें। एक जिम्मेदार गवर्नमेंट अपनी उस पार्टी का शासन होने के पश्चात भी कमिटमेंट से पीछे हटने का प्रयास करें तो यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना श्री गोकुल भाई की गिरफ्तारी है। मैं समझता हूं कि इसका हल निकाला जाये और इस स्थिति को आगे नहीं बढ़ने दिया जाये और राजस्थान की जनता के अन्दर राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं के अन्दर, माननीय सदस्यों के अन्दर विश्वास पैदा करने के लिए अच्छा तो यह होता कि माननीय उपनेता महोदय इस वक्तव्य को देने के पहले इस गलती को सुधार लेते और यही घोषणा करते कि पुलिस अधिकारी की भूल से या हमारे अनजाने में यह कार्य हो गया बाकी हमारी इच्छा नहीं थी। उनके जीवन की सुरक्षा करना हमारा उद्देश्य है और उनके पास जाकर आप इस समस्या का हल निकालें उनके जीवन को बचायें और साथ में आप अपने शासन की गरिमा और कमिटमेंट को भी बचाने का प्रयास करें अन्यथा जैसा माननीय आचार्यजी ने कहा कि मैं उनकी भावनाओं के साथ सहमत हूं और मैं भी उपनेता महोदय से माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह दल विशेष का प्रश्न नहीं है, यदि इस महानतम गुरुत्तर प्रश्न के ऊपर जीवन के मूल्यों के लिए जिनको संविधान में भी रखा है और जिसके लिए महात्मा गांधी ने जीवन पर्यन्त संघर्ष किया और आज वह हमसे ज्यादा इस विचारधारा से प्रभावित हैं क्योंकि आपने भी हमेशा इस विचारधारा को माना है, मैं समझता हूं कि यह दिन नहीं आना चाहिए कि हम कहें कि आप प्रयास कीजिए उनके जीवन को बचाने के लिए। मैं कहना चाहूंगा और एक बात अवश्य कहूंगा कि यदि आज महात्मा गांधी होते और जयपुर की चौपड़ के ऊपर इस प्रश्न को लेकर भूख हड़ताल करते तो क्या आप जाप्ता फौजदारी को लगाते? उनके जाकर बेड़ियां लगाते और गिरफ्तार करते? मैं समझता हूं कि उसी रूप से आज इस प्रश्न को आप सोचिए। माननीय उपनेता महोदय का ध्यान अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं कि उसी गम्भीरता के साथ में कल्पना कीजिए कि आपके सामने महात्मा गांधी साक्षात्कार बैठे हैं और जीवन की बाजी इस प्रश्न पर लगा रहे हैं। राजस्थान में शराबबन्दी के लिए अपना जीवन देना चाहते हैं क्या आपके हाथ बढ़ेंगे बेड़ियां डालने के लिए? क्या गिरफ्तार करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे? क्या उनके ऊपर जाप्ता फौजदारी की धारा लगाते आप? मैं समझता हूं कि भूकम्प आ जायेगा और मानवता रो उठेगी। आज समय है अभी भी इस संदर्भ के अन्दर हम गम्भीरता से इस प्रश्न को सुलझाने का प्रयास करें।

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा समय है कि न तो हम पालिटिक्स आफ ड्यूरेस खेलना चाहते हैं, भट्ट जी की पर्सनेलिटी और सेवाओं के बारे में और जिस संकल्प को लेकर इस फास्ट पर वह बैठे हैं यह एक हिस्टोरिक

(श्री केदार नाथ)

चीज है। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि 'अटेम्प्ट टू सुसाइड' इसमें गिरफ्तार करने से पहले आपको दो तीन बातों के ऊपर विचार करना चाहिए था। ऐसा व्यक्ति जिसका ऐसा सङ्कल्प है, जो आपकी नीतियों के मुताबिक सङ्कल्प करे—आप नजरबन्द कर सकते थे, आप रिमूव कर सकते थे लेकिन अटेम्प्ट टू सूसाइड के नाम से केस रजिस्टर करना-यह तो बहुत इनसल्टिंग है और डीजेनेरेटिंग है। एक तरफ तो आप प्रशंसा करते हैं उनकी सेवाओं की और दूसरी तरफ आप एक्शन लें। यह इनह्यूमन एक्शन है। जिस आदमी की सेवायें देश के प्रति इतनी हो और जिन्होंने प्रजा मन्डल में काम किया है उनके दिमाग में गोकुल जी का चित्र अलग है और जो आजादी के बाद शामिल हुए उनके सामने चित्र अलग हो सकता है लेकिन यहां पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग कम से कम जो हम एक साथ के हैं इसको पोलिटक्स आफ ह्यूरेस हम नहीं बनाना चाहते हैं और जो काफी अन्दर और बाहर इस नीयत से हैं कि हम केपिटल गेन कर लें तो ऐसी भाषा कोई नहीं बोलना चाहेगा। पांच–दस करोड़ रुपये के साथ मोरल और सोशियल वेल्यूज को मत जोड़िये। मोरल और सोशियल वेल्यूज जो आप चाहते हैं करेक्टर की दृष्टि से, इमोशन की दृष्टि से अगर चाहते हैं—यह चीजें होंगी, तो केवल पांच–दस करोड़ से इसका मेल मत करो। या तो यह कहो कि प्रोहिबीशन की पोलिसी को छोड़ दो। ठीक है, आप कहें कि एक साल के लिए पोस्टपोन किया या सरटेन पीरियड के लिए पोस्टपोन किया और उसके बाद लागू करेंगे। इसके साथ ही आप यह भी मानते हैं कि जब तक प्रोहिबीशन नहीं होगा तब तक हम सोशियेली, मोरेली ऊंचे नहीं उठ सकते। महरबानी करके इकोनोमिक बेकवर्डनेस को और जो इकोनामिक प्राईजेज हैं उसको मोरल वेल्यू के साथ लिंक मत करो। हमारा मतलब स्थगन प्रस्ताव से यह था कि कोई रास्ता निकले। अनेक रास्ते हैं। आप 10 करोड़ की बचत कर सकते हैं, ऐसे ऐवेन्यूज टेप कर सकते हैं। आपके पास और भी रास्ते निकल सकते हैं। अगर आपकी मन्शा है कि इस फास्ट को किसी तरह से हल करने की तो आप कमेटी बना दीजिए और यह कह दें कि रि-कन्सीडर करेंगे। कांग्रेस के माननीय सदस्य और हम लोग इस आशा से और इस विश्वास से इस प्रस्ताव पर बोल रहे हैं कि कोई रास्ता निकले ताकि भट्ट जी अपना फास्ट तोड़ें और ग्रेस के साथ तोड़ें। मैं कहूंगा कि आपने जो धारा लगाई है उसके लिए तो क्षमा याचना कीजिए कि अटेम्प्ट टू सुसाइड नहीं है और यह संकल्प इसकी तारीफ में नहीं आता। इसलिए आप क्षमा याचना करें और खेद प्रकट करें और यह कहें कि यह नोइंगली नहीं हुआ है। अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं बताता कि नजरबन्द क्या होता है। हमें मालूम है आप अब इसके बाद क्या करोगे? आप अब उनको फोर्स फीडिंग करोगे और आप मरने नहीं दोगे। भट्टजी को अस्पताल में एडमिट करने के बाद आप मरने नहीं दोगे। आप क्या करोगे इसका हमें पता है इन्जेक्शन्स के जरिये से फोर्स फीडिंग करोगे। मैं कहता हूं कि ऐसी

(श्री केदार नाथ)

पर्सनेलिटी और जिनकी 75 साल की उम्र है उनको इस रास्ते पर मत ले जाओ। आप कोई फैसला करके ऐसा रास्ता निकालिये कि उनके जीवन की रक्षा हो सके। मैं यही शब्द कहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, कानून का हवाला 309 का देकर यह कहा गया है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मैं यह मानता हूं कि गिरफ्तार होने के बाद दूसरी जगह होती है जेल लेकिन उनके प्रति सारी श्रद्धा और सारे सम्मान को मानते हुए उन्हें अस्पताल में केवल इसलिए ले जाया गया कि उनके जीवन की रक्षा हो सके। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार की यह मन्शा नहीं है कि सदैव के लिए प्रोहिबीशन नहीं किया जाय और जैसा अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने निवेदन किया था कि माननीय गोकुल भाई जी को इस बात के लिए राजी किया जा सकता है कि एक या दो वर्ष के बाद बाई इन्स्टालमेन्ट्स राजस्थान में प्रोहिबीशन किया जा सकेगा तो उनके जीवन की रक्षा की जा सकती है, उनके जीवन को बचाया जा सकता है, उन्हें सदन की तरफ से रिक्वेस्ट की जा सकती है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सदैव के लिए प्रोहिबिशन को नहीं टाला है और राज्य सरकार इसका इरादा रखती है और राज्यों में क्या हुआ है आंध्र या महाराष्ट्र क्या करने जा रहे हैं, वह हमारा मुद्दा नहीं है। आज अगर हमने यह निर्णय नहीं किया है तो हो सकता है कि वर्ष, दो वर्ष बाद हम कम्पलीट प्रोहिबिशन के लिए तैयार हो सकते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो तो हमें यह प्रोहिबिशन करना चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सम्बन्ध में अपनी नीति की घोषणा करें कि इस साल नहीं तो दो साल बाद, बाई इंस्टालमेन्ट कम्पलीट प्रोहिबिशन लायेंगे तो सदन की तरफ से यह प्रार्थना माननीय गोकुलभाई भट्ट से हम करें कि वह अपना उपवास तोड़ दें।

श्री झाबरमल (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो जवाब यहां पर दिया जा रहा था उसके लिए मैं बहुत विचार कर रहा था कि जो जवाब दिया गया है उससे बड़ी ठेस और बहुत ही गहरा दुःख हुआ है कि ऐसे महान व्यक्ति ने एक पवित्र उद्देश्य के लिए समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए आमरण अनशन की घोषणा कर दी। अपने जीवन को बलिदान करने के लिए इन मूल्यों की स्थापना के लिए इतनी बड़ी बाजी लगाई और उनकी प्रशंसा करके और आत्म हत्या के नाम से उस पवित्र आत्मा को इस तरह से गिरफ्तार कर दाखिल कराना यह बहुत ही ऐसी बात है कि जिसे किसी भी समझदार व्यक्ति के लिए दोहराया नहीं जा सकता। मैं तो जितना दुखी इस बात पर हुआ हूं उसका मैं जिक्र यहां नहीं कर सकता। मैं तो इतना ही कहता हूं कि इस सरकार ने जिस तरीके से अपनी नीति का परिवर्तन किया है उसमें इस सरकार से यह प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है कि आप कोई पुर्नविचार करें। ऐसे मौके पर जब कि हम

(श्री झावर मल)

कोई अच्छे जवाब की इन्तजार कर रहे थे यह घोषणा करना कि चार करोड़ का, भिन्न 2 जगह प्रोहिबिशन किया है उससे हमें नुकसान हुआ है और आने वाले समय में हमें और पैसों की जरूरत है अभी हम इस पर वचनबद्ध नहीं हो सकते कि हम कब तक इसको चालू रखेंगे, इसके लिए कोई तारीख नियत नहीं कर सकते, तो मैं समझता हूं कि ऐसे मौके पर ऐसी बात करना जले पर नमक छिड़कना है। आखिर किसी बात को कहने का कोई मोमेंट भी होता है। मैं इस समय इतना दुखी हूं इस जवाब से कि इस बहस में आगे भाग नहीं ले सकता। इसलिए मैं वाक आउट करता हूं।

(मा. सदस्य श्री झावरमल द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, श्री गोकुलभाई भट्ट के अनशन से निश्चित रूप से सभी को दुख है और सब लोग चाहते हैं कि कोई हल निकाल कर और मामला सुलझाया जाय। गोकुलभाई का अनशन समाप्त हो और यह कठिनाई जो सामने प्रस्तुत हुई है इस स्थिति से हम सब लोग निकलें।

अध्यक्ष महोदय, हम लोग इस बात के लिए कमिटेड नहीं हैं, हम यह महसूस नहीं करते कि प्रोहिबिशन एक ऐसा मसला है जिसको तमाम प्रॉब्लम्स में से सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाय। इसमें कोई संदेह नहीं कि शराब पीना मनुष्य के लिए और खास तौर पर हमारे जैसे देश के लिए नुकसानदेह है और गरीब जनता के लिए और भी अधिक, परन्तु अपनी सोशल समस्याओं को अलग अलग करके नहीं देख सकते और उनको सम्मिलित रूप में देख सकते हैं और इसी दृष्टिकोण से आज देश में इस बात पर विचार हो रहा है और बहुत सी स्टेट्स जो प्रोहिबिशन की तरफ गई थीं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउण्ड पर और दूसरी प्रायोरिटी के क्वेश्चन पर भी इन पर पुनर्विचार करना पड़ा है। तो इसलिए यह कहना तो दुरुस्त नहीं होगा कि राजस्थान में भी चाहे गवर्नमेंट का खुद का स्टेण्ड कुछ भी हो, राजस्थान में सभी जनता इस बात को महसूस करती है कि प्रोहिबिशन करना फर्स्ट प्रायोरिटी का क्वेश्चन नहीं है। प्रोहिबिशन हो सके इस देश में, इस सोशल ईविल को राउण्ड-अप करके इसको रियेलिटीज के रूप में देखना होगा और मैं समझता हूं कि इस दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखना चाहिए। मुझे बहुत दुख है कि गोकुलभाई ने, जो आदरणीय हैं और उनके नेतृत्व में मुझे व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस में रहते हुए काम करने का अवसर मिला है, व्यक्तिगत नाते से काफी उनसे मोह है और इज्जत है, उन्हें आज आमरण अनशन करना पड़ा है। मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि आज हमारे राजस्थान की जो भी वित्तीय स्थिति है उसका ध्यान भी उनको रखना चाहिए और बहुत रिजिड एटीच्यूड उनका भी नहीं होना चाहिए। आज राजस्थान में यदि हम देखें जनता की समस्याओं को, बहुत सी समस्यायें हैं, जिसके लिए मैं चाहूंगा कि संघर्ष हो, इस सरकार से लड़ाई भी करनी पड़े तो गोकुलभाई हमारा नेतृत्व करें तो बहुत अच्छा होगा। राजस्थान नहर बन जाय, राष्ट्रीय परियोजना के अन्दर आ जाय तो हम इस सदन में बैठने वाले लोग इस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बात को मानते हैं कि गोकुलभाई के नेतृत्व में इस प्रकार का आन्दोलन खड़ा होता है कि हम केन्द्रीय सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर सकते तो शायद यह समस्या हल होती तो प्रोहिबिशन का हल फौरन निकल जाता। तो इस सरकार से मैं समझता हूं कि इन प्राबल्मस पर सोचने की आवश्यकता है। मैं और मेरे साथी स्वयं भी उनके पास गए थे। उनसे यह निवेदन भी किया था कि इसका कोई हल हो सकता है या नहीं हो सकता है। और वहां जो लोग बैठे थे उनसे भी बातचीत हुई थी। जवाहरलालजी थे, अपने पण्ड्याजी थे और भी दूसरे लोग थे और उनका भी यह कहना था कि सर्वथा नहीं तो कम से कम कोई न कोई हल निकलना चाहिए। और उनका यह कहना था कि अभी मान लो न हो तो आगे के लिए हो सकता है। इसके बारे में कुछ ठोस इस प्रकार का गवर्नमेंट का निर्णय हमारे सामने आए या कोई इन्टेशन हो इस रूप में सामने आए तो मामले का कुछ हल निकल सकता है। जैसा अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि उनकी बातचीत हुई है। तो मैं इसलिए यह निवेदन करूंगा कि इस बारे में दोनों तरफ रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। कुछ साथियों ने यहां सिद्धांत की बात की कि पिछली गवर्नमेंट में जो कुछ निर्णय किए पीछे आने वाली गवर्नमेंट का, सक्सीडिंग गवर्नमेंट का फर्ज हो जाता है कि इसको पूरा करे। यह कौन सा निर्णय किस किस्म का है इस बात पर निर्भर करेगा। कांस्टीट्यूशनली तो हर गवर्नमेंट नीतियों में परिवर्तन कर सकती है, डिसिजन्स में परिवर्तन कर सकती है। बाउण्ड नहीं है कि कोई गलत नीति पुरानी गवर्नमेंट करती है तो नई गवर्नमेंट उसका पालन करे ही। नई गवर्नमेंट को उसको बदलने का अधिकार है और इसीलिए नई गवर्नमेंट लाई जाती है ताकि नीतियां बदलें और सही दिशा में जा सकें सैद्धांतिक रूप से इस बात को कि सुखाड़िया गवर्नमेन्ट की पालिसीज से यह गवर्नमेन्ट कमिटेड है, अगर यह बात कह कर यह गवर्नमेन्ट चुनाव लड़ने जाती तो मैं समझता हूं कि जितनी बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य आये हैं, वे नहीं आ पाते। जनता भी कुछ बदलाव चाहती है। इन नीतियों में बदलाव चाहती है। उनमें कितना किया है और कितना नहीं किया यह सवाल इस समय बहस का नहीं है। मैं इस सिद्धांत के प्रतिपादन से सहमत नहीं हूं। अलबत्ता यह चूंकि पहले भी आपने कमिटमेन्ट किया और आज भी कमिटेड महसूस करते हैं इसलिए आपकी खुद की नीति के अनुसार दरअसल एक ही घर की लड़ाई मालूम पड़ती है। इस रूप में मैं समझता हूं कि इसके बीच में कोई हल निकालने की कोशिश की जानी चाहिए।

जहां तक गोकुलभाई की गिरफ्तारी करके उनको अस्पताल में ले जाने की बात है। जो मंत्रीजी ने उत्तर दिया, जो धारा उसमें इस्तेमाल हुई वह वास्तव में बुरी लगती है लेकिन वास्तविकता यह नहीं है वे भी महसूस करते हैं। लेकिन उस बंदिश में किसी तरह का कानून नहीं हो तो ले कैसे जाय यह समस्या है। वरना न तो यह मानते हैं कि आत्म हत्या करना चाहते हैं और न वह खुद इस तरह का कार्य कर रहे

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हैं। बाकी एक कानून को मजबूरी से निकलना यह बात हो सकती है। कोई दूसरा हो सकता था तो मैं समझता हूं कि अगर जैसा केदार जी ने कहा उनको ले जाना भी था तो दूसरे रीके से या उनको नजरबन्द करने की बात हो सकती थी तो वह ज्यादा उचित होती। और जिस तरीके से इसमें रखा है निश्चित तौर से वह अखरने वाला है लेकिन इसको भावावेश में आकर इस तरह से बनायेंगे तो वह स्थिति को बिगाड़ेगी ही। उस दिशा में ले जाने वाली होगी जिससे यह सारा सदन चिन्तित है। सारे सदन की यह कोशिश है कि इसका कोई न कोई हल हो। कई सुझाव आये हैं, गवर्नमेंट अपनी पार्टी की तरफ से कुछ सदस्यों को और कुछ इधर के सदस्यों को भेजे वे कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करें। यहां पर गवर्नमेन्ट को भी कोई रीजिड एटीट्यूड नहीं अपनाना चाहिये और गवर्नमेन्ट का रुख होगा तो कोई हल जरूर निकल आवेगा। मैं समझता हूं कि गवर्नमेन्ट इस तरफ कदम बढ़ावेगी कांग्रेस के भी काफी लोग हैं जो हल निकालना चाहते हैं, वे इधर के भी कुछ माननीय सदस्यों को लेकर जावें।

श्री अध्यक्ष : स्वास्थ्य मन्त्रीजी।

श्री हरिदेव जोशी (स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के लिए और व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए यह अत्यन्त ही कटु प्रसंग है। जैसा कि कहा गया है हम सभी लोग गोकुल भाई भट्ट को एक श्रद्धा की निगाह से देखते हैं। मैं थोड़े दिनों पहले गोकुल भाई से मिलने गया था, उसी प्रसंग में तब मैंने उनसे निवेदन किया था कि गोकुल भाई आप हमारे बुजुर्ग हैं। मेरे सरीखे लोगों ने, जिस समय आप सब के ऊपर बैठते थे, आपके चरणों में बैठ कर राजनीति का कार्य प्रारम्भ किया है। तो ऐसे आदमी के लिये आई. पी. सी. की धाराओं का उल्लेख करना पड़े तो वह उस आदमी के जीवन का कटुतम प्रसंग होगा, इसके अन्दर कोई दो राय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय यहां पर काफी बातें कही गई हैं। मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह दर्शाने का प्रयत्न किया है कि जैसे राज्य सरकार के पास कोई मार्ग है और उसने उस मार्ग को अपनाया नहीं है। अध्यक्ष महोदय, चीफ मिनिस्टर जयप्रकाशजी के पास क्यों गये? चीफ मिनिस्टर जयप्रकाशजी को लेकर यूनियन फाइनेन्स मिनिस्टर के पास क्यों गये, कोई मार्ग ढूंढने के लिए ही गये थे। मैं मुख्य मन्त्रीजी और पी. सी. सी. के प्रेसीडेण्ट दीक्षित जी के पास गये, उमाशंकर जी दीक्षित के पास गये और उन्हे सारी स्थिति से एप्राइज किया। हम लोग प्राइम मिनिस्टर के पास भी गये और उन्हें भी सारी स्थिति से अवगत कराया गया। क्यों? इसलिये कि कोई हल निकल जाये। मगर ऐसा लगता है कि दुर्भाग्यवश हम गोकुलभाई को समझे नहीं। इसे मैं किसी दूसरे का नहीं हमारे ही लोगों का दुर्भाग्य कहूंगा। उनके एप्रोच में और हमारे एप्रोच में फर्क है। वे कहते हैं कि इतने करोड़ का ओवरड्राफ्ट है इसमें दस करोड़ का ओवरड्राफ्ट बढ़ जायेगा, तुम तो हिम्मत कर के कर डालो।

(श्री हरिदेव जोशी)

वे भावावेश में यह कहते हैं हम यह सोचते हैं कि भूतकाल में कहीं कोई गलतियां हुई हैं, ओवरड्राफ्ट किया गया है तो आइन्दा ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। वित्त मन्त्री ने, मुख्य मन्त्री और गोकुल भाई के समक्ष बात-चीत करते हुए पिछली योजना में प्रोहिबिशन पर एम्फेसीस किया गया था परन्तु आने वाले वर्षों में शायद यह न हो सके। जो प्रायोरिटिज पहले तय की गई थीं वे शायद अब न हो। हमने यह कोशिश की है कि गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया हमारे रेसक्यू पर आवे किन्तु वह सम्भव नहीं हुआ। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस वर्ष के बजट की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय सदस्य कभी हमारे पास किसी बांध के सिलसिले में आते हैं, कभी अस्पताल और कभी आयुर्वेदिक अस्पताल, कभी सड़क और कभी बिजली के लिए आते हैं। वे कहते हैं कि उनके क्षेत्र में यह काम होना चाहिये। माननीय सदस्य देखेंगे कि इस साल एक आयुर्वेदिक औषधालय नहीं है, एक डिस्पेन्सरी नहीं हैं। चार करोड़ का टैक्स लगाने के बाद, उसके बावजूद यह पोजिशन है। एक हजार प्राईमरी स्कूल और एक हजार मिडिल स्कूलों को खोले जाने का जो प्रावधान है, वह महज इसलिये है। कि गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने 6000 टीचर्स देने का वायदा किया है तब है। पीने के पानी के ऊपर आपकी इम्फेसीस इसलिये है कि प्राइम मिनिस्टर ने 125 करोड़ का अलग से प्रावधान किया है, उसमें हमारा लायन शेयर होगा। हमारा अपना जो बजट है वह इस तरह का नहीं है कि आज कोई भी वित्त मन्त्री, कोई भी केबिनेट यह कह सके कि हम साल भर में इतने करोड़ का घाटा सहन कर लेंगे। इस प्रकार का कोई वायदा कर देने की स्थिति नहीं है। परन्तु गोकुल भाई ऐसा मानते हैं कि अगर मोरल वेल्यूज को बढ़ाना है तो साहस पूर्वक कदम उठा लिया जाना चाहिए। यह जो मैंने निवेदन किया कि एप्रोच में फर्क है, वह यह है।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह कहा गया कि धारा 309 का उपयोग करके हमने जघन्य पाप किया है। जैसा कि मैंने अपने लिखित वक्तव्य में निवेदन किया था प्रतिदिन दिन में दो बार डाक्टर्स गोकुल भाई की परीक्षा के लिए जाते रहे हैं। डाक्टर ने आज तक यह कहा कि गोकुल भाई की डाइबिटीज है, किडनी इन्फेक्शन, युरिनल इन्फेक्शन और डिहाइड्रेशन है। जब ये सारी स्थिति हैं तो उसका क्युमुलेटिव इफेक्ट क्या होगा ?

गोकुल भाई भट्ट से प्रार्थना की कि आप अस्पताल पधारिये। उन्होंने इन्कार कर दिया। यह आपको भी मालूम है। दूसरे सज्जनों ने प्रार्थना की, गवर्नमेंट की प्रतिनिधियों ने जाकर प्रार्थना की। रात को 12 बजे मुझ को जाकर जगाया तब भी उन्होंने इन्कार कर दिया उनको अस्पताल क्यों ले जाना पड़ा? डाक्टर्स ने जिन्होंने जांच की रात को साढ़े सात बजे अपनी रिपोर्ट लिखकर साढ़े नो बजे मेरे पास भेजी। जिन डाक्टर्स ने जांच की वे डाक्टर्स इमीजियेटली चीफ सेक्रेटरी के पास दौड़े हुए गये और उन्होंने रिपोर्ट को कि इमीजियेट हॉस्पिटेलाइजेशन की जरूरत है। फिर उनके पास मैं गया। उनसे

(श्री हरिदेव जोशी)

प्रार्थना की तो उन्होंने इन्कार कर दिया उनकी स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए दूसरा और कोई उपाय नहीं देखकर एक मात्र यह बहाना किया गया कि उन्हें इस प्रकार से ले आया जाय । इसमें गोकुल भाई को अपमानित करने की कतई कोई भावना नहीं रही, किन्तु यदि गोकुलभाई इसको अपमान समझते हैं तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूं । हम उस पीढ़ी में से नहीं हैं जो गोकुलभाई जैसे लोगों का अपमान करना चाहते हों । हम उस पीढ़ी में से हैं जो गोकुल भाई को आगे रखकर उनके पीछे चलेंगे । इसलिए, अध्यक्ष महोदय, हमारी नियत के ऊपर शक नहीं किया जाय कि हम इस प्रकार से उनको क्यों ले गये । फिर वहां से निकले और अस्पताल में पहुंच ने के बाद में तुरन्त आजाद आदमी थे । अस्पताल की खाट पर पहुंच कर वे आजाद नागरिक हैं । इससे हमारी मन्शा मालूम पड़ सकती है ।

यहां पर यह कहा गया कि बातचीत के मार्ग बन्द नहीं करना चाहिये । कौन बन्द कर रहा है? हम तो परेशान हैं । हम तो चाहते हैं कोई मार्ग निकाला जाय । मावली से आने वाले माननीय सदस्य को मैं प्रार्थना करूंगा कि जो तरीका वे करना चाहते हों, सोच रहे हों कोई भी वायेबल और लॉजिकल रास्ता वे रखें, कोई और रखें, किसी भी कोने से आयेगा, राज्य सरकार हमेशा उसका स्वागत करेगी । किन्हीं भी स्थितियों के अन्दर हम यह नहीं कहना चाहते कि हम यह नहीं करना चाहते हैं । व्यक्तिगत बातें मुझे भूलना नहीं चाहिए । मगर, मेरे मित्रों, निराश हो कर के आया हूं । इसलिए जहां तक राज्य सरकार का सवाल है उसे अत्यन्त कटु स्थितियों में से गुजरना पड़ रहा है, मगर मजबूरी है, कोई चारा नहीं ।

यहां यह कहा गया, अध्यक्ष महोदय, कि प्रिवियस गवर्नमेंट के कमिटमेन्ट्स को आने वाली गवर्नमेंट को उसे पूरा करना चाहिए । कौन मुकरना चाहता है ? अगर हम मुकरना चाहते तो जिन क्षेत्रों में आज प्रोहिबिशन है उसको भी स्टाप कर देते, किन्तु ऐसा हमने नहीं किया । गवर्नमेंट को अपनी पालिसी के ऊपर, अपने उठाये हुए कदमों के ऊपर हमेशा पुनर्विचार करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट्स ऐसा नहीं करतीं है। तो गवर्नमेंट कहे जाने योग्य नहीं रह जाती हैं । आज से थोड़े दिन पहले की बात है कि हमने राजा-महाराजाओं से प्रिविपर्स और प्रिविलेजेज का वायदा किया था, मगर आज बदलती हुई स्थिति के अन्दर कांस्टीट्यूशन में एमेंडमेंट करके उनके प्रिविलेजेज और प्रिवीपर्स को हमने खत्म किया । क्यों ? इसलिये कि आज की स्थिति के वह अनुकूल नहीं है । यह तो यह कहना कि हमने 1972 तक पूर्ण नशाबन्दी करने की बात कही थी । हम नहीं कर पा रहे हैं । यह हमारी मजबूरी है, किन्तु उसमें हमारी नियत खराब है ऐसी चीज नहीं है । हमारी नियत साफ है । अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वे ऐसा नहीं मानते हैं कि प्रोहिबिशन से कमिटेड हैं, मगर रिप्लाई में यह कहा गया है, गवर्नमेंट ऐसा मानती है इसलिए यह घर-घर का झगड़ा हो गया है । दरअसल में ऐसी ही चीज है । इससे इन्कार नहीं किया जा सकता । हम कभी भी गोकुलभाई को डिसओन नहीं कर सकते

(श्री हरिदेव जोशी)
गोकुलभाई हमारे हैं और हम उनके हैं, चाहे आज हम उनकी बात को मान सकें अथवा न मान सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन की मारफत गोकुलभाई से निवेदन करूंगा कि वे राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रख कर अपने अनशन का आग्रह समाप्त कर दें।

समितियों का गठन

श्री अध्यक्ष : मुझे एक घोषणा करनी है।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि जन लेखा समिति 1972–73, प्राक्कलन समिति, 1972–73 एवं राजकीय उपक्रम समिति, 1972–73 के चुनावों हेतु निम्नलिखित उम्मीदवारों की नामजदगी के पर्चे जांच के बाद सही पाये गये हैं।

जन–लेख समिति, 1972–73

1. श्री चिम्मन सिंह भाटी (35)
2. श्री दिनेश डांगी (52)
3. श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया (119)
4. श्री सुरेन्द्र प्रसाद (174)
5. श्री हीरालाल देवपुरा (182)
6. श्रीमती प्रभा मिश्रा (70)
7. श्री रामचन्द्र रौत (125)
8. श्रीमती मदन कौर (97)
9. श्रीमती कान्ता कथूरिया (10)
10. श्री जनार्दन सिंह गहलोत (39)
11. श्री रामसिंह कुड़ी (135)
12. श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु (23)
13. श्री मोहम्मद गफ्फारअली (113)
14. श्री भानुकुमार शास्त्री (87)
15. श्री मूलचन्द सामरिया (108)
16. श्री जगमोहनसिंह (38)

प्राक्कलन समिति, 1972–73

1. श्री फारूख हसन (71)
2. श्री सम्पतराम (168)
3. श्री लूणाराम (148)
4. श्रीमती निर्मला कुमारी (62)
5. श्रीमती उषा प्रकाश (6)
6. श्री रोशनलाल शर्मा (143)
7. चिम्मनसिंह भाटी (33)
8. श्री अमृतलाल गहलोत (3)
9. मोहनराज (109)
10. श्रीमती गौरी पूनिया (30)
11. श्री गौरीशंकर (31)
12. श्री नाथूराम (58)
13. श्री बीरबल (78)
14. श्री जीथिंग (44)
15. श्री मिठालाल (105)
16. श्री रामसिंह कुड़ी (135)
17. श्री गिरधारीलाल (20)

राजकीय उपक्रम समिति, 1972–73

1. श्री विश्वम्भर नाथ जोशी (77)
2. श्री मोहनलाल छंगाणी (110)
3. श्री शंकरलाल (156)
4. श्री श्रीनिवास शारदा (164)
5. श्री गुलाबसिंह (24)
6. श्रीमती सुमित्रा (173)
7. श्री गोपाल जोशी (26)
8. श्री विद्यासागर (152)
9. श्री गोकुलचन्द (25)

(श्री अध्यक्ष)

10. श्री रामसिंह कुड़ी (135)

11. श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (115)

12. श्री मनोहरलाल (100)

13. श्री सुरेशचन्द्र (175)

सदन की कार्यवाही दिनांक 22 मई, 1972 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनतर सदन की कार्यवाही 6 बजकर 10 मिनट पर सोमवार दिनांक 22 मई, 1972 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

Page No 143

परिशिष्ट 1

(ता. प्र. सं. 629 की सूची)

1. नारवा	2. यावरदा
3. रुडमल की ढाणी	4. मुलेवा
5. बोल्डरा	6. घुघुम्वा
7. घाना	8. बिजलो
9. बारवा	10. खांम्वो
11. कोटरा	12. कामला
13. खारा	14. छांगरो
15. सांडन	16. वाबी
17. एयरपुरा	18. नोसरा
19. नीलकंठ	20. मोतीसरा
21. बाला	22. केरामा
23. दुदिया	24. वारली
25. कलंगा पोरदर	26. मांडला
27. जोगवा	28. तरवारा
29. उकराडा	30. वांगडा

परिशिष्ट 2

(ता. प्र. सं. 633 की सूची)

नगर परिषद् गंगानगर द्वारा माह दिसम्बर 1971, माह जनवरी व फरवरी 1972 में किये गये व्यय की सूची।

मद का नाम	दिसम्बर, 71	जनवरी, 1972	फरवरी, 1972
1	2	3	4
(1) सामान्य प्रशासन			
1– अधिकारियों का वेतन	1859	1059	32
2– कर्मचारियों का वेतन	8267	8903	5763
3– मंहगाई भत्ता	3320	5577	5942
4– अन्य व्यय	4241	20463	5172
योग:–	1[illegible]687	36602	17909
(2) (अ) चुंगी शाखा:–			
1– अधिकारियों का वेतन	663	506	602
2– कर्मचारियों का वेतन	5142	4316	6454
3– महगाई भत्ता	6584	6179	6441
4– अन्य व्यय	72	26	779
योग:–	12461	11027	14276
2 (ब) भवन व भूमि विक्रय शाखा:–			
1– कर्मचारियों का वेतन	1940	1884	2173
2– महंगाई भत्ता	1337	1372	1407
3– अन्य व्यय	–	30	12
योग:–	3277	3286	3592

1	2	3	4
2. (स) अन्य तहबाजारी:-			
1– कर्मचारियों का वेतन	974	1265	1598
2– महंगाई भत्ता	2002	1481	1333
3– अन्य व्यय	10	–	–
योग:–	2986	2746	2931
3. सार्वजनिक जनहितकारी व जनस्वास्थ्य:–			
1– कर्मचारियों का वेतन	31772	27676	28005
2– महंगाई भत्ता	34576	35059	34051
3– अन्य व्यय	10158	6235	9640
योग:–	76506	68970	71996
4. सार्वजनिक रक्षा:–(अग्नि)			
1– कर्मचारियों का वेतन	1098	1039	1146
2– महंगाई भत्ता	1980	1761	1806
3– अन्य व्यय	161	30	68
योग:-	3239	2830	3020
5. औषधालय–			
1– अधिकारियों का वेतन	715	715	715
2– कर्मचारियों का वेतन	850	850	1000
3– महंगाई भत्ता	1090	1050	1050
4– अन्य व्यय	203	–	35
योग	2818	2615	2800
6. रोशनी–			
1– कर्मचारियों का वेतन	114	114	114
2– महंगाई भत्ता	88	208	98

1	2	3	4
3. अन्य व्यय	43	3718	5506
योग:—	245	4040	5720
7. जल व्यय:—			
1— कर्मचारियों का वेतन	175	175	175
2— महंगाई भत्ता	289	289	289
3— अन्य व्यय	—	—	—
योग:—	464	464	464
8. पशु गृह:—			
1— कर्मचारियों का वेतन	392	753	393
2— महंगाई भत्ता	520	495	525
3— अन्य व्यय	—	—	—
योग:—	912	1248	918
9. शिक्षा—			
1—कर्मचारियों का वेतन	10078	6699	7575
2—महंगाई भत्ता	8430	8592	6142
3—अन्य व्यय	492	327	124
योग:—	19000	18618	13841
10. उद्यान:—			
1—कर्मचारियों का वेतन	1204	1352	1739
2—मंहगाई भत्ता	1910	1910	1984
3—अन्य व्यय	—	450	—
योग:—	3114	3712	3723

1	2	3	4
11. सार्वजनिक मरम्मत:—			
1—कर्मचारियों का वेतन	1644	1590	2735
2—मंहगाई भत्ता	1666	1788	1681
3—अन्य व्यय	5014	2777	347
योग:—	8324	6155	4763
11. (1) वाटर वर्क्स:—			
1—अधिकारियों का वेतन	598	598	598
2—कर्मचारियों का वेतन	5554	7309	5245
3—मंहगाई भत्ता	6525	5942	7221
4—अन्य व्यय	6548	7125	12760
योग:—	19225	20974	25824
12. विकास कार्य	16677	21227	41241
13. नवीन सम्पत्ति क्रय:—	—	—	29

परिशिष्ट 3

(ता. प्र. सं. 638 की सूची)

जिन गांवों में टांकों के निर्माण का कार्य हाथ में लिया गया–

पूर्ण:—सूंन्देलाव, गिरवर, मोरिया, फूकरलाई, दूधियां, ग्राटन, लामड़ा, वस्सी, गाली, सोनाई लाखा, दादिया, पेनावा, भाडपुरिया, साकदड़ा, भावनगर, लालको।

अपूर्ण:—कलाली, दूधवी, भीतड़ा।

परिशिष्ट 4

(ता. प्र. सं. 643 की सूची)

सूची "क"

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की मांगें

1. आवश्यकतानुसार न्यूनतम वेतन स्वीकार किया जावे एवं इस आशय की पूर्ति के लिये वेतन आयोग गठित किया जावे।
2. अन्तरिम राहत एवं अतिरिक्त अन्तरिम राहत केन्द्रीय सरकार के समान दो जाकर बकाया राशि का भुगतान किया जावे।
3. मकान किराया भत्ता राज्य के सभी कर्मचारियों को दिया जावे।
4. परियोजना क्षेत्रों में सभी कर्मचारियों को परियोजना भत्ता दिया जावे।
5. समान योग्यता के आधार पर एक ही योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मचारी को एक ही वेतन श्रृंखला, पदोन्नति एवं नियम की समान सुविधा दी जावे।
6. कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची का प्रकाशन स्थायीकरण एवं स्थिरीकरण शीघ्र किये जावें।
7. कर्मचारियों का उपार्जित, अर्द्ध वेतन अवकाश का नगद भुगतान किया जावे
8. वेतन श्रृंखला व वेतन निर्धारण में आम गल्तियां दूर की जावें।
9. सभी संघों को दिये गये आश्वासनों की पूर्ति शीघ्र की जाकर आदेश प्रसारित किये जावें।
10. कर्मचारियों को मकान बनाने हेतु जमीन दी जावे।
11. कर्मचारियों को ट्रेड यूनियन अधिकार दिये जावें।

सूची "ख"

स्वीकृत मांगों की सूची

1. दिनांक 1–10–71 से द्वितीय तदर्थ राहत जो 1250) रु. माहवार तक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को 7) रु. से 15) रु. की दर से दी गई।

2. दिनांक 1–2–72 से तृतीय तदर्थ राहत जो 499) रु. माहवार तक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को 5) रु. से 7) रु. की दर से दी गई।

3. मकान किराया भत्ता जिन नगरों की आबादी 50,000 या अधिक है वहां दिनांक 1–4–72 से देय है, जिसमें सीकर, भरतपुर, ब्यावर, टोंक और चूरू नगर आते हैं।

4. परियोजना भत्ता परियोजना क्षेत्र में स्थित जिला मुख्यालयों पर नियुक्त कर्मचारियों को दिनांक 1–4–72 से देय है।

5. एक सदस्यीय वेतन असमानता निवारण समिति नये, वेतन मानों में पाई जाने वाली असंगतियों के निवारणार्थ गठित करने हेतु।

6. महासंघ को राज्य सरकार द्वारा दिये गये लिखित आश्वासनों का शीघ्र निर्वर्तन सुनिश्चित करने हेतु समिति का गठन।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

APPOINTMENTS (O. & M.) DEPARTMENT

No. F. 5 (5) O&M/72. Jaipur, dated the 20th March, 1972.

NOTIFICATION

The Governor is pleased to appoint Shri D. D. Gupta, Retired District & Sessions Judge, as One-Man Committee to examine the anomalies in the pay scales prescribed for Class IV, Ministerial and Subordinate Services in the Rajasthan Civil Services (New Pay Scales) Rules, 1969 and make recommendations to remove such anomalies.

2. The terms of reference of the Committee will be as follows :—

(i) To examine if posts carrying similar duties and responsibilities existing in different Departments have been allowed different pay scales under the aforesaid Rules and suggest, if any change in the Pay Scales prescribed for such posts is necessary, taking into consideration their duties and responsibilities and the qualifications and experience prescribed for the posts;

(ii) any specific matter that may be referred to the Committee by the Government.

3. The Committee will determine its own procedure of working and submit its report within a period of three months.

By Order,
राजेन्द्रपाल सिंह
Deputy Secretary to Government.

अत्यावश्यक

प. सं. 5 (7) व्य. एवं प./72

राजस्थान सरकार

नियुक्ति विभाग

(व्यवस्था एवं पद्धति अनुभाग)

आज्ञा

जयपुर, दिनांक 25 मार्च, 1972

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ को राज्य सरकार द्वारा दिये गये लिखित आश्वासनों का शीघ्र निर्वर्तन सुनिश्चित करने हेतु राज्यपाल महोदय निम्नलिखित अधिकारियों की एक समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

1. वित्त आयुक्त	अध्यक्ष
2. विशिष्ठ सचिव, नियुक्ति विभाग	सदस्य
3. उप-शासन सचिव एवं कर्मचारी कल्याण अधिकारी	सदस्य-सचिव

समिति का कार्यकाल 3 माह का होगा।

आज्ञा से;
राजेन्द्रपाल सिंह,
उप शासन सचिव।

परिशिष्ट 5

(ता. प्र. सं. 648 की सूची)

प्रश्न 1 की सूची

जोधपुर जिले में निम्न योजनाओं के लिये सर्वे की जा चुकी है :—

(1) पंचायत समिति मंडोर :—

क. सं.	योजना	लगभग लागत
1	2	3
1.	एवं/पाइप वाटर सप्लाई पंप एण्ड टैंक/योजनायें	
	क्षेत्रीय योजनायें :—	
1.	बांड, डायवाल (12 गांव)	रु. 21.00 लाख
2.	अंगवाना, सुरपुरा, देसुरिया	,, 2.11 ,,
3.	केरु, लोरडी, (9 गांव)	,, 8.20 ,,
4.	हुलोडी, मगलोई (17 गांव)	—

(2) पंचायत समिति फलौदी :—

	पंप एण्ड टैंक एवं पाइप वाटर सप्लाई योजनाएं :—	
1.	बाप	रु. 4.60 लाख
2.	चनोक	,, 0.72 ,,
3.	चोरड़िया	—
	क्षेत्रीय योजनायें :—	
1.	चंपासर, रोहिणा, जैसलान (4 गांव)	रु. 18.13 लाख
2.	बोधरी बड़ी, बेगरी बावरी (11 गांव)	,, 15.65 ,,
3.	भाखड़ी की ढाणी, बिखारा	,, 5.84 ,,
4.	शैतानसिंह नगर, जांबा (6 गांव)	,, 12.07 ,,
5.	धरियाणी, भीड़ासर (10 गांव)	,, 20.47 ,,
6.	लारा, बयाना (5 गांव)	—
7.	घोरडा, बाखुरी (10 गांव)	—

(3) पंचायत समिति बालोसर :—

1	2	3
पंप एण्ड टैंक व नल योजनायें :—		
1. सोलंकिया तला		रु. 1. 47 लाख

(4) पंचायत समिति बिलाड़ा :—

पंप एण्ड टैंक व नल योजनायें :—		
1. बोरुदा		रु. 2. 64 लाख
2. खारिया मीठापुर		—
3. ऊंचेरा गांव		—
क्षेत्रीय योजनायें :—		
1. भावी धनमगर (4 गांव)		रु. 2. 94 लाख
2. पीपार रोड से बडा रामसिंह (3 गांव)		—
3. खोखाला से नाटयाला, [illegible] (14 गांव)		—

(5) पंचायत समिति लूनी:—

क्षेत्रीय योजनायें:—

1. पेठावास, वास, जाटियावास		रु. 5.00 लाख
2. कुडी, सांगरिया, मकरासनी,		2.07 „
3. डोली, खाटावास, डाटवासाई (14 गांव)		27.96 „

4. पाल, वोरुंडा, बासनी सिलावटा पंचायत समिति शेरगढ:—

क्षेत्रीय योजना:—

1. धोलु, दयाकोर (6 गांव) —

पंप एण्ड टैंक जल योजनायें:—

1. रैवा —
2. गिरधोस्कर —
3. खिवट्ठ —
4. नायक —

Page No 155

परिशिष्ट 6

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

जिला पशु चिकित्सालय भवन

649. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार द्वारा किन-किन स्थानों में जिला पशु चिकित्सालयों के भवनों का कब-कब निर्माण हो चुका है?

(2) बाड़मेर जिले में उक्त भवन के निर्माण के बारे में अभी तक क्यों विलम्ब हुआ है ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त भवन के निर्माण की स्वीकृति इस वर्ष देकर इसी वर्ष कार्य शुरू कराने के लिये तैयार है ?

उत्तर

(1) स्थानों की सूची संलग्न है। इनमें से पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण बांसवाडा-1967, जैसलमेर-1970 एवं जालोर के भवन का कार्य आधे से अधिक पूर्ण हो चुका है एवं इस वर्ष पूर्ण हो जावेगा। बाकी के समस्त भवन कम से कम दस वर्ष पूर्व के हैं।

(2) धनाभाव के कारण अभी तक यह सम्भव नहीं हो सका।

(3) फिलहाल यह सम्भव नहीं है।

जिला पशु चिकित्सालयों की सूची जहां राजकीय भवन हैं।

(1) अलवर
(2) भरतपुर
(3) जयपुर
(4) अजमेर
(5) भीलवाड़ा
(6) कोटा
(7) उदयपुर
(8) चित्तौडगढ
(9) जोधपुर
(10) जैसलमेर
(11) बांसवाडा
(12) जालौर
(13) नागौर
(14) पाली

(15) सवाई माधोपुर

(16) बूंदी

(17) झालावाड़

(18) टोंक

(19) झूंझूनू

(20) सीकर

(21) डूंगरपुर

(22) बीकानेर

भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्यवाही

650. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1971 में डूंगरपुर जिले के सार्वजनिक निर्माण एवं सिंचाई विभागों के भ्रष्टाचार के विरुद्ध कितने परिवाद भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में प्राप्त हुए ?

(2) ये उपयुक्त भ्रष्टाचार के आरोप किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध व किस-किस प्रकार के हैं तथा आज तक उन पर क्या कार्यवाही की गई ? सूची मय पूरे विवरण के साथ सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग के 5 तथा सिंचाई विभाग के 3 परिवाद प्राप्त हुए।

(2) विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही की सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान [पु]स्तकालय को भेजी गई)

पशु विकास योजना बीकानेर के बजट से बुल्स की खरीद

651. श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सघन पशु विकास योजना, बीकानेर के बजट में बुल्स खरीदने हेतु सन् 1971–72 में दस हजार की राशि का प्रावधान था ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त राशि का भुगतान तारीख 30 या 31 मार्च, 1972 को उक्त कार्यालय द्वारा ट्रेजरी बीकानेर से लिया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना के अन्तर्गत पशुपालकों को दिये जाने वाले ऋण की राशि का उक्त कार्यालय द्वारा भुगतान न लिया जाकर राशि को सरेण्डर किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

सोडा ऐश फेक्ट्री

652. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा):- क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सांभर साल्ट लि. या हिन्दुस्तान साल्ट लि. ने सांभर ने सोडाऐश फेक्ट्री लगाने के लाइसेन्स के लिए एप्लीकेशन दी है? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड ने सांभर में सोडा ऐश व अमोनियम क्लोराइड फेक्ट्री लगाने के लाईसेन्स के लिये दिनांक 11-12-71 को भारत सरकार को आवेदन-पत्र दिया था। राज्य सरकार द्वारा इस आवेदन-पत्र पर केन्द्र सरकार को लाईसेन्स देने के लिये सिफारिश की गई।

हिण्डौन में नाले से गन्दगी

653. श्री उम्मेदीलाल (हिण्डौन):- क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि डमारोड हिण्डौन के खाली नला से गन्दगी के कारण वहां के लोगों को बड़ी परेशानी है ?

(2) क्या यह सच है कि इस गन्दगी के कारण लोग बीमार भी होते हैं ?

(3) क्या यह सच है कि हिण्डौन की जनता ने बोर्ड के चेयरमेन को इस गन्दगी को साफ करवाने के लिये प्रार्थना की थी ?

(4) क्या यह सही है कि जनता की प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो अब इस सम्बन्ध में कब तक व्यवस्था हो जायगी ?

उत्तर

1. जी हां।

2. जी नहीं।

3. चेयरमेन, नगरपालिका, हिण्डौन को प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है।

4- प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। नगरपालिका द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

स्थगित-प्रश्न

(दिनांक 28-4-72)

विदेश से सहायता

66. श्री निरंजन नाथ आचार्य (मावली): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भारत से बाहर किसी विदेशी सहायता संस्था विशेषतः फोर्ड फाउण्डेशन ने राज्य के शिक्षा विभाग को गत विधान सभा काल में कोई सहायता दी ?

(2) क्या यह सहायता बेंक के द्वारा प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो उन चैकों के

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

नम्बर क्या हैं और वे किस तारीख के हैं और राज्य सरकार के खाते में कब-कब जमा हुए हैं तथा बीच के समय में चैक कहां पड़े रहे और उन चैकों की रकम का ब्याज कहां जमा हुआ ?

उत्तर

(1) जी हां, फोर्ड फाउन्डेशन ने 1965–68 में बिड़ला इन्स्टीट्यूट आफ टैकनोलोजी, पिलानी को 14,50,000 डालर की सहायता मंजूर की। 1968–71 में 15,00,000/- डालर की उक्त संस्था को दुबारा सहायता मंजूर की। सन् 1969 में फोर्ड फाऊन्डेशन ने रु. 10,000/- की सहायता राजस्थान विश्वविद्यालय को दी।

(2) बिड़ला इन्स्टीट्यूट को सहायता कैश में नहीं प्राप्त हुई। यह सहायता काइन्ड में प्राप्त हुई। राजस्थान विश्वविद्यालय को सहायता केश में चैक नं0 एम 358631 दिनांक 12–8–69 द्वारा प्राप्त हुई। यह चैक 21–8–69 को प्राप्त हुआ और उसी दिन खाते में जमा कर दिया गया।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 1-5-72)

साप्ताहिक एवं दैनिक पत्रों को दिये गये विज्ञापन

148. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सुखाडिया प्रशासन के 17 वर्ष की अवधि में साप्ताहिक एवं दैनिक पत्रों को दिए गए विज्ञापन की धनराशि कितनी है ?

(2) किन-किन पत्रकारों को उक्त अवधि में स्कूटर एवं कारें तथा जमीन आदि आवंटित किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सन् 1954 से 1956 तक सरकारी विज्ञापन समाचार पत्रों को संबंधित विभागों द्वारा सीधे दिये जाते थे। सन् 1957 से 8-7-71 तक राजस्थान के दैनिक व साप्ताहिक पत्रों को क्रमशः 13,70,859.31 व 17,87,377.93 रुपये का विज्ञापन दिया गया है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(अ, ब, और स)

सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेजी गई।

परिशिष्ट 7

(अ. प्र. सं. 247 की सूची)

तालिका (क)

क्रमांक	नाम अधिकारी	पद	नियुक्ति की अवधि
1	2	3	4
1.	श्री बृजकिशोर शर्मा	1. उप जिला विकास अधिकारी एवं पदेन सचिव जिला परिषद, जयपुर ।	जुलाई, 70 से सितम्बर, 70 तक
		2. अतिरिक्त जिलाधीश एवं दण्ड-नायक (1), जयपुर ।	7-9-70 से अब तक
2.	श्री आर.के. गुप्ता	2. अतिरिक्त जिलाधीश एवं दण्ड-नायक (2), जयपुर	16-6-71 से अब तक
3.	श्री जोरावरसिंह सांडू	जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर ।	जुलाई, 71 से अब तक
4.	श्री तारा प्रकाश जोशी	1. उप खण्ड अधिकारी, जयपुर	जुलाई, 65 से अक्टूबर, 69 तक
		2. नगर दण्डनायक, जयपुर	4-10-69 से अब तक
5.	श्री आई. के. वाली	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर	25-11-70 से अब तक
6.	कु. मुकुलिका सैन	1. भूमि अवाप्ति अधिकारी, जयपुर ।	जनवरी, 66 से सितम्बर 70 तक
		2. उप जिलाधीश, जागीर, जयपुर	17-9-70 से अब तक
7.	श्री बी. वी. सरीन	1. वाणिज्यकर अधिकारी, जयपुर	सितम्बर, 69 से अगस्त, 71 तक
		2. सहायक जिलाधीश एवं दण्ड-नायक, जयपुर	अगस्त 71 से जनवरी 72 तक
		3. भूमि अवाप्ति अधिकारी, जयपुर	5-1-72 से अब तक

Page No 160

1	2	3	4
8.	श्री शिवचरण शर्मा	भूमि अवाप्ति अधिकारी (नगर विकास न्यास) जयपुर	5-8-71 से अब तक
9.	श्री आई. ए. एस. शेखावत	विशेषाधिकारी, नगर आयोजना विभाग जयपुर	15-7-69 से अब तक
10.	श्री किशोरी लाल	विशेषाधिकारी, कृषि भूमि नियमन, जयपुर	3-12-71 से अब तक
11.	श्री गोपाल लाल शर्मा	1. उप निदेशक, नागरिक सुरक्षा, जयपुर ।	नवम्बर, 68 से मई, 72 तक
		2. भू-प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर	5-7-71 से अब तक
12.	श्री पूरणसिंह	1. सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर	जुलाई, 65 से सितम्बर, 70 तक
		2. भूमि अवाप्ति अधिकारी, (नगर विकास न्यास) जयपुर	सितम्बर, 70 से अगस्त, 71 तक
		3. भू-प्रबन्ध अधिकारी (रेण्ट-रेट), जयपुर ।	5-8-71 से अब तक
13.	श्री एस. सी. वर्मा	उप जिला चुनाव अधिकारी, जयपुर	20-6-71 से अब तक
14.	श्री एन सी. जैन	1. वाणिज्यकर अधिकारी, (मुख्यावास) जयपुर ।	अगस्त, 68 से अक्टूबर, 70 तक
		2. उप खण्ड अधिकारी, आमेर मुख्यावास, जयपुर	2-10-70 से अब तक
15.	श्री आर. एन. चतुर्वेदी	1. म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट, जयपुर	दिसम्बर, 69 से दिसम्बर, 71
		2. उप खण्ड अधिकारी, कोटपूतली	13-12 71 से अब तक
16.	श्री जी. एस. राजपुरोहित	उप खण्ड अधिकारी, दौसा	30-7-71 से अब तक
17.	श्री एच. एस. राजपुरोहित	1. सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर	10-67 से 11-69 तक
		2. मोबाइल मजिस्ट्रेट, जयपुर	4-70 से 12-70 तक

1	2	3	4
		3– म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट जयपुर (प्रथम)	23–1–71 से अब तक
18.	श्री नरपतसिंह भण्डारी	म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट जयपुर (द्वितीय)	25–1–72 से अब तक
19.	श्री अमरलाल माथुर	सहायक जिलाधीश एवं दण्डनायक (2), जयपुर	20–10–71 से अब तक
20.	श्री ओ. पी. गोयल	सहायक जिलाधीश एवं दण्डनायक (3), जयपुर	18–9–70 से अब तक
21.	श्री आर. आर. गुप्ता	वाणिज्य कर अधिकारी, (विशेष वृत्त) द्वितीय, जयपुर।	29–7–71 से अब तक
22.	श्री बी. एन. पुरोहित	1– वाणिज्य कर अधिकारी (डी) सर्किल, जयपुर	7–67 से 9–69 तक
		2– सहायक जिलाधीश एवं प्रथम श्रेणी दण्डनायक, जयपुर।	9–69 से 7–71 तक
		3– वाणिज्य कर अधिकारी वृत्त 'ब' जयपुर।	20–7–71 से अब तक
23.	श्री एन. एन. सक्सेना	डिप्टी कन्ट्रोलर, नागरिक सुरक्षा, जयपुर।	17–9–69 से अब तक
24.	श्री राजकुमार शर्मा	जिला रसद अधिकारी, जयपुर	1–8–70 से अब तक
25.	श्री बी. एल. शास्वत	उप खण्ड अधिकारी, कृषि भूमि नियमन, जयपुर।	28–3–72 से अब तक

तालिका (ख)

जयपुर जिला प्रशासन के वे अधिकारी जो पिछले 5 वर्षों से जयपुर में ही नियुक्त हैं।

क्रमांक	नाम अधिकारी	पद	नियुक्ति की अवधि
1	2	3	4
1	श्री बृजकिशोर शर्मा	1- (निलम्बन में जयपुर)	9/60 से 2/66 तक
		2- आबकारी दण्डनायक, जयपुर।	2/66 से 7/68 तक
		3- उप खण्ड अधिकारी (आमेर) जयपुर।	7/68 से 9/69 तक
		4- सचिव हिन्डौन पुलिस फायरिंग कमीशन, जयपुर।	9/69 से 1/70 तक
		5- प्रधानाचार्य, पंचायती राज अध्ययन केन्द्र, जयपुर।	2/70 से 6/70 तक
		6- उप जिला विकास अधिकारी एवं पदेन सचिव जिला परिषद्, जयपुर।	7/70 से 9/70 तक
		7- अतिरिक्त जिलाधीश एवं दण्डनायक (1) जयपुर।	9/70 से अब तक
2.	श्री तारा प्रकाश जोशी	1- उप खण्ड अधिकारी, जयपुर	7/65 से 10/69 तक
		2- नगर दण्डनायक, जयपुर	4-10-69 से अब तक
3	कु. मुकुलिका सेन	1- विकास अधिकारी, जयपुर	11/58 से 3/60 तक
		2- सहायक शासन सचिव, मंत्रिमंडल, जयपुर।	7/60 से 7/61 तक
		3- सहायक विकास आयुक्त एवं सहायक शासन सचिव।	7/61 से 7/64 तक
		4- रीजनल इवेल्यूएशन आफिसर जयपुर।	7/64 से 12/65 तक
		5- भूमि अवाप्ति अधिकारी, जयपुर।	1/66 से 9/70 तक
		6- उप जिलाधीश जागीर, जयपुर।	17-9-70 से अब तक

1	2	3	4
4.	श्री पूरणसिंह	1– सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी जयपुर।	7।65 से 9।70 तक
		2– भूमि अवाप्ति अधिकारी (नगर विकास न्यास) जयपुर	9।70 से 8।71 तक
		3– भू- प्रबन्ध अधिकारी (रैण्टरैट), जयपुर।	5-8-71 से अब तक
5.	श्री बी. एन. पुरोहित	1– वाणिज्य कर अधिकारी, 'डी' सर्किल, जयपुर।	7।67 से 9।69 तक
		2– सहायक जिलाधीश एवं मजिस्ट्रेट, जयपुर।	9।69 से 7।74 तक
		3– वाणिज्य कर अधिकारी, वृत्त 'ब' जयपुर।	20-7-71 से अब तक

परिशिष्ट 8

(अ. प्र. सं. 249 की सूची)

परिशिष्ट 'अ'

विज्ञापन देने की दिनांक	पत्र-पत्रिका एवं स्मारिका का नाम	विज्ञापन मूल्य	पत्र-पत्रिका एवं स्मारिका के प्रकाशन की दिनांक	भुगतान की तारीख	व्यक्ति एवं संस्था का नाम जिनको भुगतान किया गया	राशि जो अभी तक भुगतान नहीं की गई है	अधिकारी, जिनको विज्ञापन का प्रार्थना-पत्र दिया गया	अधिकारी का नाम जिसके आदेश से विज्ञापन दिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9
गंगानगर शुगर मिल्स लि. :—								
14-8-71	अमर राजस्थान, जयपुर	200/-	..	3-9-71	भुगतान चैक द्वारा किया गया	..	मंत्री, राजकीय उपक्रम	प्रभारी संचालक, गंगानगर शुगर मिल्स
16-8-71	विवेक विकास, जयपुर	50/-	..	23-10-71	"	..	सचिव, गंगानगर शुगर मिल्स	"
17-8-71	अरुण प्रकाशन, नई दिल्ली	200/-	..	13-4-72	"	..	मन्त्री, राजकीय उपक्रम	"
6-9-71	विज्ञानिका, जयपुर	100/-	..	..	..	100/-	सचिव, गंगानगर शुगर मिल्स	"
23-8-71	विश्वविद्यालय, जोधपुर	200/-	..	..	..	200/-	राजकीय उपक्रम विभाग	"

Page No 165

17-9-71	बंग सहयोग समिति, जयपुर	100/-	..	22-11-71	सम्पादक को नकद भुगतान किया गया	..	सचिव, गंगानगर शुगर मिल्स	"
5-10-71	राष्ट्रदूत, जयपुर	100/-	अक्टूबर, 71	दिसम्बर, 71	भुगतान-चैक द्वारा किया	..	प्रभारी संचालक	"
28-8-71	प्रणिमा, जयपुर	150/-	अगस्त, 71	23-10-71	..	..	मन्त्री, राजकीय उपक्रम	"
7-10-71	इण्डियन शुगर मिल्स एसोसियेशन, नई दिल्ली	150/-	..	..	..	150/-	सचिव, गंगानगर शुगर मिल्स	"
4-10-71	ज्योतिषमति, सोलन	500/-	अप्रैल,-जुलाई 72 का अंक	9-5-72	भुगतान चैक द्वारा किया	..	राजकीय उपक्रम विभाग	"
9-10-71	राजस्थान स्टेट एण्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसियेशन, जयपुर	200/-	..	29-11-71	..	..	सचिव, गंगानगर शुगर मिल्स	"
12-10-71	इण्डियन रैडक्रास सोसाइटी फैमिली प्लानिंग सैक्शन, जयपुर	200/-	..	दिसम्बर, 71	..	..	मन्त्री, राजकीय उपक्रम	"
15-10-71	सिंधु वेलफेयर सोसायटी, जयपुर	75/-	अक्टूबर, 71	12-11-71	..	..	सचिव, गंगानगर शुगर मिल्स	"
16-10-71	जयपुर यूथ एसोसियेशन, जयपुर	150/-	..	..	..	150/-	सचिव, गंगानगर शुगर मिल्स	"
20-10-71	सुलतान उल हिन्द, अजमेर	150/-	..	29-11-71	भुगतान चैक द्वारा	..	..	"
20-10-71	लोकरंजन सोविनियर, जयपुर	100/-	अक्टूबर, 71	6-11-71	भुगतान नकदी	..		"
27-10-71	नेशनल सोलिडेरिटी, नई दिल्ली	200/-	नवम्बर 71	11-12-71	भुगतान चैक द्वारा	..	मन्त्री, राजकीय उपक्रम	"
6-11-71	बाल मन्दिर मोतीडूंगरी, जयपुर	500/-	नवम्बर, 71	5-1-71	..	..	..	"
24-11-71	प्रान्तीय विद्युत मण्डल, जयपुर	200/-	नवम्बर, 71	18-2-72	..	..	..	"
4-11-71	राजस्थान प्रदेश युवक कांग्रेस कमेटी, जयपुर	500/-	..	..	..	500/-	..	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24-11-71	पैट्रीयट, जयपुर	200।-	जनवरी, 72	7-3-72	भुगतान चैक द्वारा	..	..	मंत्री राजकीय उपक्रम
26-11-71	परिजात	100।-	..	5-1-72	..	..	सचिव, गंगानगर शुगर मिल्स	"
2-12-71	सर्वोदय साहित्य प्रकाशन, जयपुर	200।-	..	5-1-72	..	..	मुख्य मन्त्री, राजस्थान	"
2-12-71	राजस्थान लेबर सोविनियर	200।-	..	..	..	200।-	प्रभारी, संचालक	"
22-12-71	साप्ताहिक अभियाचिका, धौलपुर	200।-	..	18-2-72	भुगतान चैक द्वारा	..	सचिव, गंगानगर शुगर मिल्स	"
26-12-71	राजस्थान, राष्ट्रीय युवक दल, मावली, उदयपुर	200।-	..	..	..	200।-	..	"
दिसम्बर, 71	बदला हुआ जमाना	200।-	..	4-2-72	भुगतान चैक द्वारा	..	..	"
दिसम्बर, 71	सीमा सन्देश	300।-	3-2-72	10-2-72	..	..	मन्त्री, राजकीय उपक्रम	"
7-2-72	राजस्थान तरुण कलाकार परिषद् जयपुर	300।-	..	24-3-72	..	..	सचिव, गंगानगर शुगर मिल्स	"
8-2-72	लालबहादुर बाल विद्यालय, जयपुर	300।-	..	..	..	300।-	प्रभारी संचालक, गंगानगर शुगर मिल्स.	"
23-2-72	साधना इन्फार्मेशन, उदयपुर	200।-	फरवरी, 72	7-4-72	भुगतान चैक द्वारा		मन्त्री, राजकीय उपक्रम	"
1—3—72	इन्टरनेशनल एक्जीबीशन आफ फार्म, नई दिल्ली	300।-	मार्च, 72	7-4-72	..	..	प्रभारी संचालक, गंगानगर शुगर मिल्स.	"
25-3-72	मुक्ति स्वर, उदयपुर	200।-	..	..	..	200।-	मन्त्री, राजकीय उपक्रम	"

6-4-72	परिजात, जयपुर	150/-	..	..	..	150/-	प्रभारी संचालक, गंगानगर शुगर मिल्स	,,
31-3-72	कमला नेहरू इन्स्टीट्यूट ऑफ साइन्स टेक्नोलोजी, नई दिल्ली	600/-	..	..	..	600/-	श्री के. एन. सिंह, उप मन्त्री, भारत सरकार	प्रभारी संचालक गंगानगर शुगर मिल्स
6-5-72	नेशनल सोलिडेरिटी, नई दिल्ली	300/-	..	..	..	300/-	राजकीय उपक्रम विभाग	,,
21-4-72	कला-प्रेमी मण्डल, जोधपुर	300/-	..	..	..	300/-	मुख्य मन्त्री, राजस्थान	,,

नोट :—गंगानगर शुगर मिल्स का वित्तीय वर्ष (जुलाई-जून) से शुरू होता है। विज्ञापन की सूचना जुलाई' 71 से 30 अप्रेल' 72 तक दी गई है।

राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, डीडवाना—

5-12-70	सिधुवेलफेयर सोसाइटी, जयपुर	100/-	9-12-70	..	..	..	महा अधीक्षक, केमिकल वर्क्स, डीडवाना	

राजकीय ऊनी मिल्स, बीकानेर :—

15-4-71	रंगतरंग, नई दिल्ली	200/-	24-4-71	27-7-72	..	..	महा प्रबन्धक, राजकीय ऊनी मिल्स, बीकानेर	
23-4-71	लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट, जयपुर	300/-	..	..	..	300/-	,,	
24-4-71	राजस्थान कला मन्दिर, बीकानेर	150/-	मई, 71	8-7-71	..	[illegible]	,,	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8-5-71	प्रहावला साप्ताहिक, उदयपुर	100/-	..	..	..	100/-	महा प्रबंधक राजकीय ऊनी मि. बीकानेर	
8-5-71	एस. पी. मेडिकल कालेज, बीकानेर	150/-	..	..	..	150/-	"	
29-4-71	कथा लोक, जयपुर	85/-	मई, 71	26-11-71	..	..	"	
18-9-71	लालबहादुर शास्त्री जन्म दिवस समारोह समिति, स्मारिका नई दिल्ली	175/-	अक्टूबर, 71	..	..	175/-	"	
24-10-71	सिन्धु वेलफेयर सोसाइटी, जयपुर	100/-	..	..	..	100/-		
28-10-71	राजस्थान हाकी एसोसियेशन, कोटा	100/-	नवम्बर, 71	5-1-72	..	..	"	
15-11-71	सिन्धु कल्चरल सोसाइटी, जयपुर	200/-	..	..	..	200/-	"	
19-11-71	सिन्धी साहित्य सभा	60/-	..	..	..	60/-	"	
प्रधान प्रबन्धक, राजस्थान राजकीय लवण उद्योग, जयपुर :—								
20-4-72	सोविनार कमेटी इण्डियन कालेज ग्राफ एलर्जी, एस. एम. एस. मेडिकल कालेज, जयपुर	100/-	..	..	..	100/-	प्रधान प्रबन्धक, राजस्थान लवण उद्योग, जयपुर	
21-5-71	कोलाहल, उदयपुर	308/-	25-5-71	..	..	308/-	" (मारफत जन सम्पर्क निदेशालय)	
10-8-71	कथलोक-जयपुर	86.40	अगस्त, 71	23-12-71	..	..	प्रधान प्रबन्धक, राजस्थान राजकीय लवण उद्योग, जयपुर	
12-10-71	सिन्धु वेलफेयर सोसायटी, जयपुर	100/-	20-10-72	..	..	100/-	"	
12-10-71	सिन्धु वेलफेयर सोसायटी, जयपुर	100/-	20-10-72	...	..	100/-	"	
जुलाई, 71	संप्रेषण, जयपुर	100/-	जुलाई, 71	14-3-72	..	..	"	
मार्च, 72	सिंधयत जी जोत, जयपुर		125/-	22-3-72	22-4-72	..	..	

परिशिष्ट 9

(अ. प्र. स. 252 की सूची)

परिशिष्ट (अ)

सांचोर मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसायटी
लि. सांचोर, जिला जालौर

(1) बकाया गेहूँ, बीज, ऋण का ब्यौरा :—

क्रम सं.	नाम बकायादार	बकाया राशि मूल व ब्याज दिनांक 30-4-72 तक		
		मूल	ब्याज	कुल योग
1	2	3	4	5
1.	धमाता ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., धमाता	1334-00	1862–98	3196–98
2.	पांचला बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि.	800–00	939–65	1739–64
3.	सांकड ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., सांकड़	–	129–06	129–06
4.	उत्तर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., सांचोर की ढाणी	–	67–78	67–78
5.	रणोधर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., रणोधर	530–64	703–60	1234–24
6	हेमागुड़ा ग्राम सेवा सह. स.	3164–00	3171–84	6335–84
7.	रस्सा बनाने की सहकारी समिति लि.। सूरज की ढाणी	25–00	48–60	73–60
8.	जाखल बहु. सहकारी समिति लि., जाखल	1494–00	1733–04	3227–04
9	कृषि सहकारी समिति सरवाड़ा लि.,	125–00	257–50	382–50
10.	सागड़वा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., सागड़वा	702–50	872–26	1574–76
11	गुन्दाग ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	2890–00	1504–16	4394–16

Page No 170

1	2	3	4	5
12.	डाबल बहु. सह. समिति लि.	1000-00	1121-53	2121-53
13.	बुनकर सहकारी समिति लि. जाजूशन	700-00	356-49	1056-49
14.	कारोला ग्राम सेवा सह. समिति	571-00	693-04	1264-04
15.	ग्राम पंचायत गोलासन	440-00	461-93	901-93
16.	ग्राम पंचायत निम्बाड़	961-00	1328-23	2289-23
17.	श्री उरस पुत्र श्रोमाभा	2000-00	2389-62	4389-62
18.	धरमाराम पुत्र श्री जमनाराम सांचोर	400-00	187-53	587-53
19.	रामचन्द्र पुत्र जयरूप माली सांचोर	217-00	309-34	526-34
	योग :—	17,354-14	18,138-18	35,492-32

(2) बकाया खाद रकम का ब्यौरा :—

1.	श्री मीठालाल ग्राम सेवक, झाब	1175-00	456-00	1631-00
2.	श्री कालूदान ग्राम सेवक, कारोला,	1094-00	264-00	1358-00
3.	श्री मालाराम अध्यापक, धमाना गोलिया	1010-00	380-00	1390-00
4.	श्री जयन्तिप्रसाद ग्राम सेवक मालवाडा	250-00	95-00	345-00
5.	श्री चौरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., चौरा	488-50	120-00	608-50
6.	श्री कल्याणपाल सिंह ग्राम सेवक, सांकड़	81-00	19-40	100-40
7.	श्री चन्दनसिंह ग्राम सेवक, सांकड़	510-00	190-00	700-00
8.	सांकड़ ग्राम सेवा, सहकारी समिति लि.	940-00	282-0	1222-00
	योग :—	5548-50	1806 40	7354-90

परिशिष्ट 10

(अ. प्र. सं. 255 की सूची)

तालिका "अ"

नगर विकास न्यास, द्वारा 1960 के बाद बसाई गई बस्तियों की सूची ।

क० सं०	योजना का नाम	स्वीकृति की दिनांक
1.	जनता कोलोनी	30–6–62
2	बनीपार्क विस्तार	22–5–63
3	बडोदिया बस्ती	15–6–64
4.	शोरुम कच्चावन्दा रोड	2–2–65
5.	अम्बा बाड़ी	9–2–65
6	एस.एम.एस. हाइवे विस्तार	9–2–65
7.	शोरुम कबीर मार्ग बनीपार्क	9–2–65
8	जनता कालोनी विस्तार	9–2–65
9.	नाहरी का नाका पूर्व	23–2–65
10.	ट्रक स्टेन्ड	12–3–65
11.	अजमेर रोड़	9–12–65
12.	शापिंग सेन्टर बापूनगर	10–12–65
13.	आगरा रोड़ अर्जुनलाल सेठीनगर	18–12–65
14.	बजाजनगर विस्तार	18–12–65
15.	फतेह टीबा विस्तार (आनन्दपुरी)	16–7–65
16.	उनियारा गार्डेन स्कीम शोरूम नारायण निवास कानोता हाउस शोरूम नीयर वेटेनरी हास्पिटल	16–7–65
17.	लाल कोठी योजना	5–5–71
18.	फतेहसिंह की धर्मशाला	7–5–71
19.	कलवाड़ योजना	7–5–71

तालिका 'ब'

न्यास द्वारा 1960 के बाद बसाई गई बस्तियों में प्रति वर्ष व्यय की गई राशि का विवरण

व्यय की गई राशि का वर्ष

		1960-61	61-62	62-63	63-64	64-65	65-66	66-67	67-68	68-69	69-70	70-71	71-72
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	जनता कोलोनी	..	196/-	77965.26	278884.93	264446.14	152308/	158309	109200	67354	162755	43215	.93989
2.	बनीपार्क विस्तार	.3344	122635	62136	147546	524908	375410	73233	35900	156384	95026	82357	39467
3.	बड़ोदिया बस्ती	10612	10548	..	..	897	8681	208	..	6000	..	..	..
*4.	शोरूम कच्चा बन्धा रोड	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
5.	अम्बा बाड़ी	..	..	..	..	82293	16089	41333	15800	43859	84200	108586	61720
6.	एस. एम. एस. विस्तार	..	194017	70592	11316	23327	35457	9571	..	..	..	..	..
7.	शो रूम बनीपार्क कबीर मार्ग	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
8.	जनता कोलोनी विस्तार	..	..	..	..	..	3665	60	500	138	..	..	7775
9.	नाहरी का नाका पूर्व	..	..	..	..	141675	188643	255594	275900	133724	137709	21095	7733
10.	ट्रक स्टेण्ड	..	29431	11503	81973	86491	46702	4924	158000	105619	526276	76000	144367
11.	अजमेर रोड	..	..	..	..	..	461	6182	..	4032	15172	2315	..
12.	शोपिंग सेन्टर बापू नगर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
13.	अर्जुनलाल सेठी नगर	..	..	..	..	..	157701	55424	278800	60365	39710	38621	77636
14.	बजाज नगर विस्तार	..	..	..	3938	..	..	..	18400	3257	198	..	..
15.	फतेह टीबा विस्तार	..	..	2687	118660	5737	17243	4434	4000	5562	59555	..	..
16.	उनियारा गार्डन स्कीम शो रूम नारायण निवास कानोता हाउस शोरूम नियर वेटेरीनरी अस्पताल	12306	12306	2953	2031	2470	272	−1:50	500	..	..	..	..
17.	लाल कोठी योजना	..	49670	..	..	43750	..	..	..	..	409.493	..	..
18.	फतेह सिंह की धर्मशाला	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	39357	..
19.	झालवाड योजना	..	..	..	..	..	931	..	..	..	..	..	1368

*योजना मुख्य सडक मुख्य योजना में स्थित होने के कारण योजना का व्यय होना नहीं दर्शाया गया है।

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक 19 मई, 1972)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
15	ऊपर से 15	प्राप्राप्त	अप्राप्त
35	अन्तिम से 5	मिभाएां	निर्माण
47	ऊपर से 1	श्री गुरुदयाल सिन्धु	श्री गुरदयाल सिंह सन्धु
59	ऊपर से 3	वन्द	बन्द
65	,, 1	राज्य	—
	,, 10	देरोजगार	बेरोजगार
	,, 1	श्री निरंजनाथ आचार्य	श्री निरंजन नाथ आचार्य
71	अन्तिम से 5	श्री कदारनाथ	श्री केदारनाथ
74	,, 12 व 17	कार्यो	—
78	,, 12	परिष्ट	परिशिष्ट
89	,, 3	नशान्बदी	नशाबन्दी
94	,, 12	गर्वमेन्ट	गवर्नमेन्ट
95	,, 2	में	मैं
105	,, 19	पर्ण	पूर्ण
107	ऊपर से 1	(श्री) चन्दनमल बैद	(श्री चन्दनमल बैद)
121	अन्तिम से 3	श्री शांतीलाल	श्री शान्तिलाल
124	ऊपर से 12	कल कुर्जो	कल पुर्जो
133	,, 5	—	कह
145	अन्तिम से 12	मनोपोलिस्ट	मोनोपोलिस्ट
150	,, 14	रिट्रास्पेक्टिव	रिट्रास्पेक्टिव
157	,, 18	सीरिय	सीरियस
161	ऊपर से 2	उतायेंगे	बतायेंगे
173	ऊपर से 5	इन्डिस्ट्रयली	इन्डस्ट्रियली
194	शीर्ष	—	अप्रेतर
210	अन्तिम से 13	श्री मनोहर सिंह	श्री मनोहर लाल

1	2	3	4
256	अन्तिम से 5	मानसिह्	मानसिंह
258	,, 7	गोक	गोकुल
267	,, 14	पोलिटक्स	पोलिटिक्स
292	ऊपर से 12	चिम्मन सिह भाटी	श्री चिम्मनसिंह भाटी
	14	मोहन राज	श्री मोहन राज
298	अन्तिम से 1	अडावली	अरावली
	16	कथलोक	कथालोक